


# प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची



- तिथि** :- 05 अगस्त, 2025
- समय** :- अपराह्न 04.30 बजे
- स्थान** :- द्वितीय तल स्थित पारिजात सभागार,  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण की 185वीं बोर्ड बैठक दिनांक  
05.08.2025 के प्रस्तावों की सूची**

क्र. सं.	विषय	पृ०सं०
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	1-16
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	17-41
	<b>नैमिष नगर एवं वरुण विहार आवासीय योजना के सम्बन्ध में</b>	
3.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रैंथा रोड बख्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से दिनांक 03.07.2025 एवं 25.07.2025 को पारित प्रस्तावों का पुष्टिकरण।	42-57
4.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (वरुण विहार) आगरा एक्सप्रेस-वे आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025 एवं दिनांक 31.07.2025 का पुष्टिकरण।	58-72
5.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वरुण विहार आवासीय योजनान्तर्गत तहसीलदार-सदर व सरोजनीनगर, लखनऊ तथा नैमिष नगर आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-बख्शी का तालाब, लखनऊ में योजनाओं से आच्छादित ग्रामों में सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के संबंध में निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया S.O.P. का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	73-74
	<b>भूमि अर्जन से सम्बन्धित</b>	
6.	नेहरू इन्वलेव योजनान्तर्गत स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितीकृत करने तथा प्राधिकरण की अवशेष भूमि को सेना से वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।	75-79
7.	ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये बैंक पर पिपराघाट से शहीद पथ तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के बंधे हेतु प्रस्तावित कार्य के लिये रक्षा भूमि समान भूमि, संमान्न लागत के आधार पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	80-83
8.	कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ०प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि लिये जाने के सम्बन्ध में।	84-90
9.	दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि० एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य अनिबंधित अनुबन्ध दिनांक 27.06.2006, 27.03.2007 व 04.04.2016 एवं दो अनिबंधित अनुबंध पत्र दिनांक 28.01.2017 निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	91-93
10.	बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि० को मा० न्यायालयों में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दी गयी क्षेत्रफल 56307 वर्गमी० भूमि में से 14309 वर्गमी० भूमि वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।	94-97
11.	भारत सरकार पुर्नवास नीति के अन्तर्गत अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना से प्रभावित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	98-100
12.	हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत अर्जित ग्राम-गजराहार, बरीकला व बरावनखुर्द की भूमि के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	101-102
13.	ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 भूमि के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.08.2018 के सम्बन्ध में।	103-106

आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी योजना के लैण्ड पूलिंग से सम्बन्धित		
14.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेलनेस सिटी व आईटी सिटी योजनान्तर्गत सदस्य (कन्सोर्सियम सदस्य) के रूप में 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में सबसे ज्यादा भूमि के भू-स्वामी को लीडर मानते हुए अन्य कास्तकारों को 50 प्रतिशत एकजाई भूमि प्रदान किये जाने एवं शासनादेश संख्या-248/8-3-19-152 विविध/17 दिनांक 20.02.2019 में वर्णित लैण्ड पूलिंग नीति के तहत निर्धारित प्रारूप में संशोधन करने के सम्बन्ध में।	107-117
15.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आईटी0 सिटी विस्तारित क्षेत्र की अतिरिक्त भूमियों पर ग्राम-मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली व सिद्धपुरा, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षेत्रफल 390.1446 हे० (964.0683 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।	118
16.	वेलनेस सिटी योजनान्तर्गत विकासकर्ताओं के स्वीकृत डी0पी0आर0 से आच्छादित गाटों के निरस्तीकरण एवं प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही योजना के अन्तर्गत छूटे हुए गाटों को संशोधित प्रस्ताव के द्वारा अर्जनीय कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	119
<b>नियोजन से सम्बन्धित</b>		
17.	उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	120-122
18.	विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आवासीय भू-उपयोग में शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 09.00 मी० से कम चौड़ी सड़कों पर प्राप्त होने वाले एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	123-124
<b>भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित</b>		
19.	मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.0 मी० चौड़ी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई को कम करते हुए उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के संबंध में।	125-132
20.	ग्राम-रामपुर बेहड़ा एवं ग्राम-दिगोई एन0एच0-24, सीतापुर-लखनऊ, नैशनल हाईवे, बक्शी का तालाब में प्रस्तावित महायोजना मार्ग की चौड़ाई कम करने के संबंध में।	133-135
<b>ले-आउट परिवर्तन से सम्बन्धित</b>		
21.	शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड में भूखण्ड संख्या-जीएच-01 पर निर्मित रतनलोक अपार्टमेन्ट से सटी हुई रिक्त आवासीय भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।	136-138
22.	इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या-189, 189ए एवं 190 कुल क्षेत्रफल 6,37,473 वर्गफिट का योजना के तलपट मानचित्र में भू-उपयोग अनाथालय से सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	139-144
23.	जानकीपुरम योजना सेक्टर-एच में पीपल के पेड़ से प्रभावित भवन/भूखण्ड संख्या-3/337 को कब्जा दिए जाने हेतु तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में।	145-151
24.	मिल रोड पर स्थित इण्डिस्ट्रियल योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के संबंध में।	152-155
25.	मानसरोवर योजना स्थित सेक्टर-ओ विस्तार में हाईस्कूल /इण्टरमीडिएट कालेज भूखण्ड में रक्षा सम्पदा से पृथक भूमि को कम्युनिटी फ़ैसिलिटी भूखण्ड में नियोजित करते हुए तलपट मानचित्र के संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	156-159
26.	हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना के सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र का पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	160-162
27.	पुराना आर0टी0ओ0 काम्पलेक्स के तलपट मानचित्र के संशोधन के संबंध में।	163-169
28.	गोमती नगर योजना में विनम्र खण्ड-2 में नियोजित भूखण्ड सं०-एफ-8 (OCF) तथा पार्क की भूमि का उपयोग आपस में बदलते (स्वैपिंग) हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में।	170-172

29.	हुसडिया चौराहा, गोमती नगर लखनऊ, रेलवे लाईन व सेक्टर-5, गोमती नगर विस्तार के मध्य प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर नियोजन/ पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।	173-178
30.	भूखण्ड संख्या-6/बी-175 से 6/वी-180, सेक्टर-6, गोमती नगर विस्तार के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0मी0 चौड़े मार्ग को 12.0 मी0 किये जाने के संबंध में।	179-184
31.	चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	185-191
32.	गोमती नगर योजना के विकास खण्ड-2 में 'नर्सिंग होम' भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर 'व्यवसायिक' उपयोग की भूमि को वर्ष 1996 में 'नर्सिंग होम' उपयोग हेतु निष्पादित लीजडीड के अनुसार भूमि का भू-उपयोग तलपट मानचित्र में 'नर्सिंग होम' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	192-196
33.	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-4 में टेलीफोन एक्सचेंज एवं 33 के0वी0 सबस्टेशन हेतु नियोजित दोनो भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु भूखण्ड पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	197-200
34.	प्राधिकरण की नियोजित विभिन्न योजनाओं में सुविधाओं यथा-पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज व अन्य उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के उपयोग परिवर्तन हेतु योजनाओं के तलपट मानचित्र में संशोधन के संबंध में।	201-205
35.	प्राधिकरण द्वारा विकसित ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर रोड योजना के तलपट मानचित्र में भूखण्ड सं0-सी0पी0-525 व्यवसायिक उपयोग के स्थान पर पेट्रोल पम्प (व्यवसायिक) उपयोग हेतु संशोधित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	206-210
36.	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (संशोधित नाम लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0) के मध्य कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन हेतु दिये गये चौधरी चरन सिंह इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110.00 एकड़ (4,45,154.00 वर्गमी0) क्षेत्रफल में प्रस्तुत ले-आउट प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	211-215
37.	मै0 अंसल हाउसिंग इनरीजिंग लिविंग स्टाइलेश द्वारा विकसित की गयी सेक्टर-एम एवं एन, आशियाना कानपुर रोड योजना लखनऊ के पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-217ए दिनांक 12.07.1991 में किये गये विचलन के कारण संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	216-221
	<b>विशेष सुख सुविधा से सम्बन्धित</b>	
38.	प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सुख सुविधा (शहीद पथ, किसान पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर) अधिसूचित कराने के संबंध में।	222-223
39.	प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सुख-सुविधा शुल्क के वृद्धि किये जाने के संबंध में।	224-225
40.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उद्ग्रहित विशेष सुख सुविधा शुल्क के मद में प्राप्त धनराशि के उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में।	226
	<b>वित्त से सम्बन्धित</b>	
41.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आई0आई0एम0 रोड पर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण तथा आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रस्तावित योजनाओं की भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।	227-228
42.	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नवीन योजनाओं के भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्यों तथा डिजिटाइजेशन, कम्प्यूटराइजेशन, नई ई.आर.पी. आदि का कार्य बजट प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।	229-230
43.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में दो सहायक लेखापरीक्षा/वरिष्ठ लेखापरीक्षक की मानदेय के आधार पर तैनाती के सम्बन्ध में।	231
	<b>सम्पत्तियों से सम्बन्धित</b>	
44.	नन्दाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स लखनऊ पर निवास कर रहे निवासियों के विस्थापन के सम्बन्ध में।	232-235
45.	प्राधिकरण के विभिन्न योजना में निर्मित कामर्शियल काम्पलेक्स में निर्मित दुकानें, योजनाओं में निर्मित हॉल, स्टोर आदि आलोकप्रिय घोषित करते हुए प्रथम	236-244

	आओ-प्रथम पाओ योजना के अन्तर्गत विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	
46.	प्राधिकरण के सिण्डर्स डम्प योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- सी०पी० 1 से सी.पी.-2 के निकट भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	245-246
47.	मण्डी परिषद को आवंटित भूमि 40697.59 वर्गमीटर के स्थान पर बढ़े हुये क्षेत्रफल 5003 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना के सम्बन्ध में।	247-252
48.	आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये रतन खण्ड योजना रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मैसर्स यूनीटेक लि० के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 20.07.1988 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	253-255
49.	प्राधिकरण के एम.आई.जी./एच.आई.जी. भवनों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।	256
50.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आश्रयहीन/ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओं में भवन समायोजित किये जाने पर समायोजन तिथि से ब्याज लिये जाने के सम्बन्ध में।	257
51.	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित/निबन्धित भूखण्ड का फायर स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि पर किये गये समायोजन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	258-259
52.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समायोजन नीति के अन्तर्गत समायोजित भूखण्डों/फ्लैटों के विनिमय विलेख हेतु स्टैम्प शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्ध में।	260
	<b>इंजीनियरिंग से सम्बन्धित</b>	
53.	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु गठित पीएमसी सेल के सम्बन्ध में।	261
54.	पी०आई०यू०/पी०एम०सी० अन्तर्गत तैनात सेवानिवृत्त अधिकारियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	262
55.	कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन फ्लैटों Affordable 1BHK, 2BHK Housing को करते हुए विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	263
56.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसन्तकुञ्ज योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पास 1000 वर्गमी० भूमि को ई-आटो की चार्जिंग हेतु लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि०, केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग लखनऊ को 05 वर्ष हेतु टोकन मनी रु. 01/-प्रति वर्ष पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	264-265
57.	लखनऊ शहर में ऐशबाग, बसंतकुञ्ज योजना, गोमती नगर विराज खण्ड एवं गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-4 में ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में।	266
58.	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना हेतु गठित जे.पी.एन.आई.सी. सोसाइटी को भंग करते हुए उसको पूर्ण कराने, संचालन एवं रख-रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिये जाने के सम्बन्ध में।	267-271
	<b>अभिलेखागार से सम्बन्धित</b>	
59.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में सृजित एवं संरक्षित पत्रावलियों को शासनादेश के क्रम में वीडिंग किए जाने के सम्बन्ध में।	272-273

विषय संख्या : 01

पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं  
बैठक दिनांक 27 मार्च, 2025 के कार्यवृत्त का  
पुष्टिकरण।



लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक  
27.03.2025 का कार्यवृत्त दिनांक 11.04.2025 को समस्त मा0  
सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी भी सदस्य द्वारा  
कोई आपत्ति/सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक  
27.03.2025 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।



## लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27 मार्च, 2025 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डॉ० रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुए:-

### उपस्थिति:-

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 01. श्री प्रथमेश कुमार    | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।   |
| 02. श्री राकेश कुमार सिंह | अपर जिलाधिकारी (वि/रा), प्रतिनिधि-जिलाधिकारी, लखनऊ।                                  |
| 03. श्री विवेक कुमार सिंह | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।   |
| 04. श्री दीप कुमार गौतम   | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।                |
| 05. श्रीमती कंचन सुबोध    | संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।   |
| 06. श्री अतुल मिश्रा      | अधिशाली अभियन्ता, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।                              |
| 07. श्री महेश कुमार गौतम  | अधिशाली अभियन्ता, जल निगम प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।    |
| 08. श्री हितेश कुमार      | नगर नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। |
| 09. डॉ० कल्याण सिंह       | उपनिदेशक-पर्यटन, प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।                                  |
| 10. श्री पुष्कर शुक्ला    | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।   |
| 11. श्री पी०एन० सिंह      | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।   |

### अन्य उपस्थिति:-

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 12. श्री विवेक श्रीवास्तव       | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।                      |
| 13. श्री सी०पी० त्रिपाठी        | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।                  |
| 14. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा      | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।                  |
| 15. श्री एस०पी० सिंह            | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।              |
| 16. श्री दीपक सिंह              | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।            |
| 17. श्री के०के० गौतम            | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।          |
| 18. श्री सोम कमल सीताराम        | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।              |
| 19. श्रीमती वन्दना पाण्डेय      | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।        |
| 20. श्री मनोज सागर              | अधिशाली अभियन्ता, (वि/याँ) लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 21. श्री संजीव कुमार            | अधिशाली अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।          |
| 22. श्री देवांश त्रिवेदी        | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।        |
| 23. श्री रवि नन्दन सिंह         | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।        |
| 24. श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव | सहायक लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।          |

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं०	विषय	निर्णय
184/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की 183वीं बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
184/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।
184/3	वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित व वास्तविक (24.03.2025 तक) एवं 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्ययक का अनुमोदन।	लखनऊ विकास प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित व वास्तविक (24.03.2025 तक) एवं 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्ययक में अनुमानित आय ₹० 2023.40 करोड़ तथा अनुमानित व्यय ₹० 3247.28 करोड़ का अनुमोदन विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

4

184/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक की 178वीं बैठक दिनांक 05.08.2023 के विषय संख्या-28 पर लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अपार्टमेंट्स जिनका अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, में प्रत्येक आवंटी से सुपर एरिया पर सितम्बर 2025 तक रूपये 1.00 प्रति वर्ग फुट (पूर्व निर्धारित) अनुरक्षण शुल्क वसूल किये जाने तथा माह अक्टूबर 2025 से रू0 1.50 प्रति वर्ग फुट लिये जाने का प्रस्ताव जनहित में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर योजना में स्थिति पारिजात एवं पंचशील अपार्टमेंट के फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत पारिजात अपार्टमेंट में कुल 15 फ्लैट एवं पंचशील अपार्टमेंट में कुल 8 फ्लैट रिक्त है। उक्त अपार्टमेंट के फ्लैटों के मूल्य में प्रतिमाह वृद्धि की जाती है, प्रतिमाह मूल वृद्धि किये जाने के कारण अपेक्षाकृत मूल्य अत्यधिक हो गया है, जिस कारण उक्त फ्लैटों का विक्रय काफी समय से नहीं हो पा रहा है।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, कबीर नगर देवपुर पारा, ऐंशबाग हाईट्स भवनों के मूल्यों की भांति गोमती नगर योजना स्थित पारिजात अपार्टमेंट एवं पंचशील अपार्टमेंट योजना में रिक्त फ्लैटों के मूल्य को 31.03.2025 से एक वर्ष (दिनांक 31.03.2025 से 30.03.2026 तक) के लिये फ्रीज किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
184/6	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ पहले पाओ" के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.03.2025 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टीकरण एवं विशेष छूट को नवरात्रि एवं ईद के त्यौहार के उपलक्ष्य में दिनांक 07.04.2025 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ पहले पाओ" के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.03.2025 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी, साथ ही नवरात्रि एवं ईद के त्यौहार के उपलक्ष्य में उक्त विशेष छूट की अवधि दिनांक 31.03.2025 से 07.04.2025 तक बढ़ाये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" के अन्तर्गत फ्लैटों की बिक्री को बढ़ाने हेतु भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रिरा) में पंजीकृत (प्रशिक्षित) एजेन्टों की कमीशन के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने हेतु भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रिरा) में पंजीकृत (प्रशिक्षित) एजेन्टों की 01 वर्ष के लिये नियुक्ति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के अनुमोदित किया गया कि सेल्स एजेन्टों द्वारा जो प्राधिकरण के फ्लैट विक्रीत किये जायेंगे, उन फ्लैटों के विक्रय मूल्य का (फ्री-होल्ड शुल्क छोड़कर) 1.5 से 2.5% (जी0एस0टी0 सहित) इसके साथ हर 10 फ्लैट की बिक्री के उपरान्त 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जो की 4% से अधिक नहीं होगी। पारिश्रमिक दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। पेमेन्ट (मार्केटिंग फीस) का भुगतान आवंटी द्वारा किरतों पर लिये जाने की दशा में विक्रय मूल्य का 25% अथवा 35% भुगतान करने के उपरान्त आवंटी द्वारा कब्जा अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात अथवा पूर्ण भुगतान की स्थिति में विक्रय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त ही सेल्स एजेन्ट को किया जायेगा।

184/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित प्रस्तावित फ्लैटों "पहले आओ पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत विशेष छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत बोर्ड बैठक की स्वीकृति उपरान्त विशेष छूट के पश्चात भी 1-कानपुर रोड योजना स्थित श्रवण, मघा, अह्लेसा, सनराइज/मृगशिरा, पूर्वा, 2-शारदानगर योजना स्थित रतनलोक, आद्रा, 3-प्रियदर्शनी योजना स्थित सोपान इन्चलेव-2 तथा 4-जानकीपुरम योजना स्थित स्मृति अपार्टमेन्ट में रिक्त फ्लैटों का विक्रय अपेक्षा अनुसार कम हुआ है। सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उपरोक्त अपार्टमेन्टों के रिक्त फ्लैटों की बिक्री बढ़ाये जाने के दृष्टिगत रू-45 लाख से कम तक के फ्लैटों पर रू-1.5 लाख की छूट एवं रू-45 लाख से ऊपर के फ्लैटों पर रू-2 लाख की विशेष छूट दिनांक 31.03.2025 से 30.06.2025 तक प्रदान किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/9	प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों की धनराशि एक मुश्त जमा किये जाने की स्थिति में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किये जाने एवं फण्ड्स लिक्विडिटी बढ़ाये जाने तथा अनिस्तारित व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण के दृष्टिगत फ्लैटों में दी जाने वाली छूट की भांति व्यवसायिक सम्पत्तियों में भी कुल मूल्य के 75% धनराशि पर निम्नानुसार छूट दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:- <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 45 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 6%</li> <li>➤ 60 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 5%</li> <li>➤ 75 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 4%</li> <li>➤ 90 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 3%</li> </ul> उपरोक्त अनुमोदन दिनांक 01.04.2025 के पश्चात विज्ञापित नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों पर लागू होंगे, उपरोक्तानुसार ही नीलामी की शर्तों में भी समावेश किया जाय।
184/10	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के आवंटियों की पंजीकरण धनराशि के सत्यापन न होने पर ब्याज के साथ जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि पंजीकरण धनराशि एवं अन्य जमा धनराशियों का सत्यापन विक्रय-विलेख निष्पादन के समय किया जाता है, जो आवंटन के कई वर्षों पश्चात होता है। ऐसी स्थिति में कास्टिंग गाइड लाइन के बिन्दु संख्या-18 में निहित प्राविधान के फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अल्प आय वर्ग के आवंटियों के पंजीकरण धनराशि का सत्यापन न होने के कारण चक्रवृद्धि ब्याज के साथ धनराशि कई गुना हो जाती है, जिससे ई0डब्ल्यूएस0/एल0आई0जी0 आश्रयहीन, साइट एण्ड सर्विसेज तथा इस श्रेणी के आवंटियों द्वारा धनराशि जमा कर पाना कठिन हो जाता है तथा आवंटियों द्वारा ब्याज में छूट दिये जाने का समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा कास्टिंग गाइड लाइन के प्रस्तर-18 को निम्नानुसार संशोधित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:- "यदि किसी आवंटि की पंजीकरण धनराशि (जिसको जमा करके पंजीकरण कराया गया था) अथवा नाम परिवर्तन शुल्क की धनराशि (जिसके जमा होने पर नाम परिवर्तन किया गया था) के जमा होने की

		<p>पुष्टि/सत्यापन नहीं होती है जो उक्त धनराशि जिस तिथि में जमा होनी थी उस तिथि से आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ई0डब्लू0एस0), अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) तथा 20 वर्गमीटर तक की दुकानों के आवंटियों से 16 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ जमा कराई जायेगी। अन्य श्रेणी के आवंटियों के सम्बन्ध में कास्टिंग गाइड लाइन 2016 के प्रस्तर-18 के प्राविधान पूर्ववत् यथावत् रहेगी।</p> <p>इसके अतिरिक्त एम0आई0जी0 भवनों के सम्बन्ध में भी परीक्षण करके गुणावगुण के आधार पर प्रस्ताव/रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये।</p>
184/11	ग्राम-सेखापुर, लखनऊ की खसरा संख्या-11 व 12 सेक्टर एल0 अलीगंज योजना (निकट मामा चौराहा) प्राधिकरण की भूमि से हटाये गये झुग्गी-झोपड़ी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, बसंतकुंज सेक्टर आई0 में पुर्न-विस्थापित करने के सम्बन्ध में।	ग्राम-सेखापुर, लखनऊ की खसरा संख्या-11 व 12 सेक्टर एल0 अलीगंज योजना (निकट मामा चौराहा) प्राधिकरण की भूमि से विस्थापित किये गये झुग्गी-झोपड़ीवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना बसंतकुंज सेक्टर आई0 में भवन आवंटित करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया। मौके पर सर्वे उपरान्त पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटन पत्र निर्गत करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन आवंटित करने की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
184/12	खसरा सं0-238 मोहल्ला पूरेघासीराम (राजीव गाँधी नगर), रफी अहमद किदवई मार्ग, कैन्ट लखनऊ, पर 75 वर्षों से निवास कर रहे निवासियों, नंदाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स लखनऊ एवं ग्राम-मुतक्कीपुर, घैला एवं अल्लूनगर डिगुरिया, आई.आई.एम. रोड, लखनऊ, पर निवास कर रहे निवासियों के विस्थापन के सम्बन्ध में।	खसरा सं0-238 मोहल्ला पूरेघासीराम (राजीव गाँधी नगर), रफी अहमद किदवई मार्ग, कैन्ट लखनऊ, पर 75 वर्षों से निवास कर रहे निवासियों, नंदाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स लखनऊ एवं ग्राम-मुतक्कीपुर, घैला एवं अल्लूनगर डिगुरिया, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ, पर निवास कर रहे निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, बसंतकुंज सेक्टर आई0 में भवन आवंटित करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया। मौके पर सर्वे उपरान्त पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटन पत्र निर्गत करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन आवंटित करने की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
184/13	मा0 रेरा एवं रेरा अपील ट्रिब्यूनल में प्राधिकरण से सम्बन्धित वादों का पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि मा0 जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य फोरम/नेशनल फोरम आदि में लम्बित वादों में भी पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जाए।
184/14	किराये की सम्पत्तियों को मूल किरायेदारों/उनके वारिसानों के उपलब्ध न होने की दशा में सम्पत्ति पर काविज व्यक्तियों के पक्ष में किरायेदारी रेगुलाईज्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	किराये की बहुत सी सम्पत्तियों पर मूल किरायेदार के द्वारा शिकमी किरायेदार को रखा हुआ है एवं मूल किरायेदार का पता नहीं चल पा रहा है। मूल किरायेदार के न होने से इन सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कुछ भवन ऐसे भी हैं जिसमें मूल किरायेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा निवास किया जा रहा है एवं मूल किरायेदार के नाम से किराया प्राधिकरण कोष में जमा किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा इन लोगों से समय समय पर शासनदेश के अनुपालन में भवन खाली कराये जाने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन किरायेदार/

		<p>कब्जेदार मा0 न्यायालयों में याचिका दायर कर स्थगनादेश प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण स्तर से प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है तथा प्राधिकरण में किराये की धनराशि भी जमा नहीं की जाती है। इस प्रकार किराये की सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश के क्रम में नहीं हो पा रहा है एवं सम्पत्तियों की स्थिति दिनों-दिन खराब हो रही है।</p> <p>अतः सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से इन सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदित किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिन सम्पत्तियों पर शिकमी किरायेदार या मूल किरायेदार से भिन्न व्यक्तियों का कब्जा है एवं उन्हें खाली कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है उन सम्पत्तियों का वर्तमान मूल्यांकन कराया जाए।</li> <li>2. निस्तारण से पूर्व इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए।</li> <li>3. यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो शिकमी किरायेदार/मूल किरायेदार से भिन्न/कब्जेदार के पक्ष में सम्पत्ति के विनियमतीकरण की कार्यवाही वर्तमान आकलित मूल्य पर की जाए।</li> <li>4. यदि मूल किरायेदार से भिन्न/शिकमी किरायेदार आकलित मूल्य 45 दिनों में जमा करता है तो 08%, 60 दिनों में जमा करता है तो 05%, 75 दिनों में जमा करता है तो 04% तथा 90 दिनों में जमा करता है तो 03% की छूट प्रदान की जाय।</li> <li>5. उपरोक्तानुसार क्रय न किये जाने की स्थिति में भवन को खाली कराकर नीलामी के माध्यम विक्रीत किया जाय।</li> </ol>
184/15	किराये की सम्पत्तियों का लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में निर्धारित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया समानुपातिक रूप से लिये जाने के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में निम्न स्वीकृति प्रदान की गयी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. एक ब्लॉक में स्थित एक प्रकार के सभी भवनों का किराया समान रूप से निर्धारित किया जाय।</li> <li>2. भूतल की सम्पत्तियों पर निर्धारित किराये के अतिरिक्त 15 प्रतिशत किराया वसूल किया जाय।</li> <li>3. कार्नर की सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत किराया अतिरिक्त वसूल किया जाय।</li> <li>4. निर्धारित किराये में 05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जाय।</li> </ol>
184/16	किराये की सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि जिन सम्पत्तियों की लीज डीड हो चुकी है, उनमें वर्तमान दर से 02 प्रतिशत तथा जिन सम्पत्तियों की लीज डीड अभी नहीं हुई है, उनमें वर्तमान दर से 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क लेते हुये सम्पत्तियों के फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जाय। किराये की जो सम्पत्तियाँ ट्रस्ट की हैं उन पर यह निर्णय लागू नहीं होगा।</p>
184/17	लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं नियन्धन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम जनसेवा समिति द्वारा की जा रही मांग के सम्बन्ध में।	<p>लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं नियन्धन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम जनसेवा समिति द्वारा की जा रही मांग के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा</p>

		<p>प्राधिकरण को प्रेषित पत्र, बोर्ड एजेन्डा प्रस्ताव का अंश बनाया जाए तथा उक्त पत्र में उल्लिखित सम्पत्तियों को छोड़कर अन्य सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराकर बोर्ड की 183वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में नियमानुसार निबन्धन की कार्यवाही की जाय तथा जिन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मा० न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है, उन्हें वापस लेते हुए इन सम्पत्तियों का फ्रीहोल्ड/नामान्तरण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जाय तथा पूर्व में बोर्ड के निर्णयों के अनुसार ही धनराशि जमा कराई जाय।</p>
184/18	<p>कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्मित आश्रयहीन भवनों में रह रहे आवंटियों/अध्यासियों के सम्बन्ध में।</p>	<p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत जर्जर अवस्था में आश्रयहीन भवनों में रह रहे आवंटियों के समायोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रश्नगत आश्रयहीन योजना के ऐसे मूल आवंटी जिनके द्वारा आवंटित भवन के सापेक्ष समस्त धनराशि जमा कराकर उनमें निवास किया जा रहा है, उनको कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ई०डब्लू०एस० भवनों में उनसे सहमति लेते हुए नियमानुसार समायोजन कर लिया जाये। अवशेष ऐसे आवंटी जिनके द्वारा उनको आवंटित आश्रयहीन भवन के सापेक्ष पार्ट धनराशि जमा की गयी है, उनसे सहमति लेते हुए जमा धनराशि पर दिनांक 01.04.2025 को लागू भारतीय स्टेट बैंक के एम०सी०एल०आर० दर से नियमानुसार ब्याज देते हुए भवनों के वर्तमान मूल्य में अन्तर धनराशि जमा कराते हुए कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ई०डब्लू०एस० भवनों के आवंटन पर विचार किया जाय।</li> <li>2. उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 से असहमत हों या आश्रयहीन भवनों में रह रहे हों ऐसे अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को बटलर पैलेस एवं अन्य क्षेत्रों से विस्थापित किये गये व्यक्तियों की भांति विस्थापित श्रेणी का मानते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमानुसार आवंटन किया जाय। आश्रयहीन योजना के भवनों के मूल आवंटी जो पारा योजना में अन्तर की धनराशि को जमा करने पर सहमत न हों उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा प्राधिकरण के अन्य प्लैटो में नियमानुसार समायोजित किया जाय अन्यथा की स्थिति में दिनांक 01.04.2025 को लागू भारतीय स्टेट बैंक के एम०सी०एल०आर० दर से ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाय।</li> </ol>
184/19	<p>कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्धनिर्मित एम.एम.आई.जी. टावर सं०-3, 4, 8 व 9 के यथास्थिति निस्तारण करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>सम्यक् विचारोपरान्त कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्धनिर्मित एम०एम०आई०जी० टावर-3, 4, 8 व 9 का यथास्थिति निस्तारण करने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>

184/20	<p>भवन संख्या-एस.एस.-2/1425, सेक्टर-डी-1, कानपुर रोड योजना के स्थान पर भवन संख्या-ई-24, सेक्टर-एम1, कानपुर रोड योजना का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा0 जिला फोरम के आदेश दिनांक 24.04.2023 के अनुपालन में श्री सुरेश कुमार द्वारा सहमति उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त पूर्व में आवंटित भवन संख्या-एस0एस0-II/1425, सेक्टर-डी-1, कानपुर रोड योजना (मानक क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर) के स्थान पर वर्तमान में आवंटन से रिक्त भवन संख्या-ई-100, सेक्टर-एम, कानपुर रोड योजना (मानक क्षेत्रफल 30.00 वर्गमीटर) को वर्तमान में मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
184/21	<p>ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित भूखण्डों का लीज से फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>सम्यक् विचारोपरान्त ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित भूखण्डों का लीज से फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- ट्रांसपोर्ट नगर के जिन आवंटियों द्वारा आवंटन दर के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी हो तथा लीज़रेंट भी अद्यतन जमा हो ऐसे आवंटियों के पक्ष में फ्री-होल्ड की कार्यवाही निष्पादित की जाये।</li> <li>2- ऐसे आवंटी जिनके विरुद्ध मूल्य/लीज़रेंट/अनिर्माण शुल्क (लेवी)/अन्य कोई बकाया हो उसे अद्यतन 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा कराकर फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।</li> <li>3- जिन आवंटियों के समस्त अभिलेख वैध हैं तथा मौके पर आवंटन पत्र में निर्धारित उपयोग से इतर उपयोग/निर्माण किया गया है उन आवंटियों से निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध जिस भू-उपयोग में उपयोग किया जा रहा है ऐसे मामलों में आवंटन के समय प्रचलित सम्बन्धित भू-उपयोग की दरों की अंतर धनराशि अद्यतन 13% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा कराये जाने के पश्चात ही नियमानुसार फ्री-होल्ड किये जाने पर विचार किया जाय। अन्यथा निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध प्रयोजन/निर्माण कराये जाने पर उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की जाय।</li> <li>4- उपरोक्त समस्त कार्यवाही पत्रावलियों के पूर्ण परीक्षण आवंटन आदि सही पाये जाने की स्थिति में ही वैध आवंटियों के पक्ष में की जाय।</li> </ol>
184/22	<p>कैटिल कालोनी, बसन्त कुंज योजना, हरदोई रोड की तलपट मानचित्र के आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।</p>	<p>कैटिल कालोनी के ले-आउट का अनुमोदन वर्ष 2014 में प्रदान किया गया था, जिसमें भूखण्ड संख्या-459 से 464 के उत्तर दिशा में वेटनेरी हास्पिटल के लिये चिन्हित भूखण्ड क्षेत्रफल 5646 वर्गमीटर का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वर्तमान में उपयोगिता भी नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा प्रस्तावानुसार वेटनेरी हास्पिटल के स्थान पर वेटनेरी क्लीनिक चिन्हित करते हुए शेष भूमि पर अन्य प्रयोजन के भूखण्ड सृजित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>
184/23	<p>सामुदायिक सुविधाओं हेतु एफ0ए0आर0 बढ़ाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा नर्सिंग होम एवं चिकित्सीय सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत संस्थानों हेतु नियोजित भूखण्डों को भविष्य में निस्तारण हेतु अतिरिक्त एफ0ए0आर0 दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की</p>

		<p>संस्तुति के आलोक में पूर्व निस्तारित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु क्रमांक (A) के अनुसार एवं नये प्रस्तावित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु क्रमांक (B) के अनुसार भूमि मूल्य आवेदक से प्राप्त करते हुए बढ़े हुए एफ0ए0आर0 को अनुमन्य किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:-</p> <p>(A) पूर्व निस्तारित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित क्रिया हेतु उस भूखण्ड की प्राप्त उच्चतम बोली दर के आधार पर बढ़ाये जाने वाले एफ0ए0आर0 हेतु समानुपातिक रूप से आवेदक से भूमि मूल्य प्राप्त किया जाए।</li> <li>2. वर्तमान में उस योजना में प्रस्तावित क्रिया हेतु अन्य भूखण्डों में प्राप्त उच्चतम बोली दर से बढ़े हुए एफ0ए0आर0 के लिए आवेदक से समानुपातिक भूमि मूल्य प्राप्त किया जाए।</li> </ol> <p>उपरोक्त दोनों प्रस्तावों में से बढ़े हुए एफ0ए0आर0 हेतु जो अधिकतम समानुपातिक भूमि मूल्य प्राप्त हो उसके अनुरूप अधिकतम मूल्य प्राप्त कर आवेदक को बढ़ा हुआ एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जाय।</p> <p>(B) नये प्रस्तावित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु -</p> <p>नये प्रस्तावित किये जाने वाले भूखण्डों में वर्तमान दर पर बढ़े एफ0ए0आर0 का मूल्य सम्मिलित कर भूखण्डों की दर निर्धारित करते हुए सम्पत्तियों का निस्तारण किये जाने पर विचार किया जाय।</p>
184/24	मेसर्स रोहतास प्रोजेक्ट लि0 के भूखण्ड संख्या-टी0सी0/जी 4/4, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ पर प्रस्तुत व्यवसायिक मानचित्र के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/25	बेसमेंट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेंट की भाँति एक्सटेन्डेड बेसमेंट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 में संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बेसमेंट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेंट की भाँति एक्सटेन्डेड बेसमेंट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 'भू-गेह (बेसमेंट)' के प्रस्तर-3.9.1 (IV) में नियमानुसार नया खण्ड (ज) जोड़े जाने तथा प्रस्तर-3.9.2 (VII) में किये गये संशोधनों को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/28	गाटा सं0-1569 ग्राम भसण्डा, तहसील मोहनलालगंज, मौरावां राज्य मार्ग लखनऊ पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के मानचित्र स्थल के परीक्षण हेतु लखनऊ महायोजना-2031 में प्रस्तावित विशेष अनुमति से अनुमन्य मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।	सम्यक् विचारोपरान्त गठित समिति की संस्तुति के क्रम में गाटा संख्या-1569 ग्राम-भसण्डा, तहसील-मोहनलालगंज, मौरावां राजमार्ग, लखनऊ पर आवेदित पेट्रोल पम्प मानचित्र के सापेक्ष दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन में प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव का नियमानुसार सुनवाई करते हुए निस्तारण उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/27	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंन्ट्रीगेटेड टाउनशिप नीति 2014) के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती होम्स द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह निर्देश भी दिए गए कि साइट प्लान, ले-आउट इत्यादि को प्राधिकरण के जी0आई0एस0 पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाय।

184/28	उ०प्र० के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटर्रीगटेड टाउनशिप नीति 2014) के अन्तर्गत मेसर्स राज इन्फ्रा हाउसिंग प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह निर्देश भी दिए गए कि साइट प्लान, ले-आउट इत्यादि को प्राधिकरण के जी०आई०एस० पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाय।
184/29	उ०प्र० नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 के प्राविधानों के क्रम में विकास शुल्क दर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-558/आठ-3-21-211 विविध/13 टी०सी० दिनांक 09 फरवरी, 2021 के प्राविधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विकास शुल्क उद्ग्रहण दर रु० 2462.00 प्रति वर्गमी० किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/30	भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2024-25 की गाइड-लाइन्स में वर्णित रिफार्मस को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2024-25 की गाइड-लाइन्स में वर्णित रिफार्मस को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/31	मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150 मी० चौड़ी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई को कम करते हुये उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग के अभिमत के अनुसार महायोजना में संशोधन के फलस्वरूप उच्चिकृत होने वाले भू-उपयोग के लिए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त किया जाए तथा प्राधिकरण की योजना के सम्मुख ग्रीन बेल्ट की कमी को अपनी योजना में प्रतिपूर्ति की जाए। तदनुसार 13(2) के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए एवं इसी स्वीकृति की प्रत्याशा में मोहान रोड योजना का ले-आउट संशोधित किया जाय।
184/32	प्राधिकरण द्वारा विकसित/नियोजित योजनाओं एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आईलैण्ड भूखण्डों (भूखण्डों के चारों तरफ रोड) के सेट-बैक निर्धारण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :- 1. स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आईलैण्ड भूखण्डों के सम्मुख स्थित सबसे चौड़े मार्ग पर फ्रन्ट सेटबैक छोड़ते हुये शेष तीन शेटबैक उक्त भूखण्ड हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में दी गयी सेटबैक तालिका के अनुसार लागू होंगे। प्रवेश एवं निकास मार्ग फ्रन्ट सेटबैक में ही दिये जायेंगे। 2. आईलैण्ड श्रेणी के भूखण्डों पर यदि आवेदक द्वारा फ्रन्ट सेटबैक के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग पर प्रवेश एवं निकास प्रस्तावित करने पर उस मार्ग पर भी फ्रन्ट सेटबैक के समान सेटबैक छोड़ना अनिवार्य होगा।



184/33	मे0 एल्लिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 व अन्य द्वारा ग्राम खुजौली व ग्राम धरमगढ़ खेड़ा, न्यू जेल रोड, मोहनलालगंज, लखनऊ का तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा खसरा संख्या-972 से 976, 978 से 981, 983 से 985 आदि ग्राम-खुजौली एवं खसरा संख्या-230, 234, 234ब, 235 आदि, ग्राम-धरमगढ़ खेड़ा, न्यू जेल रोड, गोसाईगंज -मोहनलालगंज मार्ग, लखनऊ पर कुल क्षेत्रफल-21.8545 हे0 (53.98 एकड़) भूमि पर मे0 एल्लिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 व अन्य द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/34	हिन्द नगर कालोनी, कानपुर रोड, को अनाधिकृत कालोनियों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में।	हिन्द नगर कालोनी, कानपुर रोड, को अनाधिकृत कालोनियों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
184/35	मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा शहीद पथ सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को शासनादेश संख्या-2712/आठ-1-2005 दिनांक 21.05.2005 द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप का विकास किये जाने हेतु चयन किया गया था, जिसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) दिनांक 22.05.2006 को स्वीकृत किया गया था। मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के मूल अनुमोदित क्षेत्रफल 1765 एकड़ से बढ़ाकर 3530 एकड़ प्रथम विस्तार हेतु स्वीकृति दिनांक 03.06.2009 को प्रदान की गयी जिसकी डी0पी0आर0 दिनांक 18.05.2010 को स्वीकृत की गयी थी। मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को मूल अनुमोदित+प्रथम विस्तार क्षेत्रफल 3530 एकड़ के साथ-साथ 2935 एकड़ द्वितीय विस्तार हेतु स्वीकृति दिनांक 13.12.2013 को प्रदान की गयी। इस प्रकार द्वितीय विस्तार सहित 6465 एकड़ क्षेत्रफल की डी0पी0आर0 दिनांक 23.05.2015 को स्वीकृत की गयी थी।</p> <p>मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0 द्वारा योजना को में रूचि न लिये जाने के कारण प्राधिकरण के पत्रांक 611/उपा0/मु0न0नि0/2025 दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय पत्रांक संख्या- 3872(1)/आठ-1-07-34विधि/03 दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के प्रस्तर -(ix) में उल्लिखित प्राविधान "हाई-टेक टाउनशिप नीति के प्राविधानों के उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम के विरुद्ध कार्यवाही करना/चयन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लेना" के क्रम में उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण उच्च स्तरीय समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 को पत्र प्रेषित किया गया।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.सी.एल.टी., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त आई0आर0पी0 के समक्ष रू0 4490.00 करोड़ का बलेम प्रस्तुत किया गया। उक्त के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.सी.एल.टी. के आदेश के विरुद्ध</p>

		<p>अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील योजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।</p> <p>उपरोक्त समस्त तथ्यों से बोर्ड अवगत हुआ। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हाईटेक पॉलिसी के प्राविधानों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु शासन स्तर से विभिन्न विभागों की समिति का गठन कराने तथा गठित समिति की जाँच आख्या उपरांत इस प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही/निर्देशों हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए।</p>
184/36	लखनऊ शहर में बस अड्डे के निर्माण हेतु हरदोई रोड योजना स्थित सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।	लखनऊ शहर में उ०प्र० सड़क परिवहन निगम को बस अड्डे के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के क्रम में हरदोई रोड योजना स्थित (बसंतकुंज योजना) स्थित सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/37	प्राधिकरण की नियोजित विभिन्न योजनाओं में पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट आफिस आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।	प्राधिकृत की नियोजित विभिन्न योजनाओं में शासनादेश दिनांक 13.10.1998 के क्रम में विभिन्न योजनाओं में पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक-सबस्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
184/38	लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में शहीद पथ रोड से पिपराघाट के मध्य प्रस्तावित बन्धे के संरक्षण के परिवर्तन के सम्बन्ध में।	लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में शहीद पथ रोड से पिपराघाट के मध्य प्रस्तावित बन्धे के संरक्षण के परिवर्तन का प्रस्ताव उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13(2) के अन्तर्गत शासन को संदर्भित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तदनुसार मास्टर प्लान में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गए।
184/39	प्राधिकरण की जीर्ण-शीर्ण अनिस्तारित सम्पत्तियों के पुनर्विकास योजना के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की जीर्ण-शीर्ण अनिस्तारित सम्पत्तियों के पुनर्विकास योजना के सम्बन्ध में मेसर्स नागिया एण्ड कम्पनी द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में 15-20 वर्ष से अधिक पुरानी रिक्त/जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उपलब्ध सम्पत्तियों के पी०पी०पी० मॉडल पर विकासकर्ता का चयन करते हुये अनिस्तारित क्षेत्र के अधिकतम अनुमन्य एफ०ए०आर० के आधार पर रि-डेवलपमेंट से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/40	गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 के अन्तर्गत पुलिस हेड क्वार्टर के निकट प्राधिकरण द्वारा ग्राम मलेशेमऊ की अर्जित भूमि पर आवासीय निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजना का क्रियान्वयन बन्धे का निर्माण प्रगति पर होने अथवा शासन से संरक्षण में परिवर्तन स्वीकृत होने के उपरान्त (जो भी पहले होगा) किया जायेगा। प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित परियोजना तथा (डी.पी.आर.) ले-आउट आदि की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पी०पी०पी० मॉडल पर भी कार्य किया जा सकेगा।

184/41	कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति के साथ-साथ योजनान्तर्गत निर्मित एम.आई. जी. एवं एस.एम.आई.जी. भवनों के रेरा पंजीकरण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/42	रिट याचिका सं०-9344/2023 रामचन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 19.10.2023 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में प्राधिकरण की भूमि आराजी सं०-2746 एवं भूमिधारी भूमि आराजी सं०-2758 के विनिमय एवं रास्ता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्थलीय स्थिति का परीक्षण कराते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/43	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में आवंटियों द्वारा भूखण्डों का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण न कराये जाने की स्थिति में भूखण्ड का अनुरक्षण शुल्क निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भूखण्डों का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त 05 वर्ष में निर्माण न कराये जाने वाले आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क के रूप में रु० 2.5/-प्रति वर्गफिट वार्षिक की दर से लिये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की ओर से होने वाली रजिस्टर्ड डीड में भी इसका अंकन किया जाय।
184/44	1090 चौराहा जियामऊ के समीप रिक्त भूमि, जिसका भू-उपयोग व्यवसायिक/आवासीय (मिश्रित भू-उपयोग) भूखण्ड को ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये कि परीक्षण कर लिया जाय कि मा० न्यायालय में कोई वाद तो विचाराधीन नहीं है।
184/45	गोमती नदी के दायी ओर ग्राम-मलेशेमऊ स्थित प्राधिकरण की अर्जित भूमियों से सटी ग्राम-सरसवां, तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ की कुल क्षेत्रफल-8.1310हे० अर्थात् (क्षे.-20.0921 एकड़) भूमि को आपसी सहमति के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/46	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में स्थित ग्राम-भौली, बारूमऊ, घतिगरा, गोपरामऊ, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, सैदापुर एवं पल्हरी गाँव में आवासीय योजना विकसित करने के लिये भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/47	ग्राम-उजरियांव, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा सं०-708, 709, 2459, 2460 एवं 2461 का स्वामित्व राज्य सरकार/ल०वि०प्रा० में निहित होने के दृष्टिगत	प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल के आस-पास कौन-कौन सम्पत्तियाँ अर्जन से पहले और बाद में मौके पर विद्यमान हैं, उनका उल्लेख करते

	नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	हुये आच्छादित क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाय। तदोपरान्त अर्जन से मुक्त किये जाने वाली भूमि के लिये प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी इसी प्रकार का सर्वे कराते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।																																																												
184/48	ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 भूमि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विशेष अनुशांसा याचिका में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि यदि इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिए जाते हैं, तो प्राधिकरण द्वारा उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।																																																												
184/49	प्राधिकरण में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे गये सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं नवीन लिपिक, ड्राफ्टमैन, अमीन रखे जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।																																																												
184/50	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं औद्यानिक कार्यों में संतुलन औद्यानिक कार्य प्रणाली में एकरूपता हेतु आठ नग उद्यान निरीक्षकों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त 08 उद्यान निरीक्षकों की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।																																																												
184/51	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कुशल वाहन चालक व अन्य के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कुशल वाहन चालक व बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">हल्के एवं भारी वाहन चालकों का पारिश्रमिक विवरण</th> </tr> <tr> <th>क्र</th> <th>विवरण</th> <th>वर्तमान में दिये पारिश्रमिक एसओआर-2022</th> <th>प्रस्तावित पारिश्रमिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>वाहन चालक(कुशल)</td> <td>30 x 500 = 15000.00</td> <td>30 x 507 = 15210.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ईपीएफ 13%</td> <td></td> <td>1977.30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ईएसआईसी 3.25%</td> <td></td> <td>494.33</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">योग (अ)</td> <td style="text-align: right;">15000.00</td> <td style="text-align: right;">17681.63</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जेम पोर्टल का लाभांश 4.5%</td> <td></td> <td>684.45</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>जीएसटी 18%</td> <td style="text-align: right;">2700.00</td> <td style="text-align: right;">3182.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">योग (ब)</td> <td style="text-align: right;">2700.00</td> <td style="text-align: right;">3867.14</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">कुल योग (अ + ब)</td> <td style="text-align: right;">17700.00</td> <td style="text-align: right;">21548.77</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Say</td> <td style="text-align: right;">17700.00</td> <td style="text-align: right;">21549.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर का पारिश्रमिक विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर</td> <td>30 x 600 = 18000.00</td> <td>30 x 507 = 15210.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ईपीएफ 13%</td> <td></td> <td>1977.30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ईएसआईसी 3.25%</td> <td></td> <td>494.33</td> </tr> </tbody> </table>	हल्के एवं भारी वाहन चालकों का पारिश्रमिक विवरण				क्र	विवरण	वर्तमान में दिये पारिश्रमिक एसओआर-2022	प्रस्तावित पारिश्रमिक	1	वाहन चालक(कुशल)	30 x 500 = 15000.00	30 x 507 = 15210.00	2	ईपीएफ 13%		1977.30	3	ईएसआईसी 3.25%		494.33		योग (अ)	15000.00	17681.63	4	जेम पोर्टल का लाभांश 4.5%		684.45	5	जीएसटी 18%	2700.00	3182.69		योग (ब)	2700.00	3867.14		कुल योग (अ + ब)	17700.00	21548.77		Say	17700.00	21549.00	बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर का पारिश्रमिक विवरण				1	बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर	30 x 600 = 18000.00	30 x 507 = 15210.00	2	ईपीएफ 13%		1977.30	3	ईएसआईसी 3.25%		494.33
हल्के एवं भारी वाहन चालकों का पारिश्रमिक विवरण																																																														
क्र	विवरण	वर्तमान में दिये पारिश्रमिक एसओआर-2022	प्रस्तावित पारिश्रमिक																																																											
1	वाहन चालक(कुशल)	30 x 500 = 15000.00	30 x 507 = 15210.00																																																											
2	ईपीएफ 13%		1977.30																																																											
3	ईएसआईसी 3.25%		494.33																																																											
	योग (अ)	15000.00	17681.63																																																											
4	जेम पोर्टल का लाभांश 4.5%		684.45																																																											
5	जीएसटी 18%	2700.00	3182.69																																																											
	योग (ब)	2700.00	3867.14																																																											
	कुल योग (अ + ब)	17700.00	21548.77																																																											
	Say	17700.00	21549.00																																																											
बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर का पारिश्रमिक विवरण																																																														
1	बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर	30 x 600 = 18000.00	30 x 507 = 15210.00																																																											
2	ईपीएफ 13%		1977.30																																																											
3	ईएसआईसी 3.25%		494.33																																																											

		योग (अ)	18000.00	17681.63
		4	जैम पोर्टल का लाभांश 4.5%	684.45
		5	जीएसटी 18%	3240.00
			योग (ब)	3240.00
			कुल योग (अ + ब)	21240.00
			Say	21240.00
		बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आवश्यकता के दृष्टिगत सुयोग्य एवं कर्मठ, ईमानदार कर्मी ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाय।		
184/52	श्री मन्हेया लाल राजभर, वाहन चालक (आई.डी.-1747) द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सुर्मिला राजभर के दोनो घुटनों की चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि रू0 5,61,359.00 मात्र की प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा व्यय रू0 4,50,000.00 मात्र के समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।		
184/53	श्री राजेश सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक द्वारा सेवाकाल के दौरान स्वयं के चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।		
184/54	श्रीमती अंकिता साहू, वरिष्ठ लिपिक द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।		
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव				
184/55	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-लखनऊ में स्थित ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं तहसील-सरोजनीनगर में स्थित ग्राम-मदारपुर एवं इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में आवासीय योजना विकसित करने के लिए भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन की चालू मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के माध्यम से Funding कराए जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाए।		
184/58	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में स्थित ग्राम-बलिया खेड़ा, मंगहुया, शिवलर, जमालपुर कुर्मियान एवं बेली गांव में आवासीय योजना विकसित करने के लिए भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन की चालू मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के माध्यम से Funding कराए जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाए।		

184/57	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय, व्यवसायिक/वाणिज्य सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से पी0एम0सी0 सेल गठन करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
--------	--	--

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की घोषणा की गयी।

(विवेक श्रीवास्तव)

सचिव,

लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

(प्रथमेश कुमार)

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

अनुमोदित

(डा0 रंजित जैकब)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण  
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।

विषय संख्या : 02

पृष्ठ सं० : 17

विषय:— लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27 मार्च, 2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

प्राधिकरण की 183वीं बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

अनुपालन

नोट किया गया।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

अनुपालन

नोट किया गया।

विषय संख्या : 3

वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित व वास्तविक (24.03.2025 तक) एवं 2025–26 के प्रस्तावित आय–व्ययक का अनुमोदन।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित व वास्तविक (24.03.2025 तक) एवं 2025–26 के प्रस्तावित आय–व्ययक में अनुमानित आय रू० 2023.40 करोड़ तथा अनुमानित व्यय रू० 3247.28 करोड़ का अनुमोदन विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक की 178वीं बैठक दिनांक 05.08.2023 के विषय संख्या–28 पर लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अपार्टमेंट्स जिनका अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, में प्रत्येक आवंटी से सुपर एरिया पर सितम्बर 2025 तक रुपये 1.00 प्रति वर्ग फुट (पूर्व निर्धारित) अनुरक्षण शुल्क वसूल किये जाने तथा माह अक्टूबर 2025 से रू० 1.50 प्रति वर्ग फुट लिये जाने का प्रस्ताव जनहित में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में आंशिक संशोधन आदेश जारी किया जा चुका है।

**विषय संख्या : 5**

लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर योजना में स्थिति पारिजात एवं पंचशील अपार्टमेन्ट के फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत पारिजात अपार्टमेन्ट में कुल 15 फ्लैट एवं पंचशील अपार्टमेन्ट में कुल 8 फ्लैट रिक्त है। उक्त अपार्टमेन्ट के फ्लैटों के मूल्य में प्रतिमाह वृद्धि की जाती है, प्रतिमाह मूल वृद्धि किये जाने के कारण अपेक्षाकृत मूल्य अत्यधिक हो गया है, जिस कारण उक्त फ्लैटों का विक्रय काफी समय से नहीं हो पा रहा है।

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, कबीर नगर देवपुर पारा, ऐशबाग हाईट्स भवनों के मूल्यों की भांति गोमती नगर योजना स्थित पारिजात अपार्टमेन्ट एवं पंचशील अपार्टमेन्ट योजना में रिक्त फ्लैटों के मूल्य को 31.03.2025 से एक वर्ष (दिनांक 31.03.2025 से 30.03.2026 तक) के लिये फ्रीज किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**अनुपालन**

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पारिजात एवं पंचशील अपार्टमेन्ट में मूल्य फ्रीज किया जा चुका है।

**विषय संख्या : 6**

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ पहले पाओ" के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.03.2025 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टीकरण एवं विशेष छूट को नवरात्रि एवं ईद के त्यौहार के उपलक्ष्य में दिनांक 07.04.2025 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ पहले पाओ" के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.03.2025 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी, साथ ही नवरात्रि एवं ईद के त्यौहार के उपलक्ष्य में उक्त विशेष छूट की अवधि दिनांक 31.03.2025 से 07.04.2025 तक बढ़ाये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**अनुपालन**

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में "पहले आओ पहले पाओ" के अन्तर्गत विशेष छूट प्रदान की जा रही है।

**विषय संख्या : 7**

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" के अन्तर्गत फ्लैटों की बिक्री को बढ़ाने हेतु भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत (प्रशिक्षित) एजेन्टों की कमीशन के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने हेतु भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत (प्रशिक्षित) एजेन्टों की 01 वर्ष के लिये नियुक्ति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के अनुमोदित किया गया कि सेल्स एजेन्टों द्वारा जो प्राधिकरण के फ्लैट विक्रीत किये जायेंगे, उन फ्लैटों के विक्रय मूल्य का (फ्री-होल्ड शुल्क छोड़कर) 1.5 से 2.5% (जी0एस0टी0 सहित) इसके साथ हर 10 फ्लैट की बिक्री के उपरान्त 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जो की 4% से अधिक नहीं होगी। पारिश्रमिक दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। पेमेन्ट (मार्केटिंग फीस) का भुगतान आवंटी द्वारा किशतों पर लिये जाने की दशा में विक्रय मूल्य का 25% अथवा 35% भुगतान करने के उपरान्त आवंटी द्वारा कब्जा अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात अथवा पूर्ण भुगतान की स्थिति में विक्रय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त ही सेल्स एजेन्ट को किया जायेगा।

**अनुपालन**

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रावली स्वीकृत की जा चुकी है पी0सी0एस0 द्वारा इम्पैनल हेतु पेज को डेवलप किया जा रहा है।

**विषय संख्या : 8**

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित प्रस्तावित फ्लैटों "पहले आओ पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत विशेष छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत बोर्ड बैठक की स्वीकृति उपरान्त विशेष छूट के पश्चात भी 1-कानपुर रोड योजना स्थित श्रवण, मघा, अफ्लेसा, सनराइज/मृगशिरा, पूर्वा, 2-शारदानगर योजना स्थित रतनलोक, आद्रा, 3-प्रियदर्शनी योजना स्थित सोपान इन्क्लेव-2 तथा 4-जानकीपुरम योजना स्थित स्मृति अपार्टमेन्ट में रिक्त फ्लैटों का विक्रय अपेक्षा अनुसार कम हुआ है।

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उपरोक्त अपार्टमेन्टों के रिक्त फ्लैटों की बिक्री बढ़ाये जाने के दृष्टिगत रू-45 लाख से कम तक के फ्लैटों पर रू-1.5 लाख की छूट एवं रू-45 लाख से ऊपर के फ्लैटों पर रू-2 लाख की विशेष छूट दिनांक 31.03.2025 से 30.06.2025 तक प्रदान किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**अनुपालन**

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में "पहले आओ पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

विषय संख्या : 9

प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों की धनराशि एक मुश्त जमा किये जाने की स्थिति में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किये जाने एवं फण्ड्स लिक्विडिटी बढ़ाये जाने तथा अनिस्तारित व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण के दृष्टिगत फ्लैटों में दी जाने वाली छूट की भांति व्यवसायिक सम्पत्तियों में भी कुल मूल्य के 75% धनराशि पर निम्नानुसार छूट दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:—

- 45 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 6 %
- 60 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 5 %
- 75 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 4 %
- 90 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 3 %

उपरोक्त अनुमोदन दिनांक 01.04.2025 के पश्चात विज्ञापित नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों पर लागू होंगे, उपरोक्तानुसार ही नीलामी की शर्तों में भी समावेश किया जाय।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार फ्लैटों में दी जाने वाली छूट की भांति व्यवसायिक सम्पत्तियों में दिनांक 01.04.2025 के पश्चात नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों पर छूट अनुमन्य करायी जा रही है।

विषय संख्या : 10

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के आवंटियों की पंजीकरण धनराशि के सत्यापन न होने पर ब्याज के साथ जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि पंजीकरण धनराशि एवं अन्य जमा धनराशियों का सत्यापन विक्रय-विलेख निष्पादन के समय किया जाता है, जो आवंटन के कई वर्षों पश्चात होता है। ऐसी स्थिति में कास्टिंग गाइड लाइन के बिन्दु संख्या-18 में निहित प्राविधान के फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अल्प आय वर्ग के आवंटियों के पंजीकरण धनराशि का सत्यापन न होने के कारण चक्रवृद्धि ब्याज के साथ धनराशि कई गुना हो जाती है, जिससे ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 आश्रयहीन, साइट एण्ड सर्विसेज तथा इस श्रेणी के आवंटियों द्वारा धनराशि जमा कर पाना कठिन हो जाता है तथा आवंटियों द्वारा ब्याज में छूट दिये जाने का समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा कास्टिंग गाइड लाइन के प्रस्तर-18 को निम्नानुसार संशोधित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:—

“यदि किसी आवंटी की पंजीकरण धनराशि (जिसको जमा करके पंजीकरण कराया गया था) अथवा नाम परिवर्तन शुल्क की धनराशि (जिसके जमा होने पर नाम परिवर्तन किया गया था) के

जमा होने की पुष्टि/सत्यापन नहीं होती है जो उक्त धनराशि जिस तिथि में जमा होनी थी उस तिथि से आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ई0डब्लू0एस0), अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) तथा 20 वर्गमीटर तक की दुकानों के आवंटियों से 16 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ जमा कराई जायेगी। अन्य श्रेणी के आवंटियों के सम्बन्ध में कारस्टिंग गाइड लाइन 2016 के प्रस्तर-18 के प्राविधान पूर्ववत् यथावत् रहेगी”।

इसके अतिरिक्त एम0आई0जी0 भवनों के सम्बन्ध में भी परीक्षण करके गुणावगुण के आधार पर प्रस्ताव/रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये।

### अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

### विषय संख्या : 11

ग्राम-सेखापुर, लखनऊ की खसरा संख्या-11 व 12 सेक्टर एल0 अलीगंज योजना (निकट मामा चौराहा) प्राधिकरण की भूमि से हटाये गये झुग्गी-झोपड़ी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, बसंतकुंज सेक्टर आई0 में पुर्न-विस्थापित करने के सम्बन्ध में।

### निर्णय :

ग्राम-सेखापुर, लखनऊ की खसरा संख्या-11 व 12 सेक्टर एल0 अलीगंज योजना (निकट मामा चौराहा) प्राधिकरण की भूमि से विस्थापित किये गये झुग्गी-झोपड़ीवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना बसंतकुंज सेक्टर आई0 में भवन आवंटित करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया। मौके पर सर्वे उपरान्त पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटन पत्र निर्गत करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन आवंटित करने की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

### अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में ग्राम सेखापुर, लखनऊ के खसरा सं0-11 व 12, सेक्टर एल, अलीगंज योजना (निकट मामा चौराहा) के विस्थापित व्यक्तियों की पात्रता की जांच हेतु पत्र परियोजना अधिकारी (डूडा) को दिनांक 23.04.2025 को प्रेषित किया जा चुका है।

### विषय संख्या : 12

खसरा सं0-238 मोहल्ला पूरेघासीराम (राजीव गाँधी नगर), रफी अहमद किदवई मार्ग, कैन्ट लखनऊ, पर 75 वर्षों से निवास कर रहे निवासियों, नंदाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स लखनऊ एवं ग्राम-मुतक्कीपुर, घैला एवं अल्लूनगर डिगुरिया, आई.आई.एम. रोड, लखनऊ, पर निवास कर रहे निवासियों के विस्थापन के सम्बन्ध में।

### निर्णय :

खसरा सं0-238 मोहल्ला पूरेघासीराम (राजीव गाँधी नगर), रफी अहमद किदवई मार्ग, कैन्ट लखनऊ, पर 75 वर्षों से निवास कर रहे निवासियों, नंदाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स लखनऊ एवं ग्राम-

मुतक्कीपुर, घैला एवं अल्लूनगर डिगुरिया, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ, पर निवास कर रहे निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, बसंतकुंज सेक्टर आई0 में भवन आवंटित करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया। मौके पर सर्वे उपरान्त पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटन पत्र निर्गत करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन आवंटित करने की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

### अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में खसरा सं0-238 मोहल्ला-पूरेघासीराम (राजीव गांधी नगर) एवं ग्राम मुतक्कीपुर, घैला एवं अल्लूनगर डिगुरिया, आई.आई.एम. रोड, लखनऊ के विस्थापित व्यक्तियों की पात्रता की जांच हेतु पत्र परियोजना अधिकारी (डूडा) को दिनांक 23.04.2025 को प्रेषित किया जा चुका है एवं नन्दाखेड़ा के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास योजना, बसन्तकुन्ज, सेक्टर आई, में फ्लैट आवंटित कर दिये गये हैं।

### विषय संख्या : 13

मा0 रेरा एवं रेरा अपीले ट्रिब्यूनल में प्राधिकरण से सम्बन्धित वादों का पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

### निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि मा0 जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य फोरम/नेशनल फोरम आदि में लम्बित वादों में भी पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जाए।

### अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 के विषय संख्या-13 में बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मा0 रेरा एवं रो ट्रिब्यूनल में लम्बित वादों में आपसी समझौते के आधार पर वर्तमान तक 09 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है अन्य शिकायतों पर कार्यवाही चलन में है।

### विषय संख्या : 14

किराये की सम्पत्तियों को मूल किरायेदारों/उनके वारिसानों के उपलब्ध न होने की दशा में सम्पत्ति पर काबिज व्यक्तियों के पक्ष में किरायेदारी रेगुलाईज्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

### निर्णय :

किराये की बहुत सी सम्पत्तियों पर मूल किरायेदार के द्वारा शिकमी किरायेदार को रखा हुआ है एवं मूल किरायेदार का पता नहीं चल पा रहा है। मूल किरायेदार के न होने से इन सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कुछ भवन ऐसे भी हैं जिसमें मूल किरायेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा निवास किया जा रहा है एवं मूल किरायेदार के नाम से किराया प्राधिकरण कोष में जमा किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा इन लोगों से समय समय पर

शासनादेश के अनुपालन में भवन खाली कराये जाने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन किरायेदार/कब्जेदार मा० न्यायालयों में याचिका दायर कर स्थगनादेश प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण स्तर से प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है तथा प्राधिकरण में किराये की धनराशि भी जमा नहीं की जाती है। इस प्रकार किराये की सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश के क्रम में नहीं हो पा रहा है एवं सम्पत्तियों की स्थिति दिनों-दिन खराब हो रही है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से इन सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदित किया गया:-

1. जिन सम्पत्तियों पर शिकमी किरायेदार या मूल किरायेदार से भिन्न व्यक्तियों का कब्जा है एवं उन्हें खाली कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है उन सम्पत्तियों का वर्तमान मूल्यांकन कराया जाए।
2. निस्तारण से पूर्व इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए।
3. यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो शिकमी किरायेदार/मूल किरायेदार से भिन्न/कब्जेदार के पक्ष में सम्पत्ति के विनियमतीकरण की कार्यवाही वर्तमान आकलित मूल्य पर की जाए।
4. यदि मूल किरायेदार से भिन्न/शिकमी किरायेदार आकलित मूल्य 45 दिनों में जमा करता है तो 06%, 60 दिनों में जमा करता है तो 05%, 75 दिनों में जमा करता है तो 04% तथा 90 दिनों में जमा करता है तो 03% की छूट प्रदान की जाय।

उपरोक्तानुसार क्रय न किये जाने की स्थिति में भवन को खाली कराकर नीलामी के माध्यम विक्रीत किया जाय।

#### अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में किराये की सम्पत्तियों को मूल किरायेदारों/उनके वारिसानों के उपलब्ध न होने की दशा में सम्पत्ति पर काबिज व्यक्तियों के पक्ष में किरायेदारी रेगुलराइज्ड किये जाने के सम्बन्ध में निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

#### विषय संख्या : 15

किराये की सम्पत्तियों का लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में निर्धारित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया समानुपातिक रूप से लिये जाने के सम्बन्ध में।

#### निर्णय :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में निम्न स्वीकृति प्रदान की गयी:-

1. एक ब्लॉक में स्थित एक प्रकार के सभी भवनों का किराया

समान रूप से निर्धारित किया जाय।

2. भूतल की सम्पत्तियों पर निर्धारित किराये के अतिरिक्त 15 प्रतिशत किराया वसूल किया जाय।
3. कार्नर की सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत किराया अतिरिक्त वसूल किया जाय।
4. निर्धारित किराये में 05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जाय।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया समानुपातिक रूप से लिये जाने के सम्बन्ध में किरायेदारों को नोटिसें प्रेषित की जा रही है।

विषय संख्या : 16

किराये की सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि जिन सम्पत्तियों की लीज डीड हो चुकी है, उनमें वर्तमान दर से 02 प्रतिशत तथा जिन सम्पत्तियों की लीज डीड अभी नहीं हुई है, उनमें वर्तमान दर से 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क लेते हुये सम्पत्तियों के फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जाय। किराये की जो सम्पत्तियाँ ट्रस्ट की हैं उन पर यह निर्णय लागू नहीं होगा।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 17

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं निबन्धन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम जनसेवा समिति द्वारा की जा रही मांग के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं निबन्धन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम जनसेवा समिति द्वारा की जा रही मांग के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा प्राधिकरण को प्रेषित पत्र, बोर्ड एजेन्डा प्रस्ताव का अंश बनाया जाए तथा उक्त पत्र में उल्लिखित सम्पत्तियों को छोड़कर अन्य सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराकर बोर्ड की 183वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में नियमानुसार निबन्धन की कार्यवाही की जाय तथा जिन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है, उन्हें वापस लेते हुए इन सम्पत्तियों का फ्रीहोल्ड/नामान्तरण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जाय तथा पूर्व में बोर्ड के निर्णयों के अनुसार ही धनराशि जमा कराई जाय।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्ड के आवंटन, जमा धनराशि एवं निबन्धन

आदि के सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं की सी0बी0आई0 द्वारा की गयी जांच से आच्छादित 177 भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या डी-1/191ए, डी-1/192ए सेक्टर एफ एवं भूखण्ड संख्या-1/572, 1/573 व 1/574, सेक्टर जी जानकीपुरम योजना को छोड़कर शेष भूखण्डों के हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर बोर्ड के निर्णय के क्रम में नियमानुसार निबन्धन की कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 18

कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्मित आश्रयहीन भवनों में रह रहे आवंटियों/अध्यासियों के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत जर्जर अवस्था में आश्रयहीन भवनों में रह रहे आवंटियों के समायोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:-

1. प्रश्नगत आश्रयहीन योजना के ऐसे मूल आवंटी जिनके द्वारा आवंटित भवन के सापेक्ष समस्त धनराशि जमा कराकर उनमें निवास किया जा रहा है, उनको कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0 भवनों में उनसे सहमति लेते हुए नियमानुसार समायोजन कर लिया जाये। अवशेष ऐसे आवंटी जिनके द्वारा उनको आवंटित आश्रयहीन भवन के सापेक्ष पार्ट धनराशि जमा की गयी है, उनसे सहमति लेते हुए जमा धनराशि पर दिनांक 01.04.2025 को लागू भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर से नियमानुसार ब्याज देते हुए भवनों के वर्तमान मूल्य में अन्तर धनराशि जमा कराते हुए कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0 भवनों के आवंटन पर विचार किया जाय।
2. उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 से असहमत हों या आश्रयहीन भवनों में रह रहे हों ऐसे अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को बटलर पैलेस एवं अन्य क्षेत्रों से विस्थापित किये गये व्यक्तियों की भांति विस्थापित श्रेणी का मानते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमानुसार आवंटन किया जाय।

आश्रयहीन योजना के भवनों के मूल आवंटी जो पारा योजना में अन्तर की धनराशि को जमा करने पर सहमत न हों उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा प्राधिकरण के अन्य फ्लैटों में नियमानुसार समायोजित किया जाय अन्यथा की स्थिति में दिनांक 01.04.2025 को लागू भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर से ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाय।

अनुपालन

बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में अभियन्त्रण जोन द्वारा स्थल निरीक्षण करते हुए आश्रयहीन भवनों में अध्यासित व्यक्तियों/परिवारों से सहमति प्राप्त कर ली गयी है। स्थल पर सर्वे के अनुसार 61 आश्रयहीन भवनों में अध्यासित व्यक्तियों में 15 व्यक्तियों द्वारा पी0एम0ए0वाई0, 04 व्यक्तियों द्वारा निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0

फलैटों हेतु तथा 06 व्यक्तियों द्वारा निर्माणाधीन एम0एम0आई0जी0 फलैटों को क्रय किये जाने का सहमति पत्र दिया गया है।

06 व्यक्तियों जिनमें अधिकतर मुकदमे में वादी हैं, द्वारा स्थापित होने हेतु कोई सहमति नहीं दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों द्वारा कोई सहमति पत्र नहीं दिया गया है, किन्तु मौखिक रूप से प्रधानमंत्री आवास/पारा में ई0डब्ल्यू0एस0 भवन लेने हेतु कहा गया है तथा अन्य भवनों में ताला बन्द होने के कारण सूचना एकत्रित नहीं हो सकी।

योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ई0डब्ल्यू0एस0, एम0एम0आई0जी0 फलैटों को क्रय करने की सहमति दिये गये व्यक्तियों को प्रश्नगत फलैटों का पंजीकरण प्रारम्भ होने पर प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में समुचित कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 19

कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्धनिर्मित एम.एम.आई.जी. टावर सं०-3, 4, 8 व 9 के यथास्थिति निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्धनिर्मित एम0एम0आई0जी0 टावर-3, 4, 8 व 9 का यथास्थिति निस्तारण करने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में एम0एम0आई0जी0-3, 4, 8 व 9 के निस्तारण हेतु प्राधिकरण में नियुक्त ट्रान्जेक्शन एडवाइजरी द्वारा आर0एफ0पी0 तैयार की जा रही है।

विषय संख्या : 20

भवन संख्या-एस.एस.-2/1425, सेक्टर-डी-1, कानपुर रोड योजना के स्थान पर भवन संख्या-ई-24, सेक्टर-एम1, कानपुर रोड योजना का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा0 जिला फोरम के आदेश दिनांक 24.04.2023 के अनुपालन में श्री सुरेश कुमार द्वारा सहमति उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त पूर्व में आवंटित भवन संख्या-एस0एस0-11/1425, सेक्टर- डी-1, कानपुर रोड योजना (मानक क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर) के स्थान पर वर्तमान में आवंटन से रिक्त भवन संख्या-ई-100, सेक्टर-एम, कानपुर रोड योजना (मानक क्षेत्रफल 30.00 वर्गमीटर) को वर्तमान में मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन

मा0 जिला फोरम के आदेश दि० 24.04.23 के अनुपालन में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार श्री सुरेश कुमार द्वारा सहमति उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त पूर्व में आवंटित भवन

संख्या-एस0एस0-II /1425, सेक्टर-डी-1, कानपुर रोड योजना (मानक क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर) के स्थान पर वर्तमान में आवंटन से रिक्त भवन संख्या-ई-100, सेक्टर-एम, कानपुर रोड योजना (मानक क्षेत्रफल 30.00 वर्गमीटर) आवंटित किये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या-1359/SO(P)/DS/ 2025 दिनांक 25.03.2025 तथा पत्र संख्या -1373/JS(S)/2025 दिनांक 06.06.2025 प्रेषित किया गया, जिस क्रम में श्री सुरेश कुमार द्वारा अपनी लिखित सहमति कार्यालय को दिनांक 09.06.2025 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई उपरान्त आवंटन/निबन्धन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

विषय संख्या : 21

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित भूखण्डों का लीज से फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित भूखण्डों का लीज से फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया:-

- 1- ट्रांसपोर्ट नगर के जिन आवंटियों द्वारा आवंटन दर के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी हो तथा लीज़रेंट भी अद्यतन जमा हो ऐसे आवंटियों के पक्ष में फ्री-होल्ड की कार्यवाही निष्पादित की जाये।
- 2- ऐसे आवंटी जिनके विरुद्ध मूल्य/लीज़रेंट/अनिर्माण शुल्क (लेवी)/अन्य कोई बकाया हो उसे अद्यतन 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा कराकर फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
- 3- जिन आवंटियों के समस्त अभिलेख वैध हैं तथा मौके पर आवंटन पत्र में निर्धारित उपयोग से इतर उपयोग/निर्माण किया गया है उन आवंटियों से निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध जिस भू-उपयोग में उपयोग किया जा रहा है ऐसे मामलों में आवंटन के समय प्रचलित सम्बन्धित भू-उपयोग की दरों की अंतर धनराशि अद्यतन 13% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा कराये जाने के पश्चात ही नियमानुसार फ्री-होल्ड किये जाने पर विचार किया जाय। अन्यथा निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध प्रयोजन/निर्माण कराये जाने पर उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की जाय।
- 4- उपरोक्त समस्त कार्यवाही पत्रावलियों के पूर्ण परीक्षण आवंटन आदि सही पाये जाने की स्थिति में ही वैध आवंटियों के पक्ष में की जाय।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में आदेश संख्या-659/ओ.एस.डी.-वी./टी.पी.नगर दिनांक 30.04.2025 निर्गत कर दिया गया है।

विषय संख्या : 22

कैटिल कालोनी, बसन्त कुंज योजना, हरदोई रोड की तलपट मानचित्र के आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

कैटिल कालोनी के ले-आउट का अनुमोदन वर्ष 2014 में प्रदान किया गया था, जिसमें भूखण्ड संख्या-459 से 464 के उत्तर दिशा में वेटनेरी हास्पिटल के लिये चिन्हित भूखण्ड क्षेत्रफल 5646 वर्गमीटर का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वर्तमान में उपयोगिता भी नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा प्रस्तावानुसार वेटनेरी हास्पिटल के स्थान पर वेटनेरी क्लीनिक चिन्हित करते हुए शेष भूमि पर अन्य प्रयोजन के भूखण्ड सृजित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अनुपालन

मा0 बोर्ड के अनुपालन में कैटिल कालोनी में तलपट मानचित्र में संशोधन किया जा चुका है।

विषय संख्या : 23

सामुदायिक सुविधाओं हेतु एफ0ए0आर0 बढ़ाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा नर्सिंग होम एवं चिकित्सीय सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत संस्थानों हेतु नियोजित भूखण्डों को भविष्य में निस्तारण हेतु अतिरिक्त एफ0ए0आर0 दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति के आलोक में पूर्व निस्तारित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु क्रमांक (A) के अनुसार एवं नये प्रस्तावित भूखण्ड /सम्पत्ति हेतु क्रमांक (B) के अनुसार भूमि मूल्य आवेदक से प्राप्त करते हुए बढ़े हुए एफ0ए0आर0 को अनुमन्य किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:-

(A) पूर्व निस्तारित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु -

1. प्रस्तावित क्रिया हेतु उस भूखण्ड की प्राप्त उच्चतम बोली दर के आधार पर बढ़ाये जाने वाले एफ0ए0आर0 हेतु समानुपातिक रूप से आवेदक से भूमि मूल्य प्राप्त किया जाए।
2. वर्तमान में उस योजना में प्रस्तावित क्रिया हेतु अन्य भूखण्डों में प्राप्त उच्चतम बोली दर से बढ़े हुए एफ0ए0आर0 के लिए आवेदक से समानुपातिक भूमि मूल्य प्राप्त किया जाए।

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों में से बढ़े हुए एफ0ए0आर0 हेतु जो अधिकतम समानुपातिक भूमि मूल्य प्राप्त हो उसके अनुरूप अधिकतम मूल्य प्राप्त कर आवेदक को बढ़ा हुआ एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जाय।

(B) नये प्रस्तावित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु -

नये प्रस्तावित किये जाने वाले भूखण्डों में वर्तमान दर पर बढ़े एफ0ए0आर0 का मूल्य सम्मिलित कर भूखण्डों की दर निर्धारित करते हुए सम्पत्तियों का निस्तारण किये जाने पर विचार किया जाय।

- अनुपालन पत्र संख्या-641/मु0न0नि0/25 दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति को पत्र प्रेषित।
- विषय संख्या : 24 मेसर्स रोहतास प्रोजेक्ट लि0 के भूखण्ड संख्या-टी0सी0/जी 4/4, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ पर प्रस्तुत व्यवसायिक मानचित्र के सम्बन्ध में।
- निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अनुपालन बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है।
- विषय संख्या : 25 बेसमेंट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेंट की भांति एक्सटेन्डेड बेसमेंट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 में संशोधन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बेसमेंट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेंट की भांति एक्सटेन्डेड बेसमेंट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 'भू-गेह (बेसमेंट)' के प्रस्तर-3.9.1 (IV) में नियमानुसार नया खण्ड (ज) जोड़े जाने तथा प्रस्तर-3.9.2 (VII) में किये गये संशोधनों को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अनुपालन कार्यालय आदेश संख्या-676/सचिव/मु0न0नि0/25-26 दिनांक 19.04.2025 के माध्यम से कार्यालय आदेश जारी करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।
- विषय संख्या : 26 गाटा सं0-1569 ग्राम भसण्डा, तहसील मोहनलालगंज, मौरावां राज्य मार्ग लखनऊ पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के मानचित्र स्थल के परीक्षण हेतु लखनऊ महायोजना-2031 में प्रस्तावित विशेष अनुमति से अनुमन्य मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।
- निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त गठित समिति की संस्तुति के क्रम में गाटा संख्या-1569 ग्राम-भसण्डा, तहसील- मोहनलालगंज, मौरावां राजमार्ग, लखनऊ पर आवेदित पेट्रोल पम्प मानचित्र के सापेक्ष दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन में प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव का नियमानुसार सुनवाई करते हुए निस्तारण उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

- अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु सूचना का प्रकाशन कराया जा चुका है।
- विषय संख्या : 27 उ०प्र० के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इन्ट्रीगेटेड टाउनशिप नीति 2014) के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती होम्स द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० के सम्बन्ध में।
- निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह निर्देश भी दिए गए कि साइट प्लान, ले-आउट इत्यादि को प्राधिकरण के जी०आई०एस० पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाय।
- अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड से डी०पी०आर० के अनुमोदनोपरान्त टाउनशिप नीति के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।
- विषय संख्या : 28 उ०प्र० के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इन्ट्रीगेटेड टाउनशिप नीति 2014) के अन्तर्गत मेसर्स राज इन्फ्रा हाउसिंग प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० के सम्बन्ध में।
- निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह निर्देश भी दिए गए कि साइट प्लान, ले-आउट इत्यादि को प्राधिकरण के जी०आई०एस० पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाय।
- अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड से डी०पी०आर० के अनुमोदनोपरान्त टाउनशिप नीति के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।
- विषय संख्या : 29 उ०प्र० नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 के प्राविधानों के क्रम में विकास शुल्क दर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
- निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-558/आठ-3-21-211 विविध /13 टी०सी० दिनांक 09 फरवरी, 2021 के प्राविधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विकास शुल्क उद्ग्रहण दर रु० 2462.00 प्रति वर्गमी० किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अनुपालन कार्यालय आदेश संख्या-678/सचिव/मु०न०नि०/25-26 दिनांक 19.04.2025 के माध्यम से कार्यालय आदेश जारी करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 30

भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2024-25 की गाइड-लाइन्स में वर्णित रिफार्म्स को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2024-25 की गाइड-लाइन्स में वर्णित रिफार्म्स को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

कार्यालय आदेश संख्या-677/सचिव/मु0न0नि0/25-26 दिनांक 19.04.2025 के माध्यम से कार्यालय आदेश जारी करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 31

मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150 मी0 चौड़ी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.0मी0 चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई को कम करते हुये उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग के अभिमत के अनुसार महायोजना में संशोधन के फलस्वरूप उच्चिकृत होने वाले भू-उपयोग के लिए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त किया जाए तथा प्राधिकरण की योजना के सम्मुख ग्रीन बेल्ट की कमी को अपनी योजना में प्रतिपूर्ति की जाए। तदनुसार 13(2) के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए एवं इसी स्वीकृति की प्रत्याशा में मोहान रोड योजना का ले-आउट संशोधित किया जाय।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या-684/सचिव/मु0न0नि0/2025 दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से महायोजना में संशोधन का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।

विषय संख्या : 32

प्राधिकरण द्वारा विकसित/नियोजित योजनाओं एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आईलैण्ड भूखण्डों (भूखण्डों के चारो तरफ रोड) के सेट-बैक निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :-

1. स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आईलैण्ड भूखण्डों के सम्मुख स्थित सबसे चौड़े मार्ग पर फ्रन्ट सेटबैक छोड़ते हुये शेष

तीन शेटबैक उक्त भूखण्ड हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में दी गयी सेटबैक तालिका के अनुसार लागू होंगे। प्रवेश एवं निकास मार्ग फ्रन्ट सेटबैक में ही दिये जायेंगे।

2. आइलैण्ड श्रेणी के भूखण्डों पर यदि आवेदक द्वारा फ्रन्ट सेटबैक के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग पर प्रवेश एवं निकास प्रस्तावित करने पर उस मार्ग पर भी फ्रन्ट सेटबैक के समान सेटबैक छोड़ना अनिवार्य होगा।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यालय आदेश जारी किया जा चुका है। बोर्ड के निर्णयानुसार अनुपालन हो रहा है।

विषय संख्या : 33

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 व अन्य द्वारा ग्राम खुजौली व ग्राम धरमगढ़ खेड़ा, न्यू जेल रोड, मोहनलालगंज, लखनऊ का तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा खसरा संख्या-972 से 976, 978 से 981, 983 से 985 आदि ग्राम-खुजौली एवं खसरा संख्या-230, 234, 234ब, 235 आदि, ग्राम-धरमगढ़ खेड़ा, न्यू जेल रोड, गोसाईंगंज-मोहनलालगंज मार्ग, लखनऊ पर कुल क्षेत्रफल-21.8545 हे0 (53.98 एकड़) भूमि पर मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 व अन्य द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार आवेदक से विभिन्न विभागों से आपत्ति हेतु पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। एन0ओ0सी0 प्राप्त होते ही मानचित्र स्वीकृत की कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 34

हिन्द नगर कालोनी, कानपुर रोड, को अनाधिकृत कालोनियों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

हिन्द नगर कालोनी, कानपुर रोड, को अनाधिकृत कालोनियों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन

पत्र संख्या-675/सचिव/मु0न0नि0/2025 दिनांक 19.04.2025 के माध्यम से अनाधिकृत कालोनियों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 35

मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा शहीद पथ सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को शासनादेश संख्या-2712/आठ-1-2005

दिनांक 21.05.2005 द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप का विकास किये जाने हेतु चयन किया गया था, जिसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) दिनांक 22.05.2006 को स्वीकृत किया गया था। मेसर्स अन्सल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के मूल अनुमोदित क्षेत्रफल 1765 एकड़ से बढ़ाकर 3530 एकड़ प्रथम विस्तार हेतु स्वीकृति दिनांक 03.06.2009 को प्रदान की गयी जिसकी डी0पी0आर0 दिनांक 18.05.2010 को स्वीकृत की गयी थी। मेसर्स अन्सल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को मूल अनुमोदित+प्रथम विस्तार क्षेत्रफल 3530 एकड़ के साथ-साथ 2935 एकड़ द्वितीय विस्तार हेतु स्वीकृति दिनांक 13.12.2013 को प्रदान की गयी। इस प्रकार द्वितीय विस्तार सहित 6465 एकड़ क्षेत्रफल की डी0पी0आर0 दिनांक 23.05.2015 को स्वीकृत की गयी थी।

मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0 द्वारा योजना को में रुचि न लिये जाने के कारण प्राधिकरण के पत्रांक 611/उपा0/मु0न0नि0/2025 दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय पत्रांक संख्या-3872(1)/आठ-1-07-34विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के प्रस्तर-(ix) में उल्लिखित प्राविधान *“हाई-टेक टाउनशिप नीति के प्राविधानों के उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम के विरुद्ध कार्यवाही करना/चयन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लेना”* के क्रम में उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण उच्च स्तरीय समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 को पत्र प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.सी.एल.टी., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त आई0आर0पी0 के समक्ष रू0 4490.00 करोड़ का क्लेम प्रस्तुत किया गया। उक्त के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.सी.एल.टी. के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील योजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से बोर्ड अवगत हुआ। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हाईटेक पॉलिसी के प्राविधानों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु शासन स्तर से विभिन्न विभागों की समिति का गठन कराने तथा गठित समिति की जाँच आख्या उपरांत इस प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही/निर्देशों हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए।

#### अनुपालन

विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

विषय संख्या : 36

लखनऊ शहर में बस अड्डे के निर्माण हेतु हरदोई रोड योजना स्थित सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ शहर में उ०प्र० सड़क परिवहन निगम को बस अड्डे के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के क्रम में हरदोई रोड योजना स्थित (बसंतकुंज योजना) स्थित सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

दिनांक 24.04.2025 को हिन्दुस्तान (हिन्दी) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा चुका है तथा पत्र संख्या-714/सहा०न०नि०/25 दिनांक 02.05.25 द्वारा अधिशासी अभियन्ता जोन-7 को सर्वे हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 37

प्राधिकरण की नियोजित विभिन्न योजनाओं में पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट आफिस आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्राधिकृत की नियोजित विभिन्न योजनाओं में शासनादेश दिनांक 13.10.1998 के क्रम में विभिन्न योजनाओं में पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक-सबस्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु सूचना का प्रकाशन करा दिया गया है।

विषय संख्या : 38

लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में शहीद पथ रोड से पिपराघाट के मध्य प्रस्तावित बन्धे के संरेखण के परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में शहीद पथ रोड से पिपराघाट के मध्य प्रस्तावित बन्धे के संरेखण के परिवर्तन का प्रस्ताव उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13(2) के अन्तर्गत शासन को संदर्भित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तदानुसार मास्टर प्लान में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गए।

अनुपालन

पत्र संख्या-686/सचिव/मु0न0नि0/25 दिनांक 23.04.2025 द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 39

प्राधिकरण की जीर्ण-शीर्ण अनिस्तारित सम्पत्तियों के पुनर्विकास योजना के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्राधिकरण की जीर्ण-शीर्ण अनिस्तारित सम्पत्तियों के पुनर्विकास योजना के सम्बन्ध में मेसर्स नागिया एण्ड कम्पनी द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में 15-20 वर्ष से अधिक पुरानी रिक्त/जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उपलब्ध सम्पत्तियों के पी0पी0पी0 मॉडल पर विकासकर्ता का चयन करते हुये अनिस्तारित क्षेत्र के अधिकतम अनुमन्य एफ0ए0आर0 के आधार पर रि-डेवलपमेंट से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की जीर्ण-शीर्ण अनिस्तारित सम्पत्तियों के पुनर्विकास हेतु रि-डेवलपमेंट प्लान बनाये जाने के लिए मेसर्स Arinem Consultancy के माध्यम से पी0पी0पी0 मॉडल पर तैयार कराया जा रहा है।

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में समुचित कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 40

गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 के अन्तर्गत पुलिस हेड क्वार्टर के निकट प्राधिकरण द्वारा ग्राम मलेशेमऊ की अर्जित भूमि पर आवासीय निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजना का क्रियान्वयन बन्धों का निर्माण प्रगति पर होने अथवा शासन से संरेखण में परिवर्तन स्वीकृत होने के उपरान्त (जो भी पहले होगा) किया जायेगा। प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित परियोजना तथा (डी.पी.आर.) ले-आउट आदि की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पी0पी0पी0 मॉडल पर भी कार्य किया जा सकेगा।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर बहुमंजिले भवनों का निर्माण किये जाने हेतु आर0एफ0पी0 तैयार की जा रही है। स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित है।

विषय संख्या : 41

कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति के साथ-साथ योजनान्तर्गत निर्मित एम.आई.जी. एवं एस.एम.आई.जी. भवनों के रेरा पंजीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में रिट याचिका संख्या-9344/2023 Ram Chandra Two Others V/s State of U.P. Thru Housing and urban planning Lucknow & others में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 के अनुपालनार्थ पूर्व में हुई सुनवाई के क्रम में रास्ता दिये जाने हेतु चिन्हांकन कर रास्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है तथा भूमि विनमय की कार्यवाही हेतु न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगना अधिकारी, सदर लखनऊ के अधीनस्थ उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-101 के अन्तर्गत वाद योजित करने हेतु अधिवक्ता नामित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

विषय संख्या : 42

रिट याचिका सं0-9344/2023 रामचन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 19.10.2023 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में प्राधिकरण की भूमि आराजी सं0-2746 एवं भूमिधारी भूमि आराजी सं0-2758 के विनमय एवं रास्ता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्थलीय स्थिति का परीक्षण कराते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के पी0एम0सी0 सेल द्वारा तैयार किये गये संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। निर्मित एम.आई.जी. एवं एस.एम.आई.जी. भवनों का रेरा में कम्प्लीशन प्राप्त करते हुए ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं एम.एम.आई.जी. भवनों के रेरा से पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

विषय संख्या : 43

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में आवंटियों द्वारा भूखण्डों का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण न कराये जाने की स्थिति में भूखण्ड का अनुरक्षण शुल्क निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भूखण्डों का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त 05 वर्ष में निर्माण न कराये जाने वाले आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क के रूप में रू0 2.5/-प्रति वर्गफिट वार्षिक की दर से लिये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की ओर से होने वाली रजिस्टर्ड डीड में भी इसका अंकन किया जाय।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में रजिस्ट्री डीड में इसका अंकन किये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या-149/ई0ई0-1/25 दिनांक 07.05.2025 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है साथ ही रिक्त भूखण्डों के सर्वे आदि की कार्यवाही की जा रही है।

- विषय संख्या : 44** 1090 चौराहा जियामऊ के समीप रिक्त भूमि, जिसका भू-उपयोग व्यवसायिक/आवासीय (मिश्रित भू-उपयोग) भूखण्ड को ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय :** सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये कि परीक्षण कर लिया जाय कि मा0 न्यायालय में कोई वाद तो विचाराधीन नहीं है।
- अनुपालन** प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में भूखण्ड का परीक्षण ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किये जाने की आर.एफ.पी. तैयार करने हेतु मेसर्स नागगिया एण्ड कम्पनी को प्रेषित किया गया है।
- विषय संख्या : 45** गोमती नदी के दायी ओर ग्राम-मलेशेमऊ स्थित प्राधिकरण की अर्जित भूमियों से सटी ग्राम-सरसवां, तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ की कुल क्षेत्रफल-8.1310हे0 अर्थात (क्षे.-20.0921 एकड़) भूमि को आपसी सहमति के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय :** सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अनुपालन** प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में जिलाधिकारी लखनऊ के समक्ष प्रतिकर की दर निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है।
- विषय संख्या : 46** मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में स्थित ग्राम-भौली, बारूमऊ, धतिगरा, गोपरामऊ, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, सैदापुर एवं पल्हरी गाँव में आवासीय योजना विकसित करने के लिये भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।
- निर्णय :** सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अनुपालन** प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या-425/एसी.प्र./2025 दिनांक 24.04.2025 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को भूमि अर्जन एवं आपसी सहमति से क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।

विषय संख्या : 47

ग्राम-उजरियांव, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा सं०-708, 709, 2459, 2460 एवं 2461 का स्वामित्व राज्य सरकार/ल०वि०प्रा० में निहित होने के दृष्टिगत नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल के आस-पास कौन-कौन सम्पत्तियाँ अर्जन से पहले और बाद में मौके पर विद्यमान हैं, उनका उल्लेख करते हुये आच्छादित क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाय। तदोपरान्त अर्जन से मुक्त किये जाने वाली भूमि के लिये प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी इसी प्रकार का सर्वे कराते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अभियन्त्रण खण्ड जोन-1 व अर्जन अनुभाग की संयुक्त टीम द्वारा सम्पत्तियों के परीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है।

विषय संख्या : 48

ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 भूमि के सम्बन्ध में मा० न्यायालय में योजित विशेष अनुशंसा याचिका में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के सम्बन्ध में।

निर्णय :

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि यदि इस सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा० न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिए जाते हैं, तो प्राधिकरण द्वारा उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में मा० उच्चतम न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।

विषय संख्या : 49

प्राधिकरण में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे गये सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं नवीन लिपिक, ड्राफ्टमैन, अमीन रखे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुक्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विषय संख्या : 50

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं औद्यानिक कार्यों में संतुलन औद्यानिक कार्य प्रणाली में एकरूपता हेतु आठ नग उद्यान निरीक्षकों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त 08 उद्यान निरीक्षकों की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति

से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

विषय संख्या : 51

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कुशल वाहन चालक व अन्य के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कुशल वाहन चालक व बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:-

हल्के एवं भारी वाहन चालकों का पारिश्रमिक विवरण			
क्र	विवरण	वर्तमान में दिये पारिश्रमिक एसओआर-2022	प्रस्तावित पारिश्रमिक
1	वाहन चालक(कुशल)	30 x 500 = 15000.00	30 x 507 = 15210.00
2	ईपीएफ 13%		1977.30
3	ईएसआईसी 3.25%		494.33
	योग (अ)	15000.00	17681.63
4	जैम पोर्टल का लाभांश 4.5%		684.45
5	जीएसटी 18%	2700.00	3182.69
	योग (ब)	2700.00	3867.14
	कुल योग (अ + ब)	17700.00	21548.77
	Say	17700.00	21549.00
बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर का पारिश्रमिक विवरण			
1	बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर	30 x 600 = 18000.00	30 x 507 = 15210.00
2	ईपीएफ 13%		1977.30
3	ईएसआईसी 3.25%		494.33
	योग (अ)	18000.00	17681.63
4	जैम पोर्टल का लाभांश 4.5%		684.45
5	जीएसटी 18%	3240.00	3182.69
	योग (ब)	3240.00	3867.14
	कुल योग (अ + ब)	21240.00	21548.77
	Say	21240.00	21549.00

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आवश्यकता के दृष्टिगत सुयोग्य एवं कर्मठ, ईमानदार कर्मी ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाय।

अनुपालन

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण की 183वीं बोर्ड बैठक के क्रमांक-14 प्रस्तर-51 पर स्वीकृत प्रस्ताव आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कुशल वाहन चालक व अन्य के वेतन वृद्धि के क्रम में ययजेम पोर्टल के माध्यम से निविदा प्राप्त कर रखे जाने के सम्बन्ध में आगणन धनांक रू0-41,94,827.00/- (इकतालीस लाख चौरानबे हजार आठ सौ सत्ताईस रू0 मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) का प्रस्ताव प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति एवं जैम पोर्टल के

माध्यम से निविदा प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 15.05.2025 को प्रस्तावित किया जा चुका है

विषय संख्या : 52

श्री मन्हैया लाल राजभर, वाहन चालक (आई.डी.-1747) द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सुर्मिला राजभर के दोनो घुटनों की चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि रू0 5,61,359.00 मात्र की प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा व्यय रू0 4,50,000.00 मात्र के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

विषय संख्या : 53

श्री राजेश सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक द्वारा सेवाकाल के दौरान स्वयं के चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुक्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विषय संख्या : 54

श्रीमती अंकिता साहू, वरिष्ठ लिपिक द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुक्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विषय संख्या : 55

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-लखनऊ में स्थित ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं तहसील-सरोजनीनगर में स्थित ग्राम-मदारपुर एवं इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में आवासीय योजना विकसित करने के लिए भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन की चालू मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के माध्यम से Funding कराए जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विभागीय पत्र संख्या-468/ एसी.प्र./2025 दिनांक 01.05.2025 व 419/एसी.प्र./2025 दि. 22.04.2025 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को भूमि अर्जन एवं आपसी सहमति से क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।

**विषय संख्या : 56**

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में स्थित ग्राम-बलिया खेड़ा, मंगहुवा, शिवलर, जमालपुर कुर्मियान एवं बेली गांव में आवासीय योजना विकसित करने के लिए भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन की चालू मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के माध्यम से Funding कराए जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

**अनुपालन**

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में तहसीलदार-अर्जन के नेतृत्व में नायब तहसीलदार, अमीन, लेखपाल की संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है।

**विषय संख्या : 57**

लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय, व्यवसायिक/वाणिज्य सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से पी0एम0सी0 सेल गठन करने के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**अनुपालन**

बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय व्यवसायिक /वाणिज्य सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से पी0एम0सी0 सेल का गठन नीति आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुरूप करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 03

पृष्ठ संख्या : 42

विषय : मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रैंथा रोड बख्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025 व 25.07.2025 का पुष्टिकरण।

दिनांक 03.07.2025 को प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत नैमिष नगर आवासीय योजना से सम्बन्धित 14 ग्रामों की कुल भूमि क्षेत्रफल 1013.376 हे० भूमि क्रय किये जाने एवं भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू० 478534.80 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत शासन से अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से स्वीकृत किया गया। दिनांक 25.07.2025 को प्रेषित प्रस्ताव में प्रश्नगत योजना को 03 चरणों में विकसित किये जाने एवं सीड कैपिटल की राशि शासन से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से स्वीकृत किया गया, जो प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

*Amol* *Aj* *Purj*  
(अजय बहादुर) ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला  
अमीन, ल०वि०प्रा० प्रायव तहसीलदार/स०च०अ०  
ल०वि०प्रा०

*C*  
प्रमुख अधिकारी-अर्जन  
ल०वि०प्रा०



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

43

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक— 325/सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2025-26

दिनांक 04 जुलाई, 2025

विषय:— परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्तावों के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (आगरा एक्सप्रेस-वे) आवासीय योजना एवं रैंथा रोड बख्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किए जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

क्र०सं०	विषय
01.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (आगरा एक्सप्रेस-वे) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
02.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रैंथा रोड बख्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों पर प्राधिकरण बोर्ड के मा० अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 03.07.2025 को परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्तावों पर दी गई सहमति दिनांक 03.07.2025 संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,  
  
(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव



## लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक-324/सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2025-26

दिनांक : 03 जुलाई, 2025

विषय:-परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित नई आवासीय योजनाओं को विकसित किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है :-

विषय सं०-1,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रैथा रोड बक्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ में नई आवासीय योजना विकसित किये जायें एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुडकों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ के कृषको से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/ 384/आठ-1-2023-1450/2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण /नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवासीय योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है।

क्रमशः.....2

योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-486 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार भूमि के कय पर आने वाला अनुमानित व्यय संलग्न प्रस्ताव में अवलोकनीय है।

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुनें के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-1013.376 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू०-478534.80 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जानें का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदार्थ प्रस्तुत है।

विषय सं०-2,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (आगरा एक्सप्रेस वे) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।


अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में नई आवासीय योजना विकसित किये जानें एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुड़कों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना के कृषको से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/384/आठ-1-2023-1450/2022टी0सी0-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवासीय योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-468 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं प्रस्तावित जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार भूमि के कय पर आने वाला अनुमानित व्यय संलग्न प्रस्ताव में अवलोकनीय है।

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुनें के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा

क्रमशः.....3

कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-2664.9171 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू0-747193.68 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जानें का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

  
(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

मा0 अध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण/  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।


महानिदेशक,  
पर्यटन, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ।

आवास आयुक्त,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।


जिलाधिकारी,  
लखनऊ।

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।


नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
लखनऊ।









.....

  
कलकत्ता निवेश  
उप निदेशक  
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय  
लखनऊ  
C.P.U. (In-charge)  
SE. Hindustan  
पंजीना (प्रशासकीय)

  
03/07/25

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

  
.....

प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम,  
लखनऊ।


प्रतिनिधि

  
03/07/2025

संयुक्त आयुक्त,  
उद्योग, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।

  
.....


श्री पी०एन० सिंह,  
सदस्य,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।


  
.....

श्री पुष्कर शुक्ला,  
सदस्य,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

  
.....

श्री विवेक कुमार सिंह,  
अपर निदेशक, लखनऊ जल निगम,  
लखनऊ।  
अपर निदेशक, लखनऊ जल निगम,  
लखनऊ।  
अपर निदेशक, लखनऊ जल निगम,  
लखनऊ।

  
03/07/2025

  
(विवेक, श्रीप्रोत्सव)  
असिचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ



लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ  
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ०प्र०

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की परिचालन के माध्यम से आहूत बोर्ड बैठक।

विषय :- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रैथा रोड बक्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :- अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ में नई आवासीय योजना विकसित किये जानें एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुड़कों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ के कृषकों से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/ 384/आठ-1-2023-1450/ 2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवासीय योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-486 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार भूमि के कय पर आने वाला अनुमानित व्यय निम्नवत है :-

Acquisition Cost of Private Land						
S.No.	Tahseel	Village Name	Total Area in Hect.	Circle Rate in Rs. (Lak)	Estimated Valuation as per effective circle rate in Rs. (Lak)	Estimated Four Times Value of Personal Land in Rs.
1	बक्शी का तालाब	भौली	85.684	125	10710.5	42842
2	बक्शी का तालाब	लक्ष्मीपुर	42.737	81	3461.697	13846.79
3	बक्शी का तालाब	पूरब गाँव	93.044	125	11630.5	46522
4	बक्शी का तालाब	पुरवा	73.441	81	5948.721	23794.88
5	बक्शी का तालाब	सैरपुर	110.409	81	8943.129	35772.52
6	बक्शी का तालाब	फरुखाबाद	50.783	81	4113.423	16453.69
7	बक्शी का तालाब	कोडरी मौली	23.07	125	2883.75	11535
8	बक्शी का तालाब	कमलाबाद	4.126	125	515.75	2063
9	बक्शी का तालाब	कमलापुर	7.52	125	940	3760

*[Signature]*

*[Signature]*

10	बक्शी का तालाब	पल्हरी गाँव	80.425	125	10053.13	40212.5
11	सदर	गोपरामऊ	62.8093	66	4145.414	16581.66
12	बक्शी का तालाब	बारूमऊ	187.883	81	15218.52	60874.09
13	बक्शी का तालाब	धतिगरा	158.3484	81	12826.22	51304.88
14	बक्शी का तालाब	सैदापुर	33.096	125	4137	16548
	कुल योग		1013.3757		95527.75	382111.00
					Acquisition cost of structure	38210.00
					8% Stamp duty and registration charges	30568.80
					Total Cost of land acquisition & structure	450889.80

Acquisition Cost of Total Land (Private and Govt. Land)						
S.No.	Area of Private Land (in Hect.)	Cost in Rs lakh.	Area of Govt. land (In Hect.)	Cost in Rs.	Approx Total Area in Hect.	Estimated Total Cost in Rs. lakh
1.	1013.376	450889.80	71.0322	27645.0	1084.4082	478534.8
					Say Amount	478534.80

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुने के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-1013.376 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू०-478534.80 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदार्थ प्रस्तुत है।

मा. बोर्ड का निर्णय:-सम्यक विचारोंपन्त मा. बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी।

Sysiqh  
03/07/25

P Singh  
03/07/25

P Singh  
03/07/25



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ 50

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक-33/ /सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2025-26

दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषय:- परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्तावों के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (आगरा एक्सप्रेस-वे) आवासीय योजना एवं रैथा रोड बख्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किए जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:-


क्र०सं०	विषय
01.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नैमिष नगर (बक्शी का तालाब) आवासीय योजना को 03 चरण में विकसित किए जाने एवं भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि शासन से प्राप्त किये जाने के संबंध में।
02.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेस वे) आवासीय योजना को 03 चरण में विकसित किए जाने एवं भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि शासन से प्राप्त किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्तावों पर प्राधिकरण बोर्ड के मा० अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 25.07.2025 को परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्तावों पर दी गई सहमति/निर्णय दिनांक 25.07.2025 की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

  
(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव



## लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक-330/सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2025-26

दिनांक : 25 जुलाई, 2025

विषय:- परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है :-

विषय :- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नैमिष नगर (बक्शी का तालाब) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :- अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ में नई आवासीय योजना विकसित किये जाने एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुड़कों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ के कृषको से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/ 384/आठ-1-2023-1450/ 2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नैमिष नगर आवासीय योजना 03 चरणों में विकसित की जानी प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-486 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

*(Handwritten signature)*

योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार तीनों चरणों में भूमि के कय पर आने वाला अनुमानित व्यय निम्नवत है :-

ग्राम का नाम	Circle rate per Hectare	Area Government Land	Area Private Land	Cost Government land Including 4 time circle rate	Cost Private including 4 times circle rate	Stamp Duty and Registration charges for Private Land at 8%	Acquisition cost of structure 10% for private land	Total cost of Acquisition Including Structure and acquisition charges (In Lacs)
<b>PHASE-01</b>								
पुरवा	81	0.652	73.441	211.25	23,794.88	1,903.59	2,379.49	28289.21
धतिगरा	81	15.010	158.348	4,863.24	51,304.88	4,104.39	5,130.49	65403.00
गोपरामऊ	66	8.469	62.809	2,235.82	16,581.66	1,326.53	1,658.17	21802.16
सैरपुर	81	2.517	110.409	815.51	35,772.52	2,861.80	3,577.25	43027.07
लक्ष्मीपुर	81	1.161	42.373	376.16	13,846.79	1,107.74	1,384.68	16715.37
पूरबगाँव	125	2.932	93.044	1,466.00	46,522.00	3,721.76	4,652.20	56361.96
<b>Total</b>		<b>30.741</b>	<b>540.424</b>	<b>9,967.98</b>	<b>1,87,822.73</b>	<b>15,025.81</b>	<b>18,782.28</b>	<b>231598.79</b>
<b>PHASE-02</b>								
फर्रुखाबाद	81	2.457	50.783	796.07	16,453.69	1,316.30	1,645.37	20211.42
भौली	125	15.757	85.684	7,878.50	42,842.00	3,427.36	4,284.20	58432.06
पल्हरीगाँव	125	4.605	80.425	2,302.30	40,212.50	3,217.00	4,021.25	49753.05
<b>Total</b>		<b>22.819</b>	<b>216.892</b>	<b>10,976.87</b>	<b>99,508.19</b>	<b>7,960.66</b>	<b>9,950.82</b>	<b>128396.53</b>
<b>PHASE-03</b>								
सैदापुर	125	0.711	33.096	355.50	16,548.00	1,323.84	1,654.80	19882.14
कमलाबाद	125	0.521	4.126	260.50	2,063.00	165.04	206.30	2694.84
कमलापुर	125	1.136	7.52	567.80	3760.00	300.80	376.00	5004.60
कोडरी भौली	125	3.537	23.070	1,768.50	11,535.00	922.80	1,153.50	15379.80
बारूमऊ	81	11.568	187.883	3,748.03	60,874.09	4,869.93	6,087.41	75579.46
<b>Total</b>		<b>17.473</b>	<b>255.695</b>	<b>7,901.03</b>	<b>1,02,555.09</b>	<b>8,204.41</b>	<b>10,255.51</b>	<b>118540.84</b>
<b>Grand Total</b>								
		<b>71.032</b>	<b>1013.37</b>	<b>27645.00</b>	<b>382111.00</b>	<b>30568.80</b>	<b>38210.00</b>	<b>478534.80</b>

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुने के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फर्रुखाबाद, कोडरी भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-1084.40 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू०-478534.80 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदार्थ प्रस्तुत है।

विषय :- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेस वे) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :- अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में नई आवासीय योजना विकसित किये जानें एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुड़कों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-सदर व, सरोजनीनगर लखनऊ में ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना के कृषको से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/384/आठ-1-2023-1450/2022टी0सी0-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वरुण विहार आवासीय योजना 03 चरणों में विकसित की जानी प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-468 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था।


योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं प्रस्तावित जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार तीनों चरणों में भूमि के कय पर आने वाला अनुमानित व्यय निम्नवत है :-

ग्राम का नाम	Circle rate per Hectare	Area Government Land	Area Private Land	Cost Government land Including 4 time circle rate	Cost Private Including 4 times circle rate	Stamp Duty and Registration charges for Private Land at 8%	Acquisition cost of structure 10% for private land	Total cost of Acquisition Including Structure and acquisition charges (In Lacs)
<b>PHASE-01</b>								
तेजकृष्ण खेड़ा	68.00	60.59	339.95	16,482.38	92,467.27	7,397.38	9,246.73	125,593.76
दोना	68.00	64.90	594.39	17,652.26	161,674.97	12,934.00	16,167.50	208,428.72
<b>Total</b>		<b>125.49</b>	<b>934.34</b>	<b>34,134.64</b>	<b>2,54,142.24</b>	<b>20,331.38</b>	<b>25,414.23</b>	<b>3,34,022.48</b>
<b>PHASE-02</b>								
रेवरी,	68.00	6.34	170.75	1,724.67	46,444.13	3,715.53	4,644.41	56,528.74
नकटौरा	68.00	0.91	62.79	247.68	17,079.26	1,366.34	1,707.93	20,401.21
भलिया	70.00	47.75	1.46	13,369.86	408.80	32.70	40.88	13,852.24
गहलवारा	68.00	9.85	157.89	2,680.28	42,945.53	3,435.64	4,294.55	53,356.01
आदमपुर इन्दवारा	68.00	92.62	5.81	25,193.92	1,580.32	126.43	158.03	27,058.70
बहरू	70.00	14.88	10.57	4,165.39	2,959.04	236.72	295.90	7,657.06
<b>Total</b>		<b>172.35</b>	<b>409.27</b>	<b>47,381.80</b>	<b>1,11,417.08</b>	<b>8,913.36</b>	<b>11,141.70</b>	<b>1,78,853.96</b>
<b>PHASE-03</b>								
सकरा	40.00	45.89	569.52	7,343.84	91,124.62	7,289.97	9,112.46	114,870.89
मदारपुर	40.00	11.47	78.25	1,836.64	12520.38	593.78	742.22	10,594.85
जलियामऊ व	70.00	28.55	251.64	7,994.84	70,460.90	5,636.87	7,046.09	91,138.70
इब्राहिमगंज	68.00	10.80	27.28	2,938.19	7422.41	1,001.63	1,252.04	17,712.24
<b>Total</b>		<b>96.71</b>	<b>926.69</b>	<b>20,113.51</b>	<b>1,81,528.31</b>	<b>14,522.25</b>	<b>18,152.81</b>	<b>2,34,316.68</b>
<b>Grand Total</b>								
		<b>394.58</b>	<b>2270.33</b>	<b>101630.38</b>	<b>547087.67</b>	<b>43766.96</b>	<b>54708.67</b>	<b>747193.68</b>

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुनें के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं0-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-2664.9171 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू0-747193.68 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जानें का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


संलग्नक-यथोपरि।


भवदीय,

  
(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव


उपरोक्तानुसार संलग्न प्रस्ताव पर  
सहमति प्रदान की जाती है।


अध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण/  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।  
अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, प्रविधि/प्रविधि  
लखनऊ।  
प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
महानिदेशक,  
पर्यटन, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।  
आवास आयुक्त,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।  
जिलाधिकारी,  
लखनऊ।


  
.....

  
.....

.....

  
.....  
कल्याण सिंह  
उप निदेशक  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
लखनऊ

  
.....  
S.E. Vinod Kumar Jha

  
.....  
ADM (P/R)

उपरोक्तानुसार संलग्न प्रस्ताव पर  
सहमति प्रदान की जाती है।

उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

नगर आयुक्त, <sup>प्रतिनिधि अखिल मित्रा</sup>  
नगर निगम, <sup>अध्यक्ष-उत्पिन</sup>

लखनऊ।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,

उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० जल निगम,

लखनऊ।

संयुक्त आयुक्त,

उद्योग, लखनऊ मण्डल,

लखनऊ।

श्री पी०एन० सिंह,

सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

श्री पुष्कर शुक्ला,

सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

3/28/15  
(अनिल कुमार मिश्र)  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०

प्रथमेश कुमार


आई.ए.एस.

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण









(विवेक श्रीवास्तव)

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ



लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ  
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ०प्र०

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की परिचालन के माध्यम से आहूत बोर्ड बैठक।

विषय :- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नैमिष नगर (बक्शी का तालाब)आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :- अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ में नई आवासीय योजना विकसित किये जाने एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुडकों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ के कृषको से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/ 384/आठ-1-2023-1450/ 2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नैमिष नगर आवासीय योजना 03 चरणों में विकसित की जानी प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-486 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार तीनों चरणों में भूमि के क्रय पर आने वाला अनुमानित व्यय निम्नवत है :-

ग्राम का नाम	Circle rate per Hectare	Area Government Land	Area Private Land	Cost Government land including 4 time circle rate	Cost Private including 4 times circle rate	Stamp Duty and Registration charges for Private Land at 8%	Acquisition cost of structure 10% for private land	Total cost of Acquisition Including Structure and acquisition charges (In Lacs)
PHASE-01								
पुरवा	81	0.652	73.441	211.25	23,794.88	1,903.59	2,379.49	28289.21
धतिगरा	81	15.010	158.348	4,863.24	51,304.88	4,104.39	5,130.49	65403.00
गोपरामऊ	66	8.469	62.809	2,235.82	16,581.66	1,326.53	1,658.17	21802.16
सैरपुर	81	2.517	110.409	815.51	35,772.52	2,861.80	3,577.25	43027.07

(अजय बहादुर)  
अमीन, ल०वि०प्रा०

ज्ञानेश्वर प्रतियोगिता  
नाया तद  
ल०वि०प्रा०  
सिंहचन्द (सिवाही)  
सहायक अधिकारी (अमीन)  
लखनऊ

लक्ष्मीपुर	81	1.161	42.373	376.16	13,846.79	1,107.74	1,384.68	16715.37
पूरबगाव	125	2.932	93.044	1,466.00	46,522.00	3,721.76	4,652.20	56361.96
<b>Total</b>		<b>30.741</b>	<b>540.424</b>	<b>9,967.98</b>	<b>1,87,822.73</b>	<b>15,025.81</b>	<b>18,782.28</b>	<b>231598.79</b>
<b>PHASE-02</b>								
फरुखाबाद	81	2.457	50.783	796.07	16,453.69	1,316.30	1,645.37	20211.42
भौली	125	15.757	85.684	7,878.50	42,842.00	3,427.36	4,284.20	58432.06
पल्हरीगाव	125	4.605	80.425	2,302.30	40,212.50	3,217.00	4,021.25	49753.05
<b>Total</b>		<b>22.819</b>	<b>216.892</b>	<b>10,976.87</b>	<b>99,508.19</b>	<b>7,960.66</b>	<b>9,950.82</b>	<b>128396.53</b>
<b>PHASE-03</b>								
सैदापुर	125	0.711	33.096	355.50	16,548.00	1,323.84	1,654.80	19882.14
कमलाबाद	125	0.521	4.126	260.50	2,063.00	165.04	206.30	2694.84
कमलापुर	125	1.136	7.52	567.80	3760.00	300.80	376.00	5004.60
कोडरी भौली	125	3.537	23.070	1,768.50	11,535.00	922.80	1,153.50	15379.80
बारुमऊ	81	11.568	187.883	3,748.03	60,874.09	4,869.93	6,087.41	75579.46
<b>Total</b>		<b>17.473</b>	<b>255.695</b>	<b>7,901.03</b>	<b>1,02,555.09</b>	<b>8,204.41</b>	<b>10,255.51</b>	<b>118540.84</b>
<b>Grand Total</b>								
		<b>71.032</b>	<b>1013.37</b>	<b>27645.00</b>	<b>382111.00</b>	<b>30568.80</b>	<b>38210.00</b>	<b>478534.80</b>

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुने के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारुमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-1084.40 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू०-478534.80 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदार्थ प्रस्तुत है।

मा. बोर्ड का निर्णय:-सम्यक विचारोंपन्त मा. बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी।

(अजय बहादुर)  
अमीन, ल०वि०प्रा०

ज्ञानेंद्र प्रताप शर्मा  
नायब कमिश्नर  
(हैमचन्द्र विहार)  
लखनऊ

विषय संख्या : 04

पृष्ठ संख्या : 58

विषय : मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (वरुण विहार) आगरा एक्सप्रेस-व आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025 व 31.07.2025 का पुष्टिकरण।

दिनांक 03.07.2025 को प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेस-वे) आवासीय योजना से सम्बन्धित 12 ग्रामों की कुल भूमि क्षेत्रफल 2664.9171 हे० भूमि क्रय किये जाने एवं भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू० 747193.68 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत शासन से अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से स्वीकृत किया गया। दिनांक 31.07.2025 को प्रेषित प्रस्ताव में प्रश्नगत योजना को 01 चरण में विकसित किये जाने एवं सीड कैपिटल की राशि शासन से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से स्वीकृत किया गया, जो प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

(देराज)  
लेखपाल  
10/07/2025

(सुनील कुमार रावत)  
अमीन  
ल०दि०प्रा०

उप जिलाधिकारी



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक- 325/सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2025-26

दिनांक 04 जुलाई, 2025

विषय:- परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्तावों के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (आगरा एक्सप्रेस-वे) आवासीय योजना एवं रैंथा रोड बख्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किए जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:-


क्र०सं०	विषय
01.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (आगरा एक्सप्रेस-वे) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
02.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रैंथा रोड बख्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों पर प्राधिकरण बोर्ड के मा० अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 03.07.2025 को परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्तावों पर दी गई सहमति दिनांक 03.07.2025 संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

  
(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक-324/सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2025-26

दिनांक : 03 जुलाई, 2025

विषय:-परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित नई आवासीय योजनाओं को विकसित किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है :-

विषय सं०-1,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रैथा रोड बक्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ में नई आवासीय योजना विकसित किये जाने एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुडकों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ के कृषको से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/ 384/आठ-1-2023-1450/2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण /नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवासीय योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है।

क्रमशः.....2

योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-486 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार भूमि के कय पर आने वाला अनुमानित व्यय संलग्न प्रस्ताव में अवलोकनीय है।

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुनें के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-1013.376 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू०-478534.80 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जानें का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदार्थ प्रस्तुत है।

विषय सं०-2,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (आगरा एक्सप्रेस वे) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में नई आवासीय योजना विकसित किये जानें एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुड़कों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना के कृषको से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/384/आठ-1-2023-1450/2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवासीय योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-468 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं प्रस्तावित जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार भूमि के कय पर आने वाला अनुमानित व्यय संलग्न प्रस्ताव में अवलोकनीय है।

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुनें के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा

क्रमशः.....3

कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-2664.9171 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू0-747193.68 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जानें का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

  
(विवेक श्रीविस्तव)  
सचिव

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

मा0 अध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण/  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।


महानिदेशक,  
पर्यटन, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ।

आवास आयुक्त,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।


जिलाधिकारी,  
लखनऊ।


उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
लखनऊ।

  
3/7/25


.....

  
कलकत्ता सिटी  
उप निदेशक  
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय  
लखनऊ  
C.P.U. Singh  
SE. Hindustan  
पटना (प्रतिनिधि)

  
03/07/25

प्रतिनिधि  
A 3.1.25

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

  
.....

प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम,  
लखनऊ।


प्रतिनिधि

  
03/07/2025

संयुक्त आयुक्त,  
उद्योग, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।

  
.....


श्री पी०एन० सिंह,  
सदस्य,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।


  
.....

श्री पुष्कर शुक्ला,  
सदस्य,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

  
.....

श्री विक्रम कुमार सिंह,  
अपर निदेशक, लखनऊ एवं क्षेत्र,  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ प्रतिनिधि  
अपर मुख्य सचिव, विक, उ.प्र.खाना।

  
03/07/2025

  
(विवेक श्रीवास्तव)  
असिचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ



लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ  
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ०प्र०

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की परिचालन के माध्यम से आहूत बोर्ड बैठक।

विषय :- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (आगरा एक्सप्रेस वे) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :- अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में नई आवासीय योजना विकसित किये जाने एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुडकों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना के कृषको से शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत भूमि सीधे किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/ 384/आठ-1-2023-1450/ 2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवासीय योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-468 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

योजना हेतु अपेक्षित भूमि एवं प्रस्तावित जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार भूमि के कय पर आने वाला अनुमानित व्यय निम्नवत है :-

Acquisition Cost of Private Land						
S.No.	Tahseel	Village Name	Total Area in Hect.	Circle Rate in Rs. (Lak)	Estimated Valuation as per effective circle rate in Rs. (Lak)	Estimated Four Times Value of Personal Land in Rs.
1	सरोजनीनगर	रेवरी	170.7505	68	11611.03	46444.13
2	सरोजनीनगर	इब्राहिमगंज	27.2883	68	1855.60	7422.41
3	सरोजनीनगर	मदारपुर	78.2524	40	3130.09	12520.38
4	सदर	नकटौरा	62.7914	68	4269.81	17079.26
5	सदर	भलिया	1.4600	70	102.20	408.80
6	सरोजनीनगर	जलियामऊ	251.6461	70	17615.22	70460.90
7	सदर	गहलवारा	157.8880	68	10736.38	42945.53
8	सरोजनीनगर	बहरू	10.5680	70	739.76	2959.04
9	सरोजनीनगर	आदमपुर इन्दवारा	5.8100	68	395.08	1580.32

(RP)



2025

10	सरोजनीनगर	सकरा	569.5289	40	22781.15	91124.62
11	सरोजनीनगर	दोना	594.3933	68	40418.74	161674.97
12	सरोजनीनगर	तेज कृष्ण खेड़ा	339.9532	68	23116.81	92467.27
	कुल योग		2270.33		136771.91	547087.67
					Acquisition cost of structure	54708.67
					8% Stamp duty and registration charges	43766.96
					Total Cost of land acquisition & structure	645563.30

Acquisition Cost of Total Land (Private and Govt. Land)						
S.No.	Area of Private Land (in Hect.)	Cost in Rs.	Area of Govt. land (In Hect.)	Cost in Rs.	Approx Total Area in Hect.	Estimated Total Cost in Rs. lakh
1.	2270.330	645563.30	394.5841	101630.38	2664.9141	747193.68
					Say Amount	747193.68

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुने के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक अभी प्रस्तावित नहीं है, अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना की भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-2664.9171 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू०-747193.68 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जानें का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मा. बोर्ड का निर्णय:-सम्यक विचारोंपन्त मा. बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी।



  
 (S. Singh)
   
 सहायक जिलाधिकारी
   
 लखनऊ



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

66

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक- ३३५/सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2025-26

दिनांक: ३ जुलाई, 2025

विषय:- परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्तावों के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेस-वे) आवासीय योजना विकसित किए जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से अधोलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

क्र०सं०	विषय
01.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेस-वे) आवासीय योजना विकसित किए जाने के सम्बन्ध में

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के मा० अध्यक्ष एवं मा० सदस्यों द्वारा दिनांक 31.07.2025 को परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर दी गई सहमति दिनांक 31.07.2025 संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)

सचिव

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष/आयुक्त महोदया को संलग्नक सहित अवलोकनार्थ।

(विवेक श्रीवास्तव)

सचिव



## लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र०।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक-334/सचिव, प्रा०भ० बोर्ड/2025-26

दिनांक : 31 जुलाई, 2025

विषय:-परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है :-

विषय :- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेस वे) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:- अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में 11494 खसरा संख्याओं की 2664.91 हेक्टेअर भूमि पर 03 चरणों में नई आवासीय योजना विकसित किये जाने एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुड़कों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की मा० बोर्ड द्वारा परिचालन प्रस्ताव संख्या 330 दिनांक 25.07.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-सदर व, सरोजनीनगर लखनऊ में ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना की कुल 2664.91 हेक्टेअर भूमि शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत किसानों से आपसी सहमति/अर्जन के माध्यम से एकत्र किया जाना तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/384/आठ-1-2023-1450/2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वरुण विहार आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि

हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-468 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। योजना हेतु अपेक्षित भूमि 2664.91 हेक्टेअर भूमि के क्रय पर प्रस्तावित जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार आने वाला अनुमानित व्यय 747193.68 लाख है।

Acquisition Cost of Private Land						
S. N.	Tabseel	Village Name	Total Area in Hect.	Circle Rate in Rs. (Lak)	Estimated Valuation as per effective circle rate in Rs. (Lak)	Estimated Four Times Value of Personal Land in Rs.
1	सरोजनीनगर	रेवरी	170.7505	68	11611.03	46444.13
2	सरोजनीनगर	इब्राहिमगंज	27.2883	68	1855.60	7422.41
3	सरोजनीनगर	मदारपुर	78.2524	40	3130.09	12520.38
4	सदर	नकटौरा	62.7914	68	4269.81	17079.26
5	सदर	भलिया	1.4600	70	102.20	408.80
6	सरोजनीनगर	जलियामऊ	251.6461	70	17615.22	70460.90
7	सदर	गहलवारा	157.8880	68	10736.38	42945.53
8	सरोजनीनगर	बहरू	10.5680	70	739.76	2959.04
9	सरोजनीनगर	आदमपुर इन्दवारा	5.8100	68	395.08	1580.32
10	सरोजनीनगर	सकरा	569.5289	40	22781.15	91124.62
11	सरोजनीनगर	दोना	594.3933	68	40418.74	161674.97
12	सरोजनीनगर	तेज कृष्ण खेडा	339.9532	68	23116.81	92467.27
	कुल योग		2270.33		136771.91	547087.67
				Acquisition cost of structure		54708.67
				8% Stamp duty and registration charges		43766.96
				Total Cost of land acquisition & structure		645563.30
Acquisition Cost of Govt. Land						
	ग्राम	कुल क्षेत्रफल	-	प्रस्तावित सर्किल रेट के आधार पर अनुमानित व्यय		प्रस्तावित सर्किल रेट के 4 गुणा के आधार पर अनुमानित व्यय
	कुल योग	कुल ग्राम 12	394.58	-	25407.49	101630.38
TOTAL PRIVATE LAND AND GOVT LAND						
		Area of private land in Ha.	Cost in Rs (lac)	Area of govt land	Cost of Govt land (In Lac)	Estimated Gross Private + Govt Land
	कुल योग	2270.33	645563.30	394.58	101630.38	747193.68


अवगत कराना है कि वर्तमान में आगरा एक्सप्रेस-वे से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे इसी योजना के मध्य से प्रस्तावित किया गया है तथा उसके संरक्षण क्षेत्र पर UPEIDA को अनुमोदन प्राप्त है। यह प्रयास किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली धनराशि को प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों में भूमि क्रय करने पर व्यय किया जायेगा, जो ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे से आच्छादित है, जैसे-सकरा और जलियामऊ।

उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुणों के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार मा0बोर्ड द्वारा पूर्व अनुमोदन प्रस्ताव संख्या 330 दिनांक 25.07.2025 जिसमें योजना को 03 चरणों में विकसित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था को निरस्त करते हुए ग्राम-भलिया, आदमपुर

इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना की भूमि पर एकल चरण में आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-2664.9171 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू०-747193.68 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जानें का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

  
(विवेक श्रीवास्तव)  
सीचिव


उपरोक्तानुसार संलग्न प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।


अध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण/  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।  
अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग, उ०प्र० शासन,  
लखनऊ।  
प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
महानिदेशक,  
पर्यटन, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।  
आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।  
जिलाधिकारी,  
लखनऊ।  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।  
नगर आयुक्त, प्रमुख अधिकारी आनुमूलन विभाग  
नगर निगम, आयुक्त आनुमूलन  
लखनऊ।  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उ०प्र०।

  
31/7/25


.....

.....

  
31-7-25  
S.E. Khindawan  
Jogina  
(प्रतिनिधि)

  
31/07/25

.....

  
31/7/25

.....

  
31/7/25

उपरोक्तानुसार संलग्न प्रस्ताव पर  
सहमति प्रदान की जाती है।


प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम,  
लखनऊ।  
संयुक्त आयुक्त,  
उद्योग, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।  
श्री पी०एन० सिंह,  
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।  
श्री पुष्कर शुक्ला,  
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

.....  प्रतिनिधि

.....

.....

..... 

.....   
(विवेक श्रीबिहारीसर्व) ~~असिचिव~~  
असिचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ



लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ  
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ०प्र०

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की परिचालन के माध्यम से आहूत बोर्ड बैठक।

विषय :- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेस वे) आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :- अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नई आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में 11646 खसरा संख्याओं की 2264.91 हेक्टेअर भूमि पर 03 चरणों में नई आवासीय योजना विकसित किये जाने एवं शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ-साथ सीड कैपिटल के रूप में अर्जन व्यय की धनराशि तथा भूमि अर्जन हेतु शेष धनराशि ऋण बैंकों/हुड़कों से प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राधिकरण की मा० बोर्ड द्वारा परिचालन प्रस्ताव संख्या 330 दिनांक 25.07.2025 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तहसील-सदर व, सरोजनीनगर लखनऊ में ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना की कुल 2264.91 हेक्टेअर भूमि शासनादेशानुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से दर निर्धारण उपरांत किसानों से आपसी सहमति/अर्जन के माध्यम से एकत्र किया जाना तथा उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-39/2023/ 384/आठ-1-2023-1450/ 2022टी०सी०-1 दिनांक 06 अप्रैल 2023 द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वरुण विहार आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना हेतु भूमि कय किये जाने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या-468 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। योजना हेतु अपेक्षित भूमि 2264.91 हेक्टेअर भूमि के कय पर प्रस्तावित जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार आने वाला अनुमानित व्यय 747193.68 लाख है।

Acquisition Cost of Private Land						
S.No.	Tabseel	Village Name	Total Area in Hect.	Circle Rate in Rs. (Lak)	Estimated Valuation as per effective circle rate in Rs. (Lak)	Estimated Four Times Value of Personal Land in Rs.
1	सरोजनीनगर	रेवरी	170.7505	68	11611.03	46444.13
2	सरोजनीनगर	इब्राहिमगंज	27.2883	68	1855.60	7422.41
3	सरोजनीनगर	मदारपुर	78.2524	40	3130.09	12520.38
4	सदर	नकटौरा	62.7914	68	4269.81	17079.26
5	सदर	भलिया	1.4600	70	102.20	408.80
6	सरोजनीनगर	जलियामऊ	251.6461	70	17615.22	70460.90
7	सदर	गहलवारा	157.8880	68	10736.38	42945.53
8	सरोजनीनगर	बहरू	10.5680	70	739.76	2959.04
9	सरोजनीनगर	आदमपुर इन्दवारा	5.8100	68	395.08	1580.32
10	सरोजनीनगर	सकरा	569.5289	40	22781.15	91124.62

11	सरोजनीनगर	दोना	594.3933	68	40418.74	161674.97
12	सरोजनीनगर	तेज कृष्ण खेडा	339.9532	68	23116.81	92467.27
	कुल योग		2270.33		136771.91	547087.67
					Acquisition cost of structure	54708.67
					8% Stamp duty and registration charges	43766.96
					Total Cost of land acquisition & structure	645563.30
Acquisition Cost of Govt. Land						
		ग्राम	कुल क्षेत्रफल	-	प्रस्तावित सर्किल रेट के आधार पर अनुमानित व्यय	प्रस्तावित सर्किल रेट के 4 गुणा के आधार पर अनुमानित व्यय
	कुल योग	कुल ग्राम 12	394.58	-	25407.49	101630.38
TOTAL PRIVATE LAND AND GOVT LAND						
		Area of private land in Ha.	Cost in Rs (lac)	Area of govt land	Cost of Govt land (in Lac)	Estimated Gross Private + Govt Land
	कुल योग	2270.33	645563.30	394.58	101630.38	747193.68

अवगत कराना है कि वर्तमान में आगरा एक्सप्रेस-वे से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे इसी योजना के मध्य से प्रस्तावित किया गया है तथा उसके संरक्षण क्षेत्र पर UPEIDA को अनुमोदन प्राप्त है। यह प्रयास किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली धनराशि को प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों में भूमि क्रय करने पर व्यय किया जायेगा, जो ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे से आच्छादित है, जैसे-सकरा और जलियामऊ।


उपरोक्त भूमि मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अधिकतम 04 गुनें के आधार पर लिया गया है। भूमि का अन्तिम मूल्य शासनादेश सं० 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सजरा प्लान एवं कतिपय भू-स्वामियों की सहमति संलग्न हैं। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार मा0बोर्ड द्वारा पूर्व अनुमोदन प्रस्ताव संख्या 330 दिनांक 25.07.2025 जिसमें योजना को 03 चरणों में विकसित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था को निरस्त करते हुए ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना की भूमि पर एकल चरण में आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु क्षेत्रफल-2664.9171 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने/अधिग्रहण किये जाने की अनुमति के साथ-साथ भू-अर्जन/अधिग्रहण की अनुमानित धनराशि रू०-747193.68 लाख के सापेक्ष सीड कैपिटल की राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


विषय:- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वरुण विहार आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-सदर व सरोजनीनगर, लखनऊ तथा नैमिष नगर आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में योजनाओं से आच्छादित ग्रामों में सहमति के आधार पर भूमि कय किए जाने के संबंध में निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया S.O.P का निर्धारण किए जाने विषयक


मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वरुण विहार आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-सदर व सरोजनीनगर, लखनऊ में स्थित ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना का कुल क्षेत्र-2664.91 हे० तथा नैमिष नगर आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ में कुल क्षेत्र-1084.40 हे० भूमि के समझौते के आधार पर कय किए जाने संबंधी प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 184 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रदान किया जा चुका है।

उपरोक्त के क्रम में वरुण विहार आवासीय योजना एवं नैमिष नगर आवासीय योजनान्तर्गत आच्छादित ग्रामों में सहमति के आधार पर भूमि कय किए जाने के संबंध में निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया S.O.P निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

01. समझौते पर कय की जाने वाली भूमि का प्राधिकरण की बोर्ड बैठक से अनुमोदन प्राप्त करा लिया जाए।
02. वरुण विहार आवासीय योजना एवं नैमिष नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत सहमति से कय की जाने वाली भूमि/गाटा के कय किए जाने से पूर्व गाटे का क्षेत्रफल/भू स्वामी का नाम, पहचान आदि के संबंध में विवरण प्राप्त कर लिया जाए।
03. प्रस्तावित कय की जाने वाली भूमि का गाटा वार विवरण बहुप्रचलित पढे जाने वाले 02 समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाये।
04. वरुण विहार आवासीय योजना एवं नैमिष नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बैनामा निष्पादन कराये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को नामित किया जाएगा, नामित अधिकारी द्वारा ही बैनामा निष्पादन कराया जाएगा।
05. बैनामा निष्पादन के समय विक्रेता की पहचान/सत्यापन क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गवाह नंबर 01 के रूप में किया जाएगा।
06. आपसी सहमति से वरुण विहार आवासीय योजना एवं नैमिष नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत कय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित परिसंपत्तियों यथा भवन/दुकान/आवासीय/अनावासीय निर्माण/बोरवेल/ट्यूबवेल आदि का मूल्यांकन राजकीय एजेन्सी से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नियमानुसार किया जाएगा।
07. समझौते पर भूमि कय किए जाने के उपरान्त सम्बन्धित उपनिबंधक बैनामों को स्थापित विधिक प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से तहसीलदार को स्थानान्तरित करेंगे एवं तहसीलदार द्वारा निष्पादित बैनामों के आधार पर वाद दर्ज कर अविवादित प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा 45 दिन एवं विवाद की स्थिति में 90 दिन के अन्दर लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया जाएगा।

  
 प्रमुख  
 N.T.  
 (विभागीय अधिकारी)  
 विवरण संलग्न है अतिरिक्त  
 \* लखनऊ

  
 अखिलेश्वर तिवारी  
 वरुण विहार आवासीय योजना  
 प्राधिकरण

  
 प्रभारी अधिकारी-अर्जन  
 लखनऊ

08. समझौते पर बैनामे के पूर्व यह शपथ पत्र विक्रेता से ले लिया जाए कि कय की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है एवं भूमि विवादित नहीं है एवं विक्रेता को भूमि बेचने का अधिकार प्राप्त है।
09. बैनामा कराने से पूर्व बन्दोबस्ती आकार पत्र 41 एवं 45 से वर्तमान खतौनी के गाटों का एवं क्षेत्रफल तथा नवैयत का मिलान कर लिया जाए एवं क्षेत्रीय लेखपाल तथा राजस्व निरीक्षक से उक्त के संबंध में आख्या प्राप्त कर ली जाए।
10. सहखातेदारों से बैनामा कराने के प्रकरणों में जहां गाटे का सम्पूर्ण हिस्सा एक काश्तकार का नहीं है एवं शामिलत नम्बर/काश्तकार हैं वहां विक्रेता/सहखातेदारों के अश के संबंध में आख्या क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त कर ली जाए।
11. यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 77 के अन्तर्गत भूमि वर्तमान एवं पूर्व में सुरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं रही हो।
12. भूमि कय करने की प्रक्रियान्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्त अनुभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा बैनामे से कय की जा रही भूमि का निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल रेट/जिलाधिकारी द्वारा समझौते के आधार पर कय किए जाने हेतु निर्धारित दर से भुगतान की जाने वाली भूमि के विक्रय मूल्य का आंगणन करते हुए स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की गणना कर आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बैनामा निष्पादन हेतु स्टाम्प प्राप्त कर बैनामा निष्पादन करने हेतु उपलब्ध करायेंगे।
13. सहमति से बैनामा कराये जाने की प्रक्रिया में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 द्वारा जारी निर्देश दिनांक 08.अगस्त 2024 एवं उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग -13 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 202/एक-13-2024-रा0-13 दिनांक 25 जुलाई 2024 के माध्यम से जारी निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाए।
14. सहमति से निष्पादित बैनामे के भुगतान की कार्यवाही प्राधिकरण के वित्त विभाग द्वारा सीधे ऑनलाइन खाते में भुगतान/चेक के माध्यम नियमानुसार दस्तावेजों का परीक्षण किए जाने के उपरान्त ही की जाए तथा भुगतान से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाए। बैनामा कराये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा भुगतान किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0 तथा संयुक्त सचिव अर्जन की समिति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :- वरुण विहार आवासीय योजना एवं नैमिष नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामों के किसानों से सहमति के आधार पर भूमि कय किए जाने की उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया S.O.P प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(RP)  
प्रवेश  
N-T

(सुलसीराम)  
सहायक उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण



(हिमचन्द्र तिवारी)  
उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
अधिकारी  
ल0वि0प्रा0

विषय:-नेहरू इन्क्लेव योजनान्तर्गत स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितकृत करने तथा प्राधिकरण की अवशेष भूमि को सेना से वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

विभागीय पत्र संख्या-649/एसी./प्र./2025 दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ कैंन्ट, लखनऊ को अवगत कराया गया है कि नेहरू एनक्लेव स्थित (ग्राम जुगौली, उजरियांव, भीखमपुर) लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर वर्ष 1998 में कतिपय कारणों से भूमि विवाद होने के दृष्टिगत सेना द्वारा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर कब्जा कर लिया गया। मूल विषय यह है कि सेना/रक्षा संपदा विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उपलब्ध कराये गए अक्षांस एवं देशान्तर के अनुसार 193.7 एकड़ भूमि फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित है।

उपरोक्त समस्त भूमि की संयुक्त पैमाइश एवं सर्वे किया जा चुका है उक्त सर्वे के अनुसार सेना द्वारा कुल 311 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है, जो उनके द्वारा उपलब्ध कराये गए सर्वे/अक्षांश देशान्तर के अनुसार निर्मित फायरिंग रेंज से 118 एकड़ अधिक है। संयुक्त सचिव महोदय रक्षा मंत्रालय की उपस्थिति में आयोजित बैठक दिनांक 28.04.2025 जिसमें मुख्य अधिशाषी अधिकारी कैंन्ट लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा बैठक में नेहरू एनक्लेव स्थित कुल 311 एकड़ भूमि को संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी जिसका विवरण संलग्न मानचित्र पर दर्शाते हुए निम्नवत है:-

01	आर्मी फायरिंग रेंज (फनल एरिया) के अन्तर्गत स्थित रिक्त भूमि जो अब सेना के कब्जे में हैं	92.7 एकड़
02	जुगौली गांव की आबादी जो फनल एरिया/ फायरिंग रेंज के अन्तर्गत है।	40.0 एकड़
03	प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजना (नेहरू एनालेय कॉलोनी) जो फनल एरियाध्वायरिंग रेंज के अंदर है।	40.0 एकड़
04	पेपर मिल कॉलोनी जो फनल एरिया/फायरिंग रेंज के अंदर है।	21.0 एकड़
	कुल भूमि जो अभिलेखों के अनुसार सेना के फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित है।	193.7 एकड़
05	अपने फायरिंग रेंज एरिया के बाहर सेना द्वारा कब्जा की गयी भूमि जिसका स्वामित्व राज्य सरकारध्वालखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है।	118 एकड़

जिलाधिकारी  
 लखनऊ

जिलाधिकारी  
 लखनऊ

जिलाधिकारी  
 लखनऊ

सेना द्वारा प्रस्तुत अपने फायरिंग रेंज के अन्दर दावा की जा रही 193.7 एकड़ भूमि के सापेक्ष 92.7 एकड़ रिक्त भूमि, 40 एकड़ भूमि पर जुगौली गांव की पुरानी आबादी स्थित है, तथा शेष 40 एकड़ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नेहरू इनक्लेव योजना तथा 21 एकड़ पर पेपर मिल कॉलोनी विकसित है।

सेना द्वारा एवं रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार नोटिफिकेशन में 193.7 एकड़ भूमि दर्शाया गया है, किन्तु वर्तमान समय में सेना द्वारा कुल 311 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है सेना द्वारा अपने निर्धारित फायरिंग रेंज के अतिरिक्त 118 एकड़ लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा किया गया है, जिसकी पुष्टि संयुक्त पैमाइश एवं सर्वे के द्वारा की जा चुकी है।

उक्त प्रकरण के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-3939/1999 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित है कि *226 of Constitution of India cannot decide a dispute between the Stat Therefore] writ petition is disposed of with liberty to the parties to Init of the Constitution of India"*

उक्त प्रकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं विभिन्न चरणों में हुई बैठक के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रिट याचिका संख्या 3639/एमबी/1999 में पारित आदेश के समादर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेना से फायरिंग रेंज के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र (नेहरू इनक्लेव 40 एकड़, एवं पेपर मिल कालोनी 21 एकड़ कुल 61 एकड़) के सापेक्ष कुल 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितकृत करने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है कि अपने फायरिंग रेंज से सटी हुई 61 एकड़ भूमि प्राप्त करने के बाद सेना द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की कब्जा की गयी अतिरिक्त (118-61 = 57 एकड़) भूमि को कब्जा मुक्त करते हुए सहमति से प्रकरण को निच्छेपित कर दिया जायेगा। पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्राधिकरण द्वारा सेना से चाही गयी भूमि प्रदर्शित की गयी है। यदि सेना द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की जाती है, तो वर्षों पुराने इस प्रकरण का पटाक्षेप होगा तथा प्राधिकरण को एक बड़ी भूमि प्राप्त होगी, जिससे लखनऊ को नियोजित विकास संभव हो सकेगा।

प्रस्ताव :-

नेहरू इनक्लेव योजनान्तर्गत स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितकृत करने तथा प्राधिकरण की अवशेष भूमि को सेना से वापस लिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रेषक,

अपर सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ।

सेवा में,

रक्षा सम्पदा अधिकारी  
लखनऊ कैंन्ट,  
लखनऊ।

पत्रांक/ 649/ए0सी/प्र0/2025

दिनांक 12 जून, 2025

विषय:- रिट याचिका संख्या 3639/एमबी/1999 नेहरू एनक्लेव से संबंधित भूमि विवाद के संबंध में महोदया,

नेहरू एनक्लेव स्थित ( ग्राम जुगौली, उजरियांव, भीखमपुर ) लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर वर्ष 1998 में कतिपय कारणों से भूमि विवाद होने के दृष्टिगत सेना द्वारा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर कब्जा कर लिया गया। मूल विषय यह है कि सेना/रक्षा संपदा विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उपलब्ध कराये गए अक्षांस एवं देशान्तर के अनुसार 193.7 एकड़ भूमि फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित है। जिसका विवरण नीचे इंगित सूची के क्रमांक-क पर उल्लेखित है। उपरोक्त समस्त गाटा संख्याओं की संयुक्त पैमाइश एवं सर्वे किया जा चुका है उक्त सर्वे के अनुसार सेना द्वारा कुल 311 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है जो उनके द्वारा उपलब्ध कराये गए सर्वे/अक्षांश देशान्तर के अनुसार निर्मित फायरिंग रेंज से 118 एकड़ अधिक है। संयुक्त सचिव महोदय रक्षा मंत्रालय की उपस्थिति में आयोजित बैठक दिनांक 28.04.2025 जिसमें मुख्य अधिशाषी अधिकारी कैंन्ट लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा बैठक में नेहरू एनक्लेव स्थित कुल 311 एकड़ भूमि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी जिसका विवरण संलग्न मानचित्र पर दर्शाते हुए निम्नवत है।

01	आर्मी फायरिंग रेंज (फनल एरिया)के अन्तर्गत स्थित रिक्त भूमि जो अब सेना के कब्जे में हैं	92.7 एकड़
02	जुगौली गांव की आबादी जो फनल एरिया/फायरिंग रेंज के अन्तर्गत है।	40.0 एकड़
03	प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजना (नेहरू एनक्लेव कॉलोनी) जो फनल एरिया/फायरिंग रेंज के अंदर है।	40.0 एकड़
04	पेपर मिल कॉलोनी जो फनल एरिया/फायरिंग रेंज के अंदर है।	21.0 एकड़
	(क्रमांक -क)कुल भूमि जो अभिलेखों के अनुसार सेना के फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित है	193.7 एकड़
05	अपने फायरिंग रेंज एरिया के बाहर सेना द्वारा कब्जा की गयी भूमि जिसका स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है।	118 एकड़

सेना द्वारा प्रस्तुत अपने फायरिंग रेंज के अन्दर दावा की जा रही 193.7 एकड़ भूमि के सापेक्ष 92.7 एकड़ रिक्त भूमि, 40 एकड़ भूमि पर जुगौली गांव की पुरानी आबादी स्थित है, तथा शेष 40 एकड़ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नेहरू एनक्लेव योजना तथा 21 एकड़ पर पेपर मिल कॉलोनी विकसित है।

सेना द्वारा एवं रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार नोटिफिकेशन में 193.7 एकड़ भूमि दर्शाया गया है किन्तु वर्तमान समय में सेना द्वारा कुल 311 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया


है सेना द्वारा अपने निर्धारित फायरिंग रेंज के अतिरिक्त 118 एकड़ लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा किया गया है, जिसकी पुष्टि संयुक्त पैमाइश एवं सर्वे के द्वारा की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 3939/1999 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित है कि "Hence this Court under Article 226 of Constitution of India cannot decide a dispute between the State Government and Union of India. Therefore, writ petition is disposed of with liberty to the parties to initiate proceedings under Article 131 of the Constitution of India"

अतः उक्त प्रकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं विभिन्न चरणों में हुई बैठक के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रिट याचिका संख्या 3639/एमबी/1999 में पारित आदेश के समादर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेना से फायरिंग रेंज के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र ( नेहरू एनक्लेव 40 एकड़ एवं पेपर मिल कॉलोनी 21 एकड़ कुल 61 एकड़) के सापेक्ष कुल 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितकृत करने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है कि अपने फायरिंग रेंज के से सटी हुई 81 एकड़ भूमि प्राप्त करने के बाद सेना द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की कब्जा की गयी अतिरिक्त (118 - 81 = 57 एकड़) भूमि को कब्जा मुक्त करते हुए सहमति से प्रकरण को निक्षेपित कर दिया जाएगा, पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्राधिकरण द्वारा सेना से चाही गयी भूमि प्रदर्शित की गयी है। यदि सेना द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की जाती है तो वर्षों पुराने इस प्रकरण का पटाक्षेप होगा तथा प्राधिकरण को एक बड़ी भूमि प्राप्त होगी जिससे लखनऊ का नियोजित विकास संभव हो सकेगा।


अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के कम में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें, अन्यथा माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 3939/1999 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के समादर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में वाद योजित करते हुए अनुतोष प्राप्त करना बाध्यकारी होगा।


संलग्नक:- यथोपरि

  
(ज्ञानेन्द्र वर्मा)  
अपर सचिव

प्रतिलिपि:-

01. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

  
(ज्ञानेन्द्र वर्मा)  
अपर सचिव



LAND DISPUTES ON NEHRU ENCLAVE

LAND DISPUTE

Area Approx.

	ARMY FIRING RANGE	92 Acre		PROPOSAL LAND	75 Acre
	JUGAULI ABADI	40 Acre			
	LDA LAND OTHERS	118 Acre			
	NEHRU ENCLAVE	40 Acre			
	PAPER MILL COLONY	21 Acre			
					TOTEL AREA:- 311 Acre

## लखनऊ ग्रीन कोरिडोर प्रोजेक्ट

बोर्ड मीटिंग प्रस्ताव

प्रस्ताव – ग्रीन कोरिडोर परियोजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये बैंक पर पिपराघाट से शहीद पथ तक लगभग 4.50किमी० लम्बाई में नया मिट्टी का बन्धा व इसके ऊपर 4लेन रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य की रीच में लगभग 2.7किमी० लम्बाई में बन्धा निर्माण हेतु 19.797हे० रक्षा भूमि आ रही है तथा शेष 1.8किमी० लम्बाई बन्धा निर्माण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि उपलब्ध है।

रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-13020/10/2022/D(L) सेना भवन नई दिल्ली दिनांक 07.07.2025 के द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित कार्य के लिए रक्षा भूमि समान भूमि लागत (Equal Value Land) के आधार पर अनुमति (Working Permission) प्रदान की गई है।

बन्धा निर्माण हेतु आवश्यक रक्षा भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

Sl. No.	Survey Nos.	Class	Management	Area required in project (in sqm)	Land Value (in Rs.)
(i)	257	B-4	MEO (Now DEO)	687.965	5044159.38
(ii)	257/4	A-1	MoD (QMG)	445.154	3263869.13
(iii)	263	A-1	MoD (QMG)	195665.487	1434619350.68
(iv)	511	A-1	MoD (QMG)	1173.588	26602892.78
			<b>Total</b>	<b>197972.194</b>	<b>1,46,95,30,272/-</b>

अतः प्रश्नगत परियोजना कार्य जनहित एवं सार्वजनिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा विभाग की 19.797हे० भूमि ग्रीन कोरिडोर परियोजना के अन्तर्गत पिपराघाट से शहीद पथ के मध्य बन्धा निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या-13020/10/2022/D(L) सेना भवन नई दिल्ली दिनांक 07.07.2025 की शर्तों के अधीन समान भूमि लागत (Equal Value Land) पर भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ, स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

(रामकृष्ण खलौरिया)  
अध्यक्ष अभियन्ता

(अतुल मिश्रा)  
सहायक अभियन्ता  
ल०वि०प्रा०

(गौरव सिंह)  
सहायक अभियन्ता

अजीत कुमार;  
अधिसा. अभियन्ता

21/08/25  
सि.श. नि.अ.  
अमीन  
दि० 07/07/20

02/08/25  
अध्यक्ष अभियन्ता

Sena Bhawan, New Delhi  
Dated, the 07<sup>th</sup> July, 2025

To

1. The Chief of Army Staff,  
New Delhi
2. The Director General Defence Estates,  
Raksha Sampada Bhawan,  
Delhi Cantt. – 110 010

CORRIGENDUM

**Subject: Grant of working permission to Lucknow Development Authority on defence land located at Lucknow Cantonment for construction of 04 lane road from Pipraghat to Shaheed Path on both sides of Gomti River barrage.**

Sir,

I am directed to refer to the Working Permission issued vide MoD Letter No. 13020/10/2022/D(Lands) dated 08.11.2024 and to say that following amendments are hereby carried out in Para 2, Para 3(i) and Para 7 of the said Working Permission as under: -

In para (2):

For

I am directed to convey the sanction of the President of India for grant of Working Permission to indenting Authority (IA) on defence land admeasuring 21.808 Hect. (or) 218080 sqm in Lucknow Cantt on the basis of transfer of Equal Value Land (EVL) for construction of 04 lane road from Pipraghat to Shaheed Path on both sides of Gomti River barrage in terms of MoD policy letter dated 02.02.2016, read with policy letters dated 21.10.2020, 19.02.2021, 03.03.2022 and 04.03.2024. The details of defence land are as under: -

S. No.	Survey Nos.	Classification	Management	Area required in project (in sqm)	Land Value (i.e. rent per annum/10 x area required in sqm x 40 (in Rs.))
(i)	256	B-4	DEO	2660	4,29,18,568
(ii)	257	B-4	DEO	4720	3,80,67,744
(iii)	257/3	C	Cantt Board	8650	6,97,63,980
(iv)	257/4	A-1	QMG	2890	2,33,08,428

*Panda*  
7/7/2025

(v)	261	B-4	DEO	9760	7,87,16,352
(vi)	263	A-1	QMG	133830	1,07,93,65,716
(vii)	264	A-1	QMG	55570	44,81,83,164
<b>Total</b>				<b>218080</b>	<b>1,78,03,23,952/-</b>

**Read**

I am directed to convey the sanction of the President of India for grant of Working Permission to indenting Authority (IA) on defence land admeasuring 19.797 Hect. (or) 197972.194 sqm in Lucknow Cantt on the basis of transfer of Equal Value Land (EVL) for construction of 04 lane road from Pipraghat to Shaheed Path on one side of Gomti River barrage in terms of MoD policy letter dated 02.02.2016, read with policy letters dated 21.10.2020, 19.02.2021, 03.03.2022 and 04.03.2024. The details of defence land are as under: -

Sl. No	Survey Nos.	Class	Managemnt	Area required in project (in sqm)	Land Value (in Rs.)
(i)	257	B-4	MEO (Now DEO)	687.965	5044159.38
(ii)	257/4	A-1	MoD (QMG)	445.154	3263869.13
(iii)	263	A-1	MoD (QMG)	195665.487	1434619350.68
(iv)	511	A-1	MoD (QMG)	1173.588	26602892.78
<b>Total</b>				<b>197972.194</b>	<b>1,46,95,30,272/-</b>

**In para 3(i):**

**For**

The working permission on defence land admeasuring 21.808 Hect (or) 218080 sqm to Indenting Authority is accorded on exchange of Equal Value of Land (EVL) in lieu of defence land. The Indenting Authority will provide suitable EVL to LMA in lieu of defence land.

**Read**

The working permission on defence land admeasuring 19.797 Hect. (or) 197972.194 sqm to Indenting Authority is accorded on exchange of Equal Value of Land (EVL) in lieu of defence land. The Indenting Authority will provide suitable EVL to LMA in lieu of defence land.

**In para 7:**

**For**

Formal sanction for permanent transfer of defence land admeasuring 21.808 Hect (or) 218080 sqm will be issued after obtaining Cabinet Approval.

*Done*  
*7/7/2025*

**Read**

Formal sanction for permanent transfer of defence land admeasuring 19.797 Hect. (or) 197972.194 sqm will be issued after obtaining Cabinet Approval.

2. The other contents of the MoD Working Permission letter dated 08.11.2024 will remain same.

3. This issues with the concurrence of MoD (Finance) vide their diary no. 3173 on RF No. 21(9)/2015/Fin/W-I dated 26.06.2025.

Yours faithfully,

*Deepa Pande*  
7/7/2025  
(Deepa Pande)

Under Secretary to the Govt. of India

**Copy to:-**

1. The Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh
2. MoD (Fin/W-1), 'B' Block, DHQ Zone.
3. DGADS, L-II Block, Brassey Avenue, New Delhi-11
4. Controller General of Defence Accounts, Palam Road, Delhi Cantt.
5. DG LW&E, AHQ.
6. PCDA, Central Command, Lucknow.
7. PDDE, Central Command, Lucknow.
8. Director (Lands)/MoD.
9. DEO Lucknow
10. CEO Lucknow
11. Lucknow Development Authority

विषय:-कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि लिये जाने के सम्बन्ध में।

अपर मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय पत्रांक-899/पन्द्रह-1-2024 दिनांक 24.07.2024 द्वारा कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के उपयोग हेतु समिति गठित की गयी है, जो निम्नवत् है:-

श्री शशि भूषण पाठक  
उप जिलाधिकारी  
प्रधानाध्यापक


उप जिलाधिकारी, ल0वि0प्रा0।  
तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ।  
कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0  
सैनिक स्कूल, लखनऊ।

2. शासन द्वारा गठित समिति को निम्न बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत् है:-


1. निष्प्रयोज्य भूमि के स्वामित्व का निर्धारण गाटा संख्या के आधार पर करना।
2. उक्त भूमि का सीमांकन एवं पैमाइश करना।
3. निष्प्रयोज्य भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करके उसका निराकरण करना।
4. मा0 न्यायालय में योजित वादों को सूचीबद्ध कर उसकी अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराना।

3. शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभारी अधिकारी-अर्जन महोदय द्वारा पत्र संख्या-737/ए0सी0/प्र0/2024 दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत् टीम गठित कर भूमि का सर्वे/सीमांकन/पैमाइश हेतु दिनांक 03.08.2024 की तिथि नियत कर राजस्व टीम का गठन करते हुए उक्त कार्य को समयान्तर्गत निष्पादित कराये जाने हेतु वांछित सहयोग प्रदान किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, तहसील-सरोजनीनगर लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त तिथि दिनांक 03.08.2024 को प्राधिकरण व राजस्व टीम स्थल पर उपस्थित होकर स्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा पत्रांक-1383/र0का0-पैमा0/2024 दिनांक 23.08.2024 के माध्यम से कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के उपयोग हेतु राजस्व ग्राम-अमौसी एवं गौरी परगना बिजनौर तहसील लखनऊ की भूमि के सीमांकन/पैमाइश हेतु दिनांक 24.07.2024 की तिथि नियत कर आख्या कमेटी का गठन किया गया है, जो निम्न है:-

1. श्री अशोक वर्मा, राजस्व निरीक्षक खुशहालगंज।

  
(अशोक कुमार)



  
(हिमंशु कुमार)  
उप जिलाधिकारी



2. श्री प्रेम कुमार मिश्रा, राजस्व निरीक्षक बन्धरा।
3. श्री संजय शुक्ला, क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम-अमौसी।
4. श्री बिन्देश रावत, क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम-गौरी।
5. श्री अशोक यादव, लेखपाल।
6. श्री विनय कुमार, लेखपाल।
7. श्री आलोक वर्मा, लेखपाल।

4. उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ के पत्र दिनांक 23.08.2024 के क्रम में दिनांक 24.08.2024 को ल0वि0प्र0 व राजस्व टीम द्वारा स्थल का सीमांकन/जॉच किया गया के क्रम में राजस्व टीम द्वारा सीमांकन/जॉच कर आख्या उपलब्ध करायी, जिसमें ग्राम-अमौसी व गौरी के लेखपाल द्वारा कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच/सर्वे के आधार पर ग्राम-अमौसी व गौरी के क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आख्या (छायाप्रति संलग्न) उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नवत् है:-

1. ग्राम असोसी स्थित


गाटा संख्या-4043	- 0.405 हे0 पोस्टवार सर्विसेज NZA
4062	- 1.913 हे0 पोस्टवार सर्विसेज NZA
4063	- 9.405 हे0 पोस्टवार सर्विसेज NZA
4064	- 1.056 हे0 पोस्टवार सर्विसेज NZA
4065	- 1.607 हे0 उ0प्र0 सैनिक स्कूल
4066	- 0.063 हे0 उ0प्र0 सैनिक स्कूल
4067क	- 0.101 हे0 उ0प्र0 सैनिक स्कूल
4068	- 0.378 हे0 उ0प्र0 सैनिक स्कूल
4069	- 0.063 हे0 उ0प्र0 सैनिक स्कूल

2. उपरोक्त गाटो के स्थलीय जॉच/सर्वे मे पाया गया कि गाटा संख्या-4043/0.405 में थाना-सरोजनीनगर स्थित है तथा गाटा संख्या-4062 में आंशिक भाग में उ0प्र0 सैनिक स्कूल के आवासीय कार्यों में स्थित है। शेष रिक्त है। गाटा संख्या-4063/9.373 के उत्तर पश्चिमी कोने पर सैनिक स्कूल का छात्रावास व आवासीय भव स्थित है तथा आंशिक भाग में स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर हास्पिटल व आवासीय कालोनी स्थित है। शेष भाग रिक्त है।
3. स्थलीय सर्वे में पाया गया कि गाटा संख्या-4043/0.405 हे0 में पूरे गाटे में सरोजनीनगर थाना निर्मित है तथा गाटा संख्या-4062/1.913 हे0 में सैनिक स्कूल की कालानी बनी है तथा हास्पिटल का आवास है, जोकि बीच-बीच में निर्मित है। गाटा संख्या-4063/9.405 हे0 में सैनिक स्कूल द्रोणाचार्य हास्टल व अधिकारियों के आवास निर्मित है जोकि 1.850 हे0 लगभग है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 0.690 हे0 में निर्मित है।

अतः निष्प्रयोज्य भूमि पर हुए अतिक्रमण/निर्माण के चिन्हांकन के पश्चात् गाटावार विवरण निम्नवत् है:-



(निदेशक राजस्व विभाग)  
सहायक निदेशक (राजस्व)  
लखनऊ



(हिमवान विहारी)  
सहायक निदेशक (राजस्व)  
लखनऊ

प्रभारी अधिकारी  
ल0वि0प्र0

क्र.स.	गाटा संख्या	सम्पूर्ण क्षे०	रिक्त क्षे०	अतिक्रमित क्षे०	अतिक्रमण का प्रकार/विवरण
1	4043	0.405 हे० NZA	—	0.405 हे०	थाना सरोजनी नगर निर्मित है।
2	4062	1.913 हे०	1.000 हे०	0.913 हे०	सैनिक स्कूल के पांच आवास बने हैं।
3	4063	9.405 हे०	5.365 हे०	1.850 हे०	सैनिक स्कूल का द्रोणाचार्य हास्टल व अधिकारियों के आवास नव निर्मित हस्टल व दो पुराने आवास सैनिक स्कूल के निर्मित है।
				1.500 हे०	
				0.690 हे०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर
4	4064	1.056 हे०	1.056 हे०	—	
5	4065	1.607 हे०	1.607 हे०	—	
6	4066	0.063 हे०	0.063 हे०	—	
7	4067क	0.101 हे०	0.101 हे०	—	
8	4068	0.378 हे०	0.378 हे०	—	
9	4069	0.063 हे०	0.063 हे०	—	
	योग	14.991 हे०	9.633 हे०	5.358 हे०	

उपरोक्तानुसार कुल 14.991 हे० रिक्त ग्राम-अमौसी में स्थलीय सर्वे के अनुसार लगभग 9.633 हे० भूमि रिक्त तथा 5.358 हे० भूमि अतिक्रमित/निर्माण युक्त पायी गयी जिससे सैनिक स्कूल का भी निर्माण शामिल है, परन्तु आवासीय निर्माण व स्थायी मेडे आदि न होने से ठीक-ठीक पैमाईश किया जाना सम्भव नहीं है।


अतः ई०टी०एस० प्रणाली द्वारा पैमाईश कराया जाना आवश्यक है।


#### ग्राम-गौरी


राजस्व ग्राम गौरी परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ की वर्तमान फसली वर्ष 1426-1431 फ० के खाता संख्या-0032 उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर लखनऊ के नाम दर्ज अभिलेख हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-


क्र. स.	खाता संख्या	खातेदार का नाम व पता	गाटा संख्या	कुल क्षे० हे०	अतिक्रमण क्षे०	रिक्त क्षे०	विशेष विवरण/अतिक्रमण का प्रकार
1	0038	उ०प्र० सैनिक स्कूल सरोजनीनगर लखनऊ	403	0.1640	सम्पूर्ण	—	मकान बनाकर कब्जा
			405	0.2020	सम्पूर्ण	—	मकान बनाकर कब्जा
			406सं	0.1260	सम्पूर्ण	—	मकान बनाकर कब्जा
			407	0.2280	—	सम्पूर्ण	सैनिक स्कूल द्वारा निर्मित बाउंड्री
			408	0.2400	0.069	—	सैनिक स्कूल द्वारा निर्मित बाउंड्री
			409	0.6830	—	0.6830	सैनिक स्कूल द्वारा निर्मित बाउंड्री
			410	0.0790	—	सम्पूर्ण	सैनिक स्कूल द्वारा निर्मित बाउंड्री
			511	0.1930	—	—	पक्के मकान व रास्ता
	योग		2.626 हे०	0.6850 हे०	1.941 हे०		

- उक्त प्रश्नगत भूमियाँ ग्राम बंदोबस्त के जोत चकबंदी आकार पत्र-45 में खाता सं. 125 पर पोस्टबार सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फण्ड यू० पी० लखनऊ द्वारा कमांडेंट लैंड स्कूल सरोजनी नगर के नाम दर्ज अभिलेख हैं।
- उक्त भूमियों के अतिरिक्त ग्राम गहरू परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में फसली वर्ष 1427 से 1432 फसली की खाता संख्या 004 पर 93 गाटों में कुल रकबा 77.806 हेक्टेयर भूमि सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश गहरू के नाम दर्ज अभिलेख है (खतौनी की प्रति सनलग्न है), जिसमें से गाटा संख्या 7क, 8, 9ख, 10, 11, 11, 13,

  
(हैमचन्द्र तिवारी)

  
(हैमचन्द्र तिवारी)

  
(हैमचन्द्र तिवारी)

  
(हैमचन्द्र तिवारी)


14, 16, 15 वर्तमान में वन विभाग की भूमियों के बीच में स्थित है तथा सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश गहरू का कब्जा है खाते के शेष गाटों पर इंडस्ट्रियल एरिया दरोगा खेड़ा विकसित है।

3. उक्त प्रश्नगत भूमियों में से ग्राम गौरी में स्थित सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश लखनऊ की भूमियों के आसपास आबादी विकसित है चिन्हांकन हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ राजस्व टीम गठन तथा ई0टी0एस0 प्रणाली द्वारा पैमाइश की आवश्यकता नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।


5. शासन द्वारा पत्र दिनांक 24.07.2024 के माध्यम से कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के उपयोग हेतु समिति गठित की गयी है। उक्त गठित समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष/सचिव महोदय के समक्ष कई बार वार्ता/विचार-विमर्श किया गया। इसी मध्य शासन द्वारा पत्र संख्या-748/पन्द्रह-1-2025 दिनांक 22.04.2025 के माध्यम से कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु दिनांक 23.04.2025 को नवीन भवन स्थित 'अलमास' में आहूत बैठक में संगत अभिलेखों सहित टी0सी0एल0 कम्पनी के अधिकारियों के साथ ससमय प्रतिभाग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिभाग किया गया था। उक्त बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में विभागीय पत्र संख्या-513/एसी/प्र0/2025 दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।


6. कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 16.06.2025 का कार्यवृत्त दिनांक 04.07.2025 को निर्गत किया गया है। कार्यवृत्त दिनांक 04.07.2025 के बिन्दु संख्या-05 में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ एवं प्राधानाचार्य, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ द्वारा उपर्युक्त के सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, के क्रम में पुनः संशोधित प्रस्ताव विभागीय पत्र संख्या-831/एसी/प्र0/2025 दिनांक 18.07.2025 के माध्यम से विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।

“कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव तैयार कर पूर्व में विभागीय पत्र संख्या-513/एसी/प्र0/2025 दिनांक 08.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में शासन में दिनांक 16.06.2025 को बैठक हुई थी, जिसमें हुए विचार विमर्श के अनुसार पुनः अवगत कराना है कि कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के उपयोग हेतु कुल 80.33 एकड़

  
(नाम) कुमार  
सचिव  
लखनऊ

  
(नाम) कुमार  
सचिव  
लखनऊ

  
सम्बन्ध निवारी  
लखनऊ


  
प्रणाली ऑ.  
लखनऊ

भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 9.02 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट हेतु, 2.03 एकड़ भूमि रोड वाइडिंग हेतु, 8.61 एकड़ भूमि पर अन्य विभागों के निर्माण, 3.50 एकड़ भूमि पर प्राइवेट सोसाइटी के आवासीय भवन निर्मित है। अतः उक्त भूमियों को पृथक करने पर कुल 61.7 एकड़ भूमि नियोजन हेतु उपलब्ध है, जिस पर ही प्राधिकरण द्वारा नियोजन की कार्यवाही की जा सकती है। सैनिक स्कूल की भूमि का टेन्टेटिव कास्टिंग किया गया है, जिसके अनुसार भूमि अर्जन की धनराशि लगभग ₹0 258.34 करोड़ की धनराशि आती है, जिस पर प्राधिकरण भूमि लेने पर सहमत है।


इसके साथ-साथ यह भी अवगत कराना है कि बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार यदि स्कूल के लिए किसी अन्य बिल्डिंग बनाये जाने की अपेक्षा प्राधिकरण से की जाती है, तो उसके लिए भी प्राधिकरण सहमत है। भवन निर्माण के लिए सैनिक स्कूल को प्रस्तावित निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा, जिससे प्राधिकरण डी.पी.आर. तैयार कर निर्माण में होने वाले व्यय को भूमि के मूल्य में समायोजित करते हुए निर्माण करा सकें। यदि निर्माण का व्यय भूमि मूल्य से कम होगा तो शेष भूमि का मूल्य प्राधिकरण 5 वर्ष की किश्तों में भुगतान करने के लिए सहमत है।”

कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के उपयोग हेतु कुल 80.33 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 9.02 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट हेतु, 2.03 एकड़ भूमि रोड वाइडिंग हेतु, 8.61 एकड़ भूमि पर अन्य विभागों के निर्माण, 3.50 एकड़ भूमि पर प्राइवेट सोसाइटी के आवासीय भवन निर्मित है। अतः उक्त भूमियों को पृथक करने पर कुल 61.7 एकड़ भूमि नियोजन हेतु उपलब्ध है, जिस पर ही प्राधिकरण द्वारा नियोजन की कार्यवाही की जा सकती है। सैनिक स्कूल की भूमि का टेन्टेटिव कास्टिंग किया गया है, जिसके अनुसार भूमि अर्जन की धनराशि लगभग ₹0 258.34 करोड़ की धनराशि आती है, जिस पर प्राधिकरण भूमि लेने पर सहमत है तथा बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार यदि स्कूल के लिए किसी अन्य बिल्डिंग बनाये जाने की अपेक्षा प्राधिकरण से की जाती है, तो उसके लिए भी प्राधिकरण सहमत है। भवन निर्माण के लिए सैनिक स्कूल को प्रस्तावित निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा, जिससे प्राधिकरण डी.पी.आर. तैयार कर निर्माण में होने वाले व्यय को भूमि के मूल्य में समायोजित करते हुए निर्माण करा सकें। यदि निर्माण का व्यय भूमि मूल्य से कम होगा तो शेष भूमि का मूल्य प्राधिकरण 5 वर्ष की किश्तों में भुगतान करने के लिए सहमत है, के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

  
 (हेमवन्ती देवी)  
 सचिव, आ. कारी-अर्जन  
 20/05/2019

  
 (हेमवन्ती देवी)  
 सचिव, आ. कारी-अर्जन  
 20/05/2019

  
 (हेमवन्ती देवी)  
 सचिव, आ. कारी-अर्जन  
 20/05/2019

  
 प्रभाषी  
 लोडिंग

प्रस्ताव:-

कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ०प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि के उपयोग हेतु कुल 80.33 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 9.02 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट हेतु, 2.03 एकड़ भूमि रोड वाइडिंग हेतु, 8.61 एकड़ भूमि पर अन्य विभागों के निर्माण, 3.50 एकड़ भूमि पर प्राइवेट सोसाइटी के आवासीय भवन निर्मित है। अतः उक्त भूमियों को पृथक करने पर कुल 61.7 एकड़ भूमि नियोजन हेतु उपलब्ध है, जिस पर ही प्राधिकरण द्वारा नियोजन की कार्यवाही की जा सकती है। सैनिक स्कूल की भूमि का टेन्टेटिव कास्टिंग किया गया है, जिसके अनुसार भूमि अर्जन की धनराशि लगभग रू० 258.34 करोड़ की धनराशि आती है, जिस पर प्राधिकरण भूमि लेने पर सहमत है तथा बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार यदि स्कूल के लिए किसी अन्य बिल्डिंग बनाये जाने की अपेक्षा प्राधिकरण से की जाती है, तो उसके लिए भी प्राधिकरण सहमत है। भवन निर्माण के लिए सैनिक स्कूल को प्रस्तावित निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा, जिससे प्राधिकरण डी.पी.आर. तैयार कर निर्माण में होने वाले व्यय को भूमि के मूल्य में समायोजित करते हुए निर्माण करा सकें। यदि निर्माण का व्यय भूमि मूल्य से कम होगा तो शेष भूमि का मूल्य प्राधिकरण 5 वर्ष की किश्तों में भुगतान करने के लिए सहमत है, के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।







(हमबन्द निवासी)  
चक्रवर्ती जी कर्माचार्य  
लखनऊ

प्रभारी अधिकारी-अर्जन  
ल०वि०प्रा०

Superimposed Map Captain Manoj Kumar Pandey  
 U.P. Sainik School Lucknow  
 Al- Village Amausi & Gauri



विषय:-दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि० एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य अनिबंधित अनुबन्ध दिनांक 27.06.2006, 27.03.2007 व 04.04.2016 एवं दो अनिबंधित अनुबंध पत्र दिनांक 28.01.2017 निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री डी०एस० बाफिला अध्यक्ष, हिमालयन सहकारी आवास समिति दिनांक रहित पत्र में समिति की गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम-मखदूमपुर तहसील व जिला लखनऊ में अधिग्रहीत दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि० लखनऊ की भूमि खसरा नं०-79, 80, 159, 151, 239, 172, 169अ,ब, 18, 61, 130, 132, 16, 100, 145, 196, 81, 51, 121, 178, 152, 154, 321/182 व 156 में कुल 43-2-8-0 बीघा को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण से यथास्थित समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार 60 प्रतिशत भूमि सदस्यों को आवंटन कराने का अनुरोध किया गया।

तदक्रम में दि हिमालयन सहकारी आवास समिति को शासनादेश के अनुसार 50 प्रतिशत विकसित भूमि/भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 24.05.2006 को अनुमोदन तत्कालीन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा प्रदान किया गया। दि हिमालयन सहकारी आवास समिति एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य तत्कालीन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा निष्पादित अनुबन्ध का प्रारूप अनुमोदित किया गया, जिसमें समिति के खसरा संख्या-132 रकबा 3-0-0-0, 239अ 239ब का कुल रकबा 0-16-0-0, 159 रकबा 2-14-0-0, 79, 80 कुल रकबा 1-14-0-0, 18 रकबा 1-0-0-0, खसरा संख्या-172, 169 कुल रकबा 1-0-0-0 तथा खसरा संख्या-178ख, 151, 154, 321/182 कुल रकबा 2-10-0-0 उपरोक्त समस्त गाटों का कुल रकबा 15-14-0-0 बीघा के सापेक्ष कुल क्षे०-12036 वर्गमी० भूमि के समायोजन का अनुबन्ध किया गया।

पूर्व अनुबन्ध दिनांक 22.03.2007 का एक संशोधित अनुबन्ध किये जाने का अनुमोदन किया गया, जिसमें समिति को हरदोई रोड योजना सेक्टर-सी भूखण्ड संख्या डी-26 से डी-33 प्रत्येक क्षे०-115.05 वर्गमी० रतन खण्ड शारदानगर योजना में भूखण्ड संख्या-1 से 10 प्रत्येक क्षे०-120 वर्गमी० तथा गोमतीनगर विस्तार योजना से०-6 में भूखण्ड संख्या डी-1 से डी-861 प्रत्येक क्षे०-120 वर्गमी० (कुल क्षे०-105440.40 वर्गमी०) विकसित भूखण्ड समायोजित किये जाने का उल्लेख है, जबकि इसके क्रम में निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 27.03.2007 के सेड्यूल ऑफ प्रापर्टी में भूखण्ड संख्या-6/डी-851 से डी-861 से०-6 गोमतीनगर विस्तार योजना प्रत्येक क्षे०-112.5 वर्गमी० भूखण्ड संख्या-1 से 12 रतन खण्ड शारदानगर योजना प्रत्येक क्षे०-120 वर्गमी० तथा भूखण्ड संख्या-डी-26 से डी-32 से०-सी हरदोई रोड योजना प्रत्येक क्षे०-115.05 वर्गमी० (कुल क्षे०-3482.85 वर्गमी०) का उल्लेख है।

प्राधिकरण द्वारा समिति के अवशेष क्षेत्रफल 8-4-2-12 बीघा भूमि जिसका प्रतिकर समिति व समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि समिति के पक्ष में समायोजन किये जाने का अनुमोदन तत्कालीन

  
(अमित शर्मा)  
अमीन  
ल०वि०प्रा०

  
प्रभारी अधिकारी-अर्जुन  
ल०वि०प्रा०

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा प्रदान किया गया। पुनः दिनांक 04.04.2016 को गोमतीनगर विस्तार योजना से०-6 में नवसृजित नियोजन पाकेट जिसका कुल क्षेत्र-3433.60 वर्गमी० है, को समिति के पक्ष में अन्तरित किये जाने एवं प्राधिकरण व समिति के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा प्रदान की गयी।


दि हिमालयन सहकारी आवास समिति को इससे पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या-4/133, 4/145, 4/146, 4/147, 4/148 व 4/149 विकल्प खण्ड-4 गोमतीनगर के स्थान पर विकल्प खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या-3/382, 3/383, 3/384, 3/385 डी श्रेणी एवं भूखण्ड संख्या-3/112, 3/113 सी श्रेणी के भूखण्डों को दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि० के पक्ष में आवंटित किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन तत्कालीन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० के द्वारा किया गया।

पूर्व में किये गये अनुबन्ध दिनांक 27.06.2006 व 27.03.2007 में समिति के पक्ष में अनुबन्ध किये गये भूखण्डों के पूर्ण रूप से उपलब्ध न हो पाने के कारण 9118 वर्गमी० भूमि के सापेक्ष उपरोक्त 3885.50 वर्गमी० भूमि दिये जाने के पश्चात भी 5232.50 वर्गमी० भूमि समिति को उपलब्ध कराया जाना आशेष है। उक्त 3885.50 वर्गमी० क्षेत्रफल को दिये जाने के सम्बन्ध में संदर्भित आख्या पर दिनांक 02.12.2016 को उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा हस्ताक्षर किये गये, जिसे अनुमोदन के रूप में स्वीकार करते हुए प्राधिकरण एवं समिति के मध्य एक अन्य संशोधित अनुबन्ध पत्र दिनांक 28.01.2017 निष्पादित किया गया, जिसमें कुल 30 भूखण्ड/भवन जिनका कुल क्षेत्रफल 3885.50 वर्गमी० शामिल था।

समिति द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-10507/2010 दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि० लखनऊ बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 के अनुपालन में तत्कालीन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा दिनांक 20.10.2015 को समिति की अवशेष क्षेत्रफल भूमि 8-4-2-12 बीघा का समायोजन शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के आलोक में 50 प्रतिशत भूमि समिति के पक्ष में समायोजन किये जाने हेतु तृतीय अनुबन्ध दिनांक 04.04.2016 को निष्पादित किया गया।

तत्कालीन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० के आदेश संख्या-41/मेमो/पी.ए./2019 दिनांक 22.04.2019 द्वारा सचिव, ल०वि०प्रा० की अध्यक्षता में दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि० को प्राधिकरण द्वारा विभिन्न अवधियों में समायोजित किये गये भूमि/भूखण्डों के मामले की जाँच हेतु एक समिति गठित की गयी।

समिति द्वारा अनुबन्ध की इस शर्त का अनुपालन न किये जाने के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा दि हिमालयन सहकारी आवास समिति के मध्य निष्पादित कुल-तीन अनिबन्धित अनुबन्ध पत्र दिनांकित क्रमशः 27.06.2006, 24.03.2007, 04.04.2016 तथा दो अनिबन्धित संशोधन अनुबन्ध पत्र दिनांकित 28.01.2017 निष्पादित करते समय शासनादेश संख्या-4128/9-आ०-3-200-20 एल०ए०/92 (अ०ब०) दिनांक 22.10.2002 के प्रस्तर-2.2, प्रस्तर-2.4 (निष्पादित अनुबन्ध पत्र दिनांक 27.06.2006, 24.03.2007, 28.01.2017 में किसी भी प्रकार का समायोजन शुल्क नहीं लिया गया) तथा प्रस्तर-2.5, प्रस्तर-3.2 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्रांक-सी.एम./89/आठ-3-20-01

  
अभिषेक शर्मा  
अधीन  
ल०वि०प्रा०

  
प्रमारी अधिकारी-अधीन  
ल०वि०प्रा०

एल0ए0/2020 दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 तथा बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सम्यक जाँच हेतु आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा प्राधिकरण एवं दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 के मध्य उपर्युक्त निष्पादित अनुबंध पत्र निरस्त किये जाने की अनुशांसा की गयी है।

प्रस्ताव :-

दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य अनिबंधित अनुबंध दिनांक 27.06.2006, 27.03.2007 व 04.04.2016 एवं दो अनिबंधित अनुबंध पत्र दिनांक 28.01.2017 निरस्त किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
23/7/2025  
(अमित शर्मा)  
अमीन  
ल0वि0प्र0

  
30/7/25  
(तुलसीराम)  
सहायक चकबंदी अधिकारी  
ल0वि0प्र0

  
30/07/25  
अधिकारी-बर्जस  
ल0वि0प्र0

विषय:—बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि० को मा० न्यायालयों में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दी गयी क्षे०-56307 वर्गमी० भूमि में से 14309 वर्गमी० भूमि वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि० की ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या-25, 28, 39, 40, 41, 43, 45, 54, 55, 58अ, 58ब व 289 कुल कुल रकबा 32-4-14-10 बीघा का अधिग्रहण अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 में किया गया, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 05.09.2000 व 16.02.2001 को शासन द्वारा जारी की गयी। भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 21.10.2008 व भूमि का कब्जा दिनांक 05.10.2001 को अपर जिलाधिकारी-भू.अ. द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया।

अपर जिलाधिकारी-भू०अ० द्वारा पत्र संख्या-3065/आठ-अ०जि०अ० (भू०अ०) न०म०पा०-प्रथम, लखनऊ दिनांक 01.08.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-168/एल० ए०/2014 बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 व 07.01.2016 के क्रम में रिट याचिका से आच्छादित भूमि खसरा संख्या-25, 28, 39, 40, 41, 43, 45, 54, 55, 58अ, 58ब व 289 स्थित ग्राम मखदूमपुर तहसील परगना व जिला लखनऊ के हितबद्ध कास्तकारों के प्रतिकर वितरण की रकबा सहित अद्यतन स्थिति से सम्बन्धित विवरण पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें रिट याचिका से आच्छादित खसरों का कुल रकबा 32-4-14-10 बीघा अर्थात् 877635.87 वर्गफिट भूमि में से प्रतिकर प्राप्त किये गये सदस्यों का कुल रकबा 7-12-12-0 बीघा अर्थात् 207728.00 वर्गफिट को पृथक करने पर शेष भूमि जिसका प्रतिकर नहीं लिया गया है, 24-12-2-10 बीघा भूमि है।

बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण की अधिसूचना को निरस्त किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय में रिट संख्या 168/2014 बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दायर की गयी थी जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2015 को आदेश पारित किया गया है तथा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 का संशोधन आदेश दिनांक 07.01.2016 को पारित किया गया, जिसका अंश निम्नवत है :-

*On consideration of the entire facts and law on the point, we are of the view that the acquisition proceedings in respect of the petitioner are liable to be quashed on account of non-compliance of the provisions contained under Section 31 of the Old Act and Section 24 (2) of the New Act. We accordingly allow the writ petition and issue a writ in the nature of*

(अपिती शर्मा)  
अमीन  
स०वि०प्र०

प्रभारी अधिकारी-अर्जन  
ल०वि०प्र०

*certiorari quashing the notifications dated 5.9.2000 and 16.2.2001 in respect of the petitioner.*

*A writ in the nature of mandamus is issued directing the Lucknow Development Authority, Lucknow to restore the possession or allot some alternative land to the petitioner within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order.*

इसी मध्य मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-168/एल.ए./14 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 का संशोधन आदेश दिनांक 07.01.2016 को पारित किया गया है, जिसका अंश निम्नवत है :-

*Accordingly, the operative portion of the order dated 5.11.2015 is clarified to the extent that after the last sentence of the judgement, the following sentence shall also be read along with the operative portion :-*

*"The petitioner-society is not raising any claim in respect of the plots regarding which they received compensation and they are only raising the claim in respect of the plots regarding which they have not received any compensation."*

*Apart from it, in the third line of second paragraph of seventh page of the order, the word "not" mentioned after the words 'where award has' shall not be read."*

*Subject to the above noted terms, the application is allowed.*

रिट याचिका संख्या-168/एल०ए०/14 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 व संशोधन आदेश दिनांक 07.01.2016 के विरुद्ध ल०वि०प्रा० द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० नं०-4912/2016 दायर की गयी। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को आदेश पारित किया गया, जिसका अंश निम्नवत है :-

*Heard the learned counsel for the petitioners and perused the relevant material.*

*Delay condoned.*


*Exemption from filing certified copy of the impugned judgment and O.T. is granted.*


*We do not find any legal and valid ground for interference. The Special Leave Petitions are dismissed.*

उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि० द्वारा दिनांक 21.07.2016 को क्षेत्रफल 24-12-2-10 बीघा भूमि की रिक्तता के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है।

मा० उच्च न्यायालय/मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश क्रमशः दिनांक 05.11.2015, 07.01.2016 व 30.06.16 के अनुपालन में उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा दिनांक 13.09.2016 को यह निर्णय लिया गया है कि :-

*"मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.16 के क्रम में क्षेत्रफल 24-12-2-10 बीघा भूमि की रिक्तता के सम्बन्ध में सम्पत्ति/नियोजन अनुभाग से स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त ही भूमि प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।"*

  
अर्जुन  
ल०वि०प्रा०

  
प्रभारी अधिकारी-अर्जुन  
ल०वि०प्रा०

अभियन्त्रण खण्ड जोन-1 द्वारा गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में 50924 वर्गमी० तथा सेक्टर-5 में 11606 वर्गमी० अर्थात कुल 62530 वर्गमी० (लगभग) भूमि विवाद मुक्त बतायी गयी है।

समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली 24-12-2-10 बीघा भूमि में से खसरा संख्या-45 रकबा 2-7-0-17 बीघा भूमि, जो कास्तकार के नाम अंकित है, परन्तु भूमि सीलिंग से सम्बन्धित है, का विवाद मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही रकबा 2-7-0-17 बीघा भूमि समिति को उपलब्ध कराया जाना उचित होगा। इस प्रकार समिति को कुल 22-5-1-13 बीघा भूमि उपलब्ध कराया जाना होगा। समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली 22-5-1-13 बीघा भूमि का समिति से नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किया जाना होगा।

शासन द्वारा दिनांक 19.12.2016 को प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 12.12.2016 लिये गये निर्णय के अनुसार विवाद रहित गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में 50924 वर्गमी० तथा सेक्टर-5 में 11606 वर्गमी० अर्थात कुल 62530 वर्गमी० (लगभग) भूमि में से क्षेत्रफल 56307 वर्गमी० (22-5-1-13 बीघा) भूमि का कब्जा बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि० को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० द्वारा दिनांक 21.12.016 को लिया गया।

**कब्जा प्रमाण पत्र**


रिट याचिका संख्या-168/एल०ए०/2014 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.15 व 07.01.16 के अनुपालन में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 21.12.16 के क्रम में गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 में 44701 वर्गमी० एवं गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-5 में 11606 वर्गमी० भूमि का कब्जा एतद् द्वारा बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति को आज दिनांक 18.01.2017 को हस्तान्तरित किया गया, जिसका ग्रामवार, खसरावार विवरण निम्नवत है:-  
गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-1

ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या	अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 में अर्जित भूमि का क्षेत्रफल		समिति को उपलब्ध कराया जाने वाला क्षेत्रफल (वर्गमी०)
	क्षेत्रफल (बीघा)	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	
13 पी	3-18-6-0	9870	9464
14 पी	8-7-9-0	21240	5880
15 पी	2-13-18-0	6930	5776
16	6-11-1-0	16791	16390
18 पी	3-3-3-0	7983	48
ग्राम हुसडिया की खसरा संख्या			
221 पी	1-1-9-0	2740	48
222	1-6-15-0	3380	4695
223 पी	2-1-13-0	5270	2400
कुल क्षेत्रफल			44701

**गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-5**

ग्राम हुसडिया की खसरा संख्या	अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-5 में अर्जित भूमि का क्षेत्रफल		रकबा
	क्षेत्रफल (बीघा)	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	
220 पी	3-5-0-0	8220	520
227 पी	3-12-0-0	9100	3667
229 पी	2-5-0-0	5690	5610

  
अनंद चंद्रा  
20/1/2017

  
अनंद चंद्रा अधिकारी-अंजन  
20/1/2017

230	0-6-4-0	785	785
231 पी	0-11-10-0	1453	1024
क्षेत्रफल			11606
गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-1 व 5 में कुल क्षेत्रफल			56307

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 व 07.01.2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के अनुपालन में तत्कालीन उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 21.12.2016 के क्रम में प्राधिकरण की अर्जित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 में 44701 वर्गमी0 एवं गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-5 में 11606 वर्गमी0 भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.01.2016 को बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति के पक्ष में हस्तान्तरित किया गया।

दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 लखनऊ तथा बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या में प्रेषित की गयी, जिसमें उक्त समितियों के विरुद्ध अनियमितता पाई गयी।

मा0 उच्चतम न्यायालय में पूर्व योजित एस0एल0पी0 इन्दौर विकास प्राधिकरण बनाम मृतक मनोहर लाल में पांच जजों की वृहत्त पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 के अनुक्रम में प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिब्यू पिटीशन योजित की गयी, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा पत्र संख्या-सी0 एम0-89/आठ-3-20-01 एल0ए0/2020 लखनऊ दिनांक 23.12.2020 के माध्यम से गठित जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या में बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति को मा0 न्यायालयों में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दी गयी क्षे0-56307 वर्गमी0 भूमि में से वर्गमी0 14309 वर्गमी0 भूमि अधिक होती है, जिसका कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त करने की संस्तुति दी गयी थी।

प्रस्ताव :-

बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 को मा0 न्यायालयों में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दी गयी क्षे0-56307 वर्गमी0 भूमि में से क्षे0-14309 वर्गमी0 भूमि वापस लिये जाने संबंधी निर्णय हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

30/7/2024  
(अमित शर्मा)  
अमीन  
ल0वि0प्रा0

30/7/24  
(दुलसारी शर्मा)  
अधीनस्थ अधिकारी  
ल0वि0प्रा0

30/7/25  
अधीनस्थ अधिकारी-अर्जन  
लखनऊ

विषय:

भारत सरकार पुर्नवास नीति के अन्तर्गत अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना से प्रभावित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-925/आठ-9-25-19 समिति/ 2023 दिनांक 19 मई, 2025 के साथ संलग्न अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-793/आठ-2-25-02 बैठक/07 टी0सी0, दिनांक 16.05.2025 व अनु सचिव, विधान परिषद सचिववालय समिति-2 के आज्ञा पत्र संख्या-2356/वि0प0-समिति-2 विधान भवन, लखनऊ दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से उ0प्र0 विधान परिषद की "विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जाँच किये जाने हेतु मा0 अंकुश समिति की विधान परिषद के प्रथम तल पर स्थित कक्ष संख्या-77 विधान भवन लखनऊ में दिनांक 28.05.2025 को आयोजित बैठक में गंगाशरण सहकारी आवास समिति से क्रय की गयी भूमि के संबंध में श्री सभापति द्वारा पूछे गये प्रश्न के संबंध में प्राधिकरण की ओर से अवगत कराया गया कि "मान्यवर प्रधानमंत्री आवास योजना का विज्ञापन हमने प्रकाशित किया गया है, उसमें बसंत कुंज में 4512 मकान बनाएंगे, 92 का विज्ञापन आया है, अगर उसमें आवेदन करेंगे और पात्र होंगे तो उनको मकान मिल जाएगा।"

तदक्रम में विभागीय पत्र संख्या-565/एसी./प्र./2025 दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को अवगत कराया गया कि "मा0 समिति द्वारा 24 जुलाई 2023 की बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि इन्हे PMY में प्राथमिकता के आधार पर मकान दे दिए जाए/प्राधिकरण में प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मा0 समिति के निर्देशों के समादर में विस्थापित कोटे के अन्तर्गत आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इनके पक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करायी जायेगी।"

ग्राम मखदूमपुर, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या-235 का अधिग्रहण अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 में किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन कमशः दिनांक 05.09.2000 व 16.02.2001 को शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित करते हुए अभिनिर्णय दिनांक-21.10.2008 को

(सुबोधन मिश्रा)  
अमीन  
ल0वि0प्र0

(सुबोधन मिश्रा)  
सहायक सचिव अमीन  
ल0वि0प्र0

(सुबोधन मिश्रा)  
अधीकारक  
ल0वि0प्र0

(सुबोधन मिश्रा)  
प्रभारी अधिकारी-अर्जन  
ल0वि0प्र0

घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार भूमि अधिग्रहण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/ल0वि0प्रा0 में निहित हो चुका है।

अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा घोषित अभिनिर्णय दिनांक 21.10.2008 को खाता संख्या-25 में निम्नवत अंकित है :-


खसरा संख्या-235 राजस्व अभिलेखों में कुंवर बहादुर उर्फ कुवारे दत्तक पुत्र हरदयाल निवासी ग्राम का नाम अंकित है। उक्त भूमि खातेदार उत्तराखण्ड सहकारी गृह निर्माण समिति लि० द्वारा सचिव वी०पी० सिंह को विक्रय कर दी है। उक्त घोषित अभिनिर्णय के उपरोक्त अंकित खाते पर गंगाशरण सहकारी आवास समिति का नाम दर्ज नहीं है।

तत्समय खतौनी 1409 फसली वर्ष पर खसरा संख्या-235 पर कुंवर फतेह बहादुर उर्फकुवारे दत्तक पुत्र हरदयाल निवासी ग्राम का नाम अंकित था तथा आदेश के कॉलम में उक्त भूमि उत्तराखण्ड सहकारी गृह निर्माण समिति लि० निबन्धन संख्य संख्या-225/80 खुर्रमनगर, लखनऊ द्वारा शेर सिंह का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज हो। आदेश दिनांक-20.05.2002 अंकित है। अपर जिलाधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि राजस्व अभिलेखों में अर्जन के पूर्व या पश्चात् भी गंगाशरण सहकारी आवास समिति का नाम दर्ज नहीं रहा है।


भारत सरकार की पुनर्वास नीति के तहत योजनान्तर्गत जिन भू-स्वामियों के निर्माण धारा-4 के प्रकाशन के पूर्व निर्मित पाये गये तथा जो मौके पर अध्यासित थे एवं जिनके अभिलेख पूर्ण थे, उन्हें 75 वर्गमी० के निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं। भारत सरकार पुनर्वास नीति के तहत परियोजना प्रभावित परिवार की परिभाषा इस प्रकार है :-

“परियोजना प्रभावित परिवार का अर्थ है एक ऐसा परिवार/व्यक्ति जिसका निवास स्थल या अंश सम्पत्ति या जीविका का साधन परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया के कारण पर्याप्त रूप से प्रभावित हुआ हो और जो प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने की तारीख से पूर्व लगातार तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक उस क्षेत्र में रह रहा हो विभागीय पत्र संख्या-656/ए.सी./प्र./2025 दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से उ०प्र० विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जाँच किये जाने के संबंध में मा० अंकुश समिति की दिनांक 28.05.2025 को विधान परिषद के प्रथम तल पर स्थित कक्ष संख्या-77 विधान भवन लखनऊ में आयोजित साक्ष्य बैठक में खसरा संख्या-235 स्थित ग्राम-मखदूमपुर पर गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत दिनांक 12.10.2000 तक अधिग्रहण से प्रभावित भूमि पर स्थित निर्माणों के अभिलेख/फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित करायी गयी थी, उक्त के परिपेक्ष्य में निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रार्थना पत्रों में से सर्वे दौरान जिन व्यक्तियों के स्थल पर

  
ज. पी. सिंह  
20/10/2010

  
(कुलसीराम)  
जिलाधिकारी  
लखनऊ

  
प्रमाणित किया गया  
लखनऊ

  
जमाई आधिकारिक अ. 11  
ल०वि०प्रा०


निर्माण/अध्यासित पाये गये उन्हें भारत सरकार की पुर्नवासन नीति के अन्तर्गत भूखण्ड उपलब्ध कराये गये थे। खसरा संख्या-235 पर बने निर्माण/अध्यासित तथा अध्यासित व्यक्तियों जिन्हें विस्थापित का लाभ प्रदान किया गया है:-1. श्री पूर्णिमा चौधरी, 2. श्यामदेव पाल, 3. भगेलूराम, 4. प्रयाग नारायण शुक्ला, 5. श्री हरी शंकर पांडे, 6. श्रीमती माधुरी तिवारी, 7. श्री ओमप्रकाश, 8. श्रीमती माधुरी द्विवेदी के तत्समय स्थल पर सर्वे दौरान निर्माण/अध्यासित पाये गये अतः उन्हें पुर्नवासन नीति के तहत 75 वर्गमी० निशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराये गये थे।”

प्रश्नगत प्रकरण में खसरा संख्या-235 स्थित ग्राम-मखदूमपुर पर श्रीमती नसीम आरा बेगम पत्नी श्री हासिम अली, श्रीमती धनदेवी पत्नी स्व० राम खेलावन, श्रीमती मंजू पत्नी श्री ओम प्रकाश व श्री राम शारदा तिवारी पुत्र श्री राम सुन्दर तिवारी का स्थल पर कोई भी निर्माण नहीं पाये जाने तथा मौके पर अध्यासित नहीं होने के कारण रिक्त भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्राविधान/नीति नहीं है। अतएव प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इनके पक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन संबंधी निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव :-

श्रीमती नसीम आरा बेगम पत्नी श्री हासिम अली, श्रीमती धनदेवी पत्नी स्व० राम खेलावन, श्रीमती मंजू पत्नी श्री ओम प्रकाश व श्री राम शारदा तिवारी पुत्र श्री राम सुन्दर तिवारी के पक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
[Illegible text]

  
[Illegible text]

  
[Illegible text]

  
प्रभारी अधिकारी-अंश  
ल०वि०प्र०

विषय हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत अर्जित ग्राम-गजराहार, बरीकला व बरावनखुर्द की भूमि के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के अनुपूरक विषय संख्या-179/02 पर हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत अर्जित ग्राम-गजराहार, बरीकला व बरावनखुर्द की नदी में समाहित एवं नदी के उसपार स्थित प्राधिकरण द्वारा अर्जित खसरा संख्याओं की भूमि के आपसी समझौते से प्रतिकर का भुगतान सम्बन्धी निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिया गया निर्णय निम्नवत है :-

“सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।”

हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21.06.2016 में लिये गये निर्णयानुसार हितबद्ध काश्तकारों को समझौते के आधार पर बढ़ा हुआ प्रतिकर दिया जा रहा है। प्रथम चरण में प्राधिकरण की नियोजित भूमि पर समझौते के आधार पर प्रतिकर दिया जा चुका है। द्वितीय चरण में गोमती नदी व गोमती नदी के दायें तटबन्ध के मध्य स्थित अर्जित भूमियों का हितबद्ध काश्तकारों को भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में उपरोक्तानुसार ग्राम-गजराहार, बरीकला व बरावनखुर्द के नदी में समाहित भूमियों व नदी उस पार स्थित अर्जित भूमि का समझौते के आधार पर प्रतिकर दिया जाना अवशेष है।

नदी में समाहित व नदी के उस पार ग्राम-गजराहार, बरीकला व बरावनखुर्द की अर्जित भूमियों के समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में प्रभावित काश्तकारों व किसान संगठनों द्वारा लगातार मांग की जाती रही है। उक्त अर्जित भूमियों का भुगतान न होने के कारण प्रभावित काश्तकारों व किसान संगठनों द्वारा योजनान्तर्गत किये जा रहे विकास कार्यों को बाधित किया जाता रहा है। नदी के उस पार अर्जित ग्राम-बरीकला व गजराहार की भूमियों के मध्य से ग्रीन कारिडोर का विकास कार्य किया जाना है। यदि प्रश्नगत अर्जित भूमियों की हितबद्ध काश्तकारों को समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान किया जाता है, तब संबंधित काश्तकारों का विरोध/आपत्ति समाप्त हो जायेगी।

हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत स्थित ग्राम गजराहार, लखनऊ की नदी में समाहित अर्जित भूमि खसरा संख्या-27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 व 104 के अर्जित कुल रकबा 36-3-9-0 बीघा तथा नदी के उस पार स्थित अर्जित खसरा संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 व 92 कुल रकबा 81-3-16-0 बीघा तथा हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत स्थित ग्राम-बरीकला की नदी में समाहित अर्जित भूमि खसरा संख्या-6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42 व 43 कुल रकबा 45-12-18-0 बीघा एवं नदी के उस पार अर्जित खसरा संख्या-2, 3, 4, 5, 11, 12, 13,

(अजय बहादुर)  
अमीन, ल०वि०प्रा०

गणेश शुक्ला  
/स०च०अ०

श्रीमान्द्र तिवारी अर्जित  
नदी अधिकारी अर्जित  
अधिकारी-अर्जित  
ल०वि०प्रा०

14 कुल रकबा 10-15-6-0 बीघा तथा बरावनखुर्द की नदी में समाहित अर्जित खसरा संख्या-66 व 67 कुल रकबा 1-3-8-0 बीघा अर्जित भूमि के आपसी समझौते से प्रतिकर का भुगतान सम्बन्धी निर्णय लिया जाना है।

प्रस्ताव :-


हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत अर्जित ग्राम-गजराहार, बरीकला व बरावनखुर्द की नदी में समाहित एवं नदी के उसपार स्थित प्राधिकरण द्वारा अर्जित उपरोक्त खसरा संख्याओं की भूमि के आपसी समझौते से प्रतिकर का भुगतान सम्बन्धी निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।




(अजय बहादुर)  
अमीन, ल०वि०प्रा०



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला  
नायब तहसीलदार/स०च०अ०  
ल०वि०प्रा०



ज्ञानेन्द्र तिवारी  
अधीकारी-अर्जित  
खसरा



अधीकारी-अर्जित  
ल०वि०प्रा०

विषय:-ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 भूमि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.08.2018 के सम्बन्ध में।

ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा भूमि का अधिग्रहण अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 05.09.2000 व 16.02.2001 को शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर भूमि का अभिनिर्णय दिनांक-21.10.2008 को घोषित किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/ल0वि0प्रा0 में निहित हो चुका है।

ग्राम-मखदूमपुर की खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-67/एल0ए0/2010 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2015 को स्कूल के भवन की कुल 106 वर्गमी0 भूमि पर स्थगनादेश पारित किया गया है। उक्त अर्जित खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा स्थित ग्राम मखदूमपुर के सापेक्ष प्रतिकर की धनराशि अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा दिनांक 30.09.2014 को मा0 जनपद न्यायालय, लखनऊ में जमा की जा चुकी है।

ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या-242 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-67/एल0ए0/2010 में 106 वर्गमीटर भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2018 को दो आदेश पारित किये गये हैं, जिसका अंश निम्नवत है :-


**Final A.F.R. :-**

*Keeping in view the aforesaid discussions, we are of the opinion that there is no merit in the writ petition and accordingly the same is dismissed both on the ground of delay and laches as well as on merits.*

तथा

*On record we find an order dated 10.8.2015 whereby this Court modified the earlier interim order dated 20.12.2010 and provided that the status quo with regard to constructions confined to 106 sq. mtrs. alone will be allowed to continue and the earlier interim order with regard to the entire plot of land will stand modified to that effect. Against the said order the S.L.P. filed by the petitioner namely Special Leave Petition (Civil) No. 025114-025114 of 2015 was dismissed by the Apex Court on 7.9.2015.*

*We, accordingly, considering the nature of the request made by the learned counsel for the petitioners, provide that the existing constructions of the petitioners*

  
(अपिपि शक्ती)  
अधीन  
लखनऊ

  
प्रगरी अधिकासी-अजंन  
लखनऊ

*standing over 106 sq. mtrs. of land (as mentioned in the order 10.8.2015) will not be interfered with by the respondents till 15 days from the date of uploading of the judgment on the website of the High Court.*

उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 के आलोक में याची श्री दिनेश कुमार यादव व अन्य द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9021/2018 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया :-

*Heard the learned senior counsel appearing for the parties leave granted hearing expedited status quo ,existing as on today will be maintained which means that the school building standing on 106 sq. mtrs. will continues in the possession of the petitioner*

*The State of UP is directed not to create any third party right.*

याचिनी दुर्गा देवी पत्नी अयोध्या प्रसाद निवासी मकदूमपुर, गोमती नगर विस्तार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जोकि प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 के निर्णय के अनुसार याचिनी एवं प्राधिकरण आपस में समझौता कर लें।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 को विषय संख्या-11 पर खसरा संख्या-242 ग्राम मखदूमपुर के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जिसमें निम्न निर्णय पारित किया गया :-

*"प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा हुई एवं सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण भूमि में से 70 प्रतिशत भाग याची को एवं अवशेष 30 प्रतिशत भूमि पर प्राधिकरण विकास कार्य कराये और याची से इस आशय का शपथपत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि भविष्य में सिकी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया जायेगा।"*

बोर्ड बैठक के उक्त आदेश के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2016 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसका अंश निम्नवत है :-

*"We fail to understand that when the interim order in the said writ petition was modified on 10.8.2015 confining the claim only to 106 sq.mts. then how such a decision has been taken to release 70% of the land in favour of the said petitioners when the writ petition pertaining to the challenge raised in the acquisition proceedings is still pending. Only 30% land is sought to be taken care of by the Lucknow Development Authority which is proposed to be developed within a period of six months*

*. The Lucknow Development Authority shall file an affidavit demonstrating as to under what authority of law has such a decision been taken in relation to an acquired land and a dispute whereof is pending in W.P. No. 67 (L/A) of 2010 where the interim order has already been modified on 10.8.2015."*

मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में लिये गये निर्णय को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2017 के विषय सं0-07 में लिये गये निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-8571/2018 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2025 को निम्न आदेश पारित किया गया :-

  
(अर्पित शर्मा)  
अमीन  
ल०वि०प्रा०

  
प्रभारी  
अमीन  
ल०वि०प्रा०

*The prayer made in this application are completely misconceived. Hence, the application is rejected. However, this order will not prevent the parties from entering into an amicable settlement.*

उक्त के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पत्र संख्या-521/मेमो/पीए/24-25 दिनांक 15 जनवरी, 2025 के माध्यम से श्रीमती दुर्गा देवी, पत्नी स्व० अयोध्या प्रसाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2025 के क्रम में गोमतीनगर विस्तर योजना स्थित सेक्टर-4 खसरा संख्या-242 डी.ए.पी. स्कूल के विवाद के समाधान के संबंध में अपर सचिव (जी) की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी, जिसमें प्रभारी अधिकारी-अर्जन, अधिशासी अभियन्ता जोन-1 व सहायक लेखाधिकारी को सदस्य नामित करते हुए तहसीलदार-अर्जन को सदस्य/संयोजक नामित किया गया है।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21.06.16 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर डी०ए०पी० स्कूल की बिल्डिंग व समाधि, एक कमरा व टवायलेट बना हुआ है। शेष भूमि रिक्त है और उस पर खेती की जा रही है तथा खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा स्थित ग्राम मकदूमपुर के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-67/एल०ए०/2010 विचाराधीन है। उक्त रिट याचिका में उल्लिखित खसरा संख्या-242 पर स्थित निर्माण के बदले विस्थापित कोटे के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-1/813 क्षेत्रफल 200 वर्गमी० श्री रमेश चन्द्र यादव व भूखण्ड संख्या-6/वी-288 दिनेश कुमार को आवंटित किया जा चुका है, जिसे मा० उच्च न्यायालय को अवगत भी कराया जा चुका है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

01. यह निर्विवादित सत्य है कि गाटा संख्या 242 रकबा 02-12-14-0 बीघा भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2000 में करते हुए भूमि का कब्जा दिनांक 11.07.2002 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा चुका है।
02. उक्त भूमि से प्रभावित श्री रमेश चन्द्र यादव एवं श्री दिनेश कुमार को विस्थापित कोटे में भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं।
03. उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 को विषय संख्या-11 पर खसरा संख्या-242 ग्राम मकदूमपुर के संबंध में पारित प्रस्ताव को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है।
04. उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 106 वर्गमीटर भूमि पर आदेश दिनांक 20.08.2018 के द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है।
05. प्राधिकरण की 184वी० बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में प्रस्ताव संख्या 184/48 के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लेते हुए निर्देश प्रदान किए गए हैं कि मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन वाद में माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिए जाते हैं तो प्राधिकरण द्वारा उस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
06. उक्त गाटा संख्या 242 से संबंधित विवाद का निस्तारण न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा लगभग 35 आवंटियों को कब्जा नहीं प्रदान किया जा सका है।

(अधिलक्षणी)  
अर्जन  
20/01/2025

प्रभारी  
लखनऊ

07. वर्ष 2019 में तत्कालीन सचिव महोदय द्वारा अंकित किया गया है कि न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते निर्णय होने तक कार्यवाही करना विधिसंगत नहीं है।

समिति की संस्तुति :- उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम-मखदूमपुर की भूमि खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2000 में किया जा चुका है, भूमि का कब्जा 11.07.2002 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर अपर जिलाधिकारी-भू०अ० द्वारा दि०-21.10.2008 को अभिनिर्णय घोषित किया जा चुका है एवं अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वह भूमि ल०वि०प्रा०/राज्य सरकार में निहित हो गयी। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त भूमि का अर्जन करते हुए आवंटियों को आवासीय प्लॉट का आवंटन किया जा चुका है, किन्तु मौके पर कब्जा प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही अद्यतन लम्बित है। प्रश्नगत प्रकरण में अग्रत्तर कार्यवाही प्रचलित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

01. प्रश्नगत भूमि का प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये ले-आउट मानचित्र के आधार पर सर्वे करा लिया जाए।
02. सम्पत्ति अनुभाग को उक्त भूमि पर आवंटियों के आवंटन/जमा धनराशि आदि का पूर्ण विवरण प्राप्त कर लिया जाए।
03. उक्त भूमि पर जिन-जिन आवंटियों को कब्जा प्रदान किया गया है ले-आउट के अनुसार उनके मौके की स्थिति की रिपोर्ट अभियंत्रण खण्ड से प्राप्त कर ली जाए।

उपर्युक्त जाँच कमेटी की संस्तुति के अनुसार मा० न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अनुसार मौके स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा आवंटित भूखण्ड संख्या-4/129 से 4/135 के सापेक्ष कुल धनराशि रू०-10306044.00 आवंटियों द्वारा जमा की गयी है।

प्राधिकरण द्वारा अर्जित/नियोजित उक्त खसरा संख्या-242 पर भूखण्ड सृजित कर आवंटित करते हुए कतिपय आवंटियों को भूखण्डों का निबंधन भी किया जा चुका है। प्राधिकरण की उक्त अर्जित/नियोजित भूमि खसरा संख्या-242 के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद में स्थगनादेश पारित किया गया है, जिसमें स्थगनादेश से प्रभावित रकबे की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्ताव :-

ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 भूमि के सम्बन्ध में मा० न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.08.2018 के आलोक में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

(अपित शर्मा)  
अमीन  
ल०वि०प्रा०

ब्रह्मरी अधिकारी-अर्जन  
ल०वि०प्रा०


विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेलनेस सिटी व आई0टी0 सिटी योजनान्तर्गत सदस्य (कन्सोर्सियम सदस्य) के रूप में 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में सबसे ज्यादा भूमि के भू-स्वामी को लीडर मानते हुए अन्य कास्तकारों को 50 प्रतिशत एकजाई भूमि प्रदान किये जाने एवं शासनादेश संख्या-248/8-3-19-152 विविध/17 दिनांक 20 फरवरी, 2019 में वर्णित लैण्ड पूलिंग नीति के तहत निर्धारित प्रारूप में संशोधन विषयक।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेलनेस सिटी व आई0टी0 सिटी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के किसान यूनियन के पदाधिकारियों व आम कृषकों से वार्ता के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 20.02.2019 के आलोक में ऐसे कृषक जो सबसे ज्यादा मूल जोत के सदस्य को लीडर मानते हुए अथवा ग्राम के कम से कम 10 कृषकों का समूह मिलाकर (कन्सोर्सियम सदस्य बनाकर) कम से कम 10 एकड़ भूमि एकजाई करते हुए लैण्ड पूलिंग स्कीम के तहत वाह्य रूप से 50 प्रतिशत अविकसित भूमि उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 05.07.2024 व 04.12.2024 में ऐसे भू-स्वामी/विकासकर्ता की निर्विवादित स्वामित्व की कुल 10 एकड़ एवं अधिक भूमि के सापेक्ष 50 प्रतिशत बल्क सेल के रूप में अविकसित भूमि प्रदान किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेलनेस सिटी व आई0टी0 सिटी योजनान्तर्गत को सदस्य (कन्सोर्सियम सदस्य) के रूप में 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में सबसे ज्यादा भूमि के भू-स्वामी को लीडिंग मेम्बर मानते हुए लीडर सहित अन्य कास्तकारों को 50 प्रतिशत एकजाई भूमि प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें 2 या अधिक कम्पनियों/फर्मों/व्यक्तियों द्वारा एक कन्सोर्सियम एग्रीमेंट के द्वारा एक फर्म/व्यक्ति/कम्पनी को लीडिंग मेम्बर बनाते हुए लीडिंग मेम्बर द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण के पक्ष में 50 प्रतिशत अविकसित भूमि के पूलिंग एग्रीमेंट किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त क्रम में कन्सोर्सियम बनाते हुए लीडिंग मेम्बर द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में पूलिंग के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन स्वीकार किये जाने एवं शासनादेश संख्या-248/8-3-19-152 विविध/17 दिनांक 20 फरवरी, 2019 में वर्णित लैण्ड पूलिंग नीति के तहत निर्धारित प्रारूप में राजस्व अभिलेखों में अनुबंध की गयी भूमि में प्राधिकरण का नाम दर्ज न होने के दृष्टिगत उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत संशोधित लैण्ड पूलिंग अनुबंध प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेलनेस सिटी व आई0टी0 सिटी योजनान्तर्गत सदस्य (कन्सोर्सियम सदस्य) के रूप में 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में पंजीकृत कन्सोर्सियम एग्रीमेंट के आधार पर लीडिंग मेम्बर द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में पूलिंग हेतु आवेदन करने, उक्त लीडिंग मेम्बर से अनुबंध निष्पादित कराने एवं शासनादेश संख्या-248/8-3-19-152 विविध/17 दिनांक 20 फरवरी, 2019 में वर्णित लैण्ड पूलिंग नीति के तहत निर्धारित प्रारूप में संशोधन संबंधी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


  
 अधिकारी हिमशशिषे  
 प्रभारा अधिकारी-अजन  
 लखनऊ

Stamp Duty- Rs 100

Draft Agreement for Binding Irrevocable Consent for Implementation of  
Land Pooling Scheme

**SUMMARY OF AGREEMENT**

1. Type of Land :
2. Ward :
3. Pargana :
4. Mohalla/Village :
5. Unit of Measurement in : **Sq. meter**

This Agreement is made and executed on this.....day of .....2025,  
at.....by and between ; Shri/Smt.....S/O,D/O  
Shri.....aged about.....year, R/O.....(Hereinafter  
called as "Party No. 1")

**AND**

The Lucknow Development Authority, a Statutory body constituted U/s. 4  
of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973, having its head  
office at Pradhikaran Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow,  
represented through \_\_\_\_\_ (Name and Designation)  
(hereinafter referred to as the "Lucknow Development Authority/Seller",  
which expression unless repugnant to the context shall always mean and  
include the Seller/L.D.A. itself, its executors, administrators, legal  
representatives and assigns) The expression, "Party No. 1" and "Party No.  
2" shall mean and include their legal heirs, legal representatives,  
assignees, administrators, successors in interest etc. wherever the  
context permits.

Whereas, the Housing Urban Planning Development, Government of Uttar Pradesh vide Notification No 239/8-3-19-152/Vividh/17 dated 20.02.2019 has issued the Land Pooling Scheme Policy to be implemented by the U.P. Housing and Development Board and the Development Authorities in the State of Uttar Pradesh.

Whereas the Party No. 2 has powers under the above Notification empowering them to undertake and develop Land Pooling Scheme in their notified area/ development area.

Whereas.....(Name)is the original land owner and possessor of land admeasuring.....acres in Khasra Nos.....situated at.....village and .....district Uttar Pradesh

Whereas, Party No. 1 after pursuing the Land pooling Scheme Policy issued vide Notification No.....dated.....has understood the same and gives it binding and irrevocable consent for surrendering his right in the Property under the Land Pooling Scheme and by executing this agreement he would be liable to execute the final agreement for land pooling.

**NOW THIS DEVELOPMENT AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS :**

Now THEREFORE, the Party No. 1 do hereby agree with the Party No. as follows :

1. That the Party No. 1 is desirous of participating in the Land Pooling Scheme by way of surrender and extinguishment of all rights in favour of Party No. 2,
2. That the Party No. 1 has gone through the Land pooling policy and understood the same and is now desirous of participating under the said policy. The Party No. 1 agrees by virtue of execution of this agreement of binding intent that he/she has given irremovable permission to execute the final land pooling agreement and he/she cannot deny execution of final agreement.
3. That the Party No.1 hereby permits Party No. 2 to undertake the physical survey within its lands/ premises for preparing the land pooling scheme of the land comprised in the Schedule 'A' Property.

4. That the Party No.1 will not sell the land in his/her possessions after signing this Agreement till the completion of the Land Pooling Scheme.
5. That the Party No. 2 shall be entitled to include any other land for the purpose of developing the same along with the Schedule 'A' property without any further reference to the Party No. 1, on such terms as the Party No. 2 may deem it expedient and other into agreement with third parties.
6. That the Party No. 2 shall develop Schedule 'A' property as Land Pooling Scheme and all the original plots may be reconstituted and reshaped in a manner appropriate for the planned development.
7. That the extent of respective shares after final approval of Land Pooling Scheme by the Party No.2 will be determined based on net area available after deducting circulation spaces, open spaces, social amenities and share of Party No. 2 to meet the expenditure of roads and civic infrastructure, administrative and legal costs and other expenditure for developing public amenities.
8. That the land shall be appropriated from each original plot and will be used provide for various components of development as per norms of the applicable Building Bye-laws.

Providing that the minimum share of the Party No. 1 as internally and externally developed reconstituted residential plots shall be not be less than 25 percent of his/her

Original land /plot area in case the party No. 1 opts for allotment of externally development land, the proportion of the same shall be determined by the Party No. -2.

9. That the financial viability of the Land pooling Scheme shall be calculated by the Party No. 2 on the prescribed format (Annexure-No. 1) indicating names of all the land owners, revenue village and khasra number, total area of each land owner, present value of land , area reserved for roads, parks/open spaces, services and other community, facilities, share of party no. 1 as reconstituted plots and their value after after development, cost of infrastructure development, incremental value of developed land and cost-equivalent land towards provision of infrastructure facilities.

10. That the Land Pooling Scheme layout plan shall be super imposed on the Sajra Plan and details of land ownership in respect of every land owner participating in the land pooling scheme shall be prepared in the prescribed format (Annexure-2) indicating the name of revenue village, Tehsil and District, Khasra number and their area proposed allocation of reconstituted plots along with their area and permissible use land earmarked for roads, parks and open spaces, community facilities and the share of Page No. 2 Accordingly, entry will be made in the revenue records.
11. That the costing of the developed land shall be done by the Party No. 2 to determine the sector rate (residential rate) as per the costing guidelines issuing vide Government order No. 4049/9Aa-199/16 Samiti/1998, dated 20.11.199 as amended by the Government /Party No. 2 from time to time. Differential pricing of reconstituted plot shall be done on the the basis of proposed land unused such as residential (plotted) development, multiple units and group housing) commercial, mixed use institutional etc.
12. That the party No. 2 shall be publish the draft land pooling Scheme in local news papers for inviting objections/ suggestions and finalize in after hearing /disposal of the objections/ suggestions received.
13. That the final Land pooling scheme shall be approved by the Board of the Party No. 2 and development / building permissions shall be issued as per the applicable zoning Regulation and Building Bye-laws.
14. That the costing of the developed land shall be done by the Party No. 2 to determine the sector rate (residential rate) as per the costing guidelines issuing vide Government order No. 4049/9Aa-199/16 Samiti/1998, dated 20.11.199 as amended by the Government /Party No. 2 from time to time. Differential pricing of reconstituted plot shall be done on the the basis of proposed land unused such as residential (plotted) development, multiple units and group housing) commercial, mixed use institutional etc.
15. That in lieu of the rights surrendered/extinguished by the Party No. 1 in favour of Party No. 2 after execution of the final agreement under land pooling the Party No. 1 shall be entitled to a land ownership certificate representing his/her rights in the reconstituted property which will be redeemed at the time of possession of the reconstituted

property. For the purpose of the final agreement the land ownership certificate will work as an intermediary tool representing consideration for the purpose of the said agreement.

Enclosure : As Above

S.N.	Name of the Land Owner	Name of Revenue Village, Tehsil & District	Khasra No.	Area (Acres)

Location and extent of above land is earmarked on the enclosed Sajra Plan.

IN WITNESS WHEREOF, the Party No. 1 and Party No. 2 on all pages and have put their hands and subscribed their signatures, with free will and consent on the above mentioned day, month and year, in the presence of following witnesses;

PARTY NO.1

Shri /Smt. ....  
Age.....  
Occupation.....  
Address.....  
WITNESS-1

Shri /Smt. ....  
Age.....  
Occupation.....  
Address.....

PARTY NO.2

.....  
Signed By Authorized Signatory  
Lucknow'Development of Authority  
in Present.  
WITNESS-2

Shri /Smt. ....  
Age.....  
Occupation.....  
Address.....

## Draft Agreement for Implementation of Land Pooling Scheme

**SUMMARY OF AGREEMENT**

1. Type of Land :
2. Ward :
3. Pargana :
4. Mohalla/Village :
5. Unit of Measurement in : **Sq. meter**

This Agreement is made and executed on this.....day of .....2025, at.....by and between ; Shri/Smt.....S/O,D/O Shri.....aged about.....year, R/O.....(Hereinafter called as "Party No. 1")

**AND**

The Lucknow Development Authority, a Statutory body constituted U/s. 4 of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973, having its head office at Pradhikaran Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, represented through \_\_\_\_\_ (Name and Designation) (hereinafter referred to as the "Lucknow Development Authority/Seller", which expression unless repugnant to the context shall always mean and include the Seller/L.D.A. itself, its executors, administrators, legal representatives and assigns) The expression, "Party No. 1" and "Party No. 2" shall mean and include their legal heirs, legal representatives, assignees, administrators, successors in interest etc. wherever the context permits.

Whereas, the Housing Urban Planning Development, Government of Uttar Pradesh vide Notification No 239/8-3-19-152/Vividh/17 dated 20.02.2019 has issued the Land Pooling Scheme Policy to be implemented by the U.P. Housing and Development Board and the Development Authorities in the State of Uttar Pradesh.

Whereas the Party No. 2 has powers under the above Notification empowering them to undertake and develop Land Pooling Scheme in their notified area/ development area.

114

Whereas.....(Name))is the original land owner and possessor of land admeasuring.....acres in Khasra Nos.....situated at.....village and .....district Uttar Pradesh

Whereas, Party No. 1 after pursuing the Land pooling Scheme Policy issued vide Notification No.....dated.....has understood the same decided to pool the Property in the Land Pooling Scheme.

Whereas the Party No. 1 has agreed for the extinguishing and surrendering all rights in property mentioned in summary above and Party No. 1 has agreed for his/her share of re-allotment of reconstituted plot/s as determined in Land Pooling Scheme in lieu of contribution of the land by the Party No.1 to the Party No. 2. The said re-allotment of the property in favour of Party No. 1 would be in the form of Land Ownership Certificate issued by Party No. 2 representing his/her interest in the reconstituted property redeemable against handing over ownership and possession of the said property.

**NOW THIS DEVELOPMENT AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS :**

Now THEREFORE, the Party No. 1 do hereby agree with the Party No.2 as follows :

1. That the Party No. 1 shall surrender and extinguish all rights in favour of Party No. 2 under Land Pooling Scheme. This extinguishable and surrender of title includes surrender of ownership and all rights including rights of easement or any other right under any other all. This surrender or extinguishment of rights is irrevocable and absolute and cannot be reverted under any circumstance.
2. That if the Party No. 2 desires that it is necessary to take immediate possession of the land under Land pooling Scheme area though there is a standing crop on it, the Party No. 2 shall be entitled to do so provided that compensation for the standing crop is discharged as per applicable norms.
3. That the Party No.1 shall not claim any amount in addition to the share in reconstituted property represented through the land ownership certificate agreed upon as aforesaid compensation and accept it without protest.

4. The Land Ownership Certificate mentioned above would be in the nature of nature of ownership title in the reconstituted property till such time as it is redeemed against actual transaction of the reconstituted property. The Land Ownership Certificate would be in the nature of right granted to Party No. 1 by Party No. 2 and may be transferrable subject to approval and payment of transfer charges with the office of Party No. 2. The Land Ownership Certificate shall be mandatorily redeemed against sale deed of reconstituted property within 90 days of offer of possession by Party No. 2. The time period of 90 days can only be increased due to difficulty and hardship proved by Party No. 1 to Party No. 2.
5. That the Party No.2 shall be competent to alter the property in any manner as it may deem fit and since the Party No. 1 has surrendered and extinguished all rights in the property he/she cannot protest any alteration.
6. That the Party No. 1 further agrees that they will not claim for payment of compensation in any court of law and will not be entitled to file any petitions and such petition if filed shall be void and illegal and that they shall abide by the orders of the Party No. 2. This is so because the agreement for land pooling voluntarily and by according an irreversible consent to Party No.2.
7. That the Party No. 1 hereby declare and assure the Party No. 2 that there are no encumbrances, prior agreements joint family interests, leases/ licenses, loans, charges of attachments over the Schedule 'A' Property as on date and that they have not incurred or knowingly suffered any liability or obligation in respect thereof and that there are no other person(s) having any interest in the Schedule 'A' Property, except the Party No. 1 herein and further covenant to indemnify the Party No. 2 and to keep indemnified the Party No. 2 from all losses that may be caused due to any defect in the title of the party No. 1 or otherwise. If there are any third Party claims, the Party No. 1 shall alone be liable to settle the same on their own cost and if they fail to settle the within reasonable time, the Party No. No. 2 shall be entitled, without being bound, to settle such claims on such terms as the Party No. 2 may deem proper and expedient and at the cost of the party No. 1, which shall be binding on the Party No. 1. The Party No. alone shall be liable for furnishing all the information and documents and answer the queries requires required for security of title or for demarcation of boundaries, etc, in respect of Schedule 'A' property, Party No. 1 further undertakes that it shall alone be responsible for defects, if any in the title or any third party claim or institution claims, bank claims or any other claims or any prior agreements if any, by the third parties and their claims or any litigations shall also make good of the same to

his own cost and the Party No. 2 shall not be responsible for the same with regard to the title over the land. Any losses incurred by Party No. 2 can be recovered by cancellation of land ownership certificate issued under this agreement (to the extent of loss) and also recover the same as arrears of land revenue.

8. That the Party No.1 hereby grant the irrevocable rights to the Party No. 2 and authorize and empower it to enter into and develop the schedule 'A' Property under Land pooling scheme, subject to under terms and conditions of this Agreement.
9. That the Party No. 2 shall be entitled to include any other land for the purpose of developing the same along with the Schedule 'A' property without any further reference to the Party No. 1, on such terms as the Party No. 2 may deem it expedient and other into agreement with third parties.
10. That the Party No. 2 shall develop Schedule 'A' property as Land Pooling Scheme and all the original plots may be reconstituted and reshaped in a manner appropriate for the planned development.
11. That the Party No. 2 shall be entitled to do and is hereby authorized to approach the government, State, Central or Local or other Authorities/ Organizations for the purpose of any permission, grant, service connection etc, and for the purpose of carrying out the development works in respect of Schedule 'A' Property since all rights in the property have been surrendered and extinguished irrevocably by Party No. 1 in favour of Party No. 2.
13. That the cost of Land pooling Scheme shall comprise of land cost, infrastructure cost and other administrative changes. The components of infrastructure will include roads with street-lightening, drainage water supply, sewerage lines and sewerage treatment facility, solid waste disposal, development of open spaces, plantation and Rain Water Harvesting. These may change subject to requirements on ground.
14. That the extent of share in reconstituted property by the Party No.2 has been determined based on net area available after deducting circulation spaces, open spaces, social amenities and share of Party No. 2 to meet the expenditure of roads and civic infrastructure, administrative and legal costs and other expenditure for developing public amenities. The total share of Party No. 1 would be \_\_\_\_\_ % of the surrendered property measuring \_\_\_\_\_ sq metre. The same shall be represented under the duly issued Land Ownership Certificate.

15. That the land shall be appropriated from each original plot and will be used provide for various components of development as per norms of the applicable Building Bye-laws.

Provided further that if the Party No. 1 opts for multiple developing units or group housing then the party No. 1 shall have to the obtain all approvals prescribed under law from all authorities including Party No.2 and this instant agreement is only for the purpose of land pooling and does not exempt Party No. 1 from following norms related to development of the reconstituted property as per the provisions of law prevalent on date of such development.

16. That the financial viability of the Land pooling Scheme has been calculated by the Party No. 2 on the prescribed format (Annexure-No. 1) indicating names of all the land owners, revenue village and khasra number, total area of each land owner, present value of land , area reserved for roads, parks/open spaces, services and other community, facilities, share of party no. 1 as reconstituted plots and their value after after development, cost of infrastructure development, incremental value of developed land and cost-equivalent land towards provision of infrastructure facilities.
17. That the Land Pooling Scheme layout plan shall be super imposed on the Sajra Plan and details of land ownership in respect of every land owner participating in the land pooling scheme shall be prepared in the prescribed format (Annexure-2) indicating the name of revenue village, Tehsil and District, Khasra number and their area proposed allocation of reconstituted plots along with their area and permissible use land earmarked for roads, parks and open spaces, community facilities. Upon redemption of the Land Ownership Certificate the revenue records will be updated in favour of Party No. 1 by executing appropriate documents indicating ownership in favour of Party No. 1.
18. That Neither the Party No. 1 shall pay any development fee or other charges in lieu of reconstituted plots allotted to them nor would it be entitled to any additional compensation from Party No. 2 under any circumstance.
21. That the Party No. 2 complete the development works of the Land Pooling Scheme within a period of 3 years from the date of approval of the scheme by the Board. Extension in the project period for a scheme within an area up to 25 Acres shall be permissible by the Vice Chairman Lucknow Development Authority and for the scheme above 25 acres by the Board.

23. That the party No.2 may be use its share of land of commercial, mixed use, group housing and other purposes to enable cross- subsidization of infrastructure development cost of public amenities.
24. That the party No.2 shall allot the reconstituted plots to Party No. 1 through lottery within 6 months from the date of approval of the Land Pooling Scheme layout plan by the board, However, externally developed land as far as possible, shall be allotted within the original land or in close proximity to it. The Party No. 2 reserves the right to locate the Reconstituted Plots.
25. That the land reserved for road for roads, parks & spaces infrastructural facilities and community facilities and the share of party No. 2 in the Land Pooling Scheme shall be transferred free-of-cost in favour of Party No. 2 which shall be exempt from payment of stamp duty. Similarly, the reconstituted plots to be transferred in favour of Party No.1 shall be exempt from stamp duty. However, stamp duty shall be payable on further sale /transfer of developed land both by the Party No. 1 and Party 2 as per applicable laws.
26. That in case it is not possible to allot reconstituted plot of minimum 30 sqm. to a marginal farmer, the Party No. 2 may buy the share of such land owner on the sector rate of scheme or allot additional land at a rate determined for the first allotment so that the minimum area of the reconstituted plot becomes 30sqm. Besides, the Party No. 2 shall also pay to such marginal farmer on monthly basis an amount equal to minimum wage of a labourer for the entire project period.
27. That after completion of the Land Pooling Scheme in all respects, the Party No. 2 shall inform and deliver possession of the reconstituted plots which are allotted to the Party No. 1 by redemption of the Land Ownership Certificate.
28. That after handing over the reconstituted plot, Party No. 1 shall be at liberty to sell/allot their share of the plots and to enter into any contract or agreement for the allotment or sale of such plots at such price and on such terms and conditions as the Party No. 1 may think fit. All such allotments/ sale shall be made by the Party No. 1 at their own cost and risk and the Party No. 1 shall alone be responsible to such parties in connection with all such transactions.
29. That Party No. 2 shall be entitled to advertise for sale of share to third parties and enter into agreements, receive consideration, issue receipts, appropriate the proceeds, execute Sale Deeds or other conveyance to such third party purchases and the Party No. 1 having extinguished/surrendered ownership rights would not have any right to participate or object to such acts of Party No. 2.

116B

30. That till transfer of services of the development scheme to the urban local body for maintenance under section 34 of the U.P. Urban Planning and Development Act-1973, the Party No. 2 shall maintain the same in accordance with provisions of the Section-33 (4A) of the above Act for which maintenance charges shall be recovered from the beneficiaries.

Enclosure : As Above

S.N.	Name of the Land Owner	Name of Village, District	Revenue Tehsil &	Khasra No.	Area (Acres)

Location and extent of above land is earmarked on the enclosed Sajra Plan.

IN WITNESS WHEREOF, the Party No. 1 and Party No. 2 on all pages and have put their hands and subscribed their signatures, with free will and consent on the above mentioned day, month and year, in the presence of following witnesses;

PARTY NO.1

PARTY NO.2

Shri /Smt. ....  
Age.....  
Occupation.....  
Address.....  
WITNESS-1

.....  
Signed By Authorized Signatory  
Lucknow Development of Authority  
in Present.  
WITNESS-2

Shri /Smt. ....  
Age.....  
Occupation.....  
Address.....

Shri /Smt. ....  
Age.....  
Occupation.....  
Address.....

विषय संख्या :- 15

पृष्ठ संख्या :- 118

विषय:-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी विस्तारित क्षेत्र की अतिरिक्त भूमियों पर ग्राम-मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली व सिद्धपुरा तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षे0-390.1446 हे0 (964.0683 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजनान्तर्गत स्थित ग्राम-सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, बक्कास, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ की भूमि के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने हेतु विभागीय पत्र संख्या-567/ए0सी0/प्र0/2024 दिनांक 12.06.2024 शासन एवं पत्र संख्या-566/ए0सी0/प्र0/2024 दिनांक 12.06.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी, लखनऊ प्रेषित किया जा चुका है। उक्त योजनान्तर्गत स्थित भूमि के सामाजिक समाघात अध्ययन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु गौतम बुद्ध विश्व विद्यालय ग्रेटर नोएडा द्वारा उपलब्ध कराये गये TOR का अनुमोदन विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2228/2024/8-3099/480/2023 दिनांक 22.10.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।

आई0टी0सिटी0 योजना से लगे हुए क्षेत्र की अतिरिक्त भूमियों पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की 183/12वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.12.2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में ग्राम-मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली व सिद्धपुरा तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ की भूमि क्षे0-390.1446 हे0 (964.0683 एकड़) पर सुनियोजित विकास हेतु भूमि के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी विस्तारित क्षेत्र की अतिरिक्त भूमियों पर ग्राम-मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली व सिद्धपुरा तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षे0-390.1446 हे0 (964.0683 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

R-I

(तुलसीराम)  
सहायक चकबंदी अधिकारी  
ल0वि0प्रा0

EDM  
अधिकारी-अर्जन  
ल0वि0प्रा0

विषय:-वेलनेस सिटी योजनान्तर्गत विकासकर्ताओं के स्वीकृत डी0पी0आर0 से आच्छादित गाटों के निरस्तीकरण एवं प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही योजना के अन्तर्गत छूटे हुए गाटों को संशोधित प्रस्ताव के द्वारा अर्जनीय कार्यवाही किए जाने विषयक।

अवगत कराना है लखनऊ विकास प्राधिकरण की 181 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.07.2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में ग्राम बकवास, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, मस्तेमऊ, नूरपुर बेहटा, दुलारमऊ में 1197.98 एकड़/485.013 हेक्टेअर भूमि के अर्जन/सहमति/लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि जुटाव संबंधी अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त योजना के मध्य में पडने वाले विकासकर्ताओं के स्वीकृत डी0पी0आर0 से मिलान करने पर संज्ञानित हुआ है कि कुछ गाटे जो विकास कर्ताओं के डी0पी0आर0 में शामिल है उनको वेलनेस सिटी योजना के अन्तर्गत प्रकाशित कर दिया गया है एवं धारा 4 के प्रकाशन से छूटे हुए गाटों को योजना में शामिल करने के उद्देश्य से योजना के नियत क्षेत्रफल में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

उक्त के दृष्टिगत वेलनेस सिटी योजना से आच्छादित ग्रामों में विकास कर्ताओं के स्वीकृत डी0पी0आर0 के पश्चात छूटी हुई समस्त भूमि को वेलनेस सिटी योजना में शामिल करते हुए शासन को अतिरिक्त क्षेत्र के अर्जन किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करते हुए शासन को एक माह में संशोधित प्रस्ताव प्रेषित कर आगामी बोर्ड बैठक में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है

प्रस्ताव :-

वेलनेस सिटी योजना से आच्छादित ग्रामों में विकास कर्ताओं के स्वीकृत डी0पी0आर0 के पश्चात छूटी हुई समस्त भूमि को वेलनेस सिटी योजना में शामिल करते हुए शासन को अतिरिक्त क्षेत्र के अर्जन किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करते हुए शासन को एक माह में संशोधित प्रस्ताव प्रेषित कर आगामी बोर्ड बैठक में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

()  
(हिममत सिंह)  
अतिरिक्त

()  
N.T.  
प्रवेश कुमार

()  
(कुमकुम मिश्रा)  
तहसील अर्जन

विषय- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या-

शासन द्वारा आवास एवं शहरी नियोजना अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1323/2025/ 8-3099/208/2025 दिनांक 04 जुलाई, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के माध्यम से शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अवकमित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 एवं धारा-13 (2) के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025" के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री राज्यपाल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 की धारा-92 की उपधारा-(2) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत समस्त विकास प्राधिकरणों को "उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025" का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव:

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025" को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

जयप्रकाश शर्मा  
अपर अधिवक्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

प्रेषक,

पी० गुरूप्रसाद,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. आवास आयुक्त,  
उ.प. आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: ०५ जुलाई, 2025

विषय:- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 लागू किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-5416/आठ-3-181 विविध/2008 दिनांक 14.11.2008 द्वारा उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 निर्गत की गयी। उक्त उपविधि में विभिन्न शासनादेशों द्वारा समय-समय पर संशोधन किये गये हैं।

2- शासन द्वारा उक्त उपविधि का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ 2025 एवं धारा-13(2) के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025" के हिन्दी (संलग्नक-1) व अंग्रेजी संस्करण (संलग्नक-2) पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतएव श्री राज्यपाल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-92 की उपधारा-(2) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा-(1) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत समस्त विकास प्राधिकरणों को "उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025" का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देते हैं।

4- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित), आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स तथा शमन उपविधि, 2009 से संबंधित निम्नलिखित शासनादेश अवक्रमित किये जाते हैं :-


क्र.सं.	शासनादेश संख्या व दिनांक	विषय वस्तु
1	379/9-आ-3-72 वि/94 दिनांक 25 जनवरी, 2002	संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने विषयक
2	5416/8-3-8-181/विविध/2008 दिनांक 14 नवम्बर 2008 2038/8-3-09-181/विविध/2008 दिनांक 12 मई 2009	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008
3	4824/8-3-09-09/विविध/09 दिनांक 14 जनवरी 2010	शमन (कंपाउंडिंग) उपविधि 2009
4	5899/8-3-09-214/विविध/09 दिनांक 14 जनवरी 2010	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस./एल. आई. जी.) पर शासनादेश 2010
5	4384/8-3-11-181/विविध/2008, दिनांक 27 सितम्बर, 2011	भवन उपविधि 2008 में संशोधन
6	1835/8-3-15-13 विविध/15, दिनांक 12 अक्टूबर 2015	ग्रीन बिल्डिंग के प्रोत्साहन हेतु 5% अतिरिक्त एफ.ए.आर.
7	462/8-3-16-34/विविध/2008,	भवन उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन

8	दिनांक 17 जून, 2016 1111/8-3-16-2017/विधि/2016 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016	भवन उपविधि 2008 में संशोधन
9	1241/8-3-17-34/विधि/2008 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017	भवन उपविधि 2008 (पर्यासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन
10	813/8-3-18-34/विधि/2008 दिनांक 8 जून, 2018	भवन उपविधि 2008 (पर्यासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन
11	1646/8-3-19-34/विधि/2018, दिनांक 5 अक्टूबर, 2018	भवन उपविधि 2008 में संशोधन
12	55/8-3-19-160/विधि/2018 दिनांक 28 जनवरी, 2019	भवन उपविधि 2008 (पर्यासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन
13	63/2021/1091/8-1-1-34/वेदक/2021, दिनांक 21 सितंबर, 2021	अफोर्टेबल हाउसिंग विषयक
14	209/2023/8-3099/1710/2020, दिनांक 30 नवंबर, 2023	भवन उपविधि 2008 में संशोधन
15	आई/7681559/2024/8-3099/279/2024, दिनांक 24 जुलाई, 2024	भवन उपविधि 2008 में (पर्यासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन
16	8-3099/5/2024 दिनांक 05/07/2024	भवन उपविधि के अध्याय 5 (हॉटलों के निर्माण की अपेक्षा) में संशोधन
17	आई/768724/2024/8-3099/279/2024, दिनांक 14 अक्टूबर, 2024	भवन उपविधि 2008 में पेट्रोल पम्प के मानक (बफर स्ट्रिप) संबंधी
18	आई/878228/2025/8-1099/77/2024, दिनांक 13 फरवरी, 2025	भवन उपविधि 2008 के प्रस्तर 3.5.1, 3.4.4 एवं प्रस्तर 1.2 में संशोधन विषयक
19	आई/905294/2025/8-3099/303/2023, दिनांक 12 मार्च, 2025	बेसमेंट के अंतर्गत शोचालय की अनुमन्यता विषयक
20	आई/936131/2025/8-3099/303/2023, दिनांक 16 अप्रैल, 2025	बेसमेंट के अंतर्गत शोचालय की अनुमन्यता विषयक शुद्धिपत्र

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,


  
(पी० गुरुप्रसाद)  
प्रमुख सचिव

संख्या-1323(1)/2025/8-3099/208/2025-तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(राजेश कुमार राय)  
विशेष सचिव

विषय – विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आवासीय भू-उपयोग में शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 09.00 मी० से कम चौड़ी सड़कों पर प्राप्त होने वाले एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।


### आख्या


विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अनियोजित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक दिनांक 05.08.2023 के मद संख्या-05 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्न निर्णय किया गया था –


अनियोजित/बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले प्रस्तावित/शमन मानचित्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि अविकसित क्षेत्र में बिना तलपट मानचित्र के विद्यमान एवं विकसित कालोनियों के आन्तरिक मार्गों पर मानचित्र स्वीकृत न किये जायें। शेष प्रस्ताव में आवासीय प्रयोजन हेतु उल्लिखित 9 मीटर व 12 मीटर चौड़ी या उससे अधिक विद्यमान न्यूनतम मार्ग हेतु निम्न प्रतिबन्ध/शर्तों में से कोई एक प्रतिबन्ध/शर्त पूर्ण होने पर भवन उपविधि के मानकों को पूर्ण कराते हुए नियमानुसार शमन उपविधि के अनुसार शुल्क तथा समस्त अन्य शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की जाय—

1. प्रस्तावित स्थल, प्रस्तावित/विद्यमान महायोजना मार्ग/जोनल प्लान मार्ग पर होना चाहिए।
2. प्रस्तावित स्थल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अथवा विकसित कालोनी के पहुंच मार्ग पर स्थित होना चाहिए। प्रस्तावित स्थल एन०एच०ए०आई०, एन०एच०, एस०एच०, एम०डी०आर०, ओ०डी०आर० अथवा अन्य ग्रामीण मार्ग पर स्थित होना चाहिए।
3. विद्यमान मार्ग किसी शासकीय/अर्धशासकीय/स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित, विकसित/अनुरक्षित होना चाहिए। मार्ग अनुरक्षित करने वाले शासकीय विभाग द्वारा इसके निर्माण एवं मार्ग की चौड़ाई की अभिलेखानुसार पुष्टि/अनापत्ति प्रदान करने पर उसी के अनुरूप ही मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।
4. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त यदि भविष्य में किसी शासकीय विभाग को मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर आवेदक द्वारा नियमानुसार मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं। शासन द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 में भी सरकारी विभागों द्वारा निर्मित 9.00 मी० चौड़ी सड़कों पर मानचित्र स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है परन्तु 9.00 मी० चौड़े मार्ग से कम चौड़े मार्गों पर निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं भी विकास क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। प्राधिकरण में आवासीय क्षेत्रों में 9.00 मी० से कम चौड़ी सड़कों पर प्राप्त होने वाले मानचित्रों को मात्र इस आधार पर निरस्त कर

  
भगवान दास मौर्य  
अवर अभियन्ता

  
(उसमान अली)  
अवर अभियन्ता  
मानचित्र सेल  
ल०वि०प्रा०

  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ


दिया जाता है कि सड़क की चौड़ाई मानक से कम (9.00 मी० से कम) होने के कारण मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ऐसे मानचित्रों को निरस्त करने से जहां एक ओर अवैध रूप से भवनों का निर्माण होता है वहीं प्राधिकरण के राजस्व की भी हानि होती है। जबकि आवेदकों द्वारा लगातार ऐसे क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जाता है।


अतः ऐसे मानचित्रों के निस्तारण के दृष्टिगत विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे भूखण्ड/भूमि जो आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 09.00 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित हैं, इन मानचित्रों के 09.00 मी० से कम चौड़े मार्गों की आवश्यकता की पूर्ति रोड वाइडनिंग छोड़कर आवासीय मानचित्र स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। उक्त प्राविधान प्राधिकरण के एकल आवासीय भवनों हेतु प्रभावी होगा। प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों में भी इस प्रकार एकल आवासीय मानचित्र स्वीकृति किये जा रहे हैं।


अतः आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ऐसे एकल आवासीय मानचित्र (अवैध कालोनियों में स्थित भूखण्डों को छोड़कर) जिनके सम्मुख शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 09.00 मी० से कम चौड़ा मार्ग विद्यमान है, इन भूखण्डों के सम्मुख 09.00 मी० से कम मार्ग की चौड़ाई की प्रतिपूर्ति रोड वाइडनिंग छोड़कर कराते हुए तथा आवेदक से निःशुल्क रोड वाइडनिंग हेतु शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

#### प्रस्ताव

अतः आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ऐसे एकल आवासीय मानचित्र (अवैध कालोनियों में स्थित भूखण्डों को छोड़कर) जिनके सम्मुख शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 09.00 मी० से कम चौड़ा मार्ग विद्यमान है, इन भूखण्डों के सम्मुख 09.00 मी० से कम मार्ग की चौड़ाई की प्रतिपूर्ति रोड वाइडनिंग छोड़कर कराते हुए तथा आवेदक से निःशुल्क रोड वाइडनिंग हेतु शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
भगवान दास मौर्य  
अवर अभियन्ता

  
(उसमान अली)  
अवर अभियन्ता  
मानचित्र सेल  
ल०वि०प्रा०

  
अरविन्द श्रीवास्तव  
सहायक अभियन्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय-मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.0 मी० चौड़ी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई को कम करते हुए उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के संबंध में।

आख्या-

अवगत कराना है कि अनन्त नगर योजना में प्रस्तावित 150.0 मी० एवं 60.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग व मार्ग के समानान्तर ग्रीन बेल्ट की आवश्यकता प्रतीत न होने के दृष्टिगत लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में प्रस्तावित 150.0 मी० चौड़े रिंग रोड (कानपुर रेलवे लाईन के दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रस्तावित रिंग रोड एन.एच.आई. द्वारा निर्मित किसान पथ से V-Shape में मिल रही है, जिससे दोनो महायोजना मार्गों के मिलने से निर्मित होने वाले मिलन बिन्दु से हरदोई रोड एवं प्रस्तावित रिंग रोड के जंक्शन तक) को कम करते हुए मार्ग की चौड़ाई 45.0 मी० एवं प्रस्तावित 60.0 मी० चौड़े मार्ग को 45.0 मी० चौड़े आंतरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने एवं रिंग रोड के समानान्तर प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट को समाप्त किये जाने के साथ उपलब्ध भूमि में प्रस्तावित भू-उपयोगों की निरन्तरता में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 में मद संख्या-184/31 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया।

“सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अभिमत के अनुसार महायोजना में संशोधन के फलस्वरूप उच्चिकृत होने वाले भू-उपयोग के लिए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त किया जाए तथा प्राधिकरण की योजना के सम्मुख ग्रीन बेल्ट की कमी को अपनी योजना में प्रतिपूर्ति की जाए। तदनुसार 13(2) के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए एवं इसी स्वीकृति की प्रत्याशा में मोहान रोड योजना का ले-आउट संशोधित किया जाय।”

बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन को सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 23.06.2025 (छायाप्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न) द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० के पत्रांक-507/व.नि.(4)/लखनऊ महायोजना/2025-26 दिनांक 17.06.2025 में निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में रिथिति स्पष्ट करते हुए वांछित आख्या/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं-

- 4.1 प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 150 मी० प्रस्तावित रिंग रोड के समीप ही एन.एच. ए.आई. द्वारा भिन्न संरेखण पर रिंग रोड का निर्माण किया जा चुका है। अतः प्रस्तावित रिंग रोड की चौड़ाई कम किये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु लखनऊ प्राधिकरण के प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं है कि किस बिन्दु से किस बिन्दु तक चौड़ाई कम किये जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में प्राधिकरण से स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है तथा प्रारम्भ एवं अंत के बिन्दु पर प्रापर जंक्शन (Intersection) भी निर्मित किया जाना चाहिए।
- 4.2 इस मार्ग के सम्बन्ध में भी उपरोक्त बिन्दु के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी अर्थात् प्रारम्भ एवं अन्त बिन्दु पर जंक्शन बनाये जाने होंगे।
- 4.3 ग्रीन बेल्ट के क्षेत्रफल में हो रही कमी की प्रतिपूर्ति विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना में की जानी होगी अर्थात् मानकों के अनुसार मोहान रोड योजना के ले-आउट में प्रस्तावित किये जाने वाले 15 प्रतिशत पार्क एवं खुले स्थल के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र को नियोजित किया जाना होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के कम में संशोधित प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना श्रेयस्कर होगा।

शासन के पत्र दिनांक 23.06.2025 द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० के पत्र दिनांक 17.06.2025 में उल्लिखित बिन्दु सं०-4.1 एवं 4.2 के कम में स्पष्ट करना है कि कानपुर रेलवे लाईन के दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रस्तावित आउटर रिंग रोड एन.एच.आई. द्वारा निर्मित किसान पथ से

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

V-Shape में मिल रही है, जिससे दोनो महायोजना मार्गों के मिलने से निर्मित होने वाले मिलन बिन्दु पर प्रापर जंक्शन (Intersection) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा मोहान रोड एवं प्रस्तावित रिंग रोड के जंक्शन से एन.एच.आई. द्वारा निर्मित किसान पथ से दूरी कम है। रोड के मिलन बिन्दु पर प्रापर जंक्शन (Intersection) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु सं०-4.3 के कम में स्पष्ट करना है कि अनन्त नगर योजना में प्रस्तावित 150.0 मी० एवं 60.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग व मार्ग के समानान्तर ग्रीन बेल्ट की आवश्यकता प्रतीत न होने के दृष्टिगत लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में प्रस्तावित 150.0 मी० चौड़े मार्ग को कम करते हुए मार्ग की चौड़ाई 45.0 मी० एवं प्रस्तावित 60.0 मी० चौड़े मार्ग को 45.0 मी० चौड़े आंतरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने एवं रिंग रोड के समानान्तर प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट को समाप्त किये जाने पर ग्रीन बेल्ट के क्षेत्रफल में हो रही कमी की प्रतिपूर्ति/समायोजन अनन्त नगर योजना में किया गया है। प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (यथासंशोधित) के मानकों के अनुसार अनन्त नगर योजना के ले-आउट में प्रस्तावित किये जाने वाले 15.0 प्रतिशत पार्क एवं खुले स्थल के अतिरिक्त ग्रीन बेल्ट क्षेत्र प्रस्तावित किया जा रहा है।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अभिमत के कम में शासन के पत्र दिनांक 23.06.2025 के निर्देशानुसार मा० बोर्ड के समक्ष संशोधित प्रस्ताव निम्नानुसार प्रेषित है-

1. लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में कानपुर रेलवे लाईन के दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रस्तावित रिंग रोड एन.एच.आई. द्वारा निर्मित किसान पथ से V-Shape में मिल रही है, जिससे दोनो महायोजना मार्गों के मिलने से निर्मित होने वाले जंक्शन से मोहान रोड एवं प्रस्तावित रिंग रोड के जंक्शन तक प्रस्तावित 150.0 मी० चौड़े रिंग रोड को कम करते हुए मार्ग की चौड़ाई 45.0 मी० प्रस्तावित किये जाने के साथ दोनो मिलान बिन्दुओं पर प्रापर जंक्शन (Intersection) को निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। सन्दर्भित मार्ग के साथ दोनों जंक्शन को महायोजना मानचित्र पर दर्शित किया गया है (छायाप्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न)।
2. मोहान रोड योजना (अनन्त नगर) के मध्य से प्रस्तावित 60.0 मी० चौड़े महायोजना मार्ग को 45.0मी० की चौड़ाई में प्रस्तावित किया गया है, जिसे मानचित्र पर दर्शित किया गया है। प्रस्तावित 60.0मी० चौड़े मार्ग को 45.0 मी० चौड़े आंतरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया जाना।
3. रिंग रोड के समानान्तर प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट को समाप्त किये जाने के साथ साथ प्रस्तावित 150.0 मी० चौड़े रिंग रोड को कम करते हुए मार्ग की चौड़ाई 45.0 मी० एवं प्रस्तावित 60.0 मी० चौड़े मार्ग को 45.0 मी० चौड़े आंतरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने पर उपलब्ध भूमि में विद्यमान प्रस्तावित भू-उपयोगों की निरन्तरता में निकटवर्ती भू-उपयोग किया जाना।
4. रिंग रोड के समानान्तर प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट को समाप्त किये जाने पर ग्रीन बेल्ट के क्षेत्रफल में हो रही कमी की प्रतिपूर्ति के रूप में अनन्त नगर योजना में समतुल्य भूमि को ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित किया गया है, जिसके तलपट मानचित्र की छायाप्रति अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।
5. उक्त प्रस्तावित परिवर्तन के फलस्वरूप रिक्त होने वाले क्षेत्रफल में समीपवर्ती भू-उपयोगों की प्रस्तावना से इन भूमियों का भू-उपयोग उच्चिकृत होगा, जिसके लिए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार बिन्दु सं०-1 से 5 तक में वर्णित प्रस्ताव को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत संशोधन हेतु शासन को प्रेषित किये जाने एवं अनन्त नगर योजना के ले-आउट संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

आर्च कम्प्लानि असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

76/CTP/25  
26/6/25

अनुलग्नक - 1 127

ई-मेल

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र मिश्र,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

20684  
25/06/25

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2025

विषय:- मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.00 मीटर चौड़ी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई कम करते हुए उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने संबंधी।

महोदय,

C.T.P.



कृपया विषयांकित प्रकरण में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-684/सचिव/मु.न.नि./2025 दिनांक 23.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करते हुए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्रांक-507/व.नि. (4)/लखनऊ महायोजना/2025-26 दिनांक 17.06.2025 (अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.00 मीटर चौड़ी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई कम करते हुए उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के संबंध में स्वतः पूर्ण स्पष्ट और बोधगम्य प्रस्ताव के लिए कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत विवरण युक्त मानचित्रों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा की गयी पृच्छा के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए वांछित आख्या/अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by  
GIRISH CHANDRA MISHRA

Date: 23-06-2025  
19:31:19  
(गिरीश चन्द्र मिश्र)  
संयुक्त सचिव

AP/A/A/शिवराज  
26/06/2025  
CTP

San  
27.6.25  
A.P.A.

संख्या- 12-17/आठ-3-2025

## नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-बी 6, विभूति स्मृष्ट, गोमती नगर, लखनऊ-228010

0522-7106528 | ctcgup@gmail.com, ctcg.lu-up@gov.in



128

पत्रांक: 507 / व.नि.(4) / लखनऊ महायोजना / 2025-26,  
सेवा में,

दिनांक 17/06/2025

संयुक्त सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3,  
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय: मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.00 मीटर चौड़ी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई कम करते हुए उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र आई/950528/2025, फाइल नं. 8-3099/150/2025-3, दिनांक 01 मई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-684/सचिव/मु.न.नि./2025 दिनांक 23.04.2025 की छायाप्रति संलग्न करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 में मद संख्या-184/31 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में विषयांकित प्रकरण में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु विभागीय आख्या की वांछना शासन द्वारा की गयी है।

2. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की 184वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में मद संख्या-184/31 पर प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:-

एन.एच.आई. द्वारा लखनऊ महायोजना-2031 में प्रस्तावित 150.00 मीटर चौड़े आउटर रिंग रोड का निर्माण आंशिक भाग पर प्रस्तावित संरेखण से इतर किया गया है। महायोजना-2031 में प्रस्तावित रिंग रोड को वर्तमान में निर्मित रिंग रोड के संरेखण के अनुरूप ही लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में समाहित किया जा चुका है, उक्त महायोजना 14.03.2024 से प्रभावी है। निर्मित आउटर रिंग रोड के संरेखण के अनुरूप वर्तमान में प्रभावी महायोजना में उक्त मार्ग की चौड़ाई 150.00 मीटर रखते हुए समानान्तर 50.00 मीटर चौड़ाई में ग्रीनबेल्ट प्रस्तावित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ महायोजना-2031 में प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के दोनों ओर विभिन्न भू-उपयोग के साथ आवश्यक अवस्थापनाओं यथा बस-टर्मिनल, ट्रक-टर्मिनल, मोटर वर्क्स, ठोस अपशिष्टों का निस्तारण केन्द्र, एस.टी.पी. इत्यादि प्रस्ताव दिये गये हैं, जिसके अनुसार उक्त प्रस्तावित मार्ग को प्रस्तावित संरेखण के अनुरूप बनाये रखा जाना भी नियोजन की दृष्टि से आवश्यक है।

प्राधिकरण की मोहान रोड योजना में से लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में प्रस्तावित 150.00 मीटर चौड़ी रिंग रोड एवं समानान्तर 50.00 मीटर ग्रीनबेल्ट व 60.00 मीटर चौड़ा महायोजना मार्ग होकर गुजर रही है। वर्तमान में विकसित आउटर रिंग रोड से सम्पर्क हेतु लखनऊ-कानपुर रेलवे लाइन के समीप प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़ा महायोजना मार्ग आलमबाग चौराहे से दुबग्गा तिराहे तक जोड़ने वाले मार्ग तक प्रस्तावित है, से प्रश्नगत प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े मार्ग से आउटर रिंग रोड तक 60.00 मीटर चौड़ा महायोजना मार्ग प्रस्तावित है।

5/1/2025  
18/6/25

प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े मार्ग की लम्बाई लगभग 5.33 किमी. है तथा वर्तमान में विकसित आउटर रिंग रोड के निकट प्रस्तावित रिंग रोड लखनऊ कानपुर रेलवे लाईन एवं हरदोई रोड जक्शन तक लगभग समानान्तर है। उक्त भाग में लगभग दोनों महायोजना मार्गों के मध्य दूरी काफी कम हो रही है। लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में निर्मित रिंग रोड के समीप प्रस्तावित रिंग रोड की चौड़ाई समान रखते हुए 150.00 मीटर तथा रिंग रोड के समानान्तर प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट को भी रखा जाना नियोजन के दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण एवं व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग, प्रस्तावित 150.00 मीटर चौड़े रोड एवं रोड के समानान्तर प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट को कम किये जाने पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार मोहान रोड योजना में प्रस्तावित 150.00 मीटर एवं 60.00 मीटर चौड़े मार्ग व मार्ग के समानान्तर ग्रीनबेल्ट की आवश्यकता प्रतीत न होने के दृष्टिगत लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में प्रस्तावित 150.00 मीटर चौड़े मार्ग को कम करते हुए मार्ग की चौड़ाई 45.00 मीटर एवं प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े मार्ग को 45.00 मीटर चौड़े आंतरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने एवं रिंग रोड के समानान्तर प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट को समाप्त किये जाने के साथ उपलब्ध भूमि में प्रस्तावित भू-उपयोगों की निरन्तरता में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव-मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.00 मीटर चौड़ी आउटर रिंग रोड की चौड़ाई को कम करते हुए 45.00 मीटर चौड़े एवं प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े मार्ग को कम करते हुए 45.00 मीटर चौड़ा आंतरिक मार्ग के रूप में तथा उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अभिमत के अनुसार महायोजना में संशोधन के फलस्वरूप उच्चिकृत होने वाले भू-उपयोग के लिए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त किया जाय तथा प्राधिकरण की योजना के सम्मुख ग्रीन बेल्ट की कमी को अपनी योजना में प्रतिपूर्ति की जाए। तदनुसार 13(2) के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए एवं इसी स्वीकृति की प्रत्याशा में मोहान रोड योजना का ले-आउट संशोधित किया जाए।

3. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव को निम्नवत् विभक्त किया जा सकता है:-

3.1 मोहान रोड योजना के पश्चिमी परिधि पर प्रस्तावित 150 मी0 चौड़ी आउटर रिंग रोड कम करते हुए 45 मी0 चौड़ा मार्ग प्रस्तावित करना तथा 50-50 मी0 चौड़ी हरित पट्टी को समाप्त करना।


3.2 मोहान रोड योजना की पश्चिमी परिधि से पूर्वी परिधि तक गुजरने वाली 60 मी0 चौड़ी महायोजना मार्ग की चौड़ाई कम करते हुए 45 मी0 चौड़ा आंतरिक मार्ग प्रस्तावित करना।

3.3 ग्रीन बेल्ट (हरित पट्टी) की कमी को प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना में प्रतिपूर्ति किया जाना।


4. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

- 4.1 प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 150 मी0 प्रस्तावित रिंग रोड के समीप ही एन.एच.ए.आई. द्वारा भिन्न संरेखण पर रिंग रोड का निर्माण किया जा चुका है। अतः प्रस्तावित रिंग रोड की चौड़ाई कम किये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु लखनऊ प्राधिकरण के प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं है कि किस बिन्दु से किस बिन्दु तक चौड़ाई कम किये जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण से स्पष्ट कराना जाना आवश्यक है तथा प्रारम्भ एवं अंत के बिन्दु पर प्रापर जंक्शन (Intersection) भी निर्मित किया जाना चाहिए।
- 4.2 इस मार्ग के सम्बन्ध में भी उपरोक्त बिन्दु के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी अर्थात् प्रारम्भ एवं अन्त बिन्दु पर जंक्शन बनाये जाने होंगे।
- 4.3 ग्रीन बेल्ट के क्षेत्रफल में हो रही कमी की प्रतिपूर्ति विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना में की जानी होगी अर्थात् मानकों के अनुसार मोहान रोड योजना के ले-आउट में प्रस्तावित किये जाने वाले 15 प्रतिशत पार्क एवं खुले स्थल के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र को नियोजित किया जाना होगा।
5. उक्त प्रस्तावित परिवर्तनों के फलस्वरूप रिक्त होने वाले क्षेत्रफल में समीपवर्ती भू-उपयोगों की प्रस्तावना से इन भूमियों का भू-उपयोग उच्चिकृत होगा, जिसके लिए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।
6. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्थिति स्पष्ट कराते तथा तदानुसार विस्तृत विवरणयुक्त मानचित्रों (कोआर्डिनेट सहित) को प्राप्त किया जाना होगा, जिससे कि स्वतः पूर्ण, स्पष्ट और बोधगम्य प्रस्ताव उपलब्ध हो सके।

कृपया विचारार्थ आख्या प्रेषित है।

भवदीय  


(अनिल कुमार मिश्र)  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक





विषय-ग्राम-रामपुर बेहड़ा एवं ग्राम-दिगोई एन०एच०-24, सीतापुर-लखनऊ, नैशनल हाईवे, बक्शी का तालाब में प्रस्तावित महायोजना मार्ग की चौड़ाई कम करने के संबंध में।

आख्या-

अवगत कराना है कि द्वितीय बृहस्पतिवार जन सुनवाई क्रमांक-153 पर शिकायत संख्या-12 के साथ संलग्न आवेदक श्री गुरु बचन लाल, (आई०पी०एस० से.नि.) पार्टनर संधु रिजार्ट्स एवं प्लाजा प्रा०लि०, पता-1/10, विराम खण्ड गोमती नगर लखनऊ के पत्र दिनांक 07.05.2025, जो लखनऊ-सीतापुर एन०एच०-24 पर स्थित किसान पथ/आउटर रिंगरोड से 1.6 किमी० दूर इटौंजा की ओर स्थित भूमि पर प्रस्तावित उ०प्र० पर्यटन विभाग तथा निवेश मित्र द्वारा पंजीकृत प्रोजेक्ट के संबंध में है, जिसके अनुसार प्रश्नगत 100 मी० चौड़ी सड़क लखनऊ महायोजना-2031 के नक्शे से विलुप्त करने के साथ-साथ इसके दोनो तरफ प्रस्तावित, सामाजिक, सांस्कृतिक, शोध संस्थायें, भण्डार, गोदाम, बेयर हाउसेस को वाटर पार्क/एम्यूजमेन्ट पार्क में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पक्ष द्वारा आवेदित ऑनलाईन मानचित्र संख्या-LDA/BP/24-25/0340 के माध्यम से प्रश्नगत स्थल गाटा संख्या-910, 916 एवं 924, 911, 925 ग्राम रामपुर बेहड़ा, एवं खसरा सं०-668, 666 एवं 669, 651 एवं 657, 663, 664 एवं 665, 661, 649 एवं 662, 650, 647, 646, 660, 670 ग्राम दिगोई, एन०एच०-24, सीतापुर-लखनऊ, नैशनल हाईवे, बक्शी का तालाब पर वाटर पार्क/एम्यूजमेन्ट पार्क हेतु मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करते हुए उक्त खसरा संख्याओं का लखनऊ महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग आख्या की अपेक्षा की गयी। तदकम में विभागीय पत्र सं०-983/अ०अ०-नियोजन/24 दिनांक 27.06.2024 के माध्यम से भू-उपयोग आख्या हेतु पत्र सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० को प्रेषित किया गया। सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड के पत्रांक-202/लखनऊ महा.-2031/भू-उपयोग/ल०ख०/2024-25 दिनांक 18.07.2024 (अनुलग्नक-1) द्वारा प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 के अन्तर्गत 100.0 मी० चौड़ा प्रस्तावित मार्ग, सुविधाएं (प्रस्तावित सामाजिक, सांस्कृतिक, शोध संस्थायें, सेवाएं एवं उपयोगितायें), व्यवसायिक (भण्डार/गोदाम/वेयरहाउसिंग), मनोरंजनात्मक (हरित पट्टी) अंकित है उपलब्ध करायी गयी है।

जी०आई०एस० आधारित लखनऊ महायोजना-2031 (प्रारूप) के संबंध में शासकीय समिति की बैठक दिनांक 27.11.2021 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं०-2.4 के अनुसार-"एन.एच.ए.आई. द्वारा विकसित की जा रही-रिंग रोड के संरेखण को महायोजना में समाहित किये जाने एवं पूर्व में प्रस्तावित संरेखण को आन्तरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। शासकीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं०-2.3 के कम में दिनांक 21.07.2023 को तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है जो निम्नवत है-

"लखनऊ महायोजना-2031 (कन्वर्जन प्रारूप) में N.H.A.I. द्वारा विकसित की जा रही आउटर रिंग रोड के निर्माण संरेखण को महायोजना में अंकित किया जाय तथा जिन स्थलों पर N.H.A.I. द्वारा बनायी जा रही रिंग रोड तथा लखनऊ महायोजना में प्रस्तावित रिंग रोड एक ही संरेखण में है उनमें महायोजना की रिंग रोड को समाप्त करते हुए N.H.A.I. द्वारा निर्मित रिंग रोड को दर्शित किया जाय तथा शेष स्थानों पर लखनऊ महायोजना-2031 में पूर्व में प्रस्तावित रिंग रोड के संरेखण को शासकीय समिति की बैठक दिनांक 27.11.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-2.4 के अनुसार आंतरिक मार्ग के रूप में यथावत रखा जाय।"

मानचित्रकार

नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

अर्जुन कुमार अस्मिन्  
नियोजन अनुभाग

कौशवेन्द्र कुमार गोल्म  
मुख्य नगर नियोजक  
ल० वि० प्रा० ल० लखनऊ

अतः आवेदक के प्रार्थना पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आउटर रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित महायोजना से हट कर अन्यत्र स्थित है। उपरोक्त के दृष्टिगत सीतापुर रोड एवं आउटर रिंग रोड के जंक्शन से पश्चिम दिशा की ओर चन्द्रिका देवी रोड एवं आउटर रिंग रोड के जंक्शन तक प्रस्तावित 100.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग को विलुप्त न करते हुए आन्तरिक मार्ग के रूप में महायोजना मार्ग की चौड़ाई को 45.0मी० करने पर विचार किया जा सकता है। मार्ग की चौड़ाई कम होने पर इस मार्ग के समीपवर्ती भू-उपयोगों को 45.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग तक विस्तारित किये जाने तथा इस विस्तारित भूमि पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेते हुए मानचित्र स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है। यदि भविष्य में इस मार्ग से लगे हुए अन्य भूमिधरो द्वारा संशोधित भू-उपयोग के अनुरूप मानचित्र स्वीकृति किये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनसे भी भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेते हुए मानचित्र स्वीकृत के संबंध में विचार किया जाना होगा। अतः उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 में निहित प्राविधानों के अनुसार महायोजना में संशोधन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


प्रस्ताव-उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में (सीतापुर रोड एवं आउटर रिंग रोड के जंक्शन से पश्चिम दिशा की ओर चंद्रिका देवी रोड एवं आउटर रिंग रोड के जंक्शन तक) प्रस्तावित 100.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग को विलुप्त न करते हुए आन्तरिक मार्ग के रूप में महायोजना मार्ग की चौड़ाई को 45.0 मी० चौड़ा किये जाने तथा मार्ग से लगे हुए समीपवर्ती विद्यमान विभिन्न भू-उपयोगों परिवर्तित करते हुए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिये जाने के संबंध में महायोजना में संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

आर्च क्लर्क प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

सिद्धपुर रोड का  
प्रस्तावित रोड (6.1)



गान्धिका देवी  
रोड

विषय-शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड में भूखण्ड संख्या-जीएच-01 पर निर्मित रतनलोक अपार्टमेन्ट से सटी हुई रिक्त आवासीय भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

आख्या-


अधिशाली अभियन्ता-जोन-2 के पत्र सं०-75/अ0अ0-2 /2025-26 दिनांक 03.05.2025 द्वारा शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड में रतनलोक अपार्टमेन्ट से सटी हुई भूमि का स्थल निरीक्षण कर सर्वे उपलब्ध कराया गया। अर्जन अनुभाग की आख्यानुसार उक्त भूमि का स्वामित्व ल0वि0प्रा0 में निहित है। प्रश्नगत भूखण्ड पर रतनलोक अपार्टमेन्ट के निर्माण फलस्वरूप आंशिक भाग पर निर्माण नहीं हो सका। उपलब्ध सर्वे के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल-3576.66 वर्गमी० है। उक्त रिक्त भूमि पर अतिक्रमण होने की प्रबल सम्भावना है, जिसके दृष्टिगत लैण्ड ऑडिट की बैठक में उच्चस्तरीय निर्देश के क्रम में रिक्त भूमि को आवासीय (समूह आवास) से व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तित कर व्यवसायिक भूखण्ड सृजित किये जाने हैं।


अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल स्वीकृत तलपट मानचित्र में समूह आवास हेतु भूखण्ड संख्या-जीएच-01 अंकित है। प्रश्नगत भूखण्ड पर रतनलोक अपार्टमेन्ट के निर्माण हेतु कतिपय ब्लाक प्रस्तावित थे, तीन ब्लाकों के निर्माण के फलस्वरूप आंशिक भाग पर निर्माण नहीं हो सका, जो वर्तमान में रिक्त है। स्वीकृत तलपट मानचित्र में प्रश्नगत भूखण्ड के उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा में स्थित भूखण्ड व्यवसायिक प्रयोजन हेतु नियोजित है। प्रश्नगत भूखण्ड प्रारम्भिक तलपट मानचित्र में व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में नियोजित था। प्रभावी महायोजना के अनुसार शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड के मुख्य मार्ग से संलग्न 50.00मी. की गहराई तक स्थित भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक है। प्रश्नगत भूखण्ड बिजनौर रोड (मुख्य मार्ग) पर स्थित है, जिसकी गहराई 48.22मी० है, तदनुसार प्रभावी लखनऊ महायोजना के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक है। अतः तलपट मानचित्र में ग्रुप हाउसिंग के स्थान पर व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाना नियोजन की दृष्टि से उपयुक्त है।


यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने हेतु जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना आवश्यक है। तदक्रम में प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु लोक महत्व के दो समाचार पत्रों क्रमशः 1. हिन्दुस्तान (हिन्दी) 2. इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) में दिनांक 22.06.2025 के अंक में प्रकाशन कराया गया है (प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न)। प्रकाशन उपरान्त निर्धारित अवधि में यदि जन सामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त ही शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड में भूखण्ड संख्या-जीएच-01 पर निर्मित रतनलोक अपार्टमेन्ट से सटी हुई रिक्त आवासीय भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है (तलपट मानचित्र की प्रति अनुलग्नक-02 पर संलग्न)।

प्रस्ताव-उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड में भूखण्ड संख्या-जीएच-01 पर निर्मित रतनलोक अपार्टमेन्ट से सटी हुई रिक्त आवासीय भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
अरुण कुमार  
इंजीनियर

  
अरुण कुमार  
नियोजन अनुभाग

  
अरुण कुमार  
नगर नियोजक  
विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

  
अरुण कुमार  
मुख्य नगर नियोजक  
ले.वि.प्रा. लखनऊ

शुक्रवार 20 जून 2025 = 8x7 = 22/06/25

**NORTHERN RAILWAY**  
**E-AUCTION NOTICE**  
Sr. Divisional Commercial Manager/PS, Northern Railway/Lucknow invites E-Auction for following work.

Admin Unit/Zone	Lucknow-NR-Division-Commercial/ Northern Railway
Auction catalogue No./ Lot no.	PARKING-LKO-GGJ-MX-158-25-1 (Parking-Mixed)
Catalogue Published on	19.06.2025
Auction Start (All Lots)	07.07.2025 at 10:00 hrs
Auction close Date/Time	07.07.2025 at 10:30 hrs.
Auction Type	Close Ended
Website particulars where complete details of auction can be seen by registered bidders	E- Auction Module of www.ireps.gov.in
No: C/113-E-Auction Policy/2024/SKS Dt. 20.06.2025	1870/2025

**SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE**

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

**-: सार्वजनिक सूचना :-**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड में भूखण्ड संख्या-जीएच-01 पर निर्मित रतन लोक अपार्टमेंट से राटी हुयी भूमि का उपयोग आवारसीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में श्रृंगनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधित किये जाने हेतु 3090 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्ही आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**सचिव**

**TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED**  
Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No.: U67190MH2008PLC187552

**DEMAND NOTICE**  
Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notice dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amount mentioned in the respective Demand Notice, within 60 days from the date of the respective Notice, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.


In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCHFL by the said Obligor(s) respectively.

Loan Account No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Total Outstanding Due Rs. as on below Dates	Date of Demand Notice & NPA Date
TCHHL034 700010008 8828	Mr. Ehsaan Ahmad Siddiqui (Borrower) & Mrs. Uzma Siddiqui (Co-Borrower)	As on 11/06/2025, an amount of Rs. 22,17,645/- (Rupees Twenty Two Lakh Seventeen Thousand Six Hundred Forty Five Only)	11-06-2025 & 07.06.2025



Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All piece & parcels of House built up on plot No. 12, area admeasuring 850 Sq Ft (78.996 Sq Mtr), constructed on Part of Khasra No. 122KA, Situated at Ghazipur Balram, Ward Fazullahganj, Lucknow, Uttar Pradesh with all common amenities under sale deed. Boundaries: East: ... 13; No: ...

**SALUTE THE SOLDIER**

**BORDER SECURITY FORCE**  
**HEAD CONSTABLE YUDHBIR SINGH**  
05.07.1967 - 22.06.2000




Director General and all Ranks of Border Security Force remember its gallant Jawan Head Constable Yudhbir Singh on his Balidan Diwas. On this day, he sustained fatal bullet injury while fighting with militants in Magam area, Srinagar, J&K and succumbed to his injuries at 92 base hospital.

	Constable <b>HARI SHANKAR TIWARI</b> 08.12.1967 - 22.06.1992		NAIK <b>INDRA BAHADUR GURANG</b> 18.10.1945 - 22.06.1992
---	--	---	--


Director General and all Ranks of Border Security Force remember its gallant Jawans Constable Hari Shankar Tiwari and Naik Indra Bahadur Gurang on their Balidan Diwas. On this day, they sustained grievous injuries while fighting with militants in Aliwal area, Punjab and made ultimate sacrifice in the line of duty.

**CENTRAL RESERVE POLICE FORCE**  
22 June 2000




A platoon of 10 Battalion of CRPF was deployed at Baramulla Chowk for law and order duties. On 22 June 2000, while patrolling the area, a militant hiding in the crowd opened fire with a silencer-fitted pistol, gravely injuring Lance Naik Ram Murmu. He was immediately evacuated to District Hospital, Baramulla, but succumbed to his injuries and made the supreme sacrifice in the line of duty.

**28 May 2002**



On 28 May 2002, a CRPF convoy was moving from Jammu to Srinagar. As it approached a curve near Kherpora village, PS Banihal, District Doda, militants ambushed the convoy from a hilltop. The troops swiftly dismounted and retaliated, but the militants escaped using the terrain and dense jungle. In the exchange of fire, Constable S. Prem Kumar Singh of 23 Battalion of CRPF sustained serious injuries. He was evacuated to R&R Hospital, Dhaula Kuan, where he succumbed to his wounds on 22 June, attaining martyrdom in the line of duty.

**22 June 2008**



On 22 June 2008, troops of 137 Battalion of CRPF launched an operation against militants in village Chhatrama, PS Zakura, District Srinagar. During the search, militants hiding in a house opened indiscriminate fire. The troops retaliated and cordoned off the house. As the militants had taken cover behind fortified walls, an assault team was formed for room intervention. In the ensuing gunfight, Constable K.C. Sahoo, who led from the front, sustained grievous bullet injuries and later succumbed. In the operation, two LeT militants were neutralized and two AK-47 rifles, magazines, and a Chinese grenade were recovered. For his gallantry and supreme sacrifice, Constable K.C. Sahoo was posthumously awarded the Police Medal for Gallantry.

**राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड**  
**RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED**  
(A Government of India Enterprise)  
**VISAKHAPATNAM STEEL PLANT**

**WORKS CONTRACTS DEPARTMENT**  
**NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI)**

RINL, Visakhapatnam Steel Plant invites Expression of Interest from prospective bidders having experience, resources and interest

138  
31/06/2025-2

REVISION NO. 3  
 DRG. NO.-S.N./RATAN KHAND/PPLP/JUNE-2025  
**PROPOSED PART LAY-OUT PLAN  
 OF COMMERCIAL PLOT RATAN  
 KHAND SHARDA NAGAR SCHEME,  
 LUCKNOW.**


DETAIL OF COMMERCIAL PLOTS

S.NO.	PLOT NO.	AREA (SQ.MT.)	NOS.
01	C.P.-06	1788.33	01
02	C.P.-06-A	1788.33	01
TOTAL -			02

**NOTE:-**  
 1 THIS PROPOSED PART LAY-OUT PLAN PREPARED AS PER SURVEY REPORT GIVEN BY E.E. ZONE-2 LETTER NO.-75/AA-02/2025-26 ON DATED 03.05.25.  
 2 THIS PROPOSED PART LAY-OUT PLAN PREPARED AS PER ACQUISITION REPORT GIVEN BY ACQUISITION DEPARTMENT DATED -12.06.2025.

DATE : 19.06.2025  
 DRG. NO. :- S.N./RATAN KHAND/PPLP/JUNE-2025  
 DEALT BY :  
 CHECKED BY :  
 NOT TO SCALE

J.E. A.T.P.  
 A.E. A.E.(P)  
 E.E. C.T.P.  
 S.D.M. J.S. (ARJAN)  
 SECY. V.C.



PROPOSED PART LAY-OUT PLAN

PREVIOUS PART LAY-OUT PLAN

LAND USE CHANGE RESIDENTIAL TO COMMERCIAL

विषय- इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या 189, 189ए एवं 190 कुल क्षेत्रफल 6,37,473 वर्गफिट का योजना के तलपट मानचित्र में भू-उपयोग अनाथालय से सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

आख्या-

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या 189, 189ए एवं 190 कुल क्षेत्रफल 6,37,473 वर्गफिट का पट्टा पूर्ववर्ती संस्था लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1931 में अनाथालय प्रयोजन हेतु श्रीमद् दयानन्द अनाथालय को दिया गया था। प्रकरण में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर ट्रस्ट अनुभाग द्वारा नोटिस इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गठित समिति की संस्तुति के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 30.11.2018 के अनुसार पुनर्प्रवेश की कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया गया। तदोपरान्त श्रीमद् दयानन्द बालसदन द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 35344/एम०बी०/2019 प्राधिकरण के विरुद्ध योजित की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् आदेश दिनांक 14.01.2020 पारित किये गये-

2. On 30.12.2019, the petitioner filed an application before the Lucknow Development Authority to permit him to surrender the vacant land, which has been mentioned in paragraph 2 of that letter. The prayer has been made to surrender rest of the vacant land, which is of no use and also requested for grant of lease for a period of 90 years.

3. As the application dated 30.12.2019 is still pending, therefore, as prayed by learned counsel for the Lucknow Development Authority six weeks' time is granted to decide the said application.

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 13.02.2020 के क्रम में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष रखा गया। प्राधिकरण बोर्ड की 167वीं बैठक दिनांक 29.02.2020 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 05.03.2020 को अनुमोदित कर दिया गया, जिसके अनुसार निम्नवत् कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जानी है-

1. श्रीमद् दयानन्द अनाथालय द्वारा अपेक्षित भूमि के समतुल्य लगभग 1,40,537 वर्गफिट भूमि अनाथालय प्रयोजन हेतु 90 वर्ष की अवधि हेतु 30-30 वर्षीय दो नवीनीकरण के प्राविधान के साथ निर्धारित वार्षिक लीजरेन्ट में 30 वर्षों पश्चात 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के प्राविधान के साथ पट्टे पर उपलब्ध करायी जाय।
2. 4,96,937 वर्गफिट भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्तानुसार मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2020/प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 एवं प्राप्त

मानचित्र  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० लॉरेंस


कम प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

विधिक अभिमत दिनांक 11.05.2023 के क्रम में विचार-विमर्श कर सचिव महोदय की अध्यक्षता में निर्णय लिये जाने हेतु बैठक दिनांक 02:09.2023 को आयोजित हुयी (बैठक का कार्यवृत्त अनुलग्नक-1 पर संलग्न)। प्रकरण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत स्थल पर प्राधिकरण के गठन से पूर्व ही तलपट मानचित्र स्वीकृत है (तलपट मानचित्र की पार्ट प्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न)। स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा वर्ष 1931 में अनाथालय प्रयोजन हेतु स्वीकृत हुआ था, किन्तु प्रश्नगत भूखण्डों का भू-उपयोग महायोजना 2031 में ग्रीनबेल्ट हेतु अंकित हो गया है, जोकि पट्टागत/ले-आउट के अनाथालय भू-उपयोग से इतर है एवं त्रुटिपूर्ण है। उक्त के दृष्टिगत उचित होगा कि महायोजना 2031 में अंकित भू-उपयोग ग्रीनबेल्ट की त्रुटि को सुधार करते हुए वर्ष 1931 में स्वीकृत/पट्टागत भू-उपयोग सामुदायिक सुविधा के अनुरूप परिवर्तित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय।

उल्लेखनीय है कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या 189 189ए एवं 190 का भू-उपयोग प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में पार्क एवं खुले स्थल अंकित है (महायोजना-2031 की पार्ट प्रति अनुलग्नक-3 पर संलग्न)। बैठक दिनांक 02:09.2023 में लिए गये निर्णय के क्रम में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या 189 189ए एवं 190 कुल क्षेत्रफल 59244.70 वर्गमीटर का भू-उपयोग-प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में पार्क एवं खुले स्थल से सामुदायिक सुविधाएं में परिवर्तित किये जाने के साथ समतुल्य हरित भूमि हेतु प्राधिकरण की बसन्त कुन्ज योजना स्थित कैटिल कालोनी में ग्राम-बरीकलॉ एवं ग्राम-गजराहार की अर्जित भूमि में से लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) के अन्तर्गत बन्धे एवं नदी के मध्य स्थित कैटिल कालोनी की भूमि जिसे रिक्त कराया गया है अनुपयोगी होने के परिपेक्ष्य में उक्त समतुल्य भूमि का भू-उपयोग कैटिल कालोनी व आंशिक आवासीय भू-उपयोग से पार्क एवं खुले स्थल में परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है (लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) की पार्ट प्रति अनुलग्नक-4 पर संलग्न)।

  
मानचित्रकार  
निर्माण अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

  
आर्च कृष्ण प्लानिंग ऑफिसर  
निर्माण अनुभाग

  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या 189, 189ए एवं 190 के सम्बन्ध में आहूत बैठक दिनांक 02.09.2023 का कार्यव्रत:-

149

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या 189, 189ए एवं 190 कुल क्षेत्रफल 6,37,473 वर्गफिट का पट्टा वर्ष 1931 में अनाथालय/कृषि प्रयोजन हेतु श्रीमद् दयानन्द अनाथालय को दिया गया था। प्रकरण में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर ट्रस्ट अनुभाग द्वारा नोटिस इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गठित समिति की संस्तुति के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 30.11.2018 के अनुसार पुनर्पर्वेश की कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया गया। तदोपरान्त श्रीमद् दयानन्द बालसदन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 35344/एम0बी0/2019 प्राधिकरण के विरुद्ध योजित की गयी, जिसमे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् आदेश दिनांक 14.01.2020 पारित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 13.02.2020 के क्रम में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष रखा गया। प्राधिकरण बोर्ड की 167वीं बैठक दिनांक 29.02.2020 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 05.03.2020 को अनुमोदित कर दिया गया, जिसके अनुसार निम्नवत् कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जानी है:-

1. श्रीमद् दयानन्द अनाथालय द्वारा अपेक्षित भूमि के समतुल्य लगभग 1,40,537 वर्गफिट भूमि अनाथालय प्रयोजन हेतु 90 वर्ष की अवधि हेतु 30-30 वर्षीय दो नवीनीकरण के प्राविधान के साथ निर्धारित वार्षिक लीजरेन्ट में 30 वर्षों पश्चात् 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के प्राविधान के साथ पट्टे पर उपलब्ध करायी जाय।
2. 4,96,937 वर्गफिट भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2020/प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 एवं प्राप्त विधिक अभिमत दिनांक 11.05.2023 के क्रम में विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु सचिव महोदय की अध्यक्षता में निर्णय लिये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की बैठक दिनांक 02.09.2023 को आयोजित हुयी:-

1. मुख्य नगर नियोजक
2. अधिशासी अभियन्ता, जोन-7

प्रभारी अधिकारी-ट्रस्ट

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत स्थल पर प्राधिकरण के गठन से पूर्व ही तलपट मानचित्र स्वीकृत है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा वर्ष 1931 में अनाथालय प्रयोजन हेतु स्वीकृत हुआ था, किन्तु प्रश्नगत भूखण्डों का भू-उपयोग महायोजना 2031 में ग्रीनबेल्ट हेतु अंकित हो गया है, जोकि पट्टागत/ले-आउट के अनाथालय भू-उपयोग से इतर है एवं त्रुटिपूर्ण है। उक्त के दृष्टिगत उचित होगा कि महायोजना 2031 में अंकित भू-उपयोग ग्रीनबेल्ट की त्रुटि को सुधार करते हुए वर्ष 1931 में स्वीकृत/पट्टागत भू-उपयोग सामुदायिक सुविधा के अनुरूप परिवर्तित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। तदोपरान्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

प्रभारी अधिकारी-ट्रस्ट


अधिशासी अभियन्ता, जोन-7 मुख्य नगर नियोजक

सचिव


04/09/2023

REVISED LAYOUT PLAN OF MAWAIA CAMP  
WEST OF D.A.V. SCHOOL  
SCALE - 82 1/2" = 1" INCH

350142




48



लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधन कन्वर्जन)  
के अन्तर्गत वैकल्पिक हरित उपयोग हेतु चिह्नित स्थल

लखनऊ-4  
144



विषय सं०-23

पृष्ठ सं०-145

विषय-जानकीपुरम योजना सेक्टर-एच में पीपल के पेड़ से प्रभावित भवन/भूखण्ड संख्या-3/337 को कब्जा दिए जाने हेतु तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में।

आख्या-

अभियंत्रण खण्ड जोन-5 द्वारा उपलब्ध स्थलीय आख्या के अनुसार भूखण्ड संख्या 3/337, सेक्टर-एच, स्थित जानकीपुरम योजना को परिवर्तित स्थल पर भूखण्ड दिए जाने के संबंध में स्थल निरीक्षण किया गया। सेक्टर-एच, जानकीपुरम योजना के नियोजित तलपट मानचित्र के अनुसार भूखण्ड संख्या 3/337 व 3/338 के सम्मुख प्रस्तावित 6.00 चौड़ी सड़क पर प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ होने के कारण भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका है। प्रश्नगत स्थल की अद्यतन स्थिति अनुसार भूखण्ड 3/332 व 3/333 नियोजित तलपट मानचित्र से भिन्न स्थान पर निर्मित है। जिसको नियोजन अनुभाग से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित है।

अवगत कराना है कि प्रकरण के निस्तारण के दृष्टिगत कार्यालय पत्रांक संख्या 306/मेमो/पी.ए./2024-25 दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से गठित कमेटी द्वारा निबंधित भूखण्ड संख्या-3/337, सेक्टर-एच जानकीपुरम को नियोजित तलपट मानचित्र में चिन्हित भूखण्ड संख्या-3/333, सेक्टर-एच जानकीपुरम पर कब्जा दिए जाने हेतु तलपट मानचित्र में परिवर्तित/संशोधन किए जाने की संस्तुति की गई। भूखण्ड संख्या-3/337 से संबंधित सम्पत्ति अनुभाग की पत्रावली में संलग्न साईट प्लान में भूखण्ड संख्या-3/332 से 3/339 तक के भूखण्ड मूल विन्यास मानचित्र में नियोजित स्थल से भिन्न स्थल (अनुमोदित मानचित्र में नियोजित पार्क) में चिन्हित/दर्शित है तथा मूल भूखण्डों के स्थान पर Encroachment दर्शित/अंकित है। सम्पत्ति अनुभाग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि भूखण्ड सं० 3/338 समायोजित है तथा भूखण्ड संख्या 3/332, 3/333, 3/336 व 3/337 निबंधित है तथा भूखण्ड संख्या 3/334, 3/335, 3/339, 3/340, अनिबंधित है तथा भूखण्ड सं० 3/341 का रिफण्ड किया जा चुका है।

अभियंत्रण खण्ड जोन-5 द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थलीय आख्या में भी उल्लेख किया गया है कि भूखण्ड संख्या 3/332 व 3/333 तलपट मानचित्र में नियोजित स्थल से भिन्न स्थल पर निर्मित है। स्वीकृत तलपट मानचित्र में भूखण्ड संख्या-3/333 के स्थान पर 3/337 तथा भूखण्ड संख्या-3/332 के स्थान पर समायोजन से रिक्त हुए भूखण्ड संख्या 3/338 (कार्नर नवसृजित भूखण्ड) के रूप में नियोजित किया जाय तथा पीपल के पेड़ से प्रभावित स्थल (भूखण्ड संख्या-3/337 से 3/341 तक) को ग्रीन के रूप में नियोजित करते हुए अनुमोदित तलपट मानचित्र के अनुसार ग्रीन में निर्मित भूखण्ड 3/332 और 3/333 को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित कर तलपट मानचित्र में संशोधन किया जाना उचित होगा।

अतः शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3/98-60 एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार तलपट मानचित्र में संशोधन किए जाने से

निर्माण अनुभाग  
वि० प्रा०  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

पूर्व उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरांत जानकीपुरम् योजना सेक्टर-एच के तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव-उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में जानकीपुरम् योजना सेक्टर-एच में पीपल के पेड से प्रभावित भवन/भूखण्ड संख्या-3/337 को कब्जा दिए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 13.10.1998 के अनुसार तलपट मानचित्र में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। प्राधिकरण से अनुमोदन की दशा में प्रश्नगत संशोधन हेतु जन साधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

मानचित्रकार  
निर्देशन अनुमोदन  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ



RESERVED FOR FUTURE DEVELOPMENT

REFR ...


T.W.

9.0 METRE




WIDE




COMMERCIAL



3/332 व  
3/333  
SCHOOL  
(सर्वेक्षण के अनुसार)



3/333 के लिए  
3/337 का कब्जा  
एवं 3/332 के  
स्थान पर 3/330  
प्लॉट बनाया जाएगा  
FACILITIES



147

सर्वेक्षण के अनुसार बनाया

सर्वेक्षण के अनुसार

ROAD

254  
214  
मि. सु. ला. ग. म. - 9

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त,  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कलोनियाँ/नियोजित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल.यू.सी०/96, दिनांक 26-12-96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया।

2. अतएव इस सन्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किए हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड व भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ०प्र० आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाये परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाये। अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाये। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पश्चात् विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26-12-96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

महोदय,

अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के
- (2). आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (3). गार्ड फाइल।
- (4). उ०प्र०, आवास बन्दु।


आज्ञा से,  
एच. पी. सिंह

उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय आदेश पत्रांक 306/मेमो/पीए/2024-25 दिनांक 30.09.2024 के अनुपालन में दिनांक 06.12.2024 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता जोन-5 के अभियन्ताओं के साथ भूखण्ड संख्या 3/337, सेक्टर-एच स्थित जानकीपुरम् योजना को परिवर्तित स्थल पर भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण किया गया। जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-एच स्थित भूखण्ड संख्या 3/337, जो कि श्री चन्द्रजीत यादव को आवंटित है, नियोजित तलपट मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 3/337 व 3/338, सेक्टर-एच, जानकीपुरम् योजना के सम्मुख प्रस्तावित 6.00 मीटर चौड़ी सड़क पर प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ होने के कारण भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका है। प्रश्नगत स्थल की अद्यतन स्थिति अनुसार भूखण्ड संख्या 3/332 व 3/333 पूर्व नियोजित तलपट मानचित्र से भिन्न स्थान पर निर्मित है, जिसको साइट प्लान में हरे रंग से दर्शा दिया गया है, जिसको नियोजन अनुभाग से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित है।

पूर्व नोट शीट संख्या 8 पर सम्पत्ति अधिकारी की आख्या दिनांक 23.07.2024 के अनुसार भूखण्ड संख्या 3/338 को अन्यत्र स्थान पर समायोजित एवं भूखण्ड संख्या 3/341 का पूर्व में रिफण्ड किया जा चुका है तथा भूखण्ड संख्या 3/339 व 3/340 अनिबन्धित है एवं स्थल पर रास्ता बाधित होने के कारण कब्जा दिये जाने योग्य नहीं है, अतः उक्त दोनो भूखण्डों का नियमानुसार रिफण्ड किया जाये।


शिकायतकर्ता श्री चन्द्रजीत यादव को पूर्व में निबन्धित भूखण्ड संख्या 3/337, सेक्टर-एच, जानकीपुरम् को नियोजित तलपट मानचित्र में चिन्हित भूखण्ड संख्या 3/333, सेक्टर-एच, जानकीपुरम् पर कब्जा दिये एवं नियोजन अनुभाग से तलपट मानचित्र में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

  
अधिशासी अभियन्ता जोन-5  
सदस्य

  
प्रभारी अधिकारी-जानकीपुरम् योजना  
सदस्य

  
मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य

  
वित्त नियंत्रक  
सदस्य

  
सचिव  
अध्यक्ष

## अनुभाग अधिकारी/अनु सचिव

कृपया पूर्व पृष्ठ संख्या-7 पर नियोजन अनुभाग द्वारा पूर्व पृष्ठ संख्या-6 पर अंश 'क' में उल्लिखित भूखण्डों के आवंटन/निबंधन/समायोजन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में सूचना निम्नवत है:-

क्र०सं०	भूखण्ड संख्या	टिप्पणी
1	3/330	निबंधित
2	3/332	निबंधित
3	3/333	निबंधित
4	3/334	अनिबंधित
5	3/335	अनिबंधित
6	3/336	निबंधित
7	3/337	निबंधित
8	3/338	समायोजित
9	3/339	अनिबंधित
10	3/340	अनिबंधित
11	3/341	रिफण्ड
12	3/342	अनिबंधित

उपरोक्त स्थिति उपलब्ध डिस्पोजल रजिस्टर एवं अभिलेख के अनुसार दी जा रही है। अतः पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियोजन अनुभाग को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

18.7.24  
(अ.स.स.स.)  
म.स.स.स.

20/7/24

वीरेंद्र सिंह  
अनुभाग अधिकारी  
उत्तरांचल विकास प्राधिकरण

23/7/24  
(बिलराम)  
सम्बन्धित अधिकारी  
ल०वि०प्रा०

26/7/24

CTP से

APA  
26/07/2024  
A.P.A.

29/7/2024  
A.P.A.

6/08/24  
0-7-24

11/08-07(10)/24  
26/7/24

193/CTP/24  
26-7-24



FILE NO.

DRGN.

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY.  
PART LAY-OUT PLAN OF (JANKIPURAM) SITAPUR ROAD SCHEME  
SHOWING PLOT NO. 31338 - SECTOR-H.  
LEASED TO SRI / SMT.

SCALE - 1:1000.  
SIZE OF PLOT.  $30.00 \times 10.00$   
AREA OF PLOT.  $30.00 \text{ Sq. M.}$   
SETBACK - FRONT. REAR. SIDE.

BOUNDARY-  
NORTH. Plot No. 31337  
SOUTH. Plot No. 31339  
EAST. Green Line Road  
WEST. Green Line Road



21/10/96

J.E.

A.E.

11/11/96

विषय-मिल रोड पर स्थित इण्डिस्ट्रियल योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के संबंध में।

आख्या-

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8 की अधिसूचना दिनांक 19.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत लखनऊ महायोजना-2031 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार पत्रों 'अमर उजाला (हिन्दी)' एवं 'द इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)' के संस्करण में दिनांक 16.05.2025 को प्रकाशित करायी गयी थी, और चूंकि उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने एवं प्रश्नगत भूखण्ड ले-आउट का भाग है। अतः महायोजना में संशोधन के उपरान्त ले-आउट में भी नियमानुसार संशोधन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किये जाने की शर्त के साथ ही संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में श्री राज्यपाल, लखनऊ विकास क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ महायोजना-2031 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं-

क्रम सं०	ग्राम/जनपद का नाम	खसरा/ भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफिट)	लखनऊ महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	मिल रोड पर स्थित ऐशबाग इण्डिस्ट्रियल योजना लखनऊ	68बी	20,747	औद्योगिक	मिश्रित
		68सी	39,003	औद्योगिक	मिश्रित
		68एफ	19,142	औद्योगिक	मिश्रित
		68जी	25,243	औद्योगिक	मिश्रित
		68जे	20,970	औद्योगिक	मिश्रित
		68के	17,131	औद्योगिक	मिश्रित
		68/6	50,555	औद्योगिक	मिश्रित
	कुल क्षेत्रफल		1,92,791 वर्गफिट अथवा 1.79 हे०		

उपरोक्तानुसार अधिसूचना दिनांक 19.07.2025 में प्रदत्त निर्देशानुसार सन्दर्भित भूखण्डों का औद्योगिक भू-उपयोग से मिश्रित भू-उपयोग में परिवर्तित कर तलपट मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव-उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मिल रोड पर स्थित इण्डिस्ट्रियल योजना के भूखण्ड सं०-68/बी, 68/सी, 68/एफ, 68/जी, 68/जे एवं 68/के एवं 68/6 के तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

अध्यक्ष  
कम प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग

केशिचन्द्र कुमार गोतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल० वि० प्रा० ल०

I/1030904/2025

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8  
लखनऊ : दिनांक : 19-07-2025

**अधिसूचना**

चूंकि राज्य सरकार लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत लखनऊ महायोजना-2031 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार पत्रों 'अमर उजाला (हिन्दी)' एवं 'द इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)' के संस्करण में दिनांक 16.05.2025 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने एवं प्रश्नगत भूखण्ड ले-आउट का भाग है, अतः महायोजना में संशोधन के उपरान्त ले-आउट में भी नियमानुसार संशोधन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किये जाने की शर्त के साथ ही संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में श्री राज्यपाल, लखनऊ विकास क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ महायोजना-2031 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सममुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं:-

**अनुसूची**

क्र० सं०	ग्राम/जनपद का नाम	खसरा / भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफिट)	लखनऊ महायोजना 2031 (पुनरीक्षित) के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	मिल रोड पर स्थित एशबाग इण्डिस्ट्रियल योजना, लखनऊ।	68बी	20,747	औद्योगिक	मिश्रित भू-उपयोग
		68सी	39,003	औद्योगिक	मिश्रित भू-उपयोग
		68एफ	19,142	औद्योगिक	मिश्रित भू-उपयोग
		68जी	25,243	औद्योगिक	मिश्रित भू-उपयोग
		68जे	20,970	औद्योगिक	मिश्रित भू-उपयोग
		68के	17,131	औद्योगिक	मिश्रित भू-उपयोग
		68/6	50,555	औद्योगिक	मिश्रित भू-उपयोग
	<b>कुल क्षेत्रफल</b>		<b>1,92,791 वर्गफिट अथवा 1.79 हे०</b>		

Digitally signed by  
श्री (गुणकान्त) PORALA  
02/07/2025  
02:23:34

पत्रांक: I/1031576/2025 दिनांक: 21-07-2025

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को उक्त अधिसूचना संख्या-1/1030904/2025 (File No.: 8-8099/696/2024) दिनांक 21.07.2025 की मूल प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए 10 मुद्रित प्रतियां शासन को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05-05 प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध करने का कष्ट करें।

भवदीय,


Digitally signed by (शिव पूजन)  
SHEO PUJAN  
Date: 21-07-2025  
13:57:02

पत्रांक एवं दिनांक तदैव


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 3- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(शिव पूजन)  
अनु सचिव।



PREVIOUS PART LAY OUT PLAN



SUBJECT TO CHANGE OF LAND USE INDUSTRIAL TO MIX LAND USE

P.L.O.P./P.L.N.O.- 68/6, 68/B, 68/C, 68/F, 68/G, 68/J, 68/K, A INDUSTRIAL / A.I.S.Y L/2023/05  
**REVISED PART LAY OUT PLAN OF**  
**PLOT NO:- 68/6, 68/B, 68/C, 68/F, 68/G,**  
**68/J, 68/K, INDUSTRIAL AISHBAGH,**  
**YOJANA LUCKNOW**

**DETAIL OF INDUSTRIAL PLOT OF CHANGE LAND USE TO MIX LAND USE**

INDUSTRIAL (old land use)		MIX LAND USE (revised land use)	
S/NO	REVISION PART NO.	AREA OF NO.	REVISION PART LAYOUT OF PLOT NO.
1	68/6, 68/B, 68/C, 68/F, 68/G, 68/J, 68/K	11.79 HECT	68/6, 68/B, 68/C, 68/F, 68/G, 68/J, 68/K
		07	1.45 HECT (old land use) 01

**NOTES:-**

1- THIS LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF SURVEY REPORT GIVEN BY E. E. ZONE-06 BY EMAIL ON DATED 07.12.2021

**TENTATIVE**

R E V I S I O N



DRG. NO.:- LAYOUT/AISHBAGH/2023

DATE:- 12.07.2023

DEALT BY:-

CHECKED BY:-

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

NOT TO SCALE

J.E. A.T.P.

A.E. C.T.P.

E.E. SECY.

V.C.

विषय सं०-25

पृष्ठ सं०-156

विषय-मानसरोवर योजना स्थित सेक्टर-ओ विस्तार में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज भूखण्ड में रक्षा सम्पदा से पृथक भूमि को कम्प्यूनिटी फ़ैसिलिटी भूखण्ड में नियोजित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में।

आख्या-

प्राधिकरण की मानसरोवर योजना स्थित सेक्टर-ओ विस्तार में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज भूखण्ड स्वीकृत तलपट मानचित्र में 12.0मी० चौड़े मार्ग पर नियोजित एवं सेवित है (तलपट मानचित्र की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न)। प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन वर्ष 2006 में संस्था श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशनल कल्चरल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड का आंशिक भाग रक्षा सम्पदा से प्रभावित होने के दृष्टिगत विवादित भूमि को छोड़ते हुए भूमि क्षेत्रफल-9130.00 वर्गमी० का तत्समय साइट प्लान तैयार किया गया। उक्त क्षेत्रफल पर ही वर्ष 2010 में अनुबन्ध डीड आवेदक के पक्ष निष्पादित की गयी।


उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में संस्था द्वारा प्रश्नगत क्षेत्रफल पर ही स्कूल बिल्डिंग का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराया जा चुका है, तत्पश्चात वर्ष 2019 में उक्त क्षेत्रफल के अनुसार ही लीज डीड संस्था के पक्ष में निष्पादित है।

प्रश्नगत भूखण्ड के उत्तर-पूर्व कार्नर के आंशिक भाग में रक्षा सम्पदा की भूमि के उपरान्त लगभग 343.0 वर्गमी० भूमि पृथक से प्राप्त हो रही है, जो मध्य में रक्षा सम्पदा की भूमि होने से मूल भूखण्ड से पृथक हो गयी है। प्रश्नगत भूमि 12.0मी० चौड़े मार्ग एवं 7.50मी० मार्ग पर अवस्थित है। प्रश्नगत भूमि 12.0मी० चौड़े मार्ग पर उपलब्ध होने के दृष्टिगत कम्प्यूनिटी फ़ैसिलिटी भूखण्ड के रूप में नियोजित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 (छायाप्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न) में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत ले-आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत संशोधित ले-आउट प्लान पर जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त मानसरोवर योजना स्थित सेक्टर-ओ विस्तार में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज भूखण्ड में रक्षा सम्पदा से पृथक भूमि को कम्प्यूनिटी फ़ैसिलिटी भूखण्ड में नियोजित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है (प्रस्तावित तलपट मानचित्र की प्रति अनुलग्नक-3 पर संलग्न)।

प्रस्ताव-मानसरोवर योजना स्थित सेक्टर-ओ विस्तार में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज भूखण्ड में रक्षा सम्पदा से पृथक भूमि को कम्प्यूनिटी फ़ैसिलिटी भूखण्ड में नियोजित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण से अनुमोदन की दशा में तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

# EXECUTION PLAN OF SECTOR - J, EXTENSION, MANSAROVER SCHEME, KANPUR ROAD, LUCKNOW

UNIQUE ID :-KNPR/MS.SEC.O.EXT/EP/R/2009/001

### DETAIL OF EXTRA CREATED PLOTS

S.NO.	AREA OF THE PLOT	PLOTS NO.	TOTAL NO
1.	38.30 SQMT.	E-4/989-A,E-4992-A	2

### DETAIL OF MISSING PLOTS

S.NO.	AREA OF THE PLOT	PLOTS NO.	TOTAL NO.
1.	38.30 SQMT.	E-4/711,E-4/745,E-4/1085,E-4/1086, E-4/1101,E-4/1141,E-4/1142, E-4/1143,E-4/1144,E-4/1145,E-4/1146, E-4/1147,E-4/1148,E-4/1149,E-4/1150	16

### TENTATIVE

### SCHEDULE OF RESIDENTIAL PLOTS

S.NO.	TYPE	PLOT SIZE	PLOT AREA	NOS.	SET BACK	
					FRONT AREA	SIDE
1.	B	12X24.0	288.00 SQM	64		
2.	C	10X20.0	200.00 SQM	106		
3.	D1	7.5X15.0	112.50 SQM	131		
4.	D2	6X15.0	90.00 SQM	156		
5.	E	3.83X10.0	38.30 SQM	1629		

TOTAL PLOTS 2086

### AREA STATEMENT

1	RESIDENTIAL (TOTAL PLOT-2086 NOS)	147930.00SQM	34.60%
2	INSTITUTIONAL	20747.00 SQM	04.85%
3	COMMERCIAL	20775.00SQM	04.85%
4	PARKS& OPEN GREEN SPACE	49670.00 SQM	04.85%
5	GROUP HOUSING	30350.00 SQM	04.85%
6	COMMUNITY FACILITY	2310.00 SQM	04.85%
7	HOSPITAL	8000.00 SQM	04.85%
8	SUB POST OFFICE	100.00 SQM	04.85%
9	ROAD	147583.00 SQM	04.85%

TOTAL AREA 427465.00 SQM

### REVISION

DRG. NO. EP/SEC-O EXT./KP. ROAD/09

DATE - 16-06-09

DEALT BY - VIKRAM SINGH

CHECKED BY-

NORTH:



SCALE 1:2500

EXECUTION TEAM

APPROVAL TEAM

J.E.


ANITA SRIVASTAVA  
A.T.P.

A.E.

RAVI JAIN  
T.P.

E.E.

MUNEER KUMAR MISHRA



254  
21/11  
शुक्रवार - 9

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त,  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

विषय : विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कलोनियाँ/नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1998

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल०यू०सी०/96, दिनांक 26-12-96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया।

2. अतएव इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किए हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ०प्र० आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाये परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाये। अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की जाये तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञापित भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाये। अन्तिम विज्ञापित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पश्चात् विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26-12-96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को
- (2). आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (3). गार्ड फाइल।
- (4). उ०प्र०, आवास बन्धु।

आज्ञा से,  
एच. पी. सिंह

**PART LAYOUT PLAN OF  
PLOT NO: HIGH SCHOOL/  
INTER COLLEGE  
SECTOR-O EXTENSION,  
KANPUR ROAD SCHEME,  
LUCKNOW**

**AREA STATEMENT:**



S.N.	PLOT NO.	AREA (SQ.MT.)	LAND-USE
1	CF-1	343.00	COMMUNITY FACILITY

**NOTE:**

1. THIS PART LAYOUT PLAN PREPARED ON THE BASIS OF SURVEY REPORT GIVEN BY E.E. ZONE-2.

UNIQUE ID:-KNPRIMS SEC O EXPLP-H SCHOOL/C/2025005

DATE: 29.07.2025  
 DRG. NO.:  
 DETAIL BY:  
 CHECKED BY:  
 EXECUTION TEAM


PLANNING TEAM

J.E. A.T.P.


A.E. C.T.P.

E.E. SECY.

V.C. 159



**PROPOSED PART LAYOUT PLAN**



**AS PREVIOUS APPROVED LAYOUT PLAN**

विषय-हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना के सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र का पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।

आख्या-

अभियन्त्रण खण्ड जोन-7 द्वारा अवगत कराया गया है कि बसन्तकुंज आवासीय योजना हेतु वर्ष 1981 ग्राम बरावखुर्द बेगरिया, छन्दोईया, बरीकला, गजराहार, पीरनगर की भूमि अर्जित की गयी थी, जिसमें ग्राम छन्दोईया की भूमि पर योजना के तलपट मानचित्र के अनुसार सेक्टर-ए प्रस्तावित है। वर्ष 2016 में वहां पर बी०एस०यू०पी० योजना के अधीन बहुमंजिले ई०डब्लू०एस० भवन प्रस्तावित किये गये, जिसमें तत्समय अनुबन्ध करते हुए एजेन्सी का चयन किया गया। चयनित एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया परन्तु प्रश्नगत भूमि के हितबद्ध कृषको एवं भू-स्वामियों के अत्यधिक विरोध के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। वर्तमान में उक्त की अर्धनिर्मित संरचनाएं यथा: कॉलम, बीम आदि स्थित हैं, जो कि कई वर्ष पूर्व निर्मित होने के कारण वर्तमान में उपयोग किये जाने योग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर-ए में लखनऊ मेट्रो के विस्तारीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है तथा ग्राम छन्दोईया के हितबद्ध कृषको एवं भू-स्वामियों की मांग पर ग्राम छन्दोईया के चारो ओर 12 मी० रोड भी बनायी जानी है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र में संशोधन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अवगत कराना है कि हरदोई रोड एवं आई०आई०एम० रोड के पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित प्राधिकरण की अर्जित भूमि का तलपट मानचित्र सेक्टर-ए के रूप में वर्ष 2006 में नियोजनोपरान्त अनुमोदित हुआ था, इसके साथ ही ग्राम छन्दोईया के उत्तर एवं पूर्व दिशा के मध्य तथा आई०आई०एम रोड के पश्चिम दिशा में उपलब्ध भूमि का वर्ष 2010 में आवासीय ब्लाक्स नियोजनोपरान्त अनुमोदित हुए थे।

उपरोक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन के विस्तारीकरण हेतु भूमि शीघ्र उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है तथा बीएसयूपी के बहुमंजिले ई०डब्लू०एस० आवासीय भवनों की उपयोगिता न रहने के क्रम में तलपट मानचित्र में पुनर्नियोजन कराया जाना है। शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत ले-आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के तहत जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना के सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र का पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



प्रस्ताव-हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना के सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र का पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

*Plan*  
प्रस्ताव  
देसर

*King*  
आर्च क्व प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग


*2*  
शैलेंद्र कुमार गौतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

**COMBINED PLAN OF SECTOR-A, BASANT KUNJ,  
HARDOI ROAD SCHEME, LUCKNOW.**



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

# BASANT KUNJ SCHEME, HARDOI ROAD, LUCKNOW.



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

विषय-पुराना आर०टी०ओ० काम्प्लेक्स के तलपट मानचित्र के संशोधन के संबंध में।

आख्या-

मा० संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति की बैठक दिनांक 15.05.2025 में लिए गये निर्णय के क्रम में आवेदिका श्रीमती उर्मिला अग्रहरि पत्नी श्री जगदीश अग्रहरि को पुराना आर०टी०ओ० में विस्थापित कोटे के अन्तर्गत भूमि 15 दिवस के अन्दर आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं (प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न)।

अभियंत्रण खण्ड, जोन-6 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थल पुराना आर०टी०ओ० के ले-आउट दर्शित सबस्टेशन हेतु आरक्षित भूमि में लेसा द्वारा ट्रांसफार्मर से संबंधित विद्युत उपकरण स्थापित है तथा स्थापित सबस्टेशन से संलग्न (Adjacent) भूमि वर्तमान में रिक्त है। अधिशासी अभियन्ता-वि०/या० द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल सुरक्षा की दृष्टि से वांछित आवश्यक दूरी के उपरान्त स्थित है, जिसका कार्यहित में उपयोग किया जा सकता है। मा० संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति की बैठक दिनांक 15.05.2025 में लिए गये निर्णय के क्रम में पुराना आर०टी०ओ० के तलपट मानचित्र में आरक्षित इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में से व्यवसायिक भूखण्ड दिए जाने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। मा० बोर्ड से स्वीकृति की प्रत्याशा में व्यवसायिक भूखण्ड सं०-01-ए ओल्ड आर०टी०ओ० काम्प्लेक्स का साइट प्लान तैयार किया गया।

उपरोक्त के क्रम में पुराना आर०टी०ओ० काम्प्लेक्स के तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में निहित प्राविधानों के अनुसार ओल्ड आर०टी०ओ० काम्प्लेक्स के तलपट मानचित्र में आरक्षित इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में से व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-01-ए (क्षेत्रफल-12.0 वर्गमी०) में परिवर्तित किये जाने के संबंध में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना आवश्यक है। तदक्रम में प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु लोक महत्व के दो समाचार पत्रों क्रमशः 1. हिन्दुस्तान (हिन्दी) 2. हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) में दिनांक 25.06.2025 के अंक में प्रकाशन कराया गया है (प्रति अनुलग्नक-02 पर संलग्न)। प्रकाशन उपरान्त निर्धारित अवधि में यदि जन सामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त ही ओल्ड आर०टी०ओ० काम्प्लेक्स के तलपट मानचित्र में आरक्षित इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में से व्यवसायिक भूखण्ड में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है (तलपट मानचित्र की प्रति अनुलग्नक-03 पर संलग्न)।

प्रस्ताव-उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में पुराना आर०टी०ओ० काम्प्लेक्स के तलपट मानचित्र में आरक्षित इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में से व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-01-ए (क्षेत्रफल-12.0 वर्गमी०) में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

आर्ष कन प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०  
कौशवेन्द्र कुमार गौतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल० वि० प्रा० ल०

अनुलग्नक -1

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की "संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति" की "164  
दिनांक 15 मई, 2025 को हुई साक्ष्य बैठक की कार्यवाही का उद्धरण :-

4-श्रीमती उर्मिला अग्रहरि, पत्नी श्री जगदीश गुप्त अग्रहरि, सी-308, चन्द्रा नगरी,  
ऐशबाग रोड लखनऊ को एल0डी0ए0 से 24 वर्ष पहले आवंटित भूखण्ड के संबंध में।  
श्री प्रथमेश कुमार

मान्यवर, समिति के निर्देश के क्रम में याची मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बाद यह

दोबारा फिर हमारे पास आये थे, तब इन्होंने कल यानि 14 मई को डॉक्यूमेंट जमा किया गया है। हम लोग इनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

श्री अनूप गुप्ता

माननीय सभापति जी, इसमें यहां पर एक विषय यह भी है कि, जिस जगह की बात हो रही है, क्या वहां पर पुलिस चौकी का परिसर है?

श्री प्रथमेश कुमार

मान्यवर, अगर वहां पर संभव नहीं होगा तो हम लोग कहीं और पर देखेंगे।

श्री अनूप गुप्ता

क्या वहां पर जबरन पुलिस चौकी बनी है अथवा आपकी अनुमति से बनी है?

श्री प्रथमेश कुमार

मान्यवर, पुलिस वाले लोकल परिस्थितियों के हिसाब से अस्थायी रूप से चौकी बना लेते हैं।

श्री अनूप गुप्ता

मेरा कहना है कि चौकी बनाने के लिए आपने अनुमति तो दी नहीं है। किसी व्यक्ति को जो चीज दी जानी है, उस पर दूसरा विभाग कैसे कब्जा कर लेगा?

श्री प्रथमेश कुमार

मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर के लिए कई बार पुलिस विभाग अस्थायी चौकी बना लेता है।

श्री अनूप गुप्ता

आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन पुलिस का यह तरीका नहीं चलेगा। मान लीजिए किसी की कोई सम्पत्ति है और उस सम्पत्ति का एक टुकड़ा उसको मिलने वाला है और उस पर पुलिस आ गयी, यह कहां से तर्कसंगत है। माननीय सभापति जी, मेरा सुझाव है कि इस प्रकरण में भी गृह विभाग को साक्ष्य के लिए बुला लिया जाये तो उचित होगा।

माननीय सभापति जी, पीड़ित व्यक्ति समिति के समक्ष उपस्थित है। अगर आपकी अनुमति हो तो उसे बुलाकर उसका भी पक्ष सुन लिया जाये तो अच्छा होगा।

श्री सभापति

ठीक है, पीड़ित पक्ष को साक्ष्य हेतु समिति के समक्ष आमंत्रित कर लिया जाये।

श्री अनूप गुप्ता

माननीय सभापति जी, प्रथमेश कुमार जी बहुत अच्छे और समझदार अधिकारी है, हम इस बात को मानते हैं, परन्तु आप यह ध्यान रखिये उस दिन उस व्यक्ति ने

आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उसने कल आपको डॉक्यूमेंट दिया, यह बात सही नहीं है, उसने कल नहीं, कल से पहले ही आपको, सचिव महोदय को आपके यहां कोई मनोज सागर जी है, जिनको आपने ही डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के लिए कहा था। सभी लोगों को पीड़ित द्वारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिये गये थे। आपके विभाग से जो आख्या आयी है, उसमें लिखा हुआ है कि अभिलेख प्रस्तुत नहीं हो पाये हैं।

श्री प्रथमेश कुमार

मान्यवर, आख्या 09 तारीख को गयी है और कल 14 तारीख थी, इनके द्वारा कल डॉक्यूमेंट दिये गये हैं।

श्री अनूप गुप्ता

मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कल इन्होंने हमको डॉक्यूमेंट दिया है और हमने कल ही पी0 गुरुप्रसाद जी को व्हाट्सएप किया है। प्रथमेश जी मैं इस बात को मानता हूं कि आप पर बहुत वर्कलोड है, लेकिन जो विषय किसी भी उच्च सदन की समिति में आ जाये, उन विषयों को आप गंभीरता से लीजिये। आपको यहां खड़े होने में अच्छा लगता होगा, लेकिन हमें आपको अथवा किसी अन्य अधिकारी को यहां खड़ा करना नहीं अच्छा लगता है।

श्री सभापति

इस प्रकरण का निस्तारण कब तक हो जायेगा?

श्री प्रथमेश कुमार

मान्यवर, हम इस प्रकरण का निस्तारण 01 माह में कर देंगे।

श्री अनूप गुप्ता

श्री अग्रहरि जी, आपको प्रकरण के संबंध में क्या कहना है, आपको जो कहना है, उससे आप समिति को अवगत करायें।

(याची अग्रहरि साक्ष्य हेतु समिति के समक्ष उपस्थित हुए।)

श्री अग्रहरि (याची)

मान्यवर, वहां पर हमारी पुरानी जमीन है और वहां पर अभी जमीन खाली पड़ी हुई है।

श्री प्रथमेश कुमार

मैं समिति को विश्वास दिलाता हूं कि उक्त प्रकरण का समाधान 01 माह में करा दिया जायेगा।

श्री अनूप गुप्ता

आप लोग इसका समाधान 01 माह में कर ले तो अच्छा है। अगर समय से समाधान नहीं हुआ तो फिर पुलिस वालों को भी साक्ष्य हेतु आमंत्रित कर लिया जायेगा। उक्त जमीन पर पहले प्राधिकरण ने कब्जा कर लिया था, अब पुलिस ने कब्जा कर लिया है, आप लोगों का यह रवैया उचित नहीं है।

श्री प्रथमेश कुमार

मान्यवर, इनसे पहले ऑफर मांगा गया था।

श्री अनूप गुप्ता

मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऑफर के दस्तावेज आपके विभाग ने गायब कर दिया है, आपके अधिकारियों के खिलाफ गबन की रिपोर्ट दर्ज करायेंगे। आपके विभाग ने पहले पत्र जारी किया और बाद में वह पत्र विभाग से गायब हो गया। इसके बाद एल0डी0ए0 के अधिकारियों ने रिसीविंग दिया और बाद में वह रिसीविंग भी गायब हो गयी, क्या सरकारी अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सारी जिम्मेदारी पीड़ित व्यक्ति की है कि वह सभी दस्तावेज लेकर घूम रहा है। एल0डी0ए0 में आज इतने चैम्बर बने हुए हैं, ए0सी0 लगे हुए हैं, क्या वह केवल अधिकारियों के आराम करने के लिए बने हैं, वह कागज रखने के लिए नहीं बने हैं। इसी प्रकरण में विषय आया था कि अभिलेख ही नहीं मिल रहे हैं। जब सरकारी विभागों में अभिलेख नहीं पाये जाते हैं, तब वह अपहरण एवं लापरहवाही माना जाता है। शासकीय व्यवस्था में यह दोनों चीजें मानी जाती हैं। इसके बावजूद भी पीड़ित पक्ष आप लोगों से हाथ जोड़ रहा है कि हमारी जमीन दिला दीजिये, क्योंकि हमारी भावनाएं उस जमीन से जुड़ी हुई हैं। आप लोग पीड़ित पक्ष को न्याय दे दीजिये, इस तरह से मनमानी मत करिये।

श्री पी0 गुरूप्रसाद

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के निस्तारण के लिए 01 माह का समय दे दिया जाये तो उचित होगा।

श्री सभापति

ठीक है, प्रकरण का निस्तारण करने के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिनों के अंदर प्रकरण का निस्तारण कर समिति को अवगत करायें। तब तक के लिए प्रकरण को स्थगित किया जाता है।

# न्यूमें शिक्ककर्तृमांमलागरमाया समस्याओं को लेकर

केजीएमयूमें आरक्षित  
अर्थियों की भर्ती की  
या है रोपों की  
लगाने के लिए बुधवार  
ओर से गठित संयुक्त  
पहुंचेगी। उपसचिव  
। आदेश जारी कर दिया  
गेर से जारी पत्र में कहा  
प्रदेश विधान मंडल की

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित  
जनजातियां व विमुक्त जातियों संबंधी  
संयुक्त समिति (2024-25) की ओर  
से जांच होनी है। अनुसूचित जातियों,  
अनुसूचित जनजातियों व पिछड़ा वर्गों की  
आरक्षित सीटों पर गैर आरक्षित नियुक्ति  
का आरोप है। मामला लंबे समय से चल  
रहा है। नतीजतन केजीएमयू में शिक्षकों  
की भर्ती एक साल से लटकी रही है।

## जन्मजागरण अभियान

लखनऊ। यूपी जलकर कर्मचारी  
समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों  
की समस्याओं, अनियमितताओं व  
कथित भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन  
हुआ। जॉन-1 लालबागस्थित अधिशासी  
अभियंता कार्यालय के बाहर कर्मचारियों  
ने जन्मजागरण अभियान की शुरुआत की।

# व्यावसायिक संपत्तियों की नीला

## आदेश

लखनऊ, प्रसं। एलडीए ने  
राजधानीवासियों और निवेशकों को  
बड़ी राहत देते हुए व्यावसायिक  
संपत्तियों की खरीद पर छूट देने का  
आदेश जारी कर दिया।

समय पर भुगतान करने पर  
अधिकतम 6% तक की छूट

क्या है इस




करने के साथ-  
संपत्तियों की श्र  
की दृष्टि से लि

## नई छूट व्यवस्था

- 45 दिन में पूर्ण भुगतान पर - 6%
- 60 दिन में पूर्ण भुगतान पर - 5%
- 75 दिन में पूर्ण भुगतान पर - 4%
- 90 दिन में पूर्ण भुगतान पर - 3%

भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट  
का प्रावधान रखा था। लेकिन अब छूट  
की दरों को संशोधित करते हुए नई  
व्यवस्था लागू की गई है, जिसका सीधा  
लाभ उन खरीदारों को मिलेगा जो तय  
समयसीमा के भीतर संपत्ति का मूल्य  
चुकाएंगे।

एलडीए सॉ  
इस संबंध में 3  
1 अप्रैल 202  
जो भी व्यावस  
के माध्यम से  
दी जाएगी। इ  
मिलेगी।



"न्यूरो फिजियोथेरेपी  
से जीवन बदले  
अब दर्द और कमजोरी  
से छुटकारा पाएं!"

दोष, लकवा (पैरालिसिस), रीढ़ की हड्डी की चोट, पार्किंसन, सैरेबल पाल्सी या  
अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्या से परेशान हैं? अब चिंता की कोई बात नहीं!

- शरीर की कमजोरी और जकड़न से राहत
- चलने-फिरने और संतुलन में सुधार
- हाथ-पैरों की कार्यक्षमता को बढ़ाना
- दर्द प्रबंधन और रिकवरी में तेजी

## न्यूरो फिजियोथेरेपी-फिर से

आमान्य जीवन की ओर पहला कदम!

Youtube Channel Extra Care Physiotherapy

अधिक जानकारी व फीडबैक हेतु देखें



**OSH K. UPADHYAY**  
apist, Ph.D. in Physiotherapy  
(S.Africa) DIERS Posture & Motion Analyst,  
Germany  
Qualification from University College London  
Clinic Certified Practitioner  
Posturo Logical Method Evaluation &  
Chiropractic & Osteopathic Technique  
Rehab Therapist (Non Invasive).

**DR. AKANSHA UPADHYAY (P.T)**  
Managing Director, Ph.D. (Scholar in Physiotherapy)  
MPT Neuro, DNP (S.Africa)  
DIERS Posture & Motion Analyst, DIERS Academy Germany  
Vestibular Rehabilitation from University College London  
London Shoulder Clinic Certified Practitioner  
Certified in ABC Posturo Logical Method Evaluation &  
Treatment Protocol, Chiropractic & Osteopathic Technique  
Certified Pelvic Floor Rehab Therapist

पता: बेसमेन्ट 1, ईश्वरपुरी कालोनी, सेक्टर-12,  
निकट स्पेंसर्स, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016.  
वेबसाइट: [www.spinephysiotherapy.com](http://www.spinephysiotherapy.com)

**A CARE**  
Physiotherapy Centre  
in Spine & Neuro Rehab

अपॉइंटमेंट के लिए सम्पर्क करें:  
9335843581, 0522-4960007

# स्टेशन पर पानी का अधिक मूल्य लेने पर चार को पकड़ा

## असह्य

लखनऊ, प्रसं। रेलवे स्टेशन पर  
निर्धारित दर से अधिक वसूली और  
अवैध वॉर्डिंग रोकने के लिए अभियान  
चलाया गया। इस दौरान चार अवैध  
वेंडर पकड़े गए, जो कि मानकविहीन  
पानी और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य  
पदार्थ बेच रहे थे। मूल्य भी अधिक ले  
रहे थे।

हिन्दुस्तान ने मंगलवार के अंक में रेलवे  
स्टेशन पर वसूली रहे अधिक पैसे शोर्षक  
से खबर का प्रकाशन किया था। रेल नौर  
की एक लीटर की बोतल का मूल्य 15

15 की पानी की बोतल के  
20 रुपये ले रहे

रुपये के बजाय 20 लिए जाने की यात्रियों  
की रेल मंत्री और डीआरएम को की गई  
शिकायतों का खबर में जिक्र किया था।  
हक्रत में आए कैटरिंग स्टॉफ ने  
आरपीएफ के साथ मिलकर स्टेशन पर  
जांच अभियान चलाया। सख्त हिदायत  
दी गई कि किसी भी सुरत में  
आंतरचार्जिंग न करें। चार अवैध वेंडरों  
को पकड़ा जो कि निम्न गुणवत्ता और  
मानक विहीन पानी की बोतलें बेच रहे  
थे। यात्रियों से मूल्य भी अधिक ले रहे  
थे। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।

## अयोध्या बिना पा

लखनऊ। गोर  
हुए अयोध्या  
एक्सप्रेस के या  
परेशान रहे। पा-  
गंदगी रही। गो-  
सफर करने  
डीआरएम को  
अयोध्या एक्स  
में पानी न होने  
डीआरएम से  
नाम के यात्री  
गोरखपुर से जब  
बोगियों के शौच  
रहा है। मजबूरी  
गंद शौचालयों  
उन्होंने डीआरएम  
निदान कराने क



**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)  
अधिकारण बन्द, विपिन खण्ड, गोकुली नगर, लखनऊ  
दूरभाष : 286 286 6000, ईमेल : [www.lkhdevco.com](mailto:www.lkhdevco.com)

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओल्ड आरटीओओ  
कॉम्प्लेक्स के तलपट मानचित्र में इलेक्ट्रिकल सर्विसेशन हेतु आरक्षित  
भूमि में से रिक्त भूमि को व्यावसायिक उपयोग (सत्रफल-  
120 वर्गमी) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश  
सं-2438/9-अ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 12.10.1998 में  
वर्णित प्राधिकरण के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में सम्मिलित किये जाने हेतु  
उ090 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973  
की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से  
आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं। उक्त से सम्बन्धित तलपट  
मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास  
प्राधिकरण के तृतीय तले स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा  
सकता है। केवल चर्ची आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस  
सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपर्युक्त, लखनऊ  
विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सविब, लखनऊ विकास  
प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
विपिन खण्ड, गोकुली नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त करायें  
जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई  
विचार नहीं किया जायेगा।

# मोटर हो

लखनऊ, संवाददाता। मोटरहे  
की सैर अब और भी शानदार होगी  
से न केवल चन्च जीवों को  
रोमांचित हो सकेंगे, बल्कि इ  
आराम करने के लिए वेड और ख  
किचेन की सुविधा होगी। मोट  
उद्घाटन प्रमुख सचिव पर्यटन मुं  
ने किया। इससे पूर्व सुशांतगोल्फा  
सेंटर होटल में आयोजित वन, पर  
पर्यटन कार्यक्रम में वह मुख्य अति  
जयवृज जो आरके फाउंडे  
देखरेख में आयोजित कार्यक्रम  
कहा कि मानसिक राहत पाने की  
भरे जंगलों में सैर करते हैं। युवा:  
अधिक रहता है। कॅरियर को ह

25-6-2025 - Kankarjhata Kankarjhata

215010-02

REVISED PART LAY OUT PLAN FOR  
ELECTRICAL SUB STATION TO  
COMMERCIAL PLOT NO.-01A  
R.T.O. COMPLEX AT G.B.MARG, LUCKNOW

DETAIL OF PROPOSED COMMERCIAL PLOT

S.NO	PLOT NO	SIZE	AREA (SQ.M)
1.	01-A	3.00M X 4.00M	12.00 SQ.M

NOTES:-

1-THIS PART LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF SURVEY REPORT GIVEN BY E.E. ZONE-06

R E V I S I O N

DRG. NO.:- RPL0P/OLDRTO/25/1


DATE:-

DEALT BY:-


CHECKED BY:-

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

NOT TO SCALE



PROPOSED LAY OUT PLAN



PREVIOUS LAY OUT PLAN

SUBJECT TO BE CHANGE OF LAND USE  
ELECTRICAL SUB STATION TO COMMERCIAL

J.E.

A.T.P.

A.E.

C.T.P.

E.E.

SECY.

V.C.

विषय सं०-28

पृष्ठ सं०-170

विषय-गोमती नगर योजना में विनम्र खण्ड-2 में नियोजित भूखण्ड सं०-एफ-8 (OCF) तथा पार्क की भूमि का उपयोग आपस में बदलते (स्वैपिंग) हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में।

आख्या-


प्राधिकरण द्वारा नियोजित विभिन्न योजनाओं में सुविधाओं व अन्य उपयोगों हेतु आरक्षित कतिपय भूखण्डों का भू-उपयोग कई वर्षों से नहीं किया जा सका है। इनकी उपयोगिता के दृष्टिगत विभिन्न उपयोगों में पुनर्नियोजन किया जाना है, जिसके दृष्टिगत दिनांक 15.07.2025 में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा लैण्ड ऑडिट की बैठक का आयोजन करते हुए जारी कार्यवृत्त के क्रम संख्या-23 एवं 24 पर गोमती नगर योजना में विनम्र खण्ड-2 में नियोजित (अन्य कम्यूनिटी फैसिलिटी) भूखण्ड सं०-एफ-8 तथा पार्क की भूमि को आपस में बदलते (स्वैपिंग) हुए तलपट मानचित्र में संशोधन संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अवगत करना है कि कथित भूखण्ड गोमती नगर योजना, विनम्र खण्ड के अनुमोदित तलपट मानचित्र में भूखण्ड सं०-एफ-8 अन्य कम्यूनिटी फैसिलिटी हेतु नियोजित/अरक्षित है तथा उक्त भूखण्ड के उत्तर दिशा में पार्क नियोजित है। दिनांक 15.07.2025 में जारी कार्यवृत्त के क्रम गोमती नगर योजना में विनम्र खण्ड-2 में नियोजित भूखण्ड सं०-एफ-8 (OCF) तथा पार्क की भूमि का उपयोग आपस में बदलते (स्वैपिंग) हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत ले-आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत संशोधित ले-आउट प्लान पर जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त गोमती नगर योजना में विनम्र खण्ड-2 में नियोजित भूखण्ड सं०-एफ-8 (OCF) तथा पार्क की भूमि का उपयोग आपस में बदलते (स्वैपिंग) हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है (प्रस्तावित तलपट मानचित्र की प्रति संलग्न)।

प्रस्ताव-गोमती नगर योजना में विनम्र खण्ड-2 में नियोजित भूखण्ड सं०-एफ-8 (OCF) तथा पार्क की भूमि का उपयोग आपस में बदलते (स्वैपिंग) हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण से अनुमोदन की दशा में तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

  
मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

  
अध्यक्ष प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग

  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

254  
214  
श्री अतुल कुमार गुप्ता

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-2438/9-आ-3-98-60 एल.य०सो०/96

प्रेषक,

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त,  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

सेवा में

1.

2.

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कलोनियाँ/नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल०यू०सो०/96, दिनांक 26-12-96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निदेश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया।

2. अतएव इस सन्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किया हुआ विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ०प्र० आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाये परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाये। अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की जाये तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञापित भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाये। अन्तिम विज्ञापित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पश्चात् विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त शासनदेश दिनांक 26-12-96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

महोदय,

अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को
- (2). आवास विभाग के सनस्त अनुभाग।
- (3). गार्ड फाइल।
- (4). उ०प्र०, आवास बन्दु।

आज्ञा से,

एच. पी. सिंह



विषय-हुसडिया चौराहा, गोमती नगर लखनऊ, रेलवे लाईन व सेक्टर-5, गोमती नगर विस्तार के मध्य प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर नियोजन/पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।

आख्या-

हुसडिया चौराहा, गोमती नगर लखनऊ रेलवे लाईन व सेक्टर-5 गोमती नगर विस्तार से सटी हुई भूमि का अभियन्त्रण खण्ड जोन-1 द्वारा उपलब्ध सर्वे रिपोर्ट, पर अर्जन अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि हुसडिया चौराहा गोमती नगर लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के राजस्व ग्राम की भूमि खसरा संख्या-227, 225, 232, 233, 234, 235, 230, 229, 228, 225पी0, 224, 223, व 221 व 220 का अधिग्रहण अमर शहीद पथ गोमती विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में किया गया है। जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 05.09.2000 व 16.02.2001 को शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं। अपर जिला अधिकारी-भू0अ0 द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ल0वि0प्रा0 के पक्ष में हस्तान्तरित कर अभिनिर्णय 21.10.2008 को घोषित किया जा चुका है और इस प्रकार भूमि की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/ल0वि0प्रा0 में निहित हो चुका है तथा अर्जन अनुभाग द्वारा टोपो ग्राफिकल सर्वे की प्रति पर ग्रीन कलर से नियोजन हेतु स्थल को चिन्हित कराते हुए उपलब्ध कराया गया है।

अर्जन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वे शीट पर चिन्हित स्थल पर गोमती नगर विस्तार सेक्टर-5 एवं रेलवे लाईन के मध्य प्राधिकरण की भूमि है। उक्त भूमि के आंशिक भाग पर (45.0 मी0 चौड़ा तथा लगभग लम्बा 222.89मी0) मार्ग नियोजित है, जो कि किसी अन्य भाग/एरिया को पोषित नहीं करता है, जिसकी उपयोगिता न होने के दृष्टिगत लैण्ड आडिट की बैठक में निर्देश दिये गये कि 45.0 मी0 चौड़े मार्ग को 12.0 मी0 करते हुए पुनर्नियोजन की कार्यवाही की जाये। तदकम में अर्जन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चिन्हित स्थल तथा उपरोक्त 45.0 मी0 चौड़े मार्ग को 12.0 मी0 कर शेष बची मार्ग की भूमि (33.00मी0 × 222.89मी0) का पुनर्नियोजन कर आवासीय/व्यावसायिक में परिवर्तन करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-5 में स्थित भूखण्ड संख्या-5/01 से 5/31 के सम्मुख स्थित 45.0मी0 चौड़े मार्ग को 12.0मी0 किये जाने पर उक्त रोड पर स्थित आवंटित तथा निबन्धित भूखण्डों की चौहददी इत्यादि में संशोधन की कार्यवाही सम्पत्ति अनुभाग द्वारा की जानी होगी।

अतः शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु सूचना का प्रकाशन लोक महत्व के दो समाचार पत्रों क्रमशः 1. राष्ट्रीय सहारा (हिन्दी), 2. हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) में दिनांक 19.07.2025 के अंक में प्रकाशन कराया गया है। प्रकाशन उपरान्त निर्धारित अवधि में यदि जन सामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त ही हुसडिया चौराहा, गोमती नगर लखनऊ रेलवे

मानचित्रक  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ला०

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ


मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ


174


लाईन व सेक्टर-5 गोमती नगर विस्तार के माध्य रिक्त भूमि का नियोजन/पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव-

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में हुसडिया चौराहा, गोमती नगर लखनऊ रेलवे लाईन व सेक्टर-5 गोमती नगर विस्तार के माध्य रिक्त भूमि का नियोजन/पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
नगर विकास अधिकारी  
नियोजन अनुभाग  
लखनऊ वि० प्रा० ला०

  
अर्च कन प्लानिंग ऑफिसर  
नियोजन अनुभाग

  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

वर्लेफ़ या फ़्लायर का आदर। कृपया एक के बटलर  
between  
verleaf or flyover would create

लीजेंड को स्ट्रिंग, डिबन्धन व कब्ज़ा  
प्रमाण-पत्र जारी करने की नई एसओपी  
ignored, ne sara.

प्लेस में किंग पर 3 करोड़, राबर्ट लाइन लेक के संरक्षण  
विकास कार्य पर 5 करोड़ तथा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के  
अंतर्गत विभिन्न चौराहों व साइनेज के कार्य पर 5 करोड़

In view of this, all schools  
must sensitise their students  
and staff by installing 'oil  
boards' (digital/static posters,  
natives (such as encouraging  
use of stairs, organising short  
exercise breaks, and facilitating  
walking routes), according to

**NORTH CENTRAL RAILWAY**  
No.: Jhansi/S/106/Press Release Dated: 16.07.2025

**PUBLIC NOTICE**

It is notified for the information of general public that in connection with the commissioning of Second line and electrification of Akona -Ragol section, speed trail in this section is to be conducted on 17.07.2025 by PCEE/NCR/PRYJ, and inspection & speed trail has to be conducted by CRS/NE Circle/ Lucknow on 19.07.2025 after that this second line section will be commissioned with electrification by 25kva, All the residents of the neighborhood are requested to stay away from OHE and electric pole, not to sit near the railway line or cross unauthorisedly and also keep their cattle away from the railway line. Doing so is a punishable offence under the Railways Act and may be punishable with fine and imprisonment or both.

Senior Divisional Safety Officer  
North Central Railway, Jhansi  
1247125(A)

North central railways | @CFRNCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001: 2004, ISO 9001: 2008 प्रमाणित संस्थान)  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)  
दूरभाष नं. : 1800 1800 5000, वेबसाइट : www.lvdaonline.co.in

**-: सार्वजनिक सूचना :-**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हुसड़िया चौराहा, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-5 में स्थित भूखण्ड संख्या-5/01 से 5/31 के समुख स्थित 450मी० चौड़े मार्ग को 120मी० करते हुए पुनर्नियोजन किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में शासनादेश सं-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा, जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपपक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को संबोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

B30/29/25-19-07-2025

**IDBI BANK** Regional Office: 2nd Floor, BSNL Building, Mall Road, Kanpur-208001

**Notice under Section 13(8) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (the Act) read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 (the Rules) is published for the borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s):**

Shri Rajendra Kumar and Shri Umesh Chandra Yadav for the loan in the name of M/s Poorvanchal Industries and Trading Co.

The undersigned being the Authorised Officer of IDBI Bank Limited (IDBI Bank) give notice to you as under:

The undersigned as an Authorised Officer of IDBI Bank, in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act, issued Demand Notice under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Rules dated 15/11/2017 to the borrower to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.53,52,882/- (Rupees Fifty Three Lakh Fifty Two Thousand Eight Hundred and Eighty Two Only) towards the outstanding dues in respect of the Loans as on 30/06/2017, together with further interest thereon with effect from 01/07/2017 within 60 days from the date of the said notice. As you have failed to repay the aforesaid amount, the undersigned in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the Act read with the Rules 8(1) of the Rules, took over the symbolic possession of the immovable secured assets of you situated at tehsil Akbarpur, Kanpur Dehat, UP on 13/02/2018, the details of immovable secured assets are more fully mentioned below. The undersigned has issued the Possession Notice in compliance of sub-rule (1), (2) and (2-A) of Rule 8 of the Rules.

Pursuant to taking over possession of the immovable secured assets of you, the undersigned propose to sell them. Accordingly, notice is hereby given to you under section 13(8) read with Rules 8(6) of the Rules that the immovable secured asset more fully mentioned in Annexure hereto shall be sold after 30 days from the publication of this notice by adopting any of the following methods mentioned in Rule 8(5) of the Rules, i.e.:

(a) by obtaining quotations from the parties dealing in the secured assets or otherwise interested in buying such assets; or  
(b) by inviting tenders from the public; or  
(c) by holding public auction including through e-auction mode; or  
(d) by private treaty

In this regard, you may pay the entire outstanding dues of Rs.53,52,882/- (Rupees Fifty Three Lakh Fifty Two Thousand Eight Hundred and Eighty Two Only) as on 30/06/2017 together with further interest at contractual rates and costs thereon and may redeem/ take back the possession of the immovable secured assets in question within the said 30 days specified herein above. In case you/the borrower fail to pay the outstanding dues as mentioned above, within the said 30 days from the publication of this notice, the undersigned would be at liberty to proceed with the sale of the said immovable secured assets by adopting any of the aforesaid methods as may be required in the best interest of IDBI Bank.

Please note that this notice is issued to you in terms of section 13(8) read with Rule 8(6) of the Rules, and without prejudice to the rights available to IDBI Bank under the Act or the Rules or under any other law in force.

**Details of Property:**  
Property 1: All that piece and parcel of land forming part of khata no 250, arazi no 917T, admeasuring 0.0720, hectare i.e 720 square meters, situated in village Bivain, Tehsil Akbarpur, District Kanpur Dehat and bounded on the North by Arajji of Mauji Lal, on South by Kachha Marg 28ft. thereafter other arazi, on East by Link Road from kahn Chandra pura to Bivain and on the West by Arajji of Ahamadi Begum and Rakesh thereafter other arazi.  
Property 2: All that piece and parcel of land forming part of khata no. 39, arazi no 917Mi, in the name of Shri. Umesh Chandra Yadav admeasuring 0.2050 hectare situated in village Bivain, Tehsil: Akbarpur, District - Kanpur Dehat and bounded on the North by Mauji Lal and thereafter Arajji of others, on South by Kachha Marg, on East by Arajji of purchaser thereafter kahn Chandra puram bivain link Marg and on the West by Arajji of Rakesh thereafter other arazi.  
together with all buildings and structures thereon and all plant and machinery attached to the earth permanently fastened to anything attached to the earth.

Date: 19.07.2025 Place: Kanpur AUTHORIZED OFFICER, IDBI BANK LTD.

**IDBI BANK** Regional Office: 2nd Floor, BSNL Building, Mall Road, Kanpur-208001

**Notice under Section 13(8) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (the Act) read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 (the Rules) is published for the borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s):**

Shri Akhilesh Kumar Yadav / Smt. Anila Yadav for the loan in the name of M/s A.K. Industries,

The undersigned being the Authorised Officer of IDBI Bank Limited (IDBI Bank) give notice to you as under:

The undersigned as an Authorised Officer of IDBI Bank, in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act, issued Demand Notice under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Rules dated 15/11/2017 to the borrower to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 51,79,521/- (Rupees Fifty One Lakh Seventy Nine Thousand Five Hundred Twenty One Only) towards the outstanding dues in respect of the Loans as on 01/08/2017, together with further interest thereon with effect from 01/08/2017 within 60 days from the date of the said notice. As you have failed to repay the aforesaid amount, the undersigned in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the Act read with the Rules 8(1) of the Rules, took over the symbolic possession of the immovable secured assets situated at tehsil Akbarpur of Kanpur on 13/02/2018, the details of immovable secured assets are more fully mentioned below. The undersigned has issued the Possession Notice in compliance of sub-rule (1), (2) and (2-A) of Rule 8 of the Rules.

Pursuant to taking over possession of the immovable secured assets of you, the undersigned propose to sell them. Accordingly, notice is hereby given to you under section 13(8) read with Rules 8(6) of the Rules that the immovable secured asset more fully mentioned in Annexure hereto shall be sold after 30 days from the date of your receipt of this notice by adopting any of the following methods mentioned in Rule 8(5) of the Rules, i.e.:

(i) by obtaining quotations from the parties dealing in the secured assets or otherwise interested in buying such assets; or  
(j) by inviting tenders from the public; or  
(k) by holding public auction including through e-auction mode; or  
(l) by private treaty.

In this regard, you may pay the entire outstanding dues of Rs. 51,79,521/- (Rupees Fifty One Lakh Seventy Nine Thousand Five Hundred Twenty One Only) as on 01/08/2017 together with further interest at contractual rates and costs thereon and may redeem/ take back the possession of the immovable secured assets in question within the said 30 days specified herein above. In case you/the borrower fail to pay the outstanding dues as mentioned above, within the said 30 days from the date of your receipt of this Notice, the undersigned would be at liberty to proceed with the sale of the said immovable secured assets by adopting any of the aforesaid methods as may be required in the best interest of IDBI Bank.

Please note that this notice is issued to you in terms of section 13(8) read with Rule 8(6) of the Rules, and without prejudice to the rights available to IDBI Bank under the Act or the Rules or under any other law in force.

**Details of Property:**  
All that part and parcel of land comprised in and forming part of:  
Property 1: Part of khata no. 80, arazi no. 111, admeasuring 0.4100 hectare out of it's total area admeasuring 1.9310 hectare, situated in the Village Titramau, Tehsil Akbarpur, District Kanpur Dehat and bounded on the East by Part of Arazi No. 111, on the West by Arazi of Ram Gopal, on the North by Kachha Road and on the South by Arazi of Ram Sewak and others.  
Property 2: Part of khata no. 00099, arazi no. 116, admeasuring 0.0610 hectare out of it's total area admeasuring 0.9830 hectare situated in village Parsauli, Tehsil Akbarpur, District Kanpur and bounded on the East by Arazi of the Seller and others arazi, on the West by Arazi of Sellar thereafter other arazi, on the North by Public Kachana Road thereafter other arazi and on the South by Chak Road thereafter other arazi.  
together with all buildings and structures thereon and all plant and machinery attached to the earth permanently fastened to anything attached to the earth, present and future.

Date: 19.07.2025 Place: Kanpur AUTHORIZED OFFICER, IDBI BANK LTD.

Sparks Hindustan Times - 19-7-25

**प्रमाण-पत्र जारी करने की नई एसओपी**

पहले सक्षम स्तर से टाइम गैप की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देशों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के साथ-साथ निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सम्पत्ति के निबन्धन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति का तथा सम्पत्ति का कब्जा प्रमाण-पत्र निर्मित किये जाने तथा पत्रावली को रिकार्ड रूप में प्रेषित किये जाने का दायित्व प्रभारी अधिकारी रजिस्ट्री सेल का होगा। सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी की ओर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट सम्बन्धित प्रभारी सम्पत्ति को दी जायेगी। वीसी ने निर्देश दिए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

लेखा अनुभाग से 3 दिन में योजना सहायक को भेजनी होगी फाइल : कम्प्यूटर अनुभाग की ओर से 2 दिन के अन्दर पत्रावली पुनः योजना सहायक को सीधे प्राप्त करा दी जायेगी। योजना सहायक को पत्रावली जमा धनराशि के सत्यापन के लिए लेखा अनुभाग को प्रेषित की जायेगी। लेखा अनुभाग से 3 दिन में सत्यापन कर योजना सहायक को पत्रावली प्राप्त होगी। रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प आदि की सूचना 2 दिन के अन्दर प्रेषित की जायेगी। आवंटि की ओर से स्टाम्प पेपर देने के पश्चात 3 दिन में पत्रावली पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करते हुये पत्रावली रजिस्ट्री सेल में तैनात प्राधिकरण अधिकृत को प्राप्त करा दी जायेगी। रजिस्ट्री सेल को कब्जा प्रमाण-पत्र तैयार करने को पत्रावली कम्प्यूटर अनुभाग को भेजी जायेगी। कब्जा प्रमाण-पत्र प्रभारी अधिकारी रजिस्ट्री सेल की ओर से निर्गत किया जायेगा।

प्लस मैकिंग पर 3 करोड़, राबर्ट लाइन लेक के संरक्षण विकास कार्य पर 5 करोड़ तथा ग्रीन कारिडोर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न चौराहों व साइनेज के कार्य पर 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्य अभियंता नवनीत कुमार की ओर से सभी अधिशासी अभियंताओं को निवेदन मांगे जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

जनेश्वर मिश्र पार्क के पास लक्ष्मी मार्केट में नाली की मरम्मत व सीवर लाइन का कार्य 1 करोड़, विनम्र खण्ड स्थित एलपीएस स्कूल तथा पूर्वचल किंग कोर्ट के मध्य पार्क का निर्माण एवं विकास कार्य पर 2 करोड़, गोमती नगर में ग्वारी चौराहे के पास मल्टी स्पोर्ट्स एरिना का विकास के लिए 1 करोड़, मानसरोवर योजना के अंतर्गत ब्लूडार्ट ऑफिस से एलडीए कार्मशियल काम्प्लेक्स, भरणी, अश्लेषा, समराइज अपार्टमेंट से विजानौर रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क के लिए 292.68 लाख, शारदा नगर योजना के अंतर्गत साउथ सिटी में शहीद पथ से लखनऊ पब्लिक स्कूल और चेशायर होम तक सड़क निर्माण के लिए 1.54 करोड़, लाला लाजपत राय वार्ड अलीगंज में उस्मान इन्क्लेव से सीएमएस चौराहे तक आरसीसी नाले व नाले के कवर के लिए 1.01 करोड़, फैंजल्लाज प्रथम वार्ड नो-48 के अंतर्गत बेरी होटल से मुर्गी फार्म तक सीतापुर रोड जाने वाले मुख्य मार्ग का सुदृढीकरण एवं नाली का निर्माण कार्य के लिए 1.23 करोड़, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में सेक्टर-ए फेज-2, सीतापुर रोड योजना अंतर्गत स्थित गीता वस्त्रालय से ट्यूबवैल वाले पार्क कोने तक बिटमिन सड़क, इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली की मरम्मत का कार्य के लिए 40 लाख व प्राधिकरण के विभिन्न अपार्टमेंट की सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये के साथ कुल 61 कार्यों के लिए 48.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

**ठाकुरगंज अस्पताल में बजट के अभाव में विस्तार रुका**

लखनऊ (एसएनबी)। ठाकुरगंज टीबी संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी बजट के अभाव में विस्तार लटका है। बजट जारी न होने के कारण निर्माण एजेंसी से काम शुरू नहीं हुआ है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जल्द ही बजट मिलने की उम्मीद है। बजट मिलते ही इमरजेंसी के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।

ठाकुरगंज संयुक्त अस्पताल में 200 बेड का संचालन किया जा रहा है। योजना ओपीडी में एक हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। खून एक्सरे समेत दूसरी कई प्रकार की जांचें की जाती हैं। अस्पताल में गायनी, ईएनटी, आर्थोपेडिक समेत अन्य विभाग का संचालन हो रहा है। अभी तक अस्पताल की इमरजेंसी टिनशेड के नीचे ही संचालित की जा रही है। बारिश होने पर पानी टपकने लगता है। इमरजेंसी में भर्ती मरीजों के बेड को इधर-उधर करके किसी तरह इलाज

अस्पताल प्रशासन ने तीन मंजिला इमरजेंसी भवन बनाने का दिया था प्रस्ताव

मुहैया कराया जाता है। अस्पताल प्रशासन ने तीन मंजिला इमरजेंसी भवन बनाए जाने का प्रस्ताव शासन को पिछले साल भेजा था। निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये से अधिक राशि की मांग की गई थी। कार्यवाही संस्था का चयन होने के बाद भी बजट की राशि जारी नहीं हो सकी है। करीब दो माह से निर्माण कार्य अटका हुआ है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. एसपी सिंह के अनुसार इसी माह बजट शासन से मिल जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी का निर्माण कार्यवाही संस्था की ओर से करवाया जाएगा। तीन मंजिला इमरजेंसी भवन में कुल 24 बेड होंगे, इसमें आठ बेड का एचडीयू यूनिट, इमरजेंसी व ओटी, पैथालॉजी और रेडियोलॉजी विभाग यहां पर स्थापित किए जाएंगे। अस्पताल में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इमरजेंसी को वहां से हटकर चेस्ट ओपीडी परिसर में शिफ्ट किया जाएगा।

**बीकेटी : एक मंत्री में कोरोना की पुष्टि**

लखनऊ। राजधानी में कोरोना का संक्रमण यमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में बक्शी का तालाब (बीकेटी) निवासी एक मरीज में कोरोना की पुष्टि की गयी। सोएमओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इस सीजन में 97 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो गयी है, इनमें नौ केस एक्टिव हैं।

**लविवि : रिफ्रेश कोर्स का शुभारंभ**

लखनऊ। मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एवं आधुनिक पाश्चात्य भाषा विभाग के तत्वावधान में शक्रवार से दो सप्ताहिय रिफ्रेश कोर्स की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन भौमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो अमी उपाध्याय ने की। इस दौरान प्रो उपाध्याय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अनुवाद की भूमिका व उसकी चुनौतियां तथा भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इन विषयों को आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बताते हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण में इनकी अहमियत को रेखांकित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं प्रतिभागियों का स्वागत केंद्र के निदेशक प्रो. कमल कुमार ने किया। अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. ओंकार नाथ उपाध्याय ने भाषा, साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में भारत की समृद्ध परंपरा, लोक एवं शास्त्र के भेद, रीति-रिवाज, पूर्व-त्योहार तथा देवी-देवताओं की भाषा में अभिव्यक्ति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस रिफ्रेश कोर्स के आयोजन में देशभर के विभिन्न राज्यों से लगभग 130 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। यह कोर्स 31 जुलाई 2025 तक चलेगा।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
 (ISO 15001 : 2004, ISO 9001 : 2008 प्रमाणित संस्था)  
 आभियंतालय, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)  
 टेलीफोन नं. : 1800 1800 5000, 2623232 : www.lkvnaiiia.co.in

**- सार्वजनिक सूचना :-**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हुसड़िया चौराहा, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-5 में स्थित मूखण्ड संख्या-5/01 से 5/31 के समूख स्थित 45.0मी० चौड़े मार्ग को 120मी० करते हुए पुनर्नियोजन किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./98 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत तलपट मानचित्र में संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अंतर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल चर्चा आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा, जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

Spak Rashtouja Sahasr - 19-7-25

part  
 (such as encouraging  
 ort  
 के संरक्षण  
 परियोजना के  
 के कार्य पर 5 करोड़  
 को निवेदन मांगे जाने के  
 की  
 मरम्मत व सीवर लाइन का कार्य 1 करोड़, विनम्र खण्ड  
 किंग कोर्ट के मध्य  
 गोमती नगर  
 विकास के  
 ब्लूडार्ट  
 भरणी,  
 क्षतिग्रस्त  
 योजना के  
 पब्लिक  
 1.54  
 नाले व नाले के  
 प्रथम वार्ड नो-  
 जाने वाले मुख्य मार्ग का सुदृढीकरण एवं नाली का निर्माण  
 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में  
 स्थित गीता  
 बिटमिन  
 का कार्य  
 के लिए 40 लाख व प्राधिकरण के विभिन्न अपार्टमेंट की  
 के लिए 1 करोड़ रुपये के साथ  
 कुल 61 कार्यों के लिए 48.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

es)  
 A.K.  
 give  
 erred  
 he Act  
 mount  
 Nine  
 ect of  
 t from  
 repay  
 Section  
 mbolic  
 our on  
 below  
 (1), (2)  
 you, the  
 u under  
 set more  
 of your  
 Rule 8(5)  
 therwise  
 (Rupees  
 y) as an  
 ereon and  
 n question  
 to pay the  
 ale of your  
 sale of the  
 as may be  
 d with Rule  
 nder the Act  
 are out of it's  
 mau, Tehsil  
 111, on the  
 th by Arazi of  
 nectare out of  
 nsil Akbarpur,  
 s arazi, on the  
 achaha Road  
 0.1  
 i.e.,  
 bou  
 on E  
 toge  
 and  
 to it  
 Dal



प्रेषक श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, 1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।  
2. आयुक्त,  
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : विकास क्षेत्रों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियाँ/ नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल.यू.सी./96 दिनांक 26.12.96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी की पूर्ण की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकासप्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया।

2. अतएव इस सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किये हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ.प्र. आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाए परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाए। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.12.96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग
3. गार्ड फाइल
4. उ0प्र0, आवास बन्धु

आज्ञा से,  
एच. पी. सिंह  
अनुसचिव

विषय सं०: 30

पृष्ठ सं०-179

विषय:-भूखण्ड सं०-6/बी-175 से 6/180 सेक्टर-6, गोमती नगर विस्तार के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0 मी० चौड़े मार्ग को 12.0 मी० किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:

साई प्वाइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० के निदेशक, श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या-6/वी-175 से 6/वी-180, सेक्टर-6, गोमती नगर विस्तार के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0मी० चौड़े मार्ग को 12.0मी० करवाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि भूखण्ड संख्या-6/वी-175 से 6/वी-180 के सम्मुख स्वीकृत तलपट मानचित्र में 9.0मी० चौड़े मार्ग के उपरान्त ग्रीन/पार्क नियोजित है। उक्त मार्ग की चौड़ाई को 9.0 मी० से 12.0 मी० किये जाने पर पार्क की भूमि में से 3.0 मी० चौड़ी पार्क के समानान्तर भूमि रोड में सम्मिलित करनी आवश्यक होगी, जिससे नियोजित पार्क के क्षेत्रफल में कमी होगी। उक्त कमी की प्रतिपूर्ति आवेदक द्वारा उसकी निर्विवादित स्वामित्व की भूमि से किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण के पत्र सं०-806/अ०स०/सी०टी०पी०/2025 दिनांक 09.06.2025 के माध्यम से आवेदक से पार्क के समतुल्य अपने स्वामित्व की निर्विवादित भूमि निःशुल्क देने के साथ अभिलेख/सहमति पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्गत किया गया। तदक्रम में आवेदक द्वारा अपने पत्र सं०-806/अ.स./सी.टी.पी./2025/09-06-2025/Responce-03 दिनांक 10.6.2025 के माध्यम से सहमति पत्र एवं अभिलेख उपलब्ध कराये गये।

लैण्ड ऑडिट की समीक्षा बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्रीन/पार्क की जो भूमि है इसमें वहां के निवासियों द्वारा कूड़ा कचड़ा जमा किया जा रहा है तथा अस्थाई निर्माण करते हुए अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे यह प्रबल सम्भावना है, जिसके दृष्टिगत समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि इस पार्क की भूमि का पुनर्नियोजन करते हुए इसमें समूह आवास हेतु भूखण्ड नियोजित किया जाय।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गोमती नगर विस्तार योजना का कुल क्षेत्रफल 398.5142 हे० है। जिसमें नियोजन के मानकों के अनुसार पार्क हेतु 15प्रतिशत क्षेत्रफल 59.7771 हे० भूमि की आवश्यकता है, परन्तु इस योजना में 17.81 प्रतिशत क्षेत्रफल-70.9845 हे० भूमि पार्क के रूप में नियोजित है, जो कि आवश्यकता से क्षेत्रफल-11.2074 हे० अधिक है। अतः यदि प्रश्नगत पार्क भूमि क्षेत्रफल-0.70 हे० को ग्रुप हाउसिंग में नियोजित किया जाता है तो योजना हेतु नियोजन के मानकों के अनुसार आवश्यक पार्क की भूमि में कोई कमी नहीं होगी। अतः प्रश्नगत पार्क की भूमि का पुनर्नियोजन किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-6 में भूखण्ड संख्या-6/वी-175 से 6/वी-180, के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0 मी० चौड़े मार्ग के समानान्तर 3.0 मी० पार्क की भूमि को रोड में परिवर्तन करते हुए 12.0 मी० किये जाने तथा पार्क की भूमि को स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए पार्क की भूमि को समूह आवास उपयोग हेतु पुनर्नियोजन किया जाना होगा, जिसके लिए शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक

निदेशक  
नियोजन अनुभाग  
20 वि० प० ल०

मुख्य नगर नियोजक  
आर्च कम्प्लानिंग असिस्टेन्ट-लखनऊ विकास प्राधिकरण  
नियोजन अनुभाग लखनऊ

13.10.1998 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधित किये जाने से पूर्व जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना आवश्यक है, तदकम में प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु लोक महत्व के दो समाचार पत्रों कमशः 1. दैनिक जागरण (हिन्दी) 2. हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) में दिनांक 22.06.2025 के अंक में प्रकाशन कराया गया था। प्रकाशन उपरान्त निर्धारित अवधि में जन सामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्तानुसार गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-6 में भूखण्ड संख्या-6/वी-175 से 6/वी-180, के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0 मी० चौड़े मार्ग के समानान्तर 3.0 मी० पार्क की भूमि को रोड में परिवर्तन करते हुए 12.0 मी० किये जाने तथा पार्क की भूमि को स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए पार्क की भूमि को समूह आवास उपयोग हेतु पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव-उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-6 में भूखण्ड संख्या-6/वी-175 से 6/वी-180, के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0 मी० चौड़े मार्ग के समानान्तर 3.0मी० पार्क की भूमि को रोड में परिवर्तन करते हुए 12.0 मी० किये जाने तथा पार्क की भूमि को समूह आवास उपयोग हेतु पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानचित्रकार  
के.के.के.के.के.  
लखनऊ

आर्थिक प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

by omi-  
tion of  
astics as  
of devel-  
ress on  
in sectors  
ulture, and

chairman of  
onal council,  
y chain and  
come critical  
iness success,  
ansactional and  
used functions  
rivers of competi-

**BANK**  
Your Trust  
Taking  
Lacknow-226010,  
ucobank.co.in  
J C Bose Marg, Lafbagh,  
lucka@ucobank.co.in  
Date: 09.05.2025

age- Newada, Bahargaon

or) S/o Late-Virendra Nath

6  
Singh (Legal heir of Late

h Semrauta, Amethi-229126

Kumar Singh (Legal heir of  
uriankalan, Post - Kuriankalan,

8) of the Securitization and  
and Enforcement of Security  
8(6) of the Security Interest  
Sal Automobiles  
Automobiles (Proprietor Late Prem  
ed a Cash Credit facility from UCO  
ly passed away. Shri Rajeshwar  
Singh is Guarantor in the aforesaid  
ir of the deceased borrower, are  
(8) of the Securitization and  
s and Enforcement of Security  
8(6) of the Security Interest  
SI Act), that the Authorised Officer  
r, under the Securitization and  
d Enforcement of Security Interest  
owers conferred under the said Act  
d demand-notice dated 12.09.2018  
o discharge in full your liabilities to  
y (60) days from the date of receipt

ntor failed to discharge the liability  
ice, UCO Bank has taken recourse  
Officer has taken possession of the  
ion 13(4) of the said Act read with  
ent) Rules, 2002 on 31.12.2018 as  
of the Possession-Notice dated

tor failed to liquidate Bank's entire  
the secured assets. As per Section  
Kumari Devi, you are requested to  
(Rs. Ninety one lacs sixty seven lac  
x only) as on 31.08.2018 (inclusive  
alongwith future interest, all costs,  
days from the date of receipt of this  
date of publication of the notice for  
n is invited to redeem the secured  
the aforesaid stipulated time.  
with this notice, Bank will proceed  
the SARFAESI Act, 2002 and the  
ts dues along with future interest,

ice to Bank's rights and contentions  
being in force.

102  
Authorised Officer, UCO Bank

Kotwali-area of Amroha.  
Maheshwari was arrested and  
taken to Delhi for further inves-  
tigation.

During the operation, inves-  
tigators also discovered incom-  
plete records, which contrib-  
uted to the distributor's arrest.  
The agency did not share infor-  
mation about the raid with  
local police or administrative  
authorities, except for the  
Kotwali police, who were  
informed for security purposes.

This action follows a previ-  
ous raid conducted by the  
agency in Hapur district, where  
narcotics were seized and a  
youth from Amroha—allegedly  
connected to a Delhi-based  
drug supply gang—was  
arrested.

Meanwhile, on Tuesday, the  
Enforcement Directorate (ED)  
conducted simultaneous  
searches at four locations in  
Uttar Pradesh, targeting a net-  
work accused of supplying  
tramadol, a tightly regulated  
drug, to addicts. According to  
agency officials, two locations

### KOTWALI AREA OF AMROHA.

were in Lucknow, and the oth-  
ers in Muzaffarnagar and  
Gonda.

These searches were part of  
a broader operation spanning  
15 locations across UP, Madhya  
Pradesh, Uttarakhand, Hima-  
chhal Pradesh, Punjab and  
Maharashtra, aimed at dis-  
mantling a drug trafficking  
module.

The crackdown has brought  
several pharmaceutical manu-  
facturing companies in UP  
under scrutiny for their alleged  
involvement in siphoning off  
banned Tramadol tablets for  
illicit use in Punjab.

Findings from the ED's  
Jalandhar unit prompted these  
investigations after earlier  
raids in the state. Authorities  
are now examining discrepan-  
cies between the volume of  
Tramadol tablets manufact-  
ured and the amount legally  
distributed.

### HT Correspondent

letters@htlive.com

**LUCKNOW:** As opposition  
mounts pressure over the  
merger of government schools  
with fewer than 50 students, the  
Uttar Pradesh government  
remains firm on its decision.  
According to an official, the deci-  
sion was taken in the best inter-  
est of students.

"There are 1.40 lakh govern-  
ment primary and upper pri-  
mary schools in the state, out of  
which 29,000 have 50 or fewer  
students," an official said on con-  
dition of anonymity. "Around  
89,000 teachers are posted in  
these schools. The broader plan  
is to shift students from low-en-  
rolment schools to nearby insti-  
tutions with larger campuses  
and better facilities," the official  
added.

He said, "Students deserve  
access to better facilities, includ-  
ing libraries, proper classrooms,  
and other amenities. The schools  
they will be shifted to are located  
just 200 to 500 metres from their  
original ones, so it will not cause  
any inconvenience to either stu-  
dents or teachers. One key  
advantage of larger schools is  
that even if a teacher is absent,  
there are others available to  
ensure classes continue without  
disruption."

Additional chief secretary for  
basic education, Deepak Kumar,  
issued a letter to all district mag-  
istrates on June 16 regarding the  
school merger plan. The deci-  
sion, he stated, aligns with the  
Union government's proposal to  
consolidate existing infrastruc-  
ture and ensure optimal use of  
the limited facilities available in  
these schools.

In Lucknow alone, over 300  
out of 1,618 government primary  
and upper primary schools are  
set to be merged, an official said.

These smaller schools will  
now be repurposed to conduct  
classes for pre-primary students,  
the official added. Instructions  
have been issued to all districts  
to prepare reports identifying  
schools with fewer than 50  
enrolled students and to facili-  
tate their merger with nearby  
schools.

At the same time, the central  
government has directed that  
schools be made fully functional  
and efficiently utilised. It has  
emphasised the need to explore  
the possibility of merging low-  
enrolment schools with nearby  
institutions to ensure better use  
of resources and improved edu-  
cational outcomes.

To make the schools fully  
functional and viable, the Gov-  
ernment of India has expected  
that the possibility of consolida-  
tion of schools with low enroll-  
ment with other nearby schools  
should be ascertained.

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)  
प्राधिकरण नगर, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (2000) वेबसाइट www.lkvcad.com

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोमती नगर विस्तार योजना, संक्टर-6 में भूखण्ड संख्या-5/बी-175 से 6/बी-180, के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0 मी० चौड़े मार्ग के समानांतर 03.0मी० पार्क की भूमि को रोड में परिवर्तन करते हुए 12.0मी० किये जाने तथा पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए उक्त भूमि को समूह आवास उपयोग हेतु पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राधिकरण के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में तृतीय किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए संविद, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**अपर सचिव**

**PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA HARDOI**  
**BILGRAM HARDOI ROAD, MALIHAMAU HARDOI**  
E-मेल: kvhardoi2024@gmail.com वेबसाइट: https://hardoi.kvs.ac.in/ फोन: 05852-297574

फ० KVH-2290/26089/2025-26/108 दिनांक-21.06.2025

**Admission Notice**

It is informed to the public that in the current session 2025-26 at PM Shri Kendriya Vidyalaya Hardoi, seats are available for admission in Class 10 and Class 12 in Science and Humanities only for Parents of Category I and II (permanent employees of the Central Government service), and in Class 11 Humanities for students of all categories. The registration form will be available at the school from June 23, 2025, to June 25, 2025, from 11:00 AM to 1:00 PM, and also submitted during this time. The registration form is also available on the school's website <https://hardoi.kvs.ac.in/>. For more information, please visit the aforementioned website.

Note: 1- Registration alone does not guarantee admission.  
2- Admissions will be provided according to the Kendriya Vidyalaya Sangathan Admission Guidelines 2025-26

**Principal**

बुजलाल शामिल है। पुलिस ने अभी तक छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। (जास)

**सोने का हार चोरी**

लखनऊ: इंदिरा नगर निवासी खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त ने अपने घर से सोने का हार और नकदी चोरी हो जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि वह कानपुर जनपद में तेनात हैं। 13 जून को इयूटी से वापस घर लौटते तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो किसी ने नकदी और करीब 42 ग्राम वजन का सोने का हार चोरी कर लिया था। पुलिस सीसी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। (जास)

वार कर उसका सिर फोड़ दिया। बेसुध होने पर आरोपितों ने ब्लेड से कृष्णा का गला रेतकर हत्या कर दी और शव घैला पुल के पास फेंककर भाग निकले। मड़ियांव पुलिस ने प्रेमिका के भाई समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा के मुताबिक राधाग्राम निवासी संजय यादव उर्फ मोनु, छठा मील मुस्लिम नगर के वसीक खान उर्फ राजा, नौबस्ता के मो. आमिर व जानकीपुरम सेक्टर-दो झोपड़पट्टी निवासी शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपित टैक्सी चालक हैं। आरोपितों की निशानदेही पर हत्या

निजी चालक का हत्या करने वाल पुलिस गिरफ्तार म पुलिस में प्रयुक्त राड, पाना व ब्लेड बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपित संजय यादव उर्फ 'मानू' ने बताया कि कृष्णा की उसकी बहन से प्रेम प्रसंग था। बहन की सगाई होने के बाद भी कृष्णा उसे परेशान कर रहा था। वह कई बार उसे समझा चुका था, पर वह मानने को तैयार नहीं था। साजिश के तहत उसने कृष्णा को शराब पीने के लिए हरीनगर स्थित शराब के ठेके पर बुलाया था। साथी राजा, मो. आमिर और शरीफ भी कुछ देर बाद आ गए। सभी ने मिलकर शराब पी थी। इसके बाद राजा की आंटी में बैठकर बसंत कुंज योजना की

तरफ चले गए। वहां सूनसान स्थान पर आंटी रोककर फिर सभी ने फिर शराब पी थी। कृष्णा के नशे में होने पर राड और पाने से उसके सिर पर वार कर दिया। कृष्णा के बेसुध होने पर ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसके बाद कृष्णा का शव आंटी से घैला पुल के पास फेंककर भाग निकले थे।

यह था मामला: 18 मई को घैला पुल के पास एक युवक का शव मिला था। 19 मई को ठाकुरगंज के राधाग्राम इंडा कालोनी निवासी सूरज गुप्ता ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की शिनाख्त भाई कृष्णा गुप्ता के रूप में की थी।


**क्रिप्टो करेंसी से मनी लांड्रिंग करने वाले गिरोह को पकड़ा**

जास • लखनऊ: साइबर क्राइम और गोसाईगंज पुलिस ने संयुक्त आपरेशन में दो स्थानों पर छापेमारी कर आठ साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मनी लांड्रिंग में शामिल था और ट्रेडिंग व अन्य तरीकों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका था। ठगी की रकम से अपना कमीशन काटकर बची हुई रकम का यूएसडीटी व अन्य क्रिप्टो करेंसी खरोदकर चीन के साइबर माफिया के खाते में ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना चीन, कंबोडिया और वियतनाम में अपना ठिकाना बना चुका है और वहीं से आपरेशन को अंजाम दे रहा था। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।

साइबर क्राइम थाना के इंस्पेक्टर बृजेश कुमार यादव ने बताया कि मोहनलालगंज निवासी सत्यम तिवारी, बस्ती निवासी दिवाकर



विनोद कुमार नईक अहमद



मनीष जायसवाल क्रिशा शुकला



दिवाकर सिंह मोहम्मद साद



सक्षम तिवारी सत्यम तिवारी

विक्रम सिंह, रायबरेली निवासी सक्षम तिवारी, गौडा निवासी विनोद कुमार, जानकीपुरम निवासी क्रिशा शुकला, बाराबंकी निवासी मो.शाद, गौडा निवासी लईक और कैंट मनीष जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, एक टैब, तीन चेक बुक, एक पास बुक, चार लज्जरी कार

और एक लाख 85 हजार रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपित लोगों को ट्रेडिंग और अन्य तरीकों से साइबर फ्राड में फंसाते थे और ठगी की रकम किराये पर लिए गए बैंक अकाउंट्स में मंगाते थे। इसके बाद वे अपना कमीशन काटकर शेष रकम से यूएसडीटी और अन्य क्रिप्टो करेंसी खरीदते थे और

चाइनीज साइबर माफिया को ट्रांसफर कर देते थे। आरोपितों ने बताया कि वे क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लांड्रिंग भी कर रहे थे और काफी बड़ी मात्रा में बैंक मनी को व्हाइट किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अकाउंट होल्डर को साथ में लेकर घूमते थे: पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य ठगी की रकम मंगाने के लिए लोगों से किराए पर या कमीशन पर बैंक अकाउंट लेते थे। जिन लोगों के बैंक अकाउंट में साइबर फ्राड की बड़ी रकम आनी होती गिरोह के सदस्य उन्हें अपने साथ गाड़ी में लेकर चलते हैं। उन्हीं लोगों से बैंक अकाउंट से रुपये निकलवाते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए साइबर जालसाजों ने दो महीने में करीब 80 लाख रुपये का फ्राड क्रिप्टो करेंसी में धुंधला कर दिया है।

**पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, ठाकुरगंज थाने में मुकदमा**

जास • लखनऊ: ठाकुरगंज थाने में एक महिला ने अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक अन्य महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में शिकायत करने वाली महिला के पति ने 14 जून को अपने घर में फंदे से लटककर जान दे दी थी।

पुलिस को दी शिकायत में कुमाँचल नगर निवासी शालिनी त्रिपाठी ने बताया कि 11 जुलाई 2007 में उनकी शादी आशीष त्रिपाठी से हुई थी। आरोप है कि

शादी के करीब सात वर्षों बाद आशीष हरदोई निवासी सुनीता शुकला उर्फ मोना के संपर्क में आए। शालिनी का आरोप है कि सुनीता ने उनके पति को प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोप है कि इसका फायदा उठाकर सुनीता उनके घर में आकर पति के साथ रहने लगी और घर के सामान, जेवर आदि भी हड़प लिए। झांसे में लेकर उन्होंने आशीष का पैतृक आवास भी बिकवा दिया। परेशान होकर आशीष ने जान दे दी।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001: 2004, ISO 9001: 2008 प्रमाणित संस्था)  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (उत्तरांचल) वेबसाइट: www.lkdvk.in

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-6 में भूखण्ड संख्या-5/बी-175 से 6/बी-180, के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0 मी0 चौड़े मार्ग के समानान्तर 03.0मी0 पार्क की भूमि को रोड में परिवर्तन करते हुए 12.0मी0 किये जाने तथा पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए उक्त भूमि को समूह आवास उपयोग हेतु पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में शासनदेश सं0-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधित किये जाने हेतु उ3000 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**अपर सचिव**

21/11/98  
श्री सुनील कुमार - 9

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त,  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

विषय : विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियाँ/नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल.यू.सी०/96, दिनांक 26-12-96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निदेश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण की जावेगी। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया।

2 अतएव इस सन्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किया हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/मुखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ०प्र० आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाये परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाये। अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की जाये तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञापित भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जावे। अन्तिम विज्ञापित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पश्चात् विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त शासनदेश दिनांक 26-12-96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव


संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को
- (2). आवास विभाग के सनस्त अनुभाग।
- (3). गार्ड फाइल।
- (4). उ०प्र०, आवास बन्धु।

आज्ञा से,  
एच. पी. सिंह

# 60.0 M. WIDE EXPRESSWAY



गौमती नगर विस्तार  
सेक्टर - 6

9.0 मी. रोड से 12.0 मी. लीना प्रस्तावित

ग्रुप हाउसिंग प्रस्तावित

समायोजित ग्रीन

विषय-चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

आख्या-

उपाध्यक्ष महोदय के पत्र सं०-225/मेमो/पी.ए./25-26 दिनांक 25.06.2025 (छायाप्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न) द्वारा चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन (UPSRTC) के भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराया जाना है। विकासकर्ता द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन भी किया जा चुका है (LDA/BP/25-26/0524)। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त स्थल पर 45.0 मी० रोड स्थित है। उक्त भूमि इम्पूवमेंट ट्रस्ट की है एवं प्राप्त मानचित्र में भी यह भूखंड बस स्टेशन हेतु आरक्षित दिखाया गया है व उक्त स्थल पर सड़क की चौड़ाई 24.0 मी० दर्शायी गई है। इस संबंध में समिति का गठन करने हुए वर्तमान में मास्टर प्लान तथा प्राधिकरण द्वारा निर्गत लीज प्लान में रोड की चौड़ाई के संबंध में स्थल निरीक्षण करते हुए नियमानुसार उक्त भूमि पर कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन की भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराये जाने एवं महायोजना मार्ग को 30.0 मी० चौड़ा किये जाने साथ ही प्रस्तुत मानचित्र के सेटबैक में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02.07.2025 के कार्यवृत्त (छायाप्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न) के अनुसार समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों, प्राधिकरण में स्वीकृत हेतु जमा किये गये मानचित्र एवं पूर्व महायोजना-2001 का भी अवलोकन किया गया।

उपरोक्त समस्त अभिलेखों के परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण उपरान्त समिति द्वारा निम्न संस्तुति की गयी है :-

1. प्रस्तावित स्थल के सम्मुख इम्पूवमेंट ट्रस्ट की स्वीकृत मवैया स्कीम के तलपट मानचित्र तथा 2001 की लखनऊ महायोजना में दर्शित मार्ग की चौड़ाई 30 मी० के अनुसार ही वर्तमान महायोजना मार्ग को 45 मी० से 30 मी० चौड़ा प्रस्तावित किया जाय।
2. 45 मी० से 30 मी० चौड़ा मार्ग प्रस्तावित करने में मार्ग से रिक्त हुई भूमि पर समीपवर्ती विद्यमान भू-उपयोगों को विस्तारित कर प्रस्तावित किया जाय।
3. उपरोक्तानुसार महायोजना मार्ग को 30 मी० चौड़ा किये जाने साथ ही कार्नर के भूखण्ड पर स्वीकृत हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सेटबैक में छूट प्रदान किये जाने हेतु आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
4. प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकरण पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० का अभिमत भी प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्त बिन्दु संख्या-4 के क्रम में प्राधिकरण के पत्र सं०-900/अ०स०/मु०न०नि०/2025 दिनांक 06.07.2025 के माध्यम से प्रश्नगत मानचित्र स्वीकृति के निस्तारण के संबंध में तकनीकी अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

आर्च कन प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग

कौशवेन्द्र कुमार गौतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० को प्रेषित है, परन्तु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का तकनीकी अभिमत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) के अध्याय-10 पृष्ठ सं०-115 के प्रस्तर सं०-10.1.7 के उप प्रस्तर -3 में निम्नवत् उल्लेख है -


“यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा।”


गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्तावित स्थल के सम्मुख इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की स्वीकृत मवैया स्कीम के तलपट मानचित्र तथा 2001 की लखनऊ महायोजना में दर्शित मार्ग की 30 मी० चौड़ाई के अनुसार वर्तमान महायोजना मार्ग (जो ए.पी. सेन रोड से मिल रोड तक है, के अंश भाग) को 45 मी० से 30 मी० चौड़ा करते हुए तथा इसके समीपवर्ती विद्यमान भू-उपयोगों को 30 मी० चौड़े मार्ग तक विस्तारित करते हुए महायोजना में संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने तथा प्रस्तावित भूखण्ड कार्नर का होने के दृष्टिगत स्वीकृत हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सेटबैक में छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है (महायोजना की पार्ट प्रति अनुलग्नक-3 पर संलग्न)।

#### प्रस्ताव :

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित स्थल के सम्मुख इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की स्वीकृत मवैया स्कीम के तलपट मानचित्र तथा 2001 की लखनऊ महायोजना में दर्शित मार्ग की 30 मी० चौड़ाई के अनुसार वर्तमान महायोजना मार्ग (जो ए.पी. सेन रोड से मिल रोड तक है, के अंश भाग) को 45 मी० से 30 मी० चौड़ा करते हुए तथा इसके समीपवर्ती विद्यमान भू-उपयोगों को 30 मी० चौड़े मार्ग तक विस्तारित करते हुए महायोजना में संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने तथा प्रस्तावित भूखण्ड कार्नर का होने के दृष्टिगत स्वीकृत हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सेटबैक में छूट प्रदान किये जाने की संस्तुति के क्रम में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
मनिज कुमार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

  
अरवि कुमार  
असिस्टेन्ट  
नियोजन अनुभाग

  
कौशिकेन्द्र कुमार गौतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

604/CAP/21  
26/06/2022

उपाध्यक्ष कार्यालय,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

संख्या: 225/मेमो/पी.ए./25-26

दिनांक 25 जून, 2025

चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन (UPSRTC) के भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराया जाना है। विकासकर्ता द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन भी किया जा चुका है (LDA/BP/25-26/0524)। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त स्थल पर 45.0 मी0 रोड स्थित है, परंतु कार्यालय में जमा दस्तावेजों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त भूमि इंफ्रूवमेंट ट्रस्ट की है एवं प्राप्त मानचित्र में भी यह भूखंड बस स्टेशन हेतु आरक्षित दिखाया गया है व उक्त स्थल पर बहुत छोटी सड़क दर्शायी गई है। इस संबंध में श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर सचिव की अध्यक्षता में निम्न समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर सचिव
2. मुख्य नगर नियोजक
3. मुख्य अभियन्ता
4. प्रभारी अधिकारी-ट्रस्ट
5. सहायक लेखाधिकारी

उक्त परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान में मास्टर प्लान तथा प्राधिकरण द्वारा निर्गत लीज प्लान में रोड की चौड़ाई के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण कर लें तथा नियमानुसार उक्त भूमि पर किस तरह का निर्माण किया जा सकता है, उसके सम्बन्ध में अपनी आख्या तथा आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(प्रथमेश कुमार)  
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त सम्बन्धित/गार्ड फाइल।

(प्रथमेश कुमार)  
उपाध्यक्ष

चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश परिवहन कारपोरेशन की भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कराये जाने एवं महायोजना मार्ग को 30 मी० चौड़ा किये जाने साथ ही प्रस्तुत मानचित्र के सेटबैक में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02.07.2025 का कार्यवृत्त :

उपस्थिति :-

1. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
2. श्री के०के० गौतम, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण
3. श्री नवनीत शर्मा, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण
4. श्री प्रभाकर सिंह, प्रभारी अधिकारी-ट्रस्ट, लखनऊ विकास प्राधिकरण
5. श्री विनोद श्रीवास्तव, सहायक लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय आदेश दिनांक 25.06.2025 के क्रम में चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन की भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कराये जाने के लिए आवेदित मानचित्र सं० LDA/BP/25-26/0524 के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना-2031 के अनुसार प्रस्तावित स्थल के सम्मुख 45 मी० चौड़े मार्ग तथा प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया स्कीम के तलपट मानचित्र में दर्शित रोड की चौड़ाई का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण करते हुए नियमानुसार उपरोक्त भूमि पर निर्माण करने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के अनुपालन में दिनांक 01.07.2025 का समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्राधिकरण में स्वीकृत हेतु जमा किये गये मानचित्र का भी अवलोकन किया गया जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. प्रस्तावित स्थल के सम्मुख लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) के अनुसार 45 मी० चौड़ा महायोजना मार्ग प्रस्तावित है जिसमें रोड के मध्य से 22.50 मी० मार्ग की भूमि छोड़ते हुए नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया जा सकता है जबकि आवेदक द्वारा वर्तमान में स्थल पर विद्यमान मार्ग के अनुसार स्वीकृत हेतु प्रेषित मानचित्र में प्रस्तावना की गयी है।
2. प्राधिकरण में उपलब्ध इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अन्तर्गत मवैया स्कीम के तलपट मानचित्र में प्रश्नगत स्थल के सम्मुख स्टेशन रोड दर्शित है जिसमें 40 फिट रोड के साथ प्रस्तावित मानचित्र के सम्मुख 30 फिट चौड़ा फुटपाथ भी दर्शित किया गया है जिसमें मार्ग के मध्य से भूखण्ड की सीमा तक 50 फिट की दूरी प्राप्त होती है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि तत्समय स्वीकृत तलपट मानचित्र में 100 फिट चौड़ा अर्थात् 30 मी० चौड़ा मार्ग प्रस्तावित रहा होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण में उपलब्ध 2001 की महायोजना का भी परीक्षण किया गया जिससे भी स्पष्ट होता है कि तत्समय महायोजना में स्थल के सम्मुख 30 मी० चौड़ा महायोजना मार्ग प्रस्तावित था। अधिकांश निर्माण मार्ग के मध्य से औसतन 15 मी० की दूरी पर विद्यमान पाये गये तथा मार्ग के एक ओर रेलवे की भूमि स्थित है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि भविष्य में इस मार्ग को 45-मी० चौड़ाई में



निर्मित करने में अत्यधिक कठिनाई होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) के अध्याय-10 पृष्ठ सं०-115 के प्रस्तर सं०-10.1.7 के उप प्रस्तर -3 में निम्नवत् उल्लेख है -

“यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा।”

अतः उपरोक्त तथ्यों दृष्टिगत समिति द्वारा निम्न संस्तुति की जाती है :-

1. प्रस्तावित स्थल के सम्मुख इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट की स्वीकृत मवैया स्कीम के तलपट मानचित्र तथा 2001 की लखनऊ महायोजना में दर्शित मार्ग की चौड़ाई 30 मी० के अनुसार ही वर्तमान महायोजना मार्ग को 45 मी० से 30 मी० चौड़ा प्रस्तावित किया जाय।
2. 45 मी० से 30 मी० चौड़ा मार्ग प्रस्तावित करने में मार्ग से रिक्त हुई भूमि पर ~~सहायक लेखाधिकारी~~ ~~भू-उपयोगों~~ को विस्तारित कर प्रस्तावित किया जाय।
3. उपरोक्तानुसार महायोजना मार्ग को 30 मी० चौड़ा किये जाने साथ ही कार्नर के भूखण्ड पर स्वीकृत हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सेटबैक में छूट प्रदान किये जाने हेतु आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
4. प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकरण पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० का अभिमत भी प्राप्त कर लिया जाय।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।



(विनोद श्रीवास्तव)  
सहायक लेखाधिकारी  
ल०वि०प्रा०




(प्रभाकर सिंह)  
प्रभारी अधिकारी-ट्रस्ट,  
ल०वि०प्रा०



(नवनीत शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता,  
ल०वि०प्रा०





(के०के० गौतम)  
मुख्य नगर नियोजक,  
ल०वि०प्रा०



(ज्ञानेन्द्र वर्मा)  
अपर सचिव,

लखनऊ विकास प्राधिकरण





विषय-गोमती नगर योजना के विकास खण्ड-2 में 'नर्सिंग होम' भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर 'व्यावसायिक' उपयोग की भूमि को वर्ष 1996 में 'नर्सिंग होम' उपयोग हेतु निष्पादित लीजडीड के अनुसार भूमि का भू-उपयोग तलपट मानचित्र में 'नर्सिंग होम' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या-

गोमती नगर योजना के विकास खण्ड-2 के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में नर्सिंग होम उपयोग में अंकित 1050 वर्गमीटर भूखण्ड का आवन्तन डा० कैलाश नारायण सिंह के पक्ष में वर्ष 1988 में किया गया था। इस भूखण्ड में संलग्न 545.38 वर्गमीटर भूमि जिसका भू-उपयोग तलपट मानचित्र में व्यावसायिक अंकित है, का आवन्तन वर्ष 1994 में नर्सिंग होम के विस्तार हेतु डा० सिंह के अनुरोध पर उनके पक्ष में किया गया। वर्ष 1988 में नर्सिंग होम हेतु आवन्तित भूमि की लीज डीड वर्ष 1989 में की गयी, जबकि वर्ष 1994 में नर्सिंग होम हेतु आवन्तित 545.38 वर्गमीटर भूमि की लीज डीड वर्ष 1996 में आवटी के पक्ष में निष्पादित की गयी। योजना का पार्ट तलपट मानचित्र अनुलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

वर्तमान में आवन्टी द्वारा वर्ष 1996 में निष्पादित लीजडीड (नर्सिंग होम उपयोग) के अनुसार 545.35 वर्गमीटर भूमि को फ्री-होल्ड कराये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि प्रश्नगत भूमि का उपयोग तलपट मानचित्र में वर्ष 1996 में नियमानुसार परिवर्तित नहीं कराया गया था, अतः फ्री-होल्ड से सम्बन्धित कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है। सम्पत्ति अनुभाग के अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत भूमि का आवन्तन तत्समय किया गया था, परन्तु तलपट मानचित्र में तदनुसार परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गयी। सम्पत्ति अनुभाग की आख्यानुसार गोमती नगर योजना के विकास खण्ड-2 में 'नर्सिंग होम' भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर 'व्यवसायिक' उपयोग की भूमि को वर्ष 1994 में 'नर्सिंग होम' उपयोग में पट्टे पर आवंटित किये जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि का भू-उपयोग तलपट मानचित्र में इस शर्त के साथ 'नर्सिंग होम' परिवर्तित किया जाना है कि आवंटी द्वारा तत्समय व्यवसायिक भू-उपयोग की प्रभावी दर के अनुसार गणना कराकर पूर्व में नर्सिंग होम भू-उपयोग के अनुसार की गयी गणना के अनुसार जमा धनराशि को घटाकर अवशेष देय धनराशि को नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराया जाना होगा।

तत्समय निष्पादित लीज डीड में निर्धारित उपयोग के अनुसार तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु उपरोक्त शर्त के साथ शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60एल.यू.सी./1996 दिनांक 13.10.98 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 के मद संख्या-179/17 पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में गोमती नगर योजना, विकास खण्ड-2 में 'नर्सिंग होम' भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर 'व्यवसायिक' भूमि से 'नर्सिंग होम' उपयोग में परिवर्तित किये जाने के संबंध में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु लोक महत्व के दो दैनिक समाचार पत्रों कमशः दैनिक आज (हिन्दी) एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी) के दिनांक 04.05.2025 के अंक में सूचना का प्रकाशन कराया गया। सूचना प्रकाशन उपरान्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

आर्च कन प्लानिंग असिस्टेन्ट  
नियोजन अनुभाग

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60एल.यू.सी./1996 दिनांक 13.10.98 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्राधिकरण के तलपट मानचित्र में संशोधन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है एवं इस हेतु समस्त प्रक्रिया उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के समान की जानी होती है।

प्रस्ताव-

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में गोमती नगर योजना के विकास खण्ड-2 में 'नर्सिंग होम' भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर 'व्यावसायिक' उपयोग की भूमि को वर्ष 1996 में 'नर्सिंग होम' उपयोग हेतु निष्पादित लीजडीड के अनुसार भूमि का भू-उपयोग तलपट मानचित्र में 'नर्सिंग होम' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आर्च रूम प्लानिंग असिस्टेंट  
निर्माण अनुभाग

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

of Engineer, Storm Water Drain, BBMP, Room  
 building, 1st Floor, BBMP Head Office, N.R Square,  
 60 002. (3) Last Date for receipt of Tenders is on  
 upto 5:00 pm. (4) Date of opening of the Technical bid  
 27.05.2025 by 5:30 pm or next working day. (5) Date of  
 opening of the financial bid will be intimated to technically qualified  
 contractor/successful bidder in KPP portal.  
**Sd/- Executive Engineer,**  
**SWD Dasarahalli Zone**

**CANTONMENT BOARD PRAYAGRAJ**  
 (An Autonomous Body Under Ministry of Defence)  
 2, Ashoka Road, New Cantt, Prayagraj-211001,  
 Phone: 0532-2422121, Email: ceo@cb-prayagraj.nic.in  
 Website: https://prayagraj.cantt.gov.in

**CANCELLATION CORRIGENDUM**  
 Reference this office Advt. No. S/48/2/CBA/2025/341 dated  
 04.03.2025 published in 03 Daily Newspapers on 06.03.2025 in  
 respect of GeM Bid No. GEM/2025/B/6012275 dated 04.03.2025 for  
 "Engagement Of Unskilled And Skilled Manpower For Civil  
 Conservancy Conservancy At Prayagraj Cantonment Board" and GeM  
 Bid No. GEM/2025/B/6010429 dated 04.03.2025 for "Engagement Of  
 Unskilled And Skilled Manpower For Military Conservancy At Prayagraj  
 Cantonment Board" and published on GeM Portal on 04.03.2025.  
 Due to administrative reasons, GeM Bid No. GEM/2025/B/  
 6012275 dated 04.03.2025 for "Engagement Of Unskilled And  
 Skilled Manpower For Civil Conservancy Conservancy At Prayagraj  
 Cantonment Board" and GeM Bid No. GEM/2025/B/6010429 dated  
 04.03.2025 for "Engagement Of Unskilled And Skilled Manpower For  
 Military Conservancy At Prayagraj Cantonment Board" is hereby  
 cancelled.  
 No: S/48/2/CBA/2025/743 **CHIEF EXECUTIVE OFFICER**  
 Dated: -03 May, 2025 **CANTONMENT BOARD PRAYAGRAJ**

**UTTARAKHAND CIVIL AVIATION DEVELOPMENT AUTHORITY**  
 Doon Hallidrome, Sahasradhara Road, P.O. Kulhan, Dehradun-244001 Email: ucada@doon.org.in  
 Letter No. 698/UCADA/2025 Date: 03-05-2025

**REGISTRATION OF HELICOPTER  
 CHARTER OPERATORS & TRAVEL AGENTS  
 FOR UPCOMING YATRA SEASON 2025**

**DATE EXTENSION CORRIGENDUM-3**  
 The last date of registration for Charter Operator  
 and Travel Agents is hereby extended till  
 10-05-2025. All the interested operators/travel  
 agents are requested to submit the hard copy in  
 UCADA's Office.  
**CEO, UCADA**

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
 (ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)  
 प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (उत्तर) वेबसाइट www.lidonline.com.in

**सार्वजनिक सूचना**  
 प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 के मद संख्या-179/17  
 पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में गोमती नगर योजना,  
 विकास खण्ड-2 में "नर्सिंग होम" भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर "व्यवसायिक"  
 भूमि से "नर्सिंग होम" उपयोग में परिवर्तित किये जाने के संबंध में जन सामान्य से  
 आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार  
 किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष,  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास  
 प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड,  
 गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के  
 उपरान्त प्राप्त आपत्ति/ सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। **सचिव**

**उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) - प्रधान कार्यालय :-**  
 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-222001  
 पत्रांक: 294/मु0/कोटेशन/2008-0132/2025 दिनांक: 01.05.2025

**नीलामी सूचना**  
 उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा निम्नलिखित वाहन जो पुराने/निष्प्रयोज्य  
 हो चुके वाहन "जो है, जैसे है" हालत में है, की नीलामी हेतु खुली बोली  
 दिनांक 15.05.2025 को अपराह्न 12:00 बजे उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),  
 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ स्थित सभा कक्ष में आहूत की जाती है। वाहनों का  
 निरीक्षण प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) परिसर 6-राणा प्रताप  
 मार्ग, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। विस्तृत विवरण जल  
 निगम (नगरीय) की वेबसाइट https://jn.upscd.gov.in पर देखा जा सकता है।  
**अधिकांशी अभियन्ता (मु0)**

No.IADB/ENGG/ETND-PMC-01/74/2025-26

**SHORT TERM NOTICE INVITING  
 PROVIDING PROJECT MAN  
 CONSULTANCY SERV  
 (Through GOK Karnataka Public Procuremen**

KIADB is inviting tender under Quality Based Con  
 as per the Karnataka Transparency in Public Pr  
 Rules 2000 through electronic procurement from  
 under two cover system for the following work:

- 1) Providing Consultancy for the work of Formation  
 15m wide roads, including asphaltting, Construction  
 cross drainage & HDPE dual water supply pipe lin  
 for Koluru Ganajuru Industrial Area, Haveri Talu  
 Consultancy for the work of Formation of 18m wide  
 including asphaltting, Construction of RCC side dra  
 works, Sump, OHT, Rising Main, Borewell, RWH &  
 pipe lines, etc., at Koluru Block for Koluru Ganaju  
 Taluk & District. 3) Providing Consultancy for t  
 Industrial Layout including formation of 18m & 1  
 asphaltting, construction of RCC Side drains, cul  
 supply to Naval Allied Industrial Park at Mudageri V  
 Kannada District. (2nd call). 4) Providing Consulta  
 of Supplying, laying, testing and commissioning of  
 networks for supplying potable & recycled water  
 suitable pipe lines, construction of chambers, etc  
 Industrial node at Dharwad Taluk and District (2nd C

**Schedule of date: Last date for submission of**  
**04:30 pm.**  
 Applicants May Download Bidding Documents fr  
 Procurement Portal https://kppp.karnataka.gov.i

DIPR/CP/JA/469/2025-26

**CANTONMENT BOARD AY**

E-bids from eligible qualified architects, TOWN P  
 agencies in the field of formulating BUILDING BY LAW  
 parameters specific to Cantonment, FSI algorithm and  
 TERI report meeting eligibility criteria are invited by Ca  
 the under mentioned work to be executed during the ye  
 i.e. Technical Bid (Cover-1) and financial bid (Cover-2) i  
 accepted.

S. NO.	Name of work	Estimated Cost (INR)	Earnest money
1.	E-tender for engagement of expert agency of determining the various parameters specific to Ayodhya Cantt regarding preparation of draft building bye laws of Ayodhya cantonment	Rs. 1,00,000/-	Rs 2,000/-

**Critical dates are under:-**

1.	Date of publication	05.
2.	Online document download start date	05.
3.	Bid submission start date (Cover 1 & 2)	05.
4.	Bid submission end date (Cover 1 & 2)	15.
5.	Bid opening date	17.

CM K

1/160, size - 5" x 4" = 20.59 cm, Pub. 4/5/25 (Pawan sut)

न से फल, सूखे खजूर, और वस्त्र भारत को देने के लिए यूएई में 'बारन' को जातो नेबल लगाए जाते हैं। यनों को तापुर के से भेजे जाने की है। इसी तरह, ग को पाकिस्तानी सीमेंट, और कपड़ा कच्चे माल पारगमन मार्ग के रूप में

इस्तेमाल किया जा रहा है। संभावना है कि श्रीलंका से पाकिस्तानी सूखे मेवे, नमक और चमड़े के सामान भारत भेजे जा रहे होंगे। अधिकारी ने कहा कि चीक इस बात की आशंका है कि भारत को 50 करोड़ डॉलर का कुछ निर्यात अन्य देशों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना तथा उन वस्तुओं की पहचान और निगरानी करना आवश्यक है जो मूल देश के नाम पर हेराफेरी करके आ रही हैं।

## पे की बचत

इसके बजाए घरों और स्टी खराब हो जाते हैं, शोर-बार मरम्मत की जरूरत खों में एक मुख्य अंतर है इंडिंग का। पुराने पंखों में किया जाता था। जिसकी रोसेमंद होते हैं और बेहतर नयम के बजाए-कोपर की फोसदी अधिक होती है, में ज्यादा प्रभावी होते हैं। है और मोटर में हीट कम ये लम्बे समय तक चलते गले पंखों में बिजली की लम्बे समय तक चलते रहने हैं।

प्रतिशत की वृद्धि- अप्रैल 2025 के माह में लौह अयस्क का उत्पादन की स्थापना के बाद से अब या। पिछले वर्ष की इसी ती ने उत्पादन में 15 प्रतिशत र सर्वोच्च रिकार्ड दर्ज किए ती है। वित्त वर्ष 26 की इस रडी श्री अमिताभ मुखर्जी ने शर प्रदर्शन एनएमडीसी की दर्शाता है।

र किए नये उत्पाद नी नथिंग के सब-ब्राण्ड एफ फोन 2 प्रो, बड्स 2, 1 नथिंग साल को शानदार ट् रोसर्च क्वार्टर 1, 2025 ब्राण्ड को इस तिमाही सबसे जा दिया गया है, जिसने 156 है। लगातार पांचवी तिमाही शोते ब्राण्ड के रूप में अपनी

दारी को बढ़ाया अवसर पर, एक वैश्विक ट्रेडिं लिमिटेड ने सनोफी अपनी रणनीतिक साझेदारी द्वा, बेफोर्टसो (निर्सर्विमेंब) लोनेल एंटोबॉडी, निर्सर्विमेंब, जो रेस्पिरैटरी सिंकाइटियल (एलआरटीडी) की रोकथाम शेशुओं और पहले आरएसवी ने वाले शिशुओं के लिए है।

जूनफो आईएफएस और आरि बुद्धिमता पहुँचा रहे हैं। एडिड, दोनों प्लेटफॉर्म पर जूनफो भास्त की एआई क्रांति निःशुल्क उपलब्ध है। जहां भारत का पहला कदम है।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)  
प्रमुख कार्यालय: विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (UP) वेबसाइट: www.lkvn.org.in

**सार्वजनिक सूचना**

प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 के मद संख्या-179/17 पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में गोमती नगर योजना विकास खण्ड-2 में 'नर्सिंग होम' भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर 'व्यवसायिक' भूमि से 'नर्सिंग होम' उपयोग में परिवर्तित किये जाने के संबंध में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**सचिव**

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 02 वाहिनी पीएसी सीतापुर के परिसर एवं आवासीय परिसर में लगे आम-165, कटहल-37, जामुन-21, आवला-37, लीची के 06 कुल 266 फलदान वृक्षों के फलों की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 07/05/2025 के लिए की जायेगी। वाहिनी के आवासीय परिसर स्थित आवासों में लगे पेड़ों के फलों के उपरोक्त नीलामी के मुक्त रखा जायेगा तथा उन पर इस नीलामी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियम व शर्तें तथा विशेष जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

**सेनानायक**  
द्वितीय वाहिनी पीएसी,  
सीतापुर

**HDFC BANK**  
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पता: हिन्दुस्तान टाईम्स हाउस, द्वितीय तल, 25-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 फोन : 0522-4272777, 6673775, फैक्स: 0522-2205106  
CIN : L55920AH11994PLC000918 वेबसाइट : www.hdfcbank.com

**कम्पे का नोटिस**

जैसा कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी-मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित, समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (एचडीएफसी) विलीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मांग सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी (यौ) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौ) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लागू दरों पर उसमें लगाने वाले ब्याज को कथित सूचना (ओ) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक ब्याज, लागत, प्रभार आदि का भुगतान करने के लिए कहा गया।


क्र. सं.	उत्तराधिकारी/कानूनी वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	बकाया देयराशि (₹)	मांग सूचना की तिथि	कम्पे की तिथि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1	श्री अंबरीश कुमार गौतम	54,78,852/- दिनांक 31.05.2024 तक	05.07.2024	02.05.2025	खसरा नं० 211 के भाग पर प्लॉट नं० 20 पर नकान, ग्राम रहीम नगर डिडीली, बार्ड-फैजुल्लागंज, लखनऊ चौहद्दी: पू-25 फुट सड़क, प-प्लॉट नं० 25, उ-प्लॉट नं० 19, द-प्लॉट नं० 21 एवं 22, क्षेत्रफल : 181.226 वर्ग मी०

\*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रासंगिक ब्याज, लागत, प्रभार आदि के साथ, जैसा लागू हो। हालांकि, उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यौ) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौ) बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे इसलिए एचडीएफसी द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी (यौ) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौ) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई राशियों को अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर मौखिक कब्जा कर लिया है। विशेषतः उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यौ) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौ) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करे और कथित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन एचडीएफसी के बन्धक के अधीन होगा। कानूनी उत्तराधिकारी (यौ) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौ) को अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (b) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्ति/यों को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त रूपों/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि पंचनामा की तैयार प्रतियां उपलब्ध है, जिसे सान्न्ध्य कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक: 04.05.2025  
स्थान: लखनऊ

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

Dainik Aj, Lko, Size = 5x4 = 20 sq. cm, Pub. 4/5/25  
(P-5) (Pawansu)



REVISED LAYOUT PLAN OF VIKAS KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

DETAIL OF PLOTS:-

S.N	TYPE	SIZE	SET BACK			NOB
			F	R	S	
1	PLOT	11.50 M. X 24.00 M.	4.7	3.0	1.82	234
2	PLOT	10.00 M. X 10.00 M.	3.0	3.0	1.50	433
3	PLOT	7.00 M. X 14.50 M.	3.0	3.0	1.50	164
4	PLOT	7.50 M. X 15.00 M.	3.0	3.0	1.50	071
5	PLOT	5.40 M. X 15.15 M.	3.0	3.0	-	072
6	PLOT	3.50 M. X 10.50 M.	0.7	3.0	-	112
						1121

AREA STATEMENT:-

S.N	PARTICULARS	AREA	PERCENTAGE	NOB
1	TOTAL AREA OF SCHEME			
2	AREA UNDER PARK			23
3	AREA UNDER COMMERCIAL + SHOP			02
4	AREA UNDER TELEPHONE EXCHANGE			01
5	AREA UNDER HEALTH CENTRE + N.H.			03
6	AREA UNDER PRIMARY SCHOOL			03
7	AREA UNDER EDUCATIONAL			01
8	AREA UNDER FACILITIES			01
9	AREA UNDER ROADS			

digitised by - Pushpa & Hasib

1:2000

sd.  
P.K. SOLANKI  
LANDSCAPE ARCH.

LAY-OUT PLAN OF VIKAS KHAND,  
AT GOMTI NAGAR SCHEME, LUCKNOW.

sd.  
B. BHUSHAN  
ARCH./PLANNER

sd.  
M.S. TYAGI  
C.T.P.

sd.  
S. KRISHNA  
V.C.

विषय सं०-३३

पृष्ठ सं०-१९७

विषय-गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-४ में टेलीफोन एक्सचेंज एवं ३३ के०वी० सबस्टेशन हेतु नियोजित दोनो भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु भूखण्ड पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।

आख्या-

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-४ में राप्ती अपार्टमेन्ट तथा जी-२० बन्धे के मध्य प्राधिकरण की अर्जित भूमि, जो ग्राम मलेसेमऊ, लखनऊ की खसरा सं०-८६, ८९ ७७ के अंश भाग पर स्थित है, का अधिग्रहण अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष २०००-०१ में किया गया था, जिसका सर्वेक्षण अभियन्त्रण खण्ड से कराते हुए अर्जन संबंधी सत्यापन अर्जन अनुभाग से करया गया है।

प्रश्नगत भूमि गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-४ के स्वीकृत तलपट मानचित्र में राप्ती अपार्टमेन्ट के निकट स्थित टेलीफोन एक्सचेंज एवं ३३के०वी० सबस्टेशन हेतु नियोजित/आरक्षित है, जिसके संबंध में सम्पत्ति अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त दोनो भूखण्डों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है तथा योजना हेतु विद्युत सबस्टेशन का निर्माण अन्यत्र किया जा चुका है एवं टेलीफोन एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण न हो, इसके दृष्टिगत लैण्ड आडिट की बैठक में यह निर्देश दिये गये कि गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-४ में टेलीफोन एक्सचेंज एवं ३३के०वी० सबस्टेशन हेतु नियोजित दोनो भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु भूखण्ड का पुनर्नियोजन किया जाय।

उपरोक्त पुनर्नियोजन से वर्तमान तलपट मानचित्र में संशोधन आवश्यक होगा, जिसके लिये शासनादेश सं०-२४३८/९-आ-३/९८-६०एल.यू.सी./९६ दिनांक १३.१०.१९९८ में वर्णित प्राविधानों के अनुसार तलपट मानचित्र में संशोधन से पूर्व जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत पूर्व में बोर्ड बैठक में लिए गये निणर्यानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन संबंधी सूचना का प्रकाशन लोक महत्व के दो समाचार पत्र क्रमशः राष्ट्रीय सहारा (हिन्दी) तथा द इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) के दिनांक ३१.०५.२०२५ के अंक में कराया गया है। निर्धारित अवधि में जन सामान्य से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है, जिसके दृष्टिगत तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्तानुसार गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-४ में टेलीफोन एक्सचेंज एवं ३३ के०वी० सबस्टेशन हेतु नियोजित दोनो भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु भूखण्ड पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव-

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-४ में टेलीफोन एक्सचेंज एवं ३३ के०वी० सबस्टेशन हेतु नियोजित दोनो भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

आर्च कन प्लानिंग अडिस्ट्रैट  
नियोजन अनुभाग

नियोजक  
विकास प्राधिकरण  
कौशवेन्द्र कुमार गौतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

**ATAKA POWER CORPORATION LIMITED**  
(A THERMAL POWER STATION)  
UBS110KA1970SGC001919

**NOTIFICATION (Through KPP portal only)**

Invited for the following works through KPP portal [www.kppp.karnataka.gov.in](http://www.kppp.karnataka.gov.in) for the following works: (1) No. KPCL/2025-26/EL/WORK\_INDENT2960, Dtd: 28.05.2025. Routine/Breakdown/and Emergency Maintenance works of 6.6kV HT and HT motors and 11kV Colony and other outline works and accessories of U-5 to 8 for a period of one month at RTPS. EMD: Rs. 1,07,259/-. The last date for submission of bid(Both cover 1&2): 11.06.2025 up to 17.00 hrs. Contact: Executive Engineer(HT-2), M: 9449596528, E-mail: eeh2rtps@gmail.com. (2) No. KPCL/2025-26/PS/WORK\_INDENT2961, Dtd: 26.05.2025. Removal of jammed coal in mill feeders, bowl mills, ducts & chute jams and rejects of Unit-5,6,7 & 8 (XRP-8/903Mills)\* for a period of 4 months in 2025-26. The last date & time for receipt of tender: 05.06.2025, 16.00 hrs. Contact: Executive Engineer(MM-2), M: 9449596574, E-mail: eemm2rtps@gmail.com. (3) No. KPCL/2025-26/PS/WORK\_INDENT2964, Dtd: 26.05.2025. RTPS- Replacement of Two number existing sole plate of Jack Well Pump no. 2 & 4 and replacing it with new sole plate with foundation bolts including all connected civil works. EMD: Rs. 16,092/-. Last date of submission of tender: 10.06.2025 up to 16.00 hrs. Contact: Executive Engineer(CAM-1). (4) No. KPCL/2024-25/PS/WORK\_INDENT2493/CALL-5, Dtd: 26.05.2025. Supply, Erection, Testing and Commissioning of exhaust fans of various capacities in various areas like switch gear, cable galleries, battery rooms, 'ESP', compressor area etc. of units 5 to 8 at RTPS. EMD: Rs. 43,500/-. The last date for submission of bid(Both cover 1&2): 03.06.2025 up to 17.00 hrs. Contact: Executive Engineer(LT-2), M: 9449596531, E-mail: eel2rtps@gmail.com. (5) No. KPCL/2025-26/EL/WORK\_INDENT2951, Dtd: 23.05.2025. Design, Supply, Retrofitting, Testing and Commissioning of LT modules and MCC panel at Clarifier-3 pertaining to EE(OLA)E Division. EMD: Rs. 59,059/-. Date of receipt of tenders: 11.06.2025 up to 17.00 hrs. Contact: Executive Engineer(OLA)E. (6) No. KPCL/2025-26/EL/WORK\_INDENT2948, Dtd: 23.05.2025. Design, Supply, Retrofitting, Testing and Commissioning of LT modules to Air Circuit Breaker and Providing with Multifunction numerical motor protection relay and MCC panel at Clarifier-1 pertaining to EE(OLA)E Division. Date of receipt of tenders: 11.06.2025 up to 17.00 hrs. Contact: Executive Engineer(OLA)E, M: 9449598846, E-mail: eeolaertpskpcl@karnataka.gov.in or eeolaertps@gmail.com. (7) No. KPCL/2024-25/PS/WORK\_INDENT2958, Dtd: 26.05.2025. Maintenance of MRHS, Repairs to 500mm width MRHS Conveyor Belt and Monitoring of Rejects from Mill Pyrite Hopper Gates of Mill Reject Handling System of Units 2 to 4 for a period of one year. EMD: Rs. 2,37,652/-. The last date for submission of tender(2 parts): 10.06.2025, 17.00 hrs. Contact: Executive Engineer(MM-1), M: 9449596545. (8) No. KPCL/2024-25/PS/WORK\_INDENT2962, Dtd: 26.05.2025. Housekeeping, removal of spiltage coal, periodical clearing of drains from Mill area and clearing of reject coal in the pits of Units 2, 3 and 4 at designated place inside RTPS plant for a period of one year. EMD: Rs. 98,588/-. The last date for submission of tender(2 parts): 10.06.2025, 17.00 hrs. Contact: Executive Engineer(MM-1), M: 9449596545. RTPS, KPCL, Shakatinagar-584170, Raichur District.

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



**यूपीओ प्रोजेक्ट्स कार्यालय**  
कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-10, कानपुर (केंद्रीय कार्यालय)  
(संभार संकाय का उपकर्म)  
उपभोग एवं विचार इकाई/संभार (संभार)  
निर्माण सेवा (नगर कोठी), नारा नगर, कानपुर-208024  
CIN : U15209UP1976SGC004285

पत्रांक:- 657/पी.सी.एल./पी.एम.-10/कानपुर दिनांक: 30.05.2025  
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

Additional Work in Upgradation & Renovation of LLM (False Ceiling & Podium) at Chatrapati Shahuji Manaraj University Kanpur, U.P., Repair & Renovation and Additional work of Tissue Culture Lab Chandrashekhar Azad Agriculture & Technology University at District Kanpur (U.P.), Renovation Work of Existing Hostel Block & Pantry at U.P. Textile Technology at Kanpur and Repair Work of Road at Police Line, Fatehgarh (U.P.) हेतु इस कार्यालय की ई-निविदा सूचना सं-07/PM-10/UPPCL/2025-26 दिनांक 30.05.2025 द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा <http://eender.up.nic.in> की वेबसाइट पर दिनांक 01.06.2025 से दिनांक 08.06.2025 के अपराह्न 03:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।  
ई-निविदा से सम्बन्धित अन्य विवरण, नियम एवं शर्त कारपोरेशन की वेबसाइट [www.upprojects.org](http://www.upprojects.org) पर दिनांक 01.06.2025 से देखी जा सकती है। (सत्य प्रिय)  
परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-10, कानपुर

*M/S. IFAA Subcontractors*

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(60) (अ) (2004) (ISO 9001:2008 प्रमाणित संगठन)  
प्रमाणिकरण संख्या, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ/प)  
टेल फ्री : 1800 1800 5000, वेबसाइट: "http://www.ldaonline.co.in"

**सार्वजनिक सूचना**  
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोमती नगर विस्तार योजना संक्टर-4 में राप्ती अपार्टमेंट के निकट स्थित टेलीफोन एक्सचेंज एवं 33कै0वी0 सबस्टेशन हेतु नियोजित भूखण्ड को पुनः हाउसिंग उपयोग हेतु भूखण्ड पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में शासनादेश सं-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राधिकरण के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधित किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति / सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।  
अपर सचिव

*Indian Express*

**APPENDIX IV-A**  
Sale Notice for sale of Immovable Property

E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Sammaan Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.) [CIN : L65922DL2005PLC136029] ("Secured Creditor"), the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 04.07.2025 from 05.00 P.M. to 06.00 P.M., for recovery of Rs. 35,86,593/- (Rupees Thirty Five Lakh Eighty Six Thousand Five Hundred Ninety Three only) pending towards Loan Account No. HLLK00524564, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 24.05.2025 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 25.05.2025 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from SHASHI BHUSHAN KUMAR SINGH, AKANKSHA TIWARI and AKG POWER CARE PRIVATE LIMITED (GUARANTOR). The Reserve Price of the immovable Property will be Rs. 41,00,000/- (Rupees Forty One Lakh only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 4,10,000/- (Rupees Four Lakh Ten Thousand only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**  
ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUSE NO. -7, BUILT ON PART OF KHASRA NO. - 294, ADMEASURING AREA OF 1000 SQ. MTRS., I.E. 92.936 SQ. MTRS., AND HAVING BUILT - UP AREA OF 1250 SQ. FT., I.E. 116.171 SQ. MTRS., SITUATED AT GRAM - KHARGAPUR PARGANA, TEHSIL & DISTRICT LUCKNOW, SAI ENCLAVE, VIJAY NAGAR, LUCKNOW - 226010, UTTAR PRADESH. BOUNDED BY:  
EAST : OTHER'S LAND NORTH : OTHER'S LAND  
WEST : ROAD 20 FEET WIDE SOUTH : REMAINING PORTION

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. [www.sammaancapital.com](http://www.sammaancapital.com), Contact No : 01241-6910910, +91 7065451024, E-mail id : [auctionhelpline@sammaancapital.com](mailto:auctionhelpline@sammaancapital.com). For bidding, log on to [www.auctionfocus.in](http://www.auctionfocus.in).

Authorised Officer  
SAMMAAN CAPITAL LIMITED  
(Formerly known as  
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.)  
Date : 27.05.2025  
Place : LUCKNOW



# महापंचायत आज, जन आंदोलन का ऐलान होगा

## बिजली निजीकरण

लखनऊ, विशेष संवाददाता। दो विद्युत वितरण नियम के निजीकरण के विरोध में रविवार को लोहिया लॉ कॉलेज में बिजली महापंचायत होगी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि इसमें बिजली कर्मचारियों के अलावा ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि और आम उपभोक्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में जन आंदोलन का निर्णय होगा।

शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि प्रदेश में 42 जिलों की बिजली के निजीकरण की आड़ में बड़े घोटाले की साजिश रची जा रही है। महापंचायत में पूरी साजिश का

खुलासा जनता के सामने किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि निजीकरण के क्या नुकसान उन्हें उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि इस महापंचायत में चर्चा के लिए ट्रांसपैरेसी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी शामिल होंगे।

महंगी बिजली पर होगी चर्चा: शैलेन्द्र दुबे के मुताबिक, निजीकरण के पहले ही जिस तरह से बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, वह चर्चा का अहम बिंदु होगा। उन्होंने कहा कि निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों के अलावा किसानों, उपभोक्ताओं और मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन आंदोलन का प्रस्ताव पास किया जाएगा।



ऊर्जा मंत्री और कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को न्योता: संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण, पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल और प्रबंध निदेशक पंकज कुमार को बिजली महापंचायत का निमंत्रण विशेष तौर पर भेजा गया है। हम चाहते हैं कि ये सभी हितधारकों के सामने आकर निजीकरण के फायदे गिनाएं और हमारी आपत्तियां सुनें।

## सलाहकार कंपनी पर कार्रवाई की मांग

लखनऊ। दो निगमों के निजीकरण के मसौदे में वित्तीय और विधिक कमियां सामने आने के बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कार्रवाई की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्हें मसौदा तैयार करने की दोषी सलाहकार कंपनी ग्रांट थॉर्नटन और पावर कॉरपोरेशन के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। परिषद ने कहा कि इसी सलाहकार कंपनी पर किंगफिशर का भी गलत मूल्यांकन किया था, जिसकी वजह से कंपनी सीबीआई जांच के दायरे में आई थी।

## ग्राम उत्कर्ष का लक्ष्य जल्द पूरा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। जनजातियों के उत्थान के लिए धरती आवा- जनजातीय ग्राम उत्कर्ष एवं जनभागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के 26 जिलों के 27 विकास खंडों के 517 ग्रामों को चिह्नित किया गया है। जहां जनजातीय लोगों को

सरकार की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर दिलाया जाना है। शुक्रवार को प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एल.वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में अंतर विभागीय बैठक हुई और लक्ष्य को हर हाल में 15 नवंबर तक पूरा करने पर जोर दिया गया।

## नए शहरी क्षेत्रों में निखार लाने में विशेषज्ञ देंगे मदद

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार नए क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने जा रही है। विशेषज्ञ यह बताएंगे आबादी के आधार पर कितनी सुविधाओं की जरूरत है। इसके लिए उनकी देखरेख में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाया जाएगा। उच्च स्तर पर प्रस्तुतीकरण के लिए पीपीटी भी बनाने में मदद करेंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि नए और सीमा विस्तार वाले शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 2400 करोड़ रुपये का काम अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। शासन की

- 2400 हजार करोड़ रुपये के स्वीकृत हैं काम
- सड़क, पार्क व अन्य बुनियादी काम होने हैं

जानकारी में आया है कि नगर निकायों में कराए जा रहे कामों में अपेक्षित प्रगति कुछ खास नहीं है। पाया गया है कि इसके लिए जरूरत के आधार पर पीपीटी भी बनाने में मदद करेंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि नए और सीमा विस्तार वाले शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 2400 करोड़ रुपये का काम अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। शासन की

**ज्योतिषी राम जी दुबे (शास्त्री)**  
**जन्म पत्रिका, प्रश्न कुण्डली, रत्न परामर्श विशेषज्ञ**  
 सभी प्रकार के वैदिक ज्योतिष परामर्श एवं उपचार हेतु मिले- विवाह योग/सुख, संतान, शिवा, रोजगार, स्वस्था, विमादी आदि।  
**पंडित हट्टिप्रसाद रामजी दुबे**  
 ज्योतिष परामर्श केंद्र 18/203 इंदिरा नगर लखनऊ  
**फोन:- 9417119244, 9839292119**  
**केवल अपाइंटमेंट लेकर मिलें**

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
 (ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)  
 प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (3.1.1)

**सार्वजनिक सूचना :-**  
 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश के अन्तर्गत रतन खण्ड में भूखण्ड संख्या-जीएच-01 पर निर्मित रतन लोक अपार्टमेंट से सटी हुयी भूमि का उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में शासनादेश सं-0-2438/9-आ-3/98-80एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधित किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को संबोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**सचिव**

## कांग्रेस के जिला संगठन में कमियां दूर करने के निर्देश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। छह दिनों तक जोनवार जिलों में कांग्रेस संगठन सृजन की समीक्षा बैठक में ज्यादातर जिलों की बुनावट में कमियां पाई गई हैं। यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इन खामियों को फौरन दूर करने के निर्देश दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी, दलितों-ओबीसी के प्रतिनिधित्व और उम्र के अनुपात में कमियां पाई गई हैं। कांग्रेस ने जिला के संगठन को पांच

परतों में तैयार किए जाने की मियाद 15 अगस्त तक की है। अब तक बनाए गए संगठन और राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन को लेकर छह दिनों तक सभी जिलों को परखा गया। सूत्र बताते हैं कि करीब 70 फीसदी इकाइयों में महिलाओं की हिस्सेदारी कम पाई गई। 60 फीसदी जिलों में, जहां पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यकों (पीडीए) की संख्या 60 प्रतिशत से कम रही। उम्र की कसौटी पर भी कांग्रेस जिलों में नहीं उतरे हैं।

ATP/18/10  
 25/06/22 दि-30-11-22/06/2022 887  
 King  
 2A.6.25  
 A.P.A.

विषय-प्राधिकरण की नियोजित विभिन्न योजनाओं में सुविधाओं यथा पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज व अन्य उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के उपयोग परिवर्तन हेतु योजनाओं के तलपट मानचित्र में संशोधन के संबंध में।

आख्या-

प्राधिकरण के गठन उपरान्त समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के तलपट मानचित्र नियोजित किये गये हैं। नियोजित तलपट मानचित्रों में सुविधाओं व अन्य उपयोगों हेतु आरक्षित है। प्रश्नगत भूखण्डों में कई भूखण्डों को संबंधित विभागों को समय-समय पर आवंटित किये गये तथा इनके आवंटन के उपरान्त भी अभी तक कई भूखण्ड आवंटन से रिक्त है। प्रश्नगत भूमि संबंधित विभागों द्वारा उनके मानको एवं आवश्यकता के अनुरूप न होने के कारण इन भूखण्डों के आवंटन हेतु विशेष रुचि नहीं ली जा रही है एवं विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूखण्डों का उपयोग कई वर्षों से नहीं किया जा सका है, जिसके आलोक में प्राप्त उच्च स्तरीय निर्देशों के कम में प्राधिकरण की नियोजित विभिन्न योजनाओं में संबंधित प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखण्डों का अन्य प्रयोजन हेतु पुनर्नियोजन कराया जाना है, जिनके विवरण निम्न तालिका के अनुसार है-

क्रम	योजना का नाम	सेक्टर/ खण्ड	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	कानपुर रोड योजना	मानसरोवर-ओ (विस्तार)	सबपोस्ट आफिस	100.00	पोस्ट ऑफिस	व्यवसायिक
2	शारदा नगर योजना रायबरेली रोड	रजनी खण्ड	फैसिलिटी-1	1540.00	फैसिलिटी	व्यवसायिक
3	शारदा नगर योजना, रायबरेली रोड,	रतन खण्ड	सीएफ-बी	3024.00	फैसिलिटी	व्यवसायिक
4	शारदा नगर योजना, रायबरेली रोड	रशिम खण्ड	फैसिलिटी	2864.51	फैसिलिटी	आवासीय
5	शारदा नगर विस्तार योजना, रायबरेली रोड	-	सब पोस्ट ऑफिस	100.00	पोस्ट ऑफिस	व्यवसायिक
6	बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड	एच	पुलिस चौकी/पोस्ट ऑफिस	255.00	पुलिस स्टेशन	आवासीय
7	बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड	एच	सबस्टेशन	765.80	सबस्टेशन	व्यवसायिक
8	बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड	बी	कम्यूनिटी फैसिलिटी	1170.69	कम्यूनिटी फैसिलिटी	व्यवसायिक
9	बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड	बी	कम्यूनिटी फैसिलिटी	2314.73	कम्यूनिटी फैसिलिटी	व्यवसायिक
10	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	-	पुलिस आउट पोस्ट	1500.00	पुलिस आउट पोस्ट	व्यवसायिक
11	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	-	फायर स्टेशन	1225.00	फायर स्टेशन	व्यवसायिक
12	कानपुर रोड योजना,	डी	फायर स्टेशन	700.00	फायर स्टेशन	व्यवसायिक
13	कानपुर रोड योजना,	आई		280.00	पोस्ट ऑफिस	आवासीय
14	कानपुर रोड योजना	एफ	फायर स्टेशन	2982.00	फायर स्टेशन	व्यवसायिक
15	कानपुर रोड योजना	एच	फैसिलिटी एफ-2	652.50	फैसिलिटी	व्यवसायिक

निर्देशिका  
नियोजन अनुभाग  
ला० वि० प्रा० ला०

आर्च क्लर्क प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग

16	कानपुर रोड योजना	एच	कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी	2818.00	कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी	आवासीय
17	कानपुर रोड योजना	एल	कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी		कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी	व्यवसायिक
18	कानपुर रोड योजना	एफ	पुलिस चौकी	2982.00	पुलिस स्टेशन	व्यवसायिक
19	कानपुर रोड योजना	डी	पोस्ट ऑफिस	300.00	पोस्ट ऑफिस	व्यवसायिक
20	गोमती नगर योजना	विवेक खण्ड,	सीएफ-01	1080.00	कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी	व्यवसायिक
21	गोमती नगर योजना	विराज खण्ड	-	1329.82	पुलिस स्टेशन / फायर स्टेशन / पोस्ट आफिस	व्यवसायिक
22	गोमती नगर योजना	वास्तु खण्ड	सीएफ-01	2100.0 लगभग	कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी	व्यवसायिक
23	जानकीपुरम योजना	एफ	एफ-01	647.41	फ़ैसिलिटी	व्यवसायिक
24	जानकीपुरम विस्तार	06	सीएफ-01	830.00	कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी	आवासीय

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत विभिन्न योजनाओं के तलपट मानचित्र में शासनादेश सं०-2438/9-आ-3/98-60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत नये प्रयोजन हेतु तलपट मानचित्र में संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के तहत जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया जाना आवश्यक है। कतिपय भूखण्डों का भू-उपयोग इसकी उपयोगिता के दृष्टिगत विभिन्न भू-उपयोगों में पुनर्नियोजन किये जाने के क्रम में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये हैं (विज्ञप्ति की प्रति संलग्न)। निर्धारित अवधि में यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो नियमानुसार उनके निस्तारण उपरान्त योजना के तलपट मानचित्र में नये प्रयोजन हेतु नियोजन किया जा सकेगा। तदनुसार योजनाओं के तलपट मानचित्र में प्रत्येक प्रकरण में केस टू केस के आधार पर संशोधन किये जाने के संबंध में आपत्ति/सुझाव उपरान्त निर्णय हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव-

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में शासनादेश दिनांक 13.10.1998 के क्रम में विभिन्न योजनाओं में सुविधाओं यथा पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज व अन्य उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के उपयोग परिवर्तन हेतु योजनाओं के तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में आपत्ति/सुझाव उपरान्त निर्णय हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

२  
व्यर्थ व्हाकिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

मानचित्रकार  
नियोजन अनुभाग  
ल० वि० प्रा० ल०

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस व 16 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कारण बैठक नहीं होगी।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बुधवार को सभी सदस्यों को तिथिवार कार्यक्रम का पत्र भेज दिया है। इसमें लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 11 से 16 अगस्त तक की बैठकों का प्रस्तावित कार्यक्रम अंतिम रूप से स्वीकृत किया है। कार्यक्रम के अनुसार 11 अगस्त को औपचारिक कार्य, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम आदि सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसी दिन विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 12 से 14 अगस्त के बीच तीन दिन विधायी कार्य होंगे। बजट सत्र के बाद प्रदेश सरकार ने छह अध्यादेश लागू किए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी

अगस्त तक का कार्यक्रम किया जारी, दो दिन रहेगा अवकाश

छह अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक पारित कराए जाएंगे सीएजी की रिपोर्ट भी होगी पेश

जी मंदिर न्यास अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रकिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश व उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश शामिल हैं। इन अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी सदन में पास कराए जाएंगे। इसके अलावा सीएजी की कई रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएंगी।

## आइटीआइ तीसरे चरण का परिणाम जारी

राज्य, जागरण\* लखनऊ: राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) के छमाही, एक व दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2025, 2025-26 और 2025-27 के लिए तीसरे चरण का चयन परिणाम जारी हो गया है। साथ ही, दूसरे चरण के बाद हुए उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) का परिणाम भी घोषित किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल

विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई से पांच अगस्त तक चलेगी। अभ्यर्थियों को एसएमएस से भी सूचना भेजी जा रही है। परिणाम राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट [www.scvtup.in](http://www.scvtup.in) व [www.upvesd.gov.in/dte](http://www.upvesd.gov.in/dte) पर उपलब्ध हैं।

## 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे पात्र कार्मिक

राज्य ब्यूरो, जागरण\* लखनऊ: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पूर्व निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुनने का और एक मौका दिया जा रहा है। पात्र कार्मिक अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बुधवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर तथा एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी गई है।

विकल्प चुनने का अधिकार उन्हें ही होगा जो 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त हैं। इन कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 28 जून 2024 को आदेश जारी किया गया था। इसमें 31 अक्टूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की व्यवस्था दी गई थी।

**डॉ.ओ.अ.ए. राष्ट्रीय राजस्थान**  
**अनुसंधान संस्थान**  
अनुसंधान वर्ष 2024-25  
[www.abri.res.in](http://www.abri.res.in)

**शुद्धिपत्र**

वाक इन इंटरव्यू स 04/प्रोजेक्ट/2025 से संबंधित दिनांक 30 जुलाई 2025 को प्रकाशित विज्ञापन में प्रशासनिक नियंत्रक के स्थान पर प्रशासन नियंत्रक पढ़ा जाए। अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

(ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)  
प्रधिकृत बवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (उत्तर) वेबसाइट: [www.lidacoinc.in](http://www.lidacoinc.in)

**सार्वजनिक सूचना** 203

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या-SS-3/13C सेक्टर-एच जानकीपुरम योजना के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी रावत उर्फ रजनी शुक्ला पत्नी श्री निर्मल कुमार शुक्ला, नियासी-555ग, भोलाखोरा, पुरी सर्जिकल मानसनागर लखनऊ द्वारा फर्जी पहचान के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्री निष्पादित एवं उप निबंधक (चतुर्थ) कार्यालय लखनऊ में दिनांक 18.08.2020 को पंजीकृत करा ली है। फर्जी पहचान के आधार पर निष्पादित एवं पंजीकृत उक्त रजिस्ट्री को निरस्त कराये जाने की वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गयी है।

अतः प्रश्नगत भूखण्ड के क्रय-विक्रय को एतद्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का उक्त फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर क्रय विक्रय अथवा किसी अन्य प्रकार से अन्तर्ण किया जाता है तो यह पूर्णतया वैधानिक होगा, तथ विक्रेता एवं क्रेता (अन्तरणकर्ता/अन्तरिती) नियमानुसार दण्ड के भागीदार होंगे।

(अभिप्रेत तिपाठी) (चन्दना पाण्डेय) (सीपीपी तिपाठी)  
नगर पतलमीलवार विशेष कार्याधिकारी अपर सचिव

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)  
प्रशिक्षण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर)। टोल-फ्री: 1800-1800-600  
फोन नं०: 0522-2302588, वेबसाइट: [www.lidacoinc.in](http://www.lidacoinc.in)

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायबरेली रोड स्थित शारदा नगर योजना के रजनी खण्ड में फेसिलिटी हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या-फेसिलिटी- 01 (क्षेत्रफल 1540.00 वर्गमी), रतन खण्ड में फेसिलिटी भूखण्ड संख्या- सीएफ-बी (क्षेत्रफल 3024.00 वर्गमी), शारदा नगर विस्तार योजना में सब पोस्ट ऑफिस भूखण्ड (क्षेत्रफल- 100.00 वर्गमी) को व्यवसायिक उपयोग में तथा रश्मि खण्ड में आरक्षित फेसिलिटी भूखण्ड (क्षेत्रफल- 2864.51 वर्ग मी0) को आवासीय उपयोग में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-2438/9-आ-3/98-60 एल.यू.सी/91 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधन किए जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाएगा जो इस सूचना व प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण क सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ निम्न लिखित कार्यालय में प्राप्त कराए जाएंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर को विचार नहीं किया जाएगा।

अपर सचिव

**कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बाराबंकी**

संख्या: 1197/शा030/25-26 दिनांक: 26.07.2025

**:: अल्पकालिक निविदा सूचना ::**

निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वर्ष 2025-26 में आवंटित धनराशि व अंतर्गत शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक औषधियां क्षेत्रांतर्गत संचालित चिकित्सालयों को आपूर्ति हेतु अनुभव व प्रतिष्ठित औषधि निर्माताओं से मुहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं, जो जी.एम.पी. युक्त हों तथा केन्द्रीय जॉच ब्यूरो अथवा किसी विभाग द्वारा (प्रतिबन्धित) काली सूची में निम्नित न हों। ऐसी निविदादाता फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र में दी गयी अन्य शर्तें व नियमों को पूर्ण करना अनिवार्य है।

अहस्तान्तरणीय निविदा प्रपत्र को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से निर्धारित मूल्य रू0 1,800.00 (रू0 एक हजार आठ सौ मात्र) नकद जमा करके दिनांक 21.08.2025 तक सायंकाल 5 बजे तब किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

- 1- निविदा बिक्री की प्रारम्भ तिथि- 01.08.2025
- 2- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय- दिनांक 22.08.2025 को अपरान्ह 01 बजे तक।
- 3- निविदा खोलने की तिथि, स्थान व समय - दिनांक 22.08.2025, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, 2/4, आवास विकास कालोनी, बाराबंकी के कक्ष में समय अपरान्ह 02:00 बजे।
- 4- निविदा मूल्य जो वापस नहीं होगा रू0 1,800.00।
- 5- धरोहर धनराशि रू0 17,000.00 (रूपये सत्रह हजार मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक से जार सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक कराक निविदा के साथ जमा होगा। जिसकी वैधता कम से कम 31.03.2026 तक हो।
- 6- आपूर्ति स्थान- कार्यालय, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बाराबंकी।

समस्त निविदाएँ कार्यालय, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बाराबंकी में रखें टेण्ड बाक्स में निर्धारित तिथि, समय पर पड़ जाने चाहिये जो नियत तिथि को अपरान्ह 02:00 बजे क्र सभिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे, विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। क्रय सभिति के अध्यक्ष को किसी एक या सम्पूर्ण निविदाओं को विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा यदि निविदा प्राप्त होने या खोलने की तिथि पर अवकाश रहता है तो उक्त प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

(डा0 वीनम यादव)  
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी  
बाराबंकी।

UP-236440 दिनांक 29.07.2025 विज्ञापन वेबसाइट [www.upgov.nic.in](http://www.upgov.nic.in) पर उपलब्ध है

DJ LFO - 2107 2025  
Vidhad

सामने सीवर मेनहोल खले पाए गए, जो जनसुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। सुंदर नगर की गलियों में डोर-दू-डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां नियमित रूप से नहीं पहुंच रही थी, जिससे लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंकने को विवश थे। संस्था लायन इनवायरो को गाड़ियों की संख्या बढ़ाने और कलेक्शन नियमित करने के निर्देश दिए गए। नंद नगर, नटखेड़ा में एक मकान के सामने गंदगी और कूड़ा ढेर में पाया गया। इसके लिए लायन इनवायरो लखनऊ प्रा. लि. पर 50,000 रुपये का पेनाल्टी प्रस्तावित किया गया है। सड़कों व गलियों में कई स्थानों पर अवैध रूप से ईट, बालू और गिट्टी जमा पाई गई। अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिए गए कि संबंधित लोगों के विरुद्ध चालान कर कड़ी कार्रवाई करें।

आरइसा आजमगढ़ में 119, आरइसा अम्बेडकरनगर में 166, आरइसी कन्नौज में 265, आरइसी मैनपुरी में 315, आरइसी सोनभद्र में 236, आरइसी बस्ती में 231, आरइसी गण्डा में 180, आरइसी मिर्जापुर में 247 और आरइसी प्रतापगढ़ में 195 सैटे आवंटित की गयी है।

204


## नदान

### कैंसर इलाज में रोबोटिक सर्जरी से तेज रिकवरी: डा. सतीश



आई और की ने हटाने की उनकी टीम अंजाम दिया डॉ. रावत ने काफ़ी छोट का अंतिम कारण मूत्र के लिए ही विकल्प था। गाली टीम में शामिल थे।

लखनऊ। कैंसर इलाज में रोबोटिक सर्जरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्जरी के बाद शरीर की बनावट पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे मरीज की अपनी छवि को कोई नुकसान नहीं होता है और रिकवरी भी पारंपरिक सर्जरी की तुलना में कहीं तेज होती है। यह जानकारी बुधवार को अपोलो अस्पताल के कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डा. सतीश के आनंदन ने दी। उन्होंने बताया कि 60 वर्षीय महिला, जिन्हें दोनों स्तनों में कैंसर था, उनका क्षेत्र का पहला रोबोटिक निपल-स्पेयरिंग मास्टेक्टॉमी किया गया। पारंपरिक सर्जरी में स्तन, निपल और त्वचा पूरी तरह हट दी जाती है, जिससे मरीज को मानसिक और भावनात्मक आघात लगता है। रोबोटिक तकनीक के जरिये हमने बगल के पास कुछ छोटे चीरे लगाकर अंदर से ही कैंसरग्रस्त ऊतक को हट दिया और त्वचा व निपल को सुरक्षित रखा। उन्होंने इसे कॉस्मेटिक के साथ क्योर का नाम दिया यानी शरीर की प्राकृतिक बनावट को बनाए रखते हुए कैंसर से मुक्ति को सम्भव किया गया। सीईओ डा. भयंकर सोमानी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल कैंसर का इलाज करना नहीं, बल्कि मरीज की सर्जरी के बाद की ज़िंदगी को गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है।



## KG MU में सुरक्षा गार्ड ने तीमारदार को पीटा

लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के यूरोलॉजी विभाग में तैनात सुरक्षा गार्डों ने बहन का इलाज कराने आये भाई की पीट कर उसे धक्का देकर भगा दिया। पिटाई के दौरान अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। मंगलवार को घटना की जानकारी देते हुए भाई का वीडियो सोशल मीडिया में यूरोलॉजी विभाग का मामला



सुरक्षा गार्ड ने उन्हें बुलाया। साजिद ने पीछे सूखने तक दो मिनट रुकने की बात कही। इस बात से नाराज

लखीमपुर खीरी निवासी साजिद की बहन को किडनी में पथरी की दिक्कत है। स्थानीय डॉक्टरों ने सर्जरी की आवश्यकता बताते हुए मरीज को केजीएमयू यूरोलॉजी विभाग में इलाज कराने का परामर्श दिया। परिजन मरीज को लेकर केजीएमयू यूरोलॉजी विभाग पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने मरीज की जांच पड़ताल के बाद शुक्रवार को भर्ती कर लिया। मरीज का इलाज शुरू हो गया।

गार्ड ने साजिद के पास आकर पीट दिया और धक्का देकर गिरा दिया। आस-पास मौजूद लोगों ने किसी तरह सुरक्षाकर्मियों को शांत कराया। तीमारदार साजिद का कहना है कि मैं गैर जनपद से बहन का इलाज कराने आया हूँ। ऐसी घटना से मैं हैरान हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो दूसरों के साथ भी हो सकता है। उसका कहना है कि डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ व अन्य तैनात लोगों का सहयोगात्मक रवैया है। उसका कहना है कि आरोपित सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केजीएमयू प्रवक्ता डा. के. के. सिंह के अनुसार वह तीमारदार नहीं बाहरी व्यक्ति था। फिर भी घटना के बारे में जानकारी मांगी गयी है।

## हाउसिंग का प्रस्ताव



सेक्टर-एच में भूखण्ड सं-3/337 को भूखण्ड सं-3/333 पर कब्जा दिये जाने को कम में तलपट मानचित्र के संशोधन के संबंध में।

समानान्तर 03.0 मीटर पार्क की भूमि को रोड में परिवर्तन करते हुए 120 मीटर किये जाने तथा पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करते हुए उक्त भूमि को समूह आवास उपयोग के लिए पुनर्नियोजन किये जाने, जानकीपुरम योजना, सेक्टर-एच में भूखण्ड सं-3/337 को भूखण्ड सं-3/333 पर कब्जा दिये जाने को कम में तलपट मानचित्र के संशोधन के संबंध में।

भूखण्ड संख्या-जीएच-01, रतनलोक अपार्टमेंट से सटी हुई रिक्त भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने तथा पुराना आरटीओ काम्प्लेक्स के तलपट मानचित्र के संशोधन एवं मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.0 मीटर चौड़ी आउटर रिंग सम्बंधी प्रस्ताव समेत दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। रोड एवं प्रस्तावित 60 मी चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई को कम करते हुए उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू उपयोग प्रस्तावित किये जाने, खसरा संख्या-910, 916 एच 924 951, 925 ग्राम रामपुर बेहड़ा, एवं खसरा सं-7-668. 666 एवं 689 651 एवं 657 663, 664 एवं 665, 661, 649 एवं 662, 650, 647, 646, 660, 670 ग्राम दिगोई एनएच-24. सीतापुर लखनऊ, नेशनल हाईवे बक्शी का तालाब का भू-उपयोग वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा।

शिएटी/न लघरा = 8x8 = 31/07/25

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान)  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

**सार्वजनिक सूचना :-**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बसंतकुज योजना हरदोई रोड, सेक्टर-एच में सबस्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल-765.80 वर्गमी0) को व्यवसायिक उपयोग में पुलिस चौकी/पोस्ट ऑफिस हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल-255.0 वर्गमी0) को आवासीय उपयोग में तथा सेक्टर-बी में कम्यूनिटी फैसिलिटी हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल-1170.69 वर्गमी0, क्षेत्रफल-2314.73 वर्गमी0) को व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-2438/9-आ-3/98-80 एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधित किए जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त से सम्बन्धित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाएगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराए जाएंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अपर सचिव

Political enemy  
Akshillesh

win the elections. "They want to make a voter list of eight crore votes in just one to one and a half months," said Akshillesh.

"Samajwadi Party is against SIR. There is a different method for counting votes which have increased or decreased after the Lok Sabha elections. But a new voter list is being prepared. This means that BJP has made preparations on a large scale to commit fraud in the elections. Everyone has seen how fraud was committed in the votes in Chandigarh," alleged SP chief.

Samajwadi Party MPs including Dharmendra Yadav, Naresh Uttam Patel, Lalji Verma, Neeraj Maurya and Priya Saroj raised the issue of closure and merger of primary schools in UP in the Lok Sabha on Wednesday.

{ HATE SPEECH CASE }

HC reserves verdict on Abbas Ansari's plea for stay on conviction

HT Correspondent

letters@htlive.com

PRAYAGRAJ: The Allahabad high court on Wednesday reserved its judgment on a revision petition filed by Abbas Ansari, who challenged the MP-MLA court order in Mau rejecting his plea for a stay on conviction in a 2022 hate speech case.

Ansari, a former MLA from Mau and son of late gangster-turned-politician Mukhtar Ansari, had approached the high court against the July 5 order passed by the Additional Sessions Judge, MP-MLA court, which denied his request for a stay on conviction while his appeal remains pending.

Justice Sameer Jain reserved



Abbas Ansari HT FILE PHOTO

THE CASE WAS LODGED AFTER A VIDEO OF HIS SPEECH TARGETING A GOVT OFFICIAL WENT VIRAL

The case was lodged after a video of his speech targeting a government official went viral on social media. Following his conviction, Abbas Ansari was disqualified from the Uttar Pradesh Legislative Assembly.

The appeal against his conviction is currently pending before the Additional Sessions Judge in Mau.

the order after hearing arguments from both sides.

Earlier, on May 31 this year, the MP-MLA court in Mau had convicted Abbas under IPC Sections 153-A (promoting enmity between groups) and 189 (threatening a public servant) for a controversial speech made during the 2022 assembly election campaign. He was sentenced to two years' imprisonment.

**इंडियन बैंक Indian Bank**  
ALAHABAD

**NOTICE INVITING TENDERS FOR LEASING OF OFFICE PREMISES**  
Indian Bank, a Public Sector Bank invites tender under 2 bid system (Technical & Financial Bid) from owners of office premises willing to offer on lease basis (Readily built / Premises Under construction) at Three location in Lucknow 1. Ahimamau (Sector-D Sushant Golf City) Lucknow Pincode-226030, 2. Chotta Bharwara (Near Chota Bharwara Railway Crossing Distt. Lucknow Pincode-226010 UP), 3. Bijnaur road (Near Maruti Showroom), Lucknow-226014 measuring in the range of 1100 sq. ft-1300 sqft carpet area for branch +ATM preferably Ground Floor with having Minimum frontage of 20feet along with parking facility for a lease period of 20 years for setting up their Branch/Office.

The tender forms can be obtained from the Zonal Office, 2nd Floor, New Building, Hazratganj, Lucknow-226001 or can be downloaded from Bank's website [www.indianbank.in](http://www.indianbank.in) from 31/07/2025 to 14/08/2025. Last date for submission of bids 14.08.2025 by 5.00 pm. Details of the tender can be obtained from our Website: [www.indianbank.in](http://www.indianbank.in).

The Bank reserves the right to reject any or all offers without assigning any reasons whatsoever.  
Tenders from agents/brokers will be not acceptable.

**Zonal Manager  
Indian Bank, Zonal Office, Hazratganj Lucknow**

**VADHAVAN PORT PROJECT LIMITED**  
(PROJECT IMPLEMENTATION DIVISION)

Tender No.: PPD/VPPL/BW/T-08/2025 Dated: 30.07.2025

**SHORT E-TENDER NOTICE**

Vadhvan Port Project Limited invites e-Tenders "ONLINE" in single stage two Bid system (Technical and Price Bid) from 4th August, 2025 to 17th Sept 2025 from eligible and interested national and international experienced contractor who fulfill Minimum Qualification Criteria stipulated in the Tender for "Development of Vadhvan Port - EPC contract for the Work of Construction of Offshore Breakwater for Greenfield Vadhvan Port (Package - 1A)". Detailed Notice Inviting Tender and Tender Document is available on VPPL website <https://vadhvanport.in> or e-procurement portal (CPP Portal) <https://etenders.gov.in/e-procurementapp>. Chairman & Managing Director (VPPL)

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001: 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (UP)। ईमेल-को: 1800 1800 8000, फोन नं: 0522-2302588, वेबसाइट: [www.lidsonline.com](http://www.lidsonline.com)

**सार्वजनिक सूचना**

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या-SS-3/130 सेक्टर-एच जानकीपुरम योजना के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी रावत उर्फ रजनी शुक्ला पत्नी श्री निर्मल कुमार शुक्ला, निवासी-555ग, भोलाखेरा, पुरी सर्जिकल, मानसगंज, लखनऊ द्वारा फर्जी पहचान के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्री निष्पादित एव उप निबंधक (चतुर्थ) कार्यालय लखनऊ में दिनांक 18.08.2020 को पंजीकृत करा ली है। फर्जी पहचान के आधार पर निष्पादित एवं पंजीकृत उक्त रजिस्ट्री को निरस्त कराये जाने की वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गयी है।

अतः प्रसन्नगत भूखण्ड के क्रय-विक्रय को एतद्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रसन्नगत भूखण्ड का उक्त फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर क्रय विक्रय अथवा किसी अन्य प्रकार से अन्तरण किया जाता है तो वह पूर्णतया अवैधानिक होगा, तथा विक्रेता एवं क्रेता (अन्तरणकर्ता / अन्तरिती) नियमानुसार दण्ड के मागीदार होंगे।

**(अमित तिपाठी) (चन्दना पाण्डेय) (सीपीपीय तिपाठी)**  
नायब महसूलदार विशेष कार्याधिकारी अपर सचिव

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001: 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)। ईमेल-को: 1800 1800 8000, फोन नं: 0522-2302588, वेबसाइट: [www.lidsonline.com](http://www.lidsonline.com)

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायबरेली रोड स्थित शारदा नगर योजना के रजनी खण्ड में फंसिलिटी हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या-फंसिलिटी- 01 (क्षेत्रफल - 1540.00 वर्गमी), रतन खण्ड में फंसिलिटी भूखण्ड संख्या- सीएफ-बी (क्षेत्रफल-3024.00 वर्गमी), शारदा नगर विस्तार योजना में सब पोस्ट ऑफिस भूखण्ड (क्षेत्रफल- 100.00 वर्गमी) को व्यवसायिक उपयोग में तथा ररिम खण्ड में आरक्षित फंसिलिटी भूखण्ड (क्षेत्रफल- 2864.51 वर्ग मी0) को आवासीय उपयोग में परिवर्तन किए जाने के संबंध में शासनदशा सं0-2438/9-आ-3/98-60 एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राधिकरणों के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में संशोधन किए जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त से संबंधित तलपट मानचित्र का किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय तल स्थित नियोजन अनुभाग में अवलोकन किया जा सकता है। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाएगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराए जाएंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

**अपर सचिव**

**उपसीडा** कायालय परिचय प्रबन्धक (सिविल)  
**उपग्रो राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण**  
निर्मण खण्ड-बनम, इलाहाबाद

**अल्पकालीन ई-निविदा सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से ई-निविदाये आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 31.07.2025 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दिनांक 07.08.2025 को शाम 5.00 बजे तक अपलॉड की जा सकती है। जिन्हें दिनांक 07.08.2025 को शाम 5.30 बजे खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा केवल शपथ पत्रों की मूल प्रतियाँ दिनांक 08.08.2025 को शाम 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकेंगी।

Sr.No.	Name of Work	Cost of Work (Rs. in Lakh with GST)
1.	Drain work (Brick Drain Work) at I.A. Bhuragarh, Banda	98.99
2.	Jungle Cleaning work at Auto Tractor Limited (ATL), Pratlapgarh.	20.28

नोट:- निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर एवं जी0एस0टी0 सहित दरे अंकित करें। अलग से कोई कर देय नहीं होगा।  
निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की website: [www.upsidc.com](http://www.upsidc.com) पर स्थित ई-लिक एच यूपीएलसी की website: <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।

**सचिव उपग्रो (सिविल)**

विषय सं०-35

पृष्ठ सं०-206

विषय- प्राधिकरण द्वारा विकसित ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर रोड योजना के तलपट मानचित्र में भूखण्ड सं०-सी०पी०-525 व्यवसायिक उपयोग के स्थान पर पेट्रोल पम्प (व्यवसायिक) उपयोग हेतु संशोधित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

**आख्या**

प्राधिकरण द्वारा विकसित ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर रोड योजना के व्यवसायिक भूखण्ड सं०-सी०पी०-525, क्षेत्रफल-714.20 वर्गमी० को वर्ष 2018 में डिजाइन बिल रियल्टी प्रा० लि० को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया था जिसकी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए वर्ष 2022 में व्यवसायिक उपयोग हेतु फ्रीहोल्ड विक्रय-विलेख किया गया है। उक्त व्यवसायिक भूखण्ड ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर रोड योजना के तलपट मानचित्र में 24 मी० एवं 18 मी चौड़े मार्ग के जंक्शन पर स्थित है। जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के अनुसार व्यवसायिक भू-उपयोग में पेट्रोल पम्प (व्यवसायिक) अनुमन्य (परमिटेड) उपयोग के अन्तर्गत है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजित योजना में विभिन्न पृथक-पृथक क्रियाओं हेतु भूखण्ड नियोजित किये जाते हैं। उक्त योजना में भी पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड नियोजित है। व्यवसायिक क्रिया हेतु नियोजित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी०पी०-525 पर पेट्रोल पम्प उपयोग की अनुमति से पूर्व प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त तलपट मानचित्र में संशोधन करना होगा। तलपट मानचित्र में संशोधन के उपरान्त ही नियमानुसार पेट्रोल पम्प की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।

शासनादेशों के क्रम में उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 17.05.2025 के क्रम में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु लोक महत्व के स्थानीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले "अमर उजाला" (हिन्दी) एवं "टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) में दिनांक 12.06.2025 को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी जिस पर निर्धारित अवधि एक माह के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

शासनोदश सं०-2438/9-आ-3-98-60 एल०यू०सी०/96, दिनांक 13.10.1998 के प्राविधानों के क्रम में स्वीकृत तलपट मानचित्र में व्यवसायिक उपयोग से पेट्रोल पम्प (व्यवसायिक) उपयोग हेतु संशोधित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**प्रस्ताव**

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विकसित ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर रोड योजना के तलपट मानचित्र में व्यवसायिक भूखण्ड सं०-सी०पी०-525 व्यवसायिक उपयोग के स्थान पर पेट्रोल पम्प (व्यवसायिक) उपयोग हेतु संशोधित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



Arvind Kumar  
आर्व कर्मा प्लानिंग असिस्टेंट  
नियोजन अनुभाग



# ग्रालय-महावद्यालय जारा सभा हामस्ट का एक साल अपना गतिविधि कैलेंडर में पंजीकरण अनिवार्य 207

। ब्यूरो

। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों वद्यालयों को न सिर्फ उच्च शिक्षा की ओर से जारी कैलेंडर का पालन ना होगा, बल्कि अपना वार्षिक गतिविधि कैलेंडर भी जारी करेंगे। इसके अनुसार वह सालभर होने वाले कार्यक्रमों, को-कॉरिकुलर व शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर में वार्षिक गतिविधि कैलेंडर को लेकर भी सख्ती की जा रही है। विभाग ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज अपना वार्षिक गतिविधि कैलेंडर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसके अनुसार सालभर गतिविधियों का आयोजन होगा। वहीं इनका आयोजन शिक्षण कार्य को प्रभावित किए बिना करना होगा। अगर पढ़ाई प्रभावित होती है तो इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी होंगी।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन कार्य परीक्षा शुरू होने के पहले सप्ताह में ही शुरू कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा समाप्त के एक सप्ताह में पूरा कर दिया जाएगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें व छठवें सेमेस्टर की कक्षाएं परीक्षा समाप्त होने के बाद जरूर शुरू कर दी जाएं। सभी माइनर पेपर की परीक्षाएं एक-दो दिन में आयोजित की

उच्च शिक्षा विभाग को-कॉरिकुलर गतिविधियों पर करेगा सख्ती

पढ़ाई प्रभावित होने पर विधि कॉलेज चलाएंगे अतिरिक्त कक्षाएं

प्रायोगिक परीक्षाओं की होगी लाइव स्ट्रीमिंग

विभाग ने यह भी कहा है कि परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोगिक परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर प्रायोगिक परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। सभी संस्थानों के यूट्यूब चैनल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक किए जाएंगे।

जाएंगी। विश्वविद्यालय माइनर पेपर, स्किल कोर्स के लिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अधिकांश विद्यार्थियों के इंटर परीक्षा परिणाम 15 मई तथा पीजी परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिए जाते हैं। इसलिए सभी प्रवेश यूजी-पीजी व अन्य 26 जुलाई तक पूरे किए जाएं। यदि सीयूईटी परीक्षा के परिणाम के कारण विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों के साक्ष्य के आधार पर, सीटें खाली होने पर प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा दी जा सकती है। उनका छूटा हुआ शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षाएं लेकर पूरा कराना होगा ताकि शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित न हो।

लखनऊ। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएडबी) व होमस्टे नीति जारी कर दी है। इसके लागू होने से प्रदेश के सभी होमस्टे (बीएडबी), ग्रामीण होमस्टे इकाइयों को इसके तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक साल का समय दिया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना होमस्टे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रदेश में बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे नीति जारी

पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस नीति के तहत होमस्टे चलाने के लिए पर्यटन विभाग कई सुविधाएं भी देगा। उन्होंने बताया कि आवेदकों को पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in पर पंजीकरण करना होगा। शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास, भोजन आदि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित द्वारा पंजीकरण कराना होगा।

उन्होंने बताया कि इसके तहत भवन के अधिकतम दो-तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा। जिसकी संख्या कम-से-कम एक तथा अधिकतम 06 की होगी। 06 कमरों से अधिक भवनों जैसे होटल, मोटल तथा गेस्ट हाउस आदि को इसके अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

इकाई के पंजीकरण के लिए निरीक्षण-परीक्षण व सब्सिडी की अनुशंसा के लिए संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन साल के लिए मान्य होगा। इसकी दो श्रेणियां होंगी, सिल्वर व गोल्ड जिसके लिए क्रमशः 2000 व 3000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ग्रामीण होमस्टे में भी सिल्वर के लिए 500 रुपये व गोल्ड के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। ब्यूरो

## 44 जिलों के किसान खेती में करेंगे अभिनव प्रयोग

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश में क्राप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में समय के साथ बदलाव कर किसानों को आधुनिक खेती के लिए तैयार किया है। इसके तहत अब ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान ऑफ सीजन में भी पौष्टिक सब्जियां और अनाज उगा सकें। लखनऊ, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, अमेठी समेत 44 जिलों के किसान अब इस तरह का अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं।

24 जिलों में ग्रीन हाउस बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 20 जिलों में तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत ये सभी विकास कार्य कराए

खेती में बदलाव लाएंगे 66 पॉली हाउस-ग्रीन हाउस

लखनऊ, बहराइच, सुल्तानपुर बाराबंकी, सीतापुर, अमेठी जैसे जिलों में होगा नवाचार

जा रहे हैं। इसके साथ ही एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत इस पर सब्सिडी भी दी जा रही है। किसान अब सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, बीन्स जैसी पौष्टिक सब्जियां और अनाज पैदा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से अब तक 37 ग्रीन हाउस पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जो उत्पादन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 29 ग्रीन हाउस निर्माणाधीन हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

**दर्द की खासी दवा**  
टेक्नोकार्म की  
**अजूबी**  
सिर, बदन, दांत दर्द,  
सर्दी जुकाम में दे राहत  
(M): 8601841515  
TATA 1mg

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर)  
दाल-फ्री : 1800 1800 6000, वेबसाइट : www.lvaonline.co.in

**सार्वजनिक सूचना**  
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रोहित वीर सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या - सी.पी.- 625 ट्रांसपोर्ट नगर योजना, कानपुर रोड योजना, लखनऊ पर ऑनलाईन फाईल संख्या-LDA/BP/24-25/1074 के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया है। उक्त-भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा नियोजित तलपट मानचित्र का व्यवसायिक भूखण्ड है। व्यवसायिक क्रिया हेतु नियोजित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- सी. पी. - 625 पर पेट्रोल पम्प उपयोग की अनुमति से पूर्व प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त तलपट मानचित्र पर संशोधन करना होगा। तदक्रम में शासनदेश के अनुसार जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता (मानचित्र सेल) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। आपत्ति/सुझाव मुख्य-नगर नियोजक, लखनऊ के कार्यालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त कराये जा सकते हैं। नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर ही विचार किया जायेगा।  
**अपर सचिव**

**IMPROVE YOUR VISION..!**  
आंखों से जुड़ी सभी सामान्य बीमारियों  
आंखों की सूजन, दर्द-जलन-लाली,  
आंख पर जोर पड़ना और  
मोतियाबिन्द के लिए असस्वार..  
**नजर वेदा**  
टैबलेट  
Available on amazon  
पूर्णतया आयुर्वेदिक  
PROTECTS YOUR EYES DUE TO EXCESSIVE USE OF MOBILE & IMPROVES VISION  
Call:- 09628078000, 1800 843 9898

Nidra Advertising Bx 5. 12/6/25 Amroliya  
www.nidraadvertising.com 853 12/6/25 101

India. Participation in this Eol does not confer any rights to selection, funding, or engagement.  
For more details visit: [mca.gov.in](http://mca.gov.in)  
CBC 07101/11/0003/2526

**KSEB**  
**KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED - EOI**  
Office of the Chief Engineer (T, CR & CAP) Wyoopu Bhavanam, Thiruvananthapuram.  
Phone No. 9496012521/0171-2514710 Email: [cmr@kseb.in](mailto:cmr@kseb.in), [cz@kseb.in](mailto:cz@kseb.in), [ca@kseb.in](mailto:ca@kseb.in)  
Notice inviting Expression of Interest (EOI) to identify and shortlist qualified and experienced vendors for managing manpower involved in KSEB's customer communication across all sections, including the Centralised Call Centre. E.O.I.No: CEIT/RITU/GCC/EOI/2025-26/1  
Tender ID: 2025\_KSEB\_768565\_1. Last date for submission of EOI : 25.06.2025 05.00pm. For further details visit [www.etenders.kerala.gov.in](http://www.etenders.kerala.gov.in) / [www.kseb.in](http://www.kseb.in).  
Ref:PRIMC/175567024

पत्र संख्या 06/नीलाय/भूसा पहाय/2025-26/561 दिनांक: 11 जून, 2025  
**निविदा सूचना (तृतीय प्रयास)**  
कार्यालय छवनी परियोजना, शाहजहाँपुर द्वारा द्वितीय प्रयास में ई-निविदा के माध्यम से दो विह सिस्टम (टैमनोकल एवं फार्नेसियल विह) के अन्तर्गत छवनी परियोजना, शाहजहाँपुर भूमि सर्वे सं 73 के भाग पर एवं आर०आर० बाजार स्थित मैरिज लॉज (केवल पार्किंग उपयोग) भूसा पहाय तहबाजारी/आउटड रेन्ड एवं बस पार्किंग फीस वसूलवाची के ठेके हेतु एक वर्ष के लिए ई-निविदाओं आमंत्रित करता है, जिसको ई-निविदा (विह) प्रस्तुत करने की आखिरी तिथि एवं समय 11.06.2025 अपरान्ह 04.00 बजे से, ई-निविदा (विह) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय 18.06.2025 अपरान्ह 04.00 बजे तक तथा टैमनोकल विह खोलने की तिथि दिनांक 19.06.2025 है। उक्त ई-निविदा सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण को जानकारी कार्यालय की वेबसाइट [www.eprocure.gov.in/cppp](http://www.eprocure.gov.in/cppp) अथवा [shahjahanpurcant.gov.in](http://shahjahanpurcant.gov.in) पर देखा जा सकता है। ठेके सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिन में कार्यालय छवनी परियोजना, शाहजहाँपुर के सम्बन्धित अनुभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।  
(राहुल कुमार यादव) भा.र.सं.से.  
मुख्य अधिशासी अधिकारी,  
छवनी परियोजना, शाहजहाँपुर।

**ONGC**  
**Oil and Natural Gas Corporation Ltd.**  
Expression of Interest (EOI)  
ONGC invites Expression of Interest (EOI) for Hiring of Warehouse for Storage of Chemicals, Other Materials, and Material Handling Equipment outside Pipavav Supply Base (PSB) for a period of five years.  
Interested vendors may download the full EOI document from the ONGC website at: [www.tenders.ongc.co.in](http://www.tenders.ongc.co.in) > Expression of Interest.  
EOI with required documents should be submitted by 17.06.2025 to [bellay\\_mukesh@ongc.co.in](mailto:bellay_mukesh@ongc.co.in), [chand\\_brahma@ongc.co.in](mailto:chand_brahma@ongc.co.in), [sharma\\_vibhu@ongc.co.in](mailto:sharma_vibhu@ongc.co.in), [pawar\\_haresh@ongc.co.in](mailto:pawar_haresh@ongc.co.in).  
ONGC reserves the right to accept or reject any or all EOIs without assigning any reason.

**लखनऊ विकास प्राधिकरण**  
(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)  
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)  
टेल-फ़ोन : 1800 1800 6000, वेबसाइट : [www.ldaonline.co.in](http://www.ldaonline.co.in)  
**सार्वजनिक सूचना**  
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रोहित शेर सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या - सी.पी.- 525 ट्रांसपोर्ट नगर योजना, कानपुर रोड योजना, लखनऊ पर ऑनलाईन फाईल संख्या-LDA/BP/24-25/1074 के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा नियोजित तलपट मानचित्र का व्यवसायिक भूखण्ड है। व्यवसायिक क्रिया हेतु नियोजित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- सी. पी. - 525 पर पेट्रोल पम्प उपयोग की अनुमति से पूर्व प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त तलपट मानचित्र पर संशोधन करना होगा। सड़क में शासनादेश के अनुसार जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता (मानचित्र सेल) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। आपत्ति/सुझाव मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ के कार्यालय में लिखित रूप में दो प्रतियाँ में सूचना प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त कराये जा सकते हैं। नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर ही विचार किया जायगा।  
अपर सचिव

का एक साल 2025

**NORTH CENTRAL RAILWAY**  
Corrigendum against E-Tender Notice No. ET-47/Elect./CHG-PRYJ/2025-26, Dt. :- 05.06.2025  
Corrigendum No. 1 Dated :- 09.06.2025  
Tender No - ETCHG - 47, Name of work- Provision of individual MPCB for water pumps and shifting of its controller to onboard in set of panels of LHB Non-AC Coaches over Prayagraj Division Detail : Item No. 2 of Instructions to Tenderer for Tender No. ETCHG-47, Published earlier : Warranty :- All the materials provided by the firm will be warranted for 06 months from the date of installation. If any material fails during warranty period same shall be supplied & installed by the firm free of cost. Should be read as under : Warranty :- All works shall be warranted for a period of 12 months from the date of installation/ commissioning. All materials shall carry a warranty of 12 months or as per the OEM's warranty policy, whichever is later/ applicable. The contractor shall submit the original OEM warranty certificate in favour of the Railways. The Security Deposit (SD) shall be released after expiry of 12 months, subject to satisfactory performance during the warranty period and submission of the warranty certificate in original as mentioned above 987/25 (AS)  
EOI:06/central/railways/06/2025/etenders/2025/11/03/CHG/2025

**EAST CENTRAL RAILWAY**  
E-TENDER NOTICE NO.-ECR-CAO-C-N-ETN-05-25-26  
E-TENDER IS INVITED ON BEHALF OF THE PRESIDENT OF INDIA FOR THE UNDER MENTIONED WORK.  
S.N. : Particulars 1. Name of work with its location : Yard extension work e.g. Earthwork, blanketing, construction of minor bridges, retaining wall, platform, gate lodges, approach road, yard drain, wharfage and other misc. works including p.way works & ballast between Kaparpura-Jiwadhara section in connection with Muzaffarpur-Sagauli doubling project. 2. Approx. cost of the work: Rs 85,66,99,739,95, 3. Bid Security Amount : Rs.44,33,500.00, 4. Date and time for closing of tender : 30.06.2025 at 14:30 hrs. 5. Website particular, Notice board location where complete details of tender can be seen and addressed of the office from where the tender form be purchased etc. The above E-Tender, E-Tendering document alongwith full information is available on website i.e. <http://www.ireps.gov.in>. Note : In case of any discrepancies found in tender notice, English version will be final. Tenderers are requested to visit the website <http://www.ireps.gov.in> atleast 15 days before last date of closing for latest corrigendum/ corrections etc. in response to this E-tender.  
CAO/Con/North  
E. C. Railway, MHX, Patna  
PR/0377/CM/MHX/ENGGIT/25-26/44

registered by Karnataka Police and CBI, which alleged that funds were diverted from KMVSTDC and sent to "fake accounts" before being laundered through shell entities.  
The alleged irregularities came to the fore after accounts superintendent of Valmiki Corporation, Chandrasekharan P, was found dead on May 21 last year. He left a suicide note alleging illegal transfer of money from the corporation to various bank accounts. Former Karnataka tribal affairs minister B Nagendra and five others were arrested by the ED in this case. Nagendra later got bail.  
Congress president Mallikarjun Kharge termed the ED searches a "conspiracy" to divide the party in Karnataka.  
"I don't know the details. I just saw it on TV. Naturally, if ED has done it, they have been angry with Congress since the beginning," he said. 77

**Man stabbed to death after tiff**  
New Delhi: A 26-year-old man was stabbed to death in southwest Delhi's Kishangarh on Tuesday. Police have arrested the accused, a resident of Mizoram, who claimed that the victim and his girlfriend were arguing. When he tried to intervene, the victim allegedly assaulted him, prompting him to stab the victim in a fit of rage. The victim suffered a head injury and was bleeding profusely. The injured man, identified as Parkash of Munirka, was declared dead in hospital. TNN

टेलीफोन- 0135-2522941 ई-मेल - [bridcul@gmail.com](mailto:bridcul@gmail.com)  
**BRIDCUL (ब्रिडकुल)** CIN No - U45203UR2008SCC032581  
ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड  
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)  
पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड  
प्रधान कार्यालय: अवस्थापना भवन, 583-ठ, राजकीय आईटीओआई निसर्जनपुर के सामने,  
माजरा, सहरानपुर रोड, देहरादून- 248001  
Ref:1291/BRIDCUL- 532/25 Dated: 11/06/2025  
**EMPANELMENT OF MANUFACTURES FOR ELECTRICAL ITEMS**  
Applications are invited from Manufacturers of Electrical items for new empanelment and Renewal of Empanelment of these items for the work being executed by Bridcul. Application forms can be downloaded from [www.bridcul.com](http://www.bridcul.com) under the title "Empanelment" from 16.06.2025, 15:00 Hrs. and submitted to MD, Bridcul, by 17:00 Hrs 30.08.2025.  
Changes, if any will be intimated only through our website [www.bridcul.com](http://www.bridcul.com)  
DGM (HQ)

Vidit Advertising 8x5 12/6/25 To1

प्रेषक श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, 1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।  
2. आयुक्त,  
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : विकास क्षेत्रों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियाँ/ नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल.यू.सी./96 दिनांक 26.12.96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी की पूर्ण की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकासप्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया।

2. अतएव इस सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किये हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ.प्र. आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाए परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निरस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाए। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.12.96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग
3. गार्ड फाइल
4. उ०प्र०, आवास बन्धु

आज्ञा से,  
एच. पी. सिंह  
अनुसचिव

# LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY


BOUNDARY:

ALLOTTED TO SRI/SMT. : *डिजाइन विन डेवा रेडि*  
 PLOT/HOUSE NO. : PLOT NO.-C.P.-525  
 SIZE : 24.10MT X (29.67+29.60)2MT  
 AREA : 714.20 SQ.MT



NORTH : PLOT NO.-C.P.-526  
 SOUTH : J.B.M.L.W.R.ROAD  
 EAST : PLOT NO.-C.P.-536  
 WEST : J.B.M.L.W.R.ROAD

## TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW.



*Harmit Kothare*  
 प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ

*Singh*  
*Self Attested*

REF. FILE NO. -91/T.P./INDEX/18  
 DRG. NO. :- TPN/07-08.  
 DATE :- 08-04-2019  
 THIS SITE PLAN IS PREPARED ON THE BASIS OF APPROVED REVISED LAY OUT PLAN OF TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW DRG NO. REV. 7AS PER SITE/05/01 ON DATED 3-1-2006  
 THIS PLAN IS PREPARED AS PFR REPORT ON FILE COMMERCIAL PLOT CP-531 GIVEN BY I.E. 03 ON DATED 17/11/2018.

SEESHA VERMA D.N.I.

T.P. SINGH T.P.

विषय- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (संशोधित नाम लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0) के मध्य कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन हेतु दिये गये चौधरी चरन सिंह इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110.00 एकड़ (4,45,154.00 वर्गमी0) क्षेत्रफल में प्रस्तुत ले-आउट प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आख्या-

एयरपोर्ट एथारिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0, अडानी हाउस 56, श्रीमाली सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, गुजरात के मध्य दिनांक 14.02.2020 को Concession Agreement निष्पादित किया गया, जिसके आर्टिकल -3 में निम्नवत प्राविधान है:-

### 3.1 The Concession :

3.1.1 Subject to and in accordance with the provisions of this Agreement, Applicable Laws and the Applicable Permits, the Authority hereby grants to the Concessionaire, the concession set forth herein including the exclusive right, lease and authority to operate, manage and develop the Airport ("Concession") for a period of 50 (fifty) year commencing from the COD, and the Concessionaire hereby accepts the Concession and agrees to implaements the Project subject to and in accordance with the terms and conditions set froth herein.

3.1.2 Subject to and in accordance with the provisions of this Agreement, the Authority, Applicable Laws nd the Applicable Permits, the Concession hereby granted shall oblige or entitle (as the case may be) the Concessionaire to:

- The Right of Way, access and lease to the Site for the pupose of and to the extent conferred by the provisions of this Agreement;
- Finance the Development and expansion of the Airport;
- Operate, maintain and manage the Airport and regulate the use there of by third parties;
- Demand, collect and oppropriate Fee from Users liable for payment of Fee for using the Airport or any part thereof and refuse entry of any such User if the Fee due is not paid.
- Perfrom and fulfil all of the Concessionaire's obligations under and in accordance with this Agreement;
- Save as otherwise expressly provided in this Agreement, hear and pay all costs, expensis, Taxes and charges in connection with or incidental to the performance of the obligations of the obligations of the Concessionaire under this Agreement; and
- Neither assign, transfer or create any lien or encumbrance on this Agreement, or th Concession hereby granted or on the whole or any part of the Airport nor transfer, or part possession thereof, save and except as expressly permitted by this Agreement or the Substitution Agreement.

### 3.2 City Side Development

Subject to and in accordanace with the provisions of this Agreement and Applicable Laws, the Concession hereby granted shall, without prejudice to the provisions of Clause 3.1.2, entitle the Concessionaire to undertake development, finance, operation and maintenance of real estate at the Site specified in Schedule A, in accordance with Schedule B and Schedule C, and to use such development for commercial purposes in accordance with the provisions of Article 25 ("City Side Development") with the right to sub-lease and/or sub-license any or all parts thereof by way of project Agreements.

जनकानवास मौर्य  
अवर अभियन्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सहायक अभियन्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

It is clarified that end-use of the City Side shall be in accordance with Applicable Laws as in force on the date of execution of this Agreement, and the Concessionaire shall be entitled to aby additional end use permitted pursuant to any subsequent restatement, amendment or re-enactment thereof only upon the prior written approval of GOI.

उपरोक्तानुसार किये गये Concession Agreement के अधीन कम्पनी द्वारा दिनांक 08.11.2020 से एयरपोर्ट का संचालन किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा चौधरी चरन सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110.00 एकड़ (4,45,154.00 वर्गमी0) क्षेत्रफल में "सिटी साइड डेवलपमेन्ट" के व्यवसायिक भूखण्डों को प्रस्तावित करते हुए ले-आउट मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित "सिटी साइड डेवलपमेन्ट" के भूखण्डों में नियमानुसार पृथक-पृथक 10 प्रतिशत ग्रीन, सॉलिड वेस्ट, एस.टी.पी. आदि सुविधाएं प्राविधानित की गयी है। विवरण निम्नवत है:-


क्र० सं०	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	एयरपोर्ट एथारिटी का कुल क्षेत्रफल	1258.80 एकड़ (50,94,183.00 वर्गमी0)	100%
2.	एयरपोर्ट आपरेशनल एरिया	1148.80 एकड़ (46,49,029.00 वर्गमी0)	91.26%
3.	सिटी साइड डेवलपमेन्ट	110.00 एकड़ (4,45,154.00 वर्गमी0)	8.74%


उपरोक्तानुसार ले-आउट मानचित्र की स्वीकृति के समय उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के अन्तर्गत नियमानुसार उक्त सभी सुविधाओं का प्राविधान किया जाना होगा एवं देय समस्त शुल्कों का नियमानुसार भुगतान करना होगा।


आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 द्वारा दिनांक 18.08.2006 को जारी शासनादेश संख्या-6113/आठ-1-06-26 जी0डी0ए/24 के क्रम में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

#### प्रस्ताव:

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (संशोधित नाम लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि0) के मध्य कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन हेतु दिये गये चौधरी चरन सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110.00 एकड़ (4,45,154.00 वर्गमी0) क्षेत्रफल में सिटी साइड डेवलपमेन्ट के प्रस्तावित व्यवसायिक भूखण्डों के प्रस्तुत ले-आउट प्लान को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

  
 जगमन दास जीय  
 जगर अधिकारी  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण


  
 सशंत अमिषन्ध  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

  
 मुख्य नगर नियोजक  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ

# लखनऊ महायोजना-2031

समग्र नगर विकास प्राधिकरण


क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	पर्यटन क्षेत्र	100
2	व्यावसायिक क्षेत्र	200
3	वाणिज्यिक क्षेत्र	300
4	आवासीय क्षेत्र	400
5	सुदृढीकरण क्षेत्र	500
6	सहकारी क्षेत्र	600
7	सामाजिक आवास क्षेत्र	700
8	सुदृढीकरण क्षेत्र	800
9	सहकारी क्षेत्र	900
10	सामाजिक आवास क्षेत्र	1000



समग्र नगर विकास प्राधिकरण  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

PROPOSED SITE (AIRPORT)

KEY PLAN  
NOT TO SCALE



SL NO	DESCRIPTION	ACRE	AREA IN SQ MT	%
1.	PLOT AREA AIRPORT AUTHORITY AREA	1258.80	5094183.00	100%
2.	AIRPORT OPERATIONAL AREA	1148.8	4649228.00	91.26%
3.	ROAD WIDENING AREA	5.92	19311.87	0.39%
4.	NET PLOT AREA (1+3) =	1253.88	5074271.13	99.60%
5.	CSD PLOT'S LAND AREA (1 TO 118)	110.00	445154.00	8.74%
6.	GREEN AREA @10% (CSD GREEN )	11.00	44515.42	


S. NO	CSD NO.	Area in Acres	Area in Sq.M (As Proposed Map)	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	BASIC PERMISSIBLE F.A.R.
1	Net Plot Area	1258.8	5094183.00		
2	Airport Development / Airport Operational	1022.92	4139610.00		
3	Total Area for City side Development	110.00	445154.00	45%	2.5%
4	CSD 01	6.26	25325.28	45%	2.5%
5	CSD 02	3.41	13789.78	45%	2.5%
6	CSD 03	2.20	8903.08	45%	2.5%
7	CSD 04				
8	CSD 05				
9	CSD 06	58.92	236440.92	45%	2.5%
10	CSD 07				
11	CSD 08	6.15	62180.34	45%	2.5%
12	CSD 09	9.21	34064.53	45%	2.5%
13	CSD 10	8.42	34064.53	45%	2.5%
14	CSD 11 A	10.00	40468.96	45%	2.5%
15	CSD 11 B	5.43	21971.5	45%	2.5%
16	Total CSD Area	110.00	445154.00		

NOTE - GREEN BUILDING F.A.R. AND PURCHASABLE F.A.R. AS PER BUILDING BY LAWS

NOTE:-  
ATTACHED COVER LETTER SHALL ALSO BE SUBMITTED TO THE LDA WHICH MENTIONS THAT AIRPORT MASTER PLAN IS REQUIRED TO BE UPDATED PERIODICALLY EVERY 5 YEARS OR EARLIER.  
IN RESPECT OF SPECIFIC LAND PARCEL NUMBER/ KHASRA NUMBER, WE WILL NOT SUBMIT THE DETAILS THEREOF. LAND IDENTIFICATION MAY BE REFERRED FROM CONCESSION AGREEMENT

## Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow ( C S D AREA DETAIL )

<p>PROJ. NO. : _____</p> <p>PROPOSED LAYOUT PLAN ( LDA/D/25-26/0004 ) ( PLOTTED DEVELOPMENT ) FOR CITY SITE DEVELOPMENT (CSD- AS PER CONCESSION AGREEMENT ) AT CHAUDHARY CHARAN SINGH INTERNATIONAL AIRPORT AT LUCKNOW</p>	<p>SCALE : _____</p> <p>DATE : _____</p> <p>BY : _____</p> <p>FOR : LAYOUT PLAN FOR CSD DEVELOPMENT WITH AREA DETAIL</p>	<p>PROJECT NO. : _____</p> <p>PROJECT NAME : _____</p> <p>PROJECT ADDRESS : _____</p> <p>PROJECT CONTACT : _____</p>	<p>DATE OF ISSUE : _____</p> <p>DATE OF VALIDITY : _____</p> <p>DATE OF CLOSURE : _____</p> <p>DATE OF REVIEW : _____</p>
<p>PROJECT NO. : _____</p> <p>PROJECT NAME : _____</p> <p>PROJECT ADDRESS : _____</p> <p>PROJECT CONTACT : _____</p>	<p>PROJECT NO. : _____</p> <p>PROJECT NAME : _____</p> <p>PROJECT ADDRESS : _____</p> <p>PROJECT CONTACT : _____</p>	<p>PROJECT NO. : _____</p> <p>PROJECT NAME : _____</p> <p>PROJECT ADDRESS : _____</p> <p>PROJECT CONTACT : _____</p>	<p>PROJECT NO. : _____</p> <p>PROJECT NAME : _____</p> <p>PROJECT ADDRESS : _____</p> <p>PROJECT CONTACT : _____</p>



**TOTAL AREA**  
 = 1258,800 ACRES  
**RESIDENTIAL AREA**  
 = 41,831 ACRES  
**OPERATIONAL AREA**  
 = 460,500 ACRES  
**CITY SIDE & OPEN AREA**  
 = 756,469 ACRES

**LEGEND**

S. NO.	NAME	SYMBOLS
1	OPENED BOUNDARY	---
2	ROADWAY LINE	---
3	ROADWAY NO.	---
4	ROAD	---
5	VALLEY ROAD	---
6	RAILROAD	---

**C.S. AIRPORT LUCKNOW**  
 Prepared by: SHIV SURVEYOR  
 Surveyed for: CHARAN SINGH INTERNATIONAL AIRPORT LTD.  
 Lucknow, India.

AIRPORT BOUNDARY  
 —————


PROJECT TITLE:  
**PROPOSED LAYOUT PLAN (DAD/D/25/260004) (PLOTTED DEVELOPMENT) FOR CITY SITE DEVELOPMENT (CSD, AS PER CONCESSION AGREEMENT) AT CHAUDHARY CHARAN SINGH INTERNATIONAL AIRPORT AT LUCKNOW**

DATE: \_\_\_\_\_  
 SCALE: \_\_\_\_\_  
 SHEET NO.: \_\_\_\_\_  
 TOTAL SHEETS: \_\_\_\_\_  
**KHASRA PLAN FOR CSD**



Prepared for: CHARAN SINGH INTERNATIONAL AIRPORT LTD.  
 Lucknow, India.

Prepared by: SHIV SURVEYOR  
 Surveyed for: CHARAN SINGH INTERNATIONAL AIRPORT LTD.  
 Lucknow, India.



NOTE :-  
1. 10% GREEN AREA MANDATORY GIVEN IN EACH C.S.D. PLOTS.

PROJECT TITLE: PROPOSED LAYOUT PLAN (LDA/LD/25-26/0004) (PLOTTED DEVELOPMENT) FOR CITY SITE DEVELOPMENT (CSD- AS PER CONCESSION AGREEMENT) AT CHAUDHARY CHARAN SINGH INTERNATIONAL AIRPORT AT LUCKNOW

DATE: \_\_\_\_\_ SCALE: \_\_\_\_\_ SHEET NO. \_\_\_\_\_ OF \_\_\_\_\_

PROJECT NO. \_\_\_\_\_

DESIGNER: B.S. CHAUDHARY

ARCHITECT: B.S. CHAUDHARY

CLIENT: M/S LUCKNOW INTERNATIONAL AIRPORT LTD

PROJECT SIGNATURE: \_\_\_\_\_

विषय सं०-37

पृष्ठ सं०-216

विषय- मै० अंसल हाउसिंग इनरीजिंग लिविंग स्टाइलेश द्वारा विकसित की गयी सेक्टर-एम एवं एन, आशियाना कानपुर रोड योजना लखनऊ के पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-217ए दिनांक 12.07.1991 में किये गये विचलन के कारण संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

**आख्या**


कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एम, एन को लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मै० अंसल हाउसिंग एण्ड कान्सट्रक्शन लि० के मध्य लाइसेंस के आधार पर भूमि विकसित किये जाने हेतु अनुबन्ध किया गया था। सेक्टर-एम, एन कानपुर रोड योजना के तलपट मानचित्र संख्या-217ए, दिनांक 12.07.1991 को स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष स्थल पर परिवर्तन के कारण भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। मै० अंसल हाउसिंग द्वारा विभिन्न आवंटियों को आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा नहीं हो पा रही थी। आवंटियों की शिकायतें भिन्न-भिन्न माध्यमों से प्राधिकरण को प्राप्त हो रही थी, जिस कारण पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान को संशोधित कराया जाना अतिआवश्यक था। तदक्रम में संशोधन की प्रक्रिया शासनोदश सं०-2438/9-आ-3-98-60 एल०यू०सी०/96, दिनांक 13.10.1998 के क्रम में उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 14.08.2024 के क्रम में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु लोक महत्व के स्थानीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले "दैनिक जागरण" (हिन्दी) एवं "टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) में दिनांक 28.08.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी।


निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सुनवाई उपरान्त दिनांक 22.11.2024 को समिति द्वारा निस्तारण/निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में दर्शित भूखण्ड संख्या-906A से 906K (कुल 10 भूखण्ड) के स्थल पर नगर निगम द्वारा झूले आदि लगाकर निर्मित हो चुके पार्क का यथावत पार्क रखा जाय परन्तु इन भूखण्डों के आवंटियों द्वारा इसका विरोध किया गया जिसके फलस्वरूप स्थल पर लगे झूले आदि को हटाकर अन्यत्र पार्क में स्थापित कर दिया गया एवं भूखण्डों को पुनः यथावत् तलपट मानचित्र में भूखण्डों के रूप में स्थापित किया गया। तदानुसार सेक्टर-एम एवं सेक्टर-एन के तलपट मानचित्र में विभिन्न संशोधनों को समायोजित करते हुए मै० अंसल हाउसिंग इनरीजिंग लिविंग स्टाइलेश द्वारा दिनांक 04.06.2025 को प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र पर उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कानपुर रोड योजना सेक्टर-एम एवं एन आशियाना के संशोधित तलपट मानचित्र का क्षेत्रफल 190.60 एकड़ है। शासनादेश संख्या-4165/आठ-1-05-29विविध/98, दिनांक 7 जुलाई, 2006 में प्राविधान है कि 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं का क्रियान्वयन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय। तदक्रम में संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**प्रस्ताव**

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में कानपुर रोड योजना सेक्टर-एम एवं एन आशियाना के संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
जनकानपुर नगर नगर  
अवर आयुक्त  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

  
मुख्य नगर नियोजक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

प्रेषक श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, 1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।  
2. आयुक्त,  
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : विकास क्षेत्रों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियाँ/ नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल.यू.सी./96 दिनांक 26.12.96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी की पूर्ण की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकासप्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया।

2. अतएव इस सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किये हुए विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ.प्र. आवास विकास परिषद के स्तर पर ही सम्पादित की जाए परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की जाए अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की जाए तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निरतारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञापित भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाए। अन्तिम विज्ञापित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.12.96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग
3. गार्ड फाइल
4. उ0प्र0, आवास बन्धु

आज्ञा से,  
एच. पी. सिंह  
अनुसचिव

संख्या-4165/आठ-1-05-29विधि/98

प्रेषक,

के.एल.मीना  
सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1- | आवास आयुक्त,<br>उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद<br>लखनऊ।                              | 2- | उपाध्यक्ष,<br>समस्त विकास प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश।            |
| 3- | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक<br>नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,<br>7-बन्दरियाबाग, लखनऊ। | 4- | नियंत्रक प्राधिकारी,<br>समस्त विनियमित क्षेत्र,<br>उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2006

विषय : 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही प्रारम्भ कर दिया जाता है, जिसके कारण इन योजनाओं के नियोजन में बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर रहे विभिन्न विभागों का योगदान सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश योजनाओं की "फाइनेंशियल वायबिलिटी" का आंकलन भी नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजनान्तर्गत सृजित सम्पत्तियों के निस्तारण में कालान्तर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी योजना को आरम्भ करने से पूर्व उसकी "फाइनेंशियल वायबिलिटी" का आंकलन करते हुए यथास्थिति विकास प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही उसका क्रियान्वयन किया जाए। यद्यपि समस्त योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना श्रेयष्कर होगा, परन्तु 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं का क्रियान्वयन बोर्ड से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए।

भवदीय,

के. एल. मीना

सचिव

संख्या-4165(1)/आठ-1-05-29विविध/98 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 3- अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 4- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
- 5- विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी  
अनुसचिव

मेसर्स अंसल हाउसिंग इनरीजिंग लिविंग स्टाइलेश को सेक्टर-एम, एन आशियाना तलपट

मानचित्र का विवरण

प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र का विवरण :

A- Total Layout Area as per Drone Survy -		771621.74 Sqm.
B- Area in Plot – 2009	-	440419.59 Sqm.
EWS - 501	-	15463.00 Sqm.
G.H. - 1	-	15961.50 Sqm.
<b>Total</b>		<b>471844.09 Sqm. (61.15%)</b>
C- Area of Comercial - 5	-	2536.92 Sqm.
Conv. Shop - 5	-	5213.74 Sqm.
Petrol Pump- 1	-	919.22 Sqm.
<b>Total</b>		<b>8669.88 Sqm. (1.12%)</b>
D- High School	1 –	19830.02 Sqm.
Nursery School	1 –	1351.40 Sqm.
Religious Buildig - 3	–	9531.8 Sqm.=
<b>Total</b>		<b>3073.26 Sqm. (3.98%)</b>
E- Road	-	207578.19 Sqm. (26.90%)
F- Park	-	52816.31 Sqm. (6.85%)
<b>Total - =</b>		<b>771621.74 ( 100%)</b>

मेसर्स अंसल हाउसिंग इनरीजिंग लिविंग स्टाइलेश को सेक्टर-एम, एन आशियाना तलपट

मानचित्र का विवरण

पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या-217ए दिनांक 12.07.1991 का विवरण-

A- Area in Scheme	- 921249.00 m2			
B- Area in plot	- 1966 Nos	= 421580.90 m2	= 45.76 %	} 49.83%
Area in EWS	- 676 Nos	= 20280.00 m2	= 2.20 %	
Area of G.H.	- 1 No.	= 17199.75 m2	= 1.87 %	
C- Area of Commercial	- 1 No.	= 3893.22 m2	= 0.42%	} 1.06%
Convenient shop	- 6 Nos.	= 5953.14 m2	= 0.64%	
D- Public Animities				
High school	- 3Nos	- 60543.12 m2	- 6.57%	} 10.47%
N/P school	- 3Nos	- 16754.58m2	- 1.82%	
Health center	- 3Nos	- 11833.43m2	- 1.28%	
Petrol pump	- 1No	- 759.74m2	- 0.08%	
Police post	- 1No	- 117.36m2	- 0.012%	
Religious Building		- 6568.28m2	- 0.71%	
E- Park/ Open		- 84331.57m2	- 9.15 %	
F- Road		- 271433.91	- <u>29.64 %</u>	

विषय-प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सुख-सुविधा (शहीद पथ, किसान पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर) अधिसूचित कराने के संबंध में।

आख्या-

लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) प्रभावी है, विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रीन कॉरीडोर का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। महायोजना में किसान पथ, शहीद पथ, लखनऊ मेट्रो गतिमान है। उ०प्र० शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-418/79-वि-1-2023-1-(क)-11-2023 लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त, 2023 के बिन्दु सं०-2 में निम्नवत् उल्लेख है कि-

2-उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है), की धारा 2 में :-

(ग) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(टट) विशेष सुख-सुविधा में अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाएं यथा त्वरित जन अभिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल, लाईट रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस अभिवहन प्रणाली, रोपवे इत्यादि), फ्रीवेज (एलीवेटेड रोड इत्यादि), नगरीय पुनरोद्धार परियोजनाएं (नदी तट विकास इत्यादि) अथवा कोई अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजना, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में गजट में अधिसूचित की जाय, सम्मिलित हैं।


“(टटट) विशेष सुख-सुविधा का तात्पर्य विकास क्षेत्र में विशेष सुख-सुविधाओं, उनके सुधार तथा अनुरक्षण हेतु उपबन्ध के लिए धारा 15 की उपधारा-2(ख) के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क से है”।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 181वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.07.2024 के मद संख्या-181/11 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा नियोजित, विकसित एवं स्वीकृत समस्त योजनाओं सहित सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में प्राप्त होने वाले मानचित्रों पर सम्पूर्ण भूखण्ड पर विशेष सुख-सुविधा शुल्क के रूप में रु० 200.00 प्रति वर्गमी० की दर से उद्ग्रहीत किया जा रहा है।

उ०प्र० नगर योजना एवं विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) प्रथम संशोधन नियमावली-2021, सम्बन्धी अधिसूचना उ०प्र० शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, की संख्या-3/2021/558-3-21-211विविध/13 टीसी, दिनांक 09 फरवरी, 2021 निर्गत है, जिसमें उल्लिखित है कि

5 (1) विकास क्षेत्र या उसके किसी विशिष्ट भाग में विकास शुल्क की दरें वहीं होंगी, जो अनुसूची-ख में उल्लिखित हैं -

परन्तु यह कि विशेष सुख-सुविधा या प्रभाव परक या परिक्षेत्र आधारित विकास (उदाहरणार्थ-सामूहिक अभिवहन गलियारों के समानान्तर अभिवहन परक विकास) की दशा में, अनुसूची 'ख' में विहित अनधिक 25 प्रतिशत विकास शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क उद्ग्रहीत किया जा सकता है। वर्तमान में विकास शुल्क रु०-2462.00 प्रतिवर्गमी० निर्धारित है।

  
कौशवेन्द्र कुमार गोतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल०वि०पा०, लखनऊ

वर्तमान में ग्रीन कॉरीडोर परियोजना, शहीद पथ एवं किसान पथ को विशेष सुख-सुविधा के रूप अधिसूचित कराते हुए, शुल्क  $\text{रु० } 2462 \times 25\% = 615.50$  की दर से विशेष सुख-सुविधा के रूप लिया जा सकता है जो कि शहीद पथ, किसान पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर के रूप में विकसित की जा रही सुविधा के सापेक्ष होगा।

प्रस्ताव:

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-2 में उ०प्र० शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-418/79-वि-1- 2023-1- (क)-11-2023 लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त, 2023 के अधीन किये गये संशोधन के क्रम में विकास क्षेत्र में शहीद पथ, किसान पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर को 'विशेष सुख-सुविधा' के अन्तर्गत अधिसूचित कराये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजने एवं 'विशेष सुख-सुविधा' शुल्क के रूप में रु० 615.00 प्रति वर्गमी० भूखण्ड क्षेत्रफल पर अतिरिक्त विकास शुल्क लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कौशवेन्द्र कुमार गौतम  
कौशवेन्द्र कुमार गौतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

विषय-प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सुख-सुविधा शुल्क के वृद्धि किये जाने के संबंध में।

आख्या-

लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) प्रभावी है, विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रीन कॉरीडोर का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। महायोजना में किसान पथ, शहीद पथ, लखनऊ मेट्रो गतिमान है। उ०प्र० शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-418/79-वि-1-2023-1-(क)-11-2023 लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त, 2023 के बिन्दु सं०-2 में निम्नवत् उल्लेख है कि-

2-उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है), की धारा 2 में :-


(ग) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(टट) विशेष सुख-सुविधा में अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाएं यथा त्वरित जन अभिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल, लाईट रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस अभिवहन प्रणाली, रोपवे इत्यादि), फ्रीवेज (एलिवेटेड रोड इत्यादि), नगरीय पुनरोद्धार परियोजनाएं (नदी तट विकास इत्यादि) अथवा कोई अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजना, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में गजट में अधिसूचित की जाय, सम्मिलित हैं।

“(टटट) विशेष सुख-सुविधा का तात्पर्य विकास क्षेत्र में विशेष सुख-सुविधाओं, उनके सुधार तथा अनुरक्षण हेतु उपबन्ध के लिए धारा 15 की उपधारा-2(ख) के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क से है”।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 181वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.07.2024 के मद संख्या-181/11 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा नियोजित, विकसित एवं स्वीकृत समस्त योजनाओं सहित सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में प्राप्त होने वाले मानचित्रों पर सम्पूर्ण भूखण्ड पर ग्रीन कॉरीडोर विशेष सुख-सुविधा शुल्क के रूप में रू० 200.00 प्रति वर्गमी० की दर से उद्ग्रहीत किया जा रहा है।

प्रश्नगत दर तत्समय मात्र ग्रीन कॉरीडोर की सुख-सुविधा के दृष्टिगत आरोपित किया जा रहा था। वर्तमान में विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है, जिसमें लगभग रू० एक हजार करोड़ धनराशि का व्यय अनुमानित है। अवगत कराना है कि पूर्व में प्राधिकरण की 178वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05, अगस्त 2023 में विशेष सुख-सुविधा के रूप में शुल्क रू०-550.00 प्रति वर्गमी० उद्ग्रहीत किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु 181वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.07.2024 में संशोधित कर रू० 200.00 प्रति वर्गमी० उद्ग्रहीत का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में विशेष सुख सुविधा संबंधी कार्यों में अत्यधिक धनराशि का व्यय होना संभावित है।







 कौशवेन्द्र कुमार गौतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल०वि०प्रा०,लखनऊ

उ०प्र० नगर योजना एवं विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) प्रथम संशोधन नियमावली-2021, सम्बन्धी अधिसूचना उ०प्र० शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, की संख्या-3/2021/558-3-21-211विविध/13 टीसी, दिनांक 09 फरवरी, 2021 द्वारा विशेष सुख-सुविधा या प्रभाव परक या परिक्षेत्र आधारित विकास (उदाहरणार्थ-सामूहिक अभिवहन गलियारों के समानान्तर अभिवहन परक विकास) की दशा में, अनुसूची 'ख' में विहित अनधिक 25% विकास शुल्क अर्थात्  $2462.0 \times 25\% = 615.50$  अतिरिक्त विकास शुल्क उद्ग्रहीत किया जा सकता है।

अतः उक्त शुल्क रू० 200.00 प्रति वर्गमी० के स्थान पर रू० 615.00 प्रति वर्गमी० (भूखण्ड क्षेत्रफल पर) की दर से विशेष सुख-सुविधा शुल्क लिये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव:

उ०प्र० शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-418/79-वि-1-2023-1-(क)-11-2023 लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त, 2023 के क्रम में 'विशेष सुख-सुविधा' शुल्क रू० 615.00 प्रति वर्गमी० (भूखण्ड क्षेत्रफल पर) सम्पूर्ण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रस्तावित/शमन मानचित्रों पर अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कौशवेन्द्र कुमार गौतम  
मुख्य नगर नियोजक  
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

विषय संख्या : 40

पृष्ठ संख्या : 226

प्रस्ताव:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उदग्रहीत विशेष सुख सुविधा शुल्क के मद में प्राप्त धनराशि के उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 2023 जो दिनांक 10.07.2023 से लागू किया गया है, में धारा 2 (ट ट ट) विशेष सुख सुविधा शुल्क उदग्रहीत किये जाने की व्यवस्था दी गयी है तथा धारा 5 (2 ख) में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-


“ विशेष सुख सुविधा शुल्क उदग्रहीत किये जाने के फलस्वरूप तथा संग्रहीत अतिरिक्त धनराशि इस अधिनियम की धारा 20(क) के अधीन यथा स्थापित विशेष सुख सुविधा विकास निधि में जमा की जायेगी।”

अधिसूचना की धारा 6(20) (क) (2) में निधि का उपयोग विशेष सुख सुविधा परियोजना (परियोजनाओं) की वित्तीय वहनीयता के लिये ऐसी रीति में किया जायेगा जैसे कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विदिनिष्ट किया जाये।

अधिसूचना में धारा 20 (क) (1) (3) में विशेष सुख सुविधा विकास निधि के प्रशासन के लिये अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन किया जायेगा जिनके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. सम्बन्धित प्राधिकरण का अध्यक्ष।
2. सम्बन्धित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष।
3. सम्बन्धित विकास क्षेत्र में विशेष सुख सुविधा क्रियान्वयन अभिकरण का परियोजना प्रतिनिधि।

वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष सुख सुविधा शुल्क के मद में संग्रहित धनराशि का उपयोग पक्कापुल से डालीबाग तक दो लेन आर ओ बी कम फ्लाईओवर एवं गोमती नदी पर पुल के निर्माण कार्य में किया जा रहा है। शासन द्वारा धारा 20 (क) (1) (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा धनराशि व्यय के सम्बन्ध में विनिदिष्ट किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गयी है। अतः उक्त मद में प्राप्त धनराशि का उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जा रहे ग्रीन कारीडोर परियोजना अन्तर्गत अवस्थापना निधि की भांति पक्कापुल से डालीगंज तक में उपयोग किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय संख्या : 41

पृष्ठ संख्या : 22+


प्रस्ताव :- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आई0आई0एम0 रोड पर प्रस्तावित भूमि : अधिग्रहण तथा आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रस्तावित योजनाओं की भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आई0आई0एम0 रोड (नैमिष नगर) पर निम्नलिखित ग्रामों में उनके सम्मुख अनुमानित क्षेत्रफल का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र0स	ग्राम का नाम	तहसील	कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	भौली	बक्शी का तालाब	85.6840
2	लक्ष्मीपुर	बक्शी का तालाब	42.7370
3	पूरब गांव	बक्शी का तालाब	93.0440
4	पुरवा	बक्शी का तालाब	73.4410
5	सैरपुर	बक्शी का तालाब	110.4090
6	फरुखाबाद	बक्शी का तालाब	50.7830
7	कोड़री भौली	बक्शी का तालाब	23.0700
8	कमलाबाद	बक्शी का तालाब	4.1260
9	कमलापुर	बक्शी का तालाब	7.5200
10	पल्हरी गांव	बक्शी का तालाब	80.4250
11	गोपरामऊ	सदर	62.8093
12	बारुमऊ	बक्शी का तालाब	187.8830
13	धतिंगरा	बक्शी का तालाब	158.3484
14	सैदापुर	बक्शी का तालाब	33.0960
अर्जन हेतु अनुमानित धनराशि रु0 4785.34 करोड़			

आगरा एक्सप्रेस (वरुण विहार) वे पर निम्नानुसार भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र0स	ग्राम का नाम	तहसील	कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	रेवरी	सरोजनीनगर	170.7505
2	इब्राहिमगंज	सरोजनीनगर	27.2883
3	मदारपुर	सरोजनीनगर	78.2524
4	नकटौरा	सरोजनीनगर	62.7914
5	भलिया	सदर	1.4600
6	जलियामऊ	सदर	251.6461
7	गहलवारा	सरोजनीनगर	157.8880
8	बहरु	सदर	10.5680
9	आदमपुर इन्दवारा	सरोजनीनगर	5.8100
10	सकरा	सरोजनीनगर	569.5289
11	दोना	सरोजनीनगर	594.3933
12	तेज कृष्ण खेड़ा	सरोजनीनगर	339.9532
अर्जन हेतु अनुमानित धनराशि रु0 7471.93 करोड़			



उपरोक्तानुसार आई0आई0एम0 (नैमिष नगर) पर प्रस्तावित योजना हेतु रु0 4785.34 करोड़ तथा आगरा एक्सप्रेस वे (वरुण बिहार) पर अर्जन हेतु रु0 7471.93 करोड़ की आवश्यकता होगी। मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत लगभग 1000 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो सकेगी तथा प्राधिकरण द्वारा अपने वित्तीय क्षमताओं/संसाधनों से एवं जैसे-जैसे भूमि का क्रय/जुटाव होता रहेगा उसके आधार पर योजना प्रारम्भ करते हुए जनमानस से भी धनराशि प्राप्त होती रहेगी। प्राधिकरण के पूर्व में संचालित योजनाओं तथा अविक्रित सम्पत्तियों के विक्रय से भी धनराशि प्राप्त होगी, किन्तु उपरोक्त के फलस्वरूप भी भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण लिये जाने की आवश्यकता होगी।

अतः प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त दोनों योजनाओं को संचालित किये जाने के लिए ऋण लिये जाने हेतु प्राधिकरण Expression of Interest आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण हित में न्यूनतम ब्याज दर पर औचित्यपूर्ण शर्तों के साथ वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।






प्रस्ताव:- प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नवीन योजनाओं के भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्यों तथा डिजिटाइजेशन, कम्प्यूटराइजेशन, नई ई0आर0पी0 आदि का कार्य बजट प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड पर नैमिषनगर योजना तथा आगरा एक्सप्रेस वे पर वरुण विहार आवासीय योजना प्रस्तावित है, तथा सुल्तानपुर रोड पर आई0टी0 सिटी एवं वेलनेस सिटी के विकसित किये जाने हेतु लैण्डपूलिंग के माध्यम से भूमि का जुटाव किया जा रहा है। नैमिषनगर योजना तथा वरुण विहार आवासीय योजना हेतु शासन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। आई0टी0 सिटी एवं वेलनेस सिटी के विकसित किये जाने के साथ ही गोमती नगर विस्तार, विराज खण्ड, बसंतकुंज तथा ऐशबाग योजना में मांग सर्वेक्षण के आधार पर बहुमंजिला भवनों का भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है एवं प्राधिकरण अभिलेखों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित रखे जाने हेतु डिजिटाइजेशन, कम्प्यूटराइजेशन, नई ई0आर0पी0 आदि के कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त के मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण को रु0 650.00 करोड़ प्राप्त होगी।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यों हेतु उनके सम्मुख बजट प्राविधान/अतिरिक्त बजट स्वीकृति किया जाना है:-

(धनराशि करोड़ में)

क्र0 सं0	बजट मद	योजना/ कार्य का नाम	अनुमोदित धनराशि	19.07.25 तक व्यय	अतिरिक्त बजट प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1.	1106	विज्ञापन	9.00	5.40	3.00
2.	190108	देवपुर पारा में सड़क निर्माण			15.00
3.	190112	रतन खण्ड, (शारदा नगर योजना) भूमि विकास सड़क निर्माण	0.50	0.34	1.00
4.	190603	मानसरोवर योजना विद्युतीकरण	0.60	0.40	1.00
5.	190607	जानकीपुरम् योजना/जानकीपुरम् विस्तार सेक्टर-1 से 11 तक एवं सृष्टि अपार्टमेन्ट विद्युतीकरण	0.70	0.60	1.00
6.	190612	रतन खण्ड, (शारदा नगर योजना) विद्युतीकरण	0.30	0.27	0.50
7.	200110	प्रयदर्शिनी योजना/ अलीगंज/ सोपान इन्क्लेव/ सृजन/ अनुभूति बहुमंजिले भवन	1.00	0.47	0.50
8.	200122	पारिजात अपार्टमेन्ट	1.00	0.73	1.00
9.	200137	सोपान इन्क्लेव फेज-2	5.00	3.38	3.00
10.	200710	प्रयदर्शिनी योजना/ अलीगंज/ सोपान इन्क्लेव/सृजन/अनुभूति अनुरक्षण	0.50	0.22	0.50
11.		जलसंस्थान/नगर निगम को योजनाओं के हस्तान्तरण हेतु	10.00	41.00	50.00

  
 कित्त निस्त्रक  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ

12	भूमि अध्याप्ति पर व्यय अतिरिक्त प्रस्ताव (नैमिषनगर/वरुण विहार)।	600.00
13	वेलनेस सिटी का कार्य।	25.00
14	गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में ग्रुप हाउसिंग का कार्य।	50.00
15	गोमती नगर विस्तार-4 में राप्ती अपार्टमेंट के समीप मल्टीस्टोरी का निर्माण।	50.00
16	लोहिया पार्क गोमती नगर में जागिंग ट्रैक का कार्य।	4.50
17	आई0टी0 सिटी योजना पर विकास कार्यों पर व्यय।	50.00
18	कानपुर रोड योजना सेक्टर एम में इन्डोर स्पोर्ट्स कम रिसोर्ट की स्थापना	15.00
19	इको गार्डन में सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य।	8.00
20	उद्योग नगर में सिविल कार्य।	10.00
21	पी0एम0सी0/पी0आई0यू0/कन्सलटेन्ट आदि को भुगतान।	7.50
22	डिजिटाइजेशन, कम्प्यूटराइजेशन, नई ई0आर0पी0 आदि का कार्य।	18.50
23	नैमिषनगर योजना में विकास कार्य।	5.00
24	एकीकृत कार्यालय का निर्माण।	50.00
25	मिल रोड ऐशबाग में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण।	50.00
26	बसंतकुंज सेक्टर-जे में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण।	50.00
27	बसंतकुंज जागर्स पार्क में पाथ-वे जलभराव हेतु उच्चीकरण का निर्माण कार्य।	3.00
28	बसंतकुंज सेक्टर-डी में आयुर्वेद पार्क का निर्माण।	3.20
29	बसंतकुंज खसरा सं0-591 पर मैंगो थीम पार्क निर्माण।	7.50
30	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित अपार्टमेंट को आर0डब्लू0ए0 को हस्तान्तरण हेतु।	25.00
	कुल योग	1108.70

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

24/4/20  
 कित्त नियंत्रक  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ

प्रस्ताव:- लखनऊ विकास प्राधिकरण में दो सहायक लेखापरीक्षा/वरिष्ठ लेखापरीक्षक की संविदा के आधार पर तैनाती के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु:- लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा) उ0प्र0 द्वारा सम्पादित की जाती है तथा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, प्रयागराज उ0प्र0 द्वारा सम्पादित की गयी है।

सम्परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु दो सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षक, जो स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, प्रयागराज अथवा कार्यालय महालेखाकार विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज से सेवानिवृत्त हुए हों, को संविदा पर 12 माह की अवधि हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में आबद्ध किया जाना है।

आवेदन करने वाले कार्मिक की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो, सेवानिवृत्त संस्थान में उनका कार्य व्यवहार/चाल चलन/आचरण अच्छा रहा हो एवं 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा की हो तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही/दण्ड सेवाकाल में प्रस्तावित न हुआ हो, आवेदन कर सकते हैं। कार्मिक को अन्तिम आहरित कुल परिलब्धियों में से पेंशन एवं मंहगाई राहत को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि का भुगतान मानदेय के रूप में किया जायेगा। कार्मिक का चयन उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा गठित समिति की संस्तुति अनुसार किया जायेगा।

अतः दो सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षक, (सेवानिवृत्त) को संविदा के आधार पर 12 माह की अवधि हेतु आबद्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



2/4/21  
 वित्त नियंत्रक  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ

मद संख्या.....

नंदाखेड़ा तुलसी काम्प्लेक्स लखनऊ पर निवास कर रहे निवासियों के विस्थापन के सम्बंध में:-

अधिशाली अभियंता जोन-6 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की आख्या दिनांक 02.05.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में नंदाखेड़ा तुलसी काम्प्लेक्स लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या में उक्त प्रश्नगत स्थल पर निवास कर रहे 59 अध्यासियों को विस्थापित किया जाना था। जिनमें प्राधिकरण की 184वीं बोर्ड बैठक में 18 अध्यासियों को फ्लैट आवंटन का निर्णय लिया जा चुका है। जिसमें 18 के सापेक्ष 17 अध्यासियों को फ्लैट आवंटित किये जा चुके हैं, 01 अध्यासी द्वारा फ्लैट लेने से मना कर दिया है। अधिशाली अभियन्ता जोन-6 द्वारा दिनांक 28.07.2025 को 35 विस्थापितों की एक दूसरी सूची प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार वर्तमान में अवशेष अध्यासियों की संख्या-42+35=77 है। जिन पर आगामी बोर्ड बैठक में निर्णय प्राप्त किया जाना है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन लखनऊ में चलाये गये अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सरकारी भूमि से काफी संख्या में अतिक्रमण हटाने/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी व तदोपरान्त बेघर हुए व्यक्तियों को भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के तहत लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर आवास आवंटित कर पुर्न-विस्थापित किया गया है। उपरोक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि के अतिक्रमण मुक्ति के पश्चात नंदाखेड़ा तुलसी काम्प्लेक्स, लखनऊ की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे उपरोक्त वर्णित 42+35=77 अध्यासी शेष है। जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

नंदाखेड़ा तुलसी काम्प्लेक्स की सर्वे रिपोर्ट

क्रम. संख्या	नाम	मोबाइल नम्बर	आधार नम्बर
1.	श्रीमती सन्नो	6394741077	510527822640
2.	श्री बौवा वर्मा	92199100838	678265629007
3.	श्रीमती शाहनाज बानो	8318022885	322663210616
4.	श्रीमती नीलम गुप्ता	9170756599	614166541606
5.	श्रीमती नसीब जहां	7317848097	472463245406
6.	श्री वसी खान	7887093242	443330288443
7.	श्रीमती नुजहत परवीन	8853265347	999415536718
8.	ब्रिज मोहन चक्रवर्ती	8400832239	381323088004
9.	श्री शिव कुमार	9899784735	469563227135
10.	श्रीमती शबनम बानों	9653041044	809853731287


(दीपक सिंह)  
ल० स० ए०


(प्रवेश कुमार)  
अनुभाग अधिकारी  
ल० वि० प्रा०


(प्रवेश कुमार)  
नायब तहसीलदार  
ल० वि० प्रा०

(अजुल कृष्ण सिंह)  
ल० वि० प्रा०

11.	श्री इसरत	9236732060	776888297279
12.	श्रीमती रूपा	9450392844	714454243313
13.	श्री सनी विश्राम सिंह	9369019969	685224945225
14.	श्रीमती आशा सिंह	6388393148	315962066577
15.	श्रीमती शिवानी गुप्ता	9616267175	967985122057
16.	श्रीमती ज्योति जायसवाल	9696889601	412749673332
17.	श्रीमती खुशनुमा बानो	6306273082	488269296783
18.	श्रीमती राबिया खान	9580974271	715176747008
19.	श्रीमती आयशा खान	7376422776	289095025261
20.	श्रीमती रूकसाना खान	9559608647	428898034518
21.	श्री अंसार खान	8299006086	609902122455
22.	श्री तब्सुम	6392404285	708643518195
23.	श्रीमती प्रगति देवी	8874018505	644352583086
24.	अल्का गुप्ता	7985543040	836303959678
25.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	8604425661	656542773160
26.	श्रीमती मोनी	8318373868	547068268119
27.	श्रीमती रिंकी	8090716042	759914152406
28.	श्री अनूप कुमार	9125018635	851444044385
29.	श्रीमती सुमन देवी	9369123881	729211181227
30.	श्रीमती शरण जीत कौर	9621303082	461946738499
31.	श्री वरिन्द्र कौर	7068484960	615734547503
32.	श्रीमती चन्द्र प्रभा शुक्ला	8299562740	923866511050
33.	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी	8175881638	828580480890
34.	श्री शैलेन्द्र यादव	9889517823	402556270207
35.	श्री अंकलेश कुमार पाठक	9452688642	633198835178
36.	श्रीमती पुष्पा अवस्थी	6306623246	979871418963
37.	श्रीमती रिजवान खातून	9569948636	279338868892
38.	श्री संदीप	9696975724	474783005563


  
(दीपक सिंह)  
लो.वि.प्रा०

  
(लाल बहादुर)  
लो.वि.प्रा०

  
(लाल बहादुर)  
अनुभाग अधिकारी  
लो.वि.प्रा०



(प्रवेश कुमार)  
नायब तहसीलदार  
लो.वि.प्रा०

  
लो.वि.प्रा०  
(अजुल कृष्ण सिंह)  
लो.वि.प्रा०

39.	श्री शेखर वर्मा	8887578523	255488462976
40.	श्रीमती रुखसाना	6388968044	969650150358
41.	श्री मो० शोयब	9235113073	939632867325
42.	श्रीमती आलिया	9026398601	555800422227
43.	श्री आशीष कुमार उपाध्याय	7510004243	509293066572
44.	श्री अर्पित कुमार त्रिपाठी	8299423158	605414755793
45.	श्री आजम खान	9151642562	552395955619
46.	श्री अजय प्रताप सिंह	7510009191	620222833048
47.	श्री सुशील कुमार शुक्ला	9140767519	796788835367
48.	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द्र	9598560700	923697969009
49.	श्रीमती श्यामा पत्नी श्री गुड्डू	9125682314	613083580623
50.	श्री भानू प्रताप पाण्डेय	9555227963	632615674996
51.	श्री प्रज्ञा नन्द मिश्रा पुत्र श्री राम केवल मिश्रा	9795743148	855471261329
52.	श्री श्याम अरोरा पुत्र श्री भारतवीर अरोरा (विकलॉग)	8419033991	554580904318
53.	श्रीमती प्रीती पत्नी श्री रवि कुमार	9116239698	272325917728
54.	श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्व० त्रिवेणी सिंह	9161801258	373150669679
55.	श्री अशोक मिश्रा पुत्र श्री पारस नाथ मिश्रा	7800602320	510339634640
56.	श्रीमती नन्दिनी मिश्रा	8318581601	828616592993
57.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री शिव कैलाश	8574368945	870927777357
58.	श्री राम प्रवेश पुत्र श्री जादूलाल	7307488867	897837189175
59.	श्री अंबेश प्रकाश मिश्रा	9628341891	649886233407
60.	श्री अजय सोनी	8381813291	649886233407
61.	श्री अनुज कुमार यादव पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद यादव	8756961364	818659250758
62.	श्री अरविंद कश्यप	8917001712	540793065357
63.	श्रीमती अर्चना वर्मा	9956117303	263340561388
64.	श्रीमती शिखा पत्नी श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय	9807168100	—
65.	श्रीमती संजू कुमारी	9140223722	—
66.	श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री राम दास	8115663408	389846137694

(दीपक सिंह)  
लो० वि० प्रा०

(अश्विनी कुमार)  
लो० वि० प्रा०

(लाल बिहारी)  
अनुभाग अधिकारी  
लो० वि० प्रा०

(प्रवेश कुमार)  
नायब तहसीलदार  
लो० वि० प्रा०


(अशुल कुमार)  
अनुभाग अधिकारी  
लो० वि० प्रा०

67.	श्री शिव कुमार गुप्ता	9517139819	720337357451
68.	श्रीमती अनीता पत्नी श्री चन्दन लाल	9260939870	256692684896
69.	श्रीमती पूनम मिश्रा	9918104252	566254335590
70.	श्रीमती पूनम सिंह	8299624929	591145045759
71.	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह	9519199208	753300911268
72.	श्रीमती मीरा रस्तोगी	8387928751	637872773876
73.	श्री रामेश्वर शर्मा	6306024773	652536720238
74.	श्रीमती प्रेमलता पाल	8400701222	681053411594
75.	सुश्री सोनाली गुप्ता पुत्री श्री राजेश गुप्ता	7007676954	732571622618
76.	श्री रामसरन सिंह पुत्र स्व० काली प्रसाद सिंह	9415897727	889612141266
77.	श्रीमती ममता पत्नी श्री सोनू	8400502547	409955363711

अतः उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अभियंता जोन-6 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही पुर्न विस्थापन योजना के तहत सम्बंधित अतिक्रमणकर्ताओं को उचित मापदंडों के अनुरूप आवास आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिशासी अभियंता जोन-6 लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की आख्या के क्रम में यदि कार्यवाही की जाती है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की 180वीं बैठक में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन यह उल्लेखनीय है, कि प्रश्नगत अतिक्रमणकर्ता अत्यंत गरीब श्रेणी के हैं इन्हें छावनी क्षेत्र स्थित सर्वे संख्या-122, लक्ष्मी बाई मार्ग के अतिक्रमणकारियों की भांति लाभ दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।


अतएव नंदाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स, लखनऊ पर काबिज अवशेष 42+35=77 अध्यासियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण की 184वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विस्थापित करने पर विचार किये जाने हेतु आवंटन सम्बंधी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत

  
(दीपक सिंह)  
टी०एस०

  
(लाल बहादुर)  
अनुभाग अधिकारी  
ल०वि०प्रा०

  
(लाल बहादुर)  
अनुभाग अधिकारी  
ल०वि०प्रा०

  
(प्रवेश कुमार)  
नायब तहसीलदार  
ल० वि० प्रा०

  
01.08.25  
(प्रवेश कुमार सिंह)  
ल० वि० प्रा०

प्रस्ताव संख्या:-

विषय:- प्राधिकरण के विभिन्न योजना में निर्मित कामर्शियल काम्पलेक्स में निर्मित दुकानें, याजनाओं में निर्मित हॉल, स्टोर आदि अलोकप्रिय घोषित करते हुए प्रथम आओ प्रथम पाओ योजना के अन्तर्गत विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित कामर्शियल काम्पलेक्स में निर्मित दुकानें, याजनाओं में निर्मित हॉल, स्टोर आदि अनेक वर्ष पूर्व निर्मित किये गये हैं। उक्त सम्पत्तियों को पूर्व में 10 से 15 बार ई-ऑक्शन में प्रस्तावित किया गया था, परन्तु क्रेताओं द्वारा क्रय करने में रूचि न लेने के कारण एवं सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा 178-वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.08.2023 में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिससे कि अधिकाधिक सम्पत्तियों का क्रय निस्तारण किया जा सके।

“व्यवसायिक दुकानों एवं स्टोर आदि का आवंटियों द्वारा आवंटन कराकर 25 प्रतिशत जमा धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध अभिलेख निष्पादित कर कब्जा प्राप्त किया जायेगा एवं शेष धनराशि 5 से 7 वर्ष में त्रिमासिक किश्तों में जमा की जा सके, जिसे मा0 बोर्ड द्वारा मद संख्या-178/13 में पंजीकरण धनराशि के साथ कुल 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर तथा हायर पर्चेज एग्रीमेन्ट कराकर दुकान/सम्पत्ति का कब्जा देने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।”

उक्त मा0 बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में योजनाओं में निर्मित व्यवसायिक काम्पलेक्स की दुकानों, हॉल, स्टोर आदि को माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को निरन्तर ई-ऑक्शन में प्रस्तावित किया जा रहा है, परन्तु क्रेताओं द्वारा ई-ऑक्शन में केवल 01 या 02 सम्पत्तियों पर एकल निविदादाता द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें आरक्षित दरों पर मात्र 10 हजार से लेकर 20 हजार तक की उच्च दरें देते हुए प्रतिभाग किया जाता है। आवंटियों एवं क्रेताओं की रूचि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सम्पत्तियां के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें यह निर्णय निकाला गया कि अनेको बार सम्पत्तियां विक्रय में प्रस्तावित की गयी हैं, परन्तु क्रेताओं द्वारा रूचि न लेने के कारण इनका निस्तारण नहीं हो सका। शासनादेश संख्या-4912/9-अ-1-99/32 हडको/97/टी0सी0, दिनांक 04.11.1999 के बिन्दु संख्या-“ड” में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

1. ऐसी सम्पत्तियां जिनके निस्तारण/आवंटन के लिए 02 से अधिक बार समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार के उपरान्त भी निस्तारण/आवंटन न हो पाये तो उन्हें निम्न 02 श्रेणियों में विभक्त किया जाये।

(i) विकास कार्य लगभग पूर्ण :-

सड़क/विद्युत/जलापूर्ति, ड्रेनेज मल निस्तारण की व्यवस्था लगभग पूर्ण हो गयी है।

(ii) विकास कार्य अपूर्ण हो :-

बिन्दु संख्या-1 की सम्पत्तियों को एक प्रकार से अलोक प्रिय माना जा सकता है अर्थात् उनकी मांग की कमी है। उक्त श्रेणी की सम्पत्तियों को अलोकप्रिय

सम्पत्तियां मानते हुए प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त सिद्धांत के आधार पर आवंटित किया जा सकता है।


उपरोक्त शासनादेश के क्रम में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में दुकान, हॉल, स्टोर आदि की कुल संख्या -156 एवं आरक्षित मूल्य रू0-26.75 करोड़ हैं, जिनकी मांग कम होने के कारण विक्रय नहीं हो पा रही हैं, अलोकप्रिय घोषित करते हुए प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्धांत (First Come First Serve) पर विक्रय किया जाना उचित होगा। मा0 बोर्ड के समक्ष उक्त सम्पत्तियों को अलोकप्रिय घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

9/18/09/2025  
(Exam Class)  
शुभचक्र

18/09/2025  
18/09/2025  
18/09/2025

18/09/2025  
18/09/2025  
18/09/2025

गोमती नगर योजना फेज-1, विनय खण्ड-1, में निर्मित कॉम्प्लेक्स में प्रथम तल पर उपलब्ध दुकानें									
क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर (श्री-होल्ड शुल्क पृथक से)	मू-अच्छादन (मिटरात में)	एकड़/एअर	श्रेणी	कुल लागत (₹ X 6)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
1	एक.एक-19, 20	दुकान	--	12.69	129212.00	--	--	सामान्य	4919100.84
3	एक.एक-11, 28	दुकान	--	12.11	129212.00	--	--	सामान्य	3129514.64
8	एक.एक-23, 29	दुकान	--	12	129212.00	--	--	सामान्य	4651632.00
9	एक.एक-15, 24, 25, 26	दुकान	--	12	129212.00	--	--	सामान्य	6202176.00
10	एक.एक-17	दुकान	--	12.69	129212.00	--	--	सामान्य	1639700.28
13	एक.एक-22	दुकान	--	12.46	129212.00	--	--	सामान्य	1609981.52
14	एक.एक-27	दुकान	--	12.69	129212.00	--	--	सामान्य	1639700.28
16	एक.एक-34	दुकान	--	12.45	129212.00	--	--	सामान्य	1608689.40
17	एक.एक-33	दुकान	--	12.45	129212.00	--	--	सामान्य	1608689.40
18	एक.एक-35, 38	दुकान	--	12.45	129212.00	--	--	सामान्य	3217378.80
19	एक.एक-36	दुकान	--	12.45	129212.00	--	--	सामान्य	1608689.40
20	एक.एक-37	दुकान	--	12.45	129212.00	--	--	सामान्य	1608689.40
21	एक.एक-39	दुकान	--	12.45	129212.00	--	--	सामान्य	1608689.40
22	एक.एक-40	दुकान	--	13.16	129212.00	--	--	सामान्य	1700429.92
24								कुल	36753061.28
गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड-4, में निर्मित कॉम्प्लेक्स के मू-तल पर उपलब्ध दुकानें									
क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर (श्री-होल्ड शुल्क पृथक से)	मू-अच्छादन (मिटरात में)	एकड़/एअर	श्रेणी	कुल लागत (₹ X 6)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
2	18	दुकान	--	11.18	294047.00	--	--	सामान्य	3287445.46
3	19	दुकान	--	11.18	294047.00	--	--	सामान्य	3287445.46
4	28	दुकान	--	7.56	294047.00	--	--	सामान्य	2222995.32
3								कुल	8797886.24

  
 मनीज कुमार सागर  
 प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक  
 कनिष्ठ लिपिक

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

**गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड (व्यवसायिक पाकेट) में रेलवे लाइन के समानान्तर निर्मित दुकानें।**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आवृत्त दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	मू-अच्छादन (प्रतिघात में)	ए००००आ००	श्रेणी	कुल लागत (₹ X 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	एस-21	दुकान	13.6	236557.00	--	--	सामान्य	3217175.20
4	2	एस-14, 18	दुकान	12.92	236557.00	--	--	सामान्य	6112632.88
5	1	एस-16	दुकान	12.92	236557.00	--	--	सामान्य	3056316.44
6	2	एस-20	दुकान	12.92	236557.00	--	--	सामान्य	6112632.88
	6							कुल	18498757.40


**प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-सी में नवनिर्मित दुकानें (भूखण्ड सं०-एल.एस.-1 पर)**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आवृत्त दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	मू-अच्छादन (प्रतिघात में)	ए००००आ००	श्रेणी	कुल लागत (₹ X 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	एस-11	दुकान	7.2	133396.00	--	--	सामान्य	960451.20
2	1	एस-12	दुकान	7.2	133396.00	--	--	सामान्य	960451.20
3	2	एस-14	दुकान	7.2	133396.00	--	--	सामान्य	1920902.40
4	1	एस-15	दुकान	7.2	133396.00	--	--	सामान्य	960451.20
5	1	एस-6	दुकान	4.32	133396.00	--	--	सामान्य	576270.72
6	1	एस-9	दुकान	4.32	133396.00	--	--	सामान्य	576270.72
7	1	एस-22	दुकान	3.24	133396.00	--	--	सामान्य	432203.04
8	1	एस-18	दुकान	3.24	133396.00	--	--	सामान्य	432203.04
9	1	एस-20	दुकान	3.24	133396.00	--	--	सामान्य	432203.04
10	1	एस-21	दुकान	3.24	133396.00	--	--	सामान्य	432203.04
	11							कुल	7683609.60

**प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-सी में नवनिर्मित दुकानें (भूखण्ड सं०-एल.एस.-2 पर)**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आवृत्त दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	मू-अच्छादन (प्रतिघात में)	ए००००आ००	श्रेणी	कुल लागत (₹ X 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	एस-13	दुकान	3.24	133396.00	--	--	सामान्य	432203.04
2	2	एस-12, 14	दुकान	3.24	133396.00	--	--	सामान्य	864406.08
3	1	के-2	दुकान	1.44	133396.00	--	--	सामान्य	192090.24
	4							कुल	1488699.36

**विकासदीप (ग्रिवलापर) स्थित दुकानों का विवरण**


 केशव कुमार सिंह  
 प्रभारी अधिकारी, व्यवसायिक विकास प्राधिकरण

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आवकित दर प्रति वर्गमी० (ए-होल्ड शुल्क प्रत्येक से)	मू-अच्छादन (प्रतिरत में)	एफ०ए०आर०	श्रेणी	कुल लागत (₹ X 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	कैन्टिन	द्वितीय लेवल	51.728	198131.00	--	--	सामान्य	10248920.37
	1							कुल	10248920.37
<b>जानकीपुरम विस्तार योजना में उपलब्ध दुकानें</b>									
क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आवकित दर प्रति वर्गमी० (ए-होल्ड शुल्क प्रत्येक से)	मू-अच्छादन (प्रतिरत में)	एफ०ए०आर०	श्रेणी	कुल लागत (₹ X 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	दुकान	6	8.52	102565.00	--	--	सामान्य	1747707.60
2	1	दुकान	6	8.67	102565.00	--	--	सामान्य	889238.55
3	1	दुकान	6	6.85	102565.00	--	--	सामान्य	702570.25
4	1	दुकान	6	6.85	102565.00	--	--	सामान्य	702570.25
6	1	दुकान	6	7.16	102565.00	--	--	सामान्य	734365.40
7	2	दुकान	6	7.16	102565.00	--	--	सामान्य	1468730.80
	8							कुल	6245182.85

M  
मनोज कुमार सागर  
प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक  
सखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

विवेक कुमार सिंह  
कनिष्ठ लिपिक

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (रु०-होल्ड शुल्क पृथक से)	मू-अच्छादन (प्रतिवर्त से)	श्रेणी	कुल लागत (₹ X e)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	डुकान	10.093	1254600.00	--	अधुनिक	1254600.00	
2	1	1	डुकान	30.916	3842900.00	--	अधुनिक पक्का	3842900.00	
3	1	2	डुकान	8.941	1111400.00	--	अधुनिक	1111400.00	
4	1	3	डुकान	19.649	2442400.00	--	सर्वकारी सेवा का लवा मुका सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्णकर चुके हों।	2442400.00	
6	1	3	डुकान	8.989	1117400.00	--	विद्यार्थ, सातद व स्वयंसेवा संगान संगती	1117400.00	
8	1	1	डुकान	31.085	3863900.00	--	अधुनिक	3863900.00	
9	1	2	डुकान	8.83	1097600.00	--	अधुनिक	1097600.00	
11	1	1	डुकान	15.218	1891600.00	--	सामान्य धर्म	1891600.00	
12	1	2	डुकान	26.812	3332800.00	--	अधुनिक	3332800.00	
13	1	3	डुकान	26.009	3233000.00	--	सामान्य धर्म	3233000.00	
14	1	4	डुकान	14.488	180900.00	--	सामान्य धर्म	180900.00	
15	1	5	डुकान	14.268	1773600.00	--	अधुनिक सैनिक व उनके अधिकारी	1773600.00	
16	1	6	डुकान	26.054	3268600.00	--	अधुनिक धार्मिक	3268600.00	
17	1	7	डुकान	26.607	3307300.00	--	सामान्य धर्म	3307300.00	
18	1	8	डुकान	15.696	1951100.00	--	अधुनिक धार्मिक	1951100.00	
15							कुल	33669100.00	
<b>सी०जी० सिटी चक गजसिया योजना में निर्मित प्लॉटों के मू-बल पर उपलब्ध दुकानों एवं स्टोर।</b>									
क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (रु०-होल्ड शुल्क पृथक से)	मू-अच्छादन (प्रतिवर्त से)	श्रेणी	कुल लागत (₹ X e)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	K-SH(1)-04	डुकान	14.91	146100.00	--	सामान्य	2178351.00	

  
**मनोज कुमार सागर**  
 प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

(विवेक कुमार सिंह)  
 कनिष्ठ लिपिक


7	9	स्तर	--	10.34	146100.00	--	--	सामान्य	13596066.00
		SWATI/B-ST-03							
		SWATI/D-ST-01							
		SWATI/D-ST-03							
		SWATI/D-ST-06							
		SWATI/D-ST-08							
		SWATI/E-ST-09							
		SWATI/F-ST-01							
		SWATI/F-ST-02							
		SWATI/H-ST-04							
8	2	स्तर	--	10.86	146100.00	--	--	सामान्य	3173292.00
		KRITIKA/A-ST-01							
		KRITIKA/B-ST-01							
9	16	स्तर	--	10.34	146100.00	--	--	सामान्य	24170784.00
		SWATI/A-ST-01							
		SWATI/A-ST-03							
		SWATI/B-ST-01							
		SWATI/C-ST-01							
		SWATI/C-ST-05							
		SWATI/C-ST-06							
		SWATI/D-ST-02							
		SWATI/E-ST-02							
		SWATI/E-ST-04							
		SWATI/E-ST-06							
		SWATI/E-ST-08							
		SWATI/F-ST-03							
		SWATI/F-ST-04							
		SWATI/G-ST-01							
		SWATI/G-ST-02							
		SWATI/H-ST-01							
10	17	स्तर	--	10.34	146100.00	--	--	सामान्य	25681458.00
		SWATI/A-ST-02							
		SWATI/A-ST-04							
		SWATI/B-ST-02							
		SWATI/C-ST-02							
		SWATI/C-ST-03							
		SWATI/C-ST-07							
		SWATI/D-ST-05							
		SWATI/D-ST-07							
		SWATI/D-ST-09							
		SWATI/E-ST-03							
		SWATI/E-ST-05							
		SWATI/E-ST-07							
		SWATI/F-ST-06							
		SWATI/F-ST-07							
		SWATI/F-ST-08							
		SWATI/H-ST-02							
		SWATI/H-ST-03							

मनीष कुमार सागर

प्रधानी अधिकारी बजटसाधिक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

मनीष कुमार सिंह  
कनिष्ठ लिपिक

11	3	SWATI/B-ST-04 SWATI/C-ST-04 SWATI/E-ST-01 SWATI/D-ST-04	स्तर	--	10.34	146100.00	--	--	सामान्य	4532022.00
12	1	SWATI/D-ST-04	स्तर	--	10.34	146100.00	--	--	सामान्य	1510674.00
13	1	SWATI/F-ST-05	स्तर	--	10.34	146100.00	--	--	सामान्य	1510674.00
14	1	SWATI/F-ST-09	स्तर	--	10.34	146100.00	--	--	सामान्य	1510674.00
15	13	KRITIKA/A-ST-02 KRITIKA/A-ST-06 KRITIKA/C-ST-02 KRITIKA/C-ST-03 KRITIKA/D-ST-04 KRITIKA/D-ST-08 KRITIKA/D-ST-10 KRITIKA/E-ST-01 KRITIKA/E-ST-02 KRITIKA/F-ST-02 KRITIKA/F-ST-05	स्तर	--	10.86	146100.00	--	--	सामान्य	20626398.00
16	9	KRITIKA/A-ST-03 KRITIKA/B-ST-03 KRITIKA/B-ST-04 KRITIKA/C-ST-05 KRITIKA/D-ST-01 KRITIKA/D-ST-06 KRITIKA/D-ST-07 KRITIKA/E-ST-03 KRITIKA/E-ST-05	स्तर	--	10.86	146100.00	--	--	सामान्य	14279814.00
17	1	KRITIKA/A-ST-05	स्तर	--	10.86	146100.00	--	--	सामान्य	1586646.00

  
(विवेक कुमार सिंह)  
कनिष्ठ लिपिक

मोक्ष कुमार सागर

प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक

विभाग मणिकरण

18	1	KRITIKA/D-ST-02	स्तर	--	10.86	146100.00	--	--	सामान्य	1586646.00
19	2	KRITIKA/D-ST-03 KRITIKA/F-ST-01	स्तर	--	10.85	146100.00	--	--	सामान्य	1585185.00
20	1	KRITIKA/A-ST-07	स्तर	--	10.86	146100.00	--	--	सामान्य	1586646.00
21	6	KRITIKA/B-ST-02 KRITIKA/B-ST-06 KRITIKA/C-ST-01 KRITIKA/C-ST-04 KRITIKA/C-ST-06 KRITIKA/E-ST-04	स्तर	--	10.86	146100.00	--	--	सामान्य	9519876.00
22	3	KRITIKA/D-ST-11 KRITIKA/F-ST-03 KRITIKA/F-ST-04	स्तर	--	10.86	146100.00	--	--	सामान्य	4759938.00
	87								कुल	133395144.00
	159								कुल	

*(Signature)*  
 (विवेक कुमार सिंह)  
 कनिष्ठ लिपि

*(Signature)*

मनोज कुमार सागर  
 प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

बोर्ड बैठक

विषय : प्राधिकरण के सिण्डर्स डम्प योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी०पी० 1 से सी.पी. -2 के निकट भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :-

प्राधिकरण के सिण्डर्स डम्प योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी०पी० 1 के आवंटी डा० राजेश मेहता द्वारा पत्र दिनांक 01.06.2022 का प्रस्तुत कर उपाध्यक्ष महोदय से व्यक्तिगत सम्पर्क विभिन्न दिनाकों में किया गया। डा० मेहता द्वारा व्यक्ति एवं पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया कि व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी०पी० 1 सिण्डर्स डम्प योजना के निकट अतिरिक्त निष्प्रयोज्य भूमि को आवंटित कर दिया जाये। उक्त अनुरोध के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विभागीय पत्र संख्या-331/मेमो/पीए/2024-25, दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 एवं पुनः विभागीय पत्र संख्या-147/मेमो/पीए/2025-26, दिनांक 02 जून, 2025 के द्वारा भूखण्ड संख्या-सी० 1 के निकट अतिरिक्त निष्प्रयोज्य भूमि तथा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी०पी० 1, सी०पी० 2 के शमन किये जाने हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्न समिति का गठन किया गया है, जो निम्नवत है-

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. सचिव, ल०वि०प्रा०          | - | अध्यक्ष      |
| 2. अपर सचिव (टी)             | - | सदस्य        |
| 3. अपर सचिव (जी)             | - | सदस्य        |
| 4. वित्त नियंत्रक            | - | सदस्य        |
| 5. मुख्य नगर नियोजक          | - | सदस्य        |
| 6. मुख्य अभियन्ता            | - | सदस्य        |
| 7. प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक | - | सदस्य संयोजक |

गठित समिति द्वारा स्थल पर निरीक्षण किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी०पी० 1 का आवंटन विभागीय पत्र संख्या-मेमो/अ०स०, दिनांक 30.05.1990 में श्रीमती कौशलया वक्शी को आवंटित करते हुए कब्जा प्रमाण-पत्र विभागीय पत्र संख्या-मेमो/अ०स०, दिनांक 31.07.1990 के द्वारा दिया गया। विक्रय अभिलेख के साईट प्लान में निम्न चौहदियां अंकित हैं:-

- |            |   |                            |
|------------|---|----------------------------|
| उत्तर में  | - | प्लॉट नं०-2                |
| दक्षिण में | - | 5 मी० चौड़ा पार्किंग स्पेस |
| पूरब में   | - | 4.6 मी० चौड़ा मार्ग        |
| पश्चिम में | - | 6 मी० चौड़ा मार्ग          |

दिनांक 30 अप्रैल, 1999 को श्रीमती कौशलया वक्शी द्वारा डा० राजेश मेहता को डीड ऑफ असाईमेन्ट किया गया। भूखण्ड का डीड ऑफ असाईमेन्ट के पश्चात विभागीय पत्र संख्या-242/व्यय सेल/97, दिनांक 24.12.1997 को डा० श्री रामेश मेहता के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही की गयी। डा० श्री मेहता द्वारा नामान्तरण के पश्चात प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.05.2000, 09.01.2004, 05.11.2008 के द्वारा प्लॉट संख्या-सी० 1 के बागल की अतिरिक्त भूमि (67.43 वर्ग मी०) के आवंटन के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया एवं उक्त भूमि के मद में रू०-10,000.00 तत्समय अधिकारियों के मौखिक निर्देशों के क्रम में जमा किया गया। डा० मेहता द्वारा किये गये अनुरोध के

क्रम में समय-समय पर निरन्तर अनुरोध किये जाते रहे हैं, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण का निराकरण नहीं हो सका है। गठित समिति ने स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि तलपट मानचित्र के अनुसार एवं लीज डीड के साथ संलग्न मानचित्र के क्रम में आवंटियों द्वारा 2.5 मी० चौड़ा आर्किड पर अतिक्रमण करते हुए पक्का निर्माण कर लिया गया है एवं डा० मेहता द्वारा भी बगल की दर्शित पार्किंग भूमि पर पक्का निर्माण कर लिया गया है।

डा० मेहता के अनुरोध के क्रम में अभियंत्रण खण्ड जोन-2 के अधिशासी अभियन्ता से उक्त भूखण्डों का टोपोग्राफिकल सर्वे कराया गया, जिसकी आख्या नोट पृष्ठ संख्या-20 पर अंकित की गई है। सर्वे के अनुसार भूखण्ड संख्या-1 से 10 तक में दर्शित 2.5 मीटर चौड़ाई का आर्किड सम्मिलित करते हुए, भूखण्ड स्वामी द्वारा निर्माण कर लिये गये हैं। भूखण्ड संख्या-सी-1 एवं सी-2 की मापे अंकित की गई है, जिसका साइट प्लान रंगों से दर्शित कर दायीं ओर संलग्न किया गया है। भूखण्ड संख्या-सी-1 के स्वामी द्वारा विक्रय विलेख के अतिरिक्त पार्किंग की अतिरिक्त भूमि (5 मी. x 20.6 मी. = 103 वर्ग मी.), रोड़ (2.5 मी./20.6 मी. = 45.32 वर्ग मी.) एवं अग्रभाग की रोड़ 3.5 मी. x 18.85 वर्ग मी. = 65.03 वर्ग मी. एवं भूखण्ड में पर अतिक्रमण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उपलब्ध ले-आउट के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों में निर्माण के समय दुकान के सम्मुख 2.5 मी. चौड़े आर्किड का निर्माण किया जाना अनिवार्य था परन्तु भूखण्ड स्वामी द्वारा भवन निर्माण के समय आर्किड का निर्माण न करते हुए आर्किड हेतु आरक्षित भूमि पर भी भवन निर्मित कर लिया गया है। अधिकांश भवन स्वामियों द्वारा आर्किड भूमि को बिना कय किये ही निर्माण करने के कारण प्राधिकरण को आर्थिक क्षति हो रही है। श्री मेहता एवं अन्य आवंटियों द्वारा प्रश्नगत अतिरिक्त भूमि एवं आर्किड की भूमि को अतिक्रमित करते हुए अपने उपयोग में ले लिया गया है, जिसे विक्रय कर भवन को नियोजित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

समिति द्वारा यह मत रिथर किया गया है कि "भूखण्ड का अभियन्त्रण खण्ड द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार रोड़ की भूमि को छोड़कर शेष अतिरिक्त भूमि जिस पर आवंटियों द्वारा निर्माण कर उपयोग किया जा रहा है, को नोटिस निर्गत करते हुए वर्तमान व्यवसायिक दर पर भूमि आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे कि आवंटियों की समस्या का समाधान होगा एवं आवंटियों द्वारा अपने कब्जे में ले ली गयी भूमि का मूल्य प्राधिकरण को प्राप्त होगा।" समिति द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में सुझाव एवं आवंटियों की समस्याओं तथा प्राधिकरण की वित्तीय आय को दृष्टिगत रखते ले-आउट में संशोधन एवं अतिरिक्त भूमि आवंटन पर विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव मा. बोर्ड से समक्ष अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Sajeev

२

M

मनोज कुमार सागर  
प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (क्वैट्रि सेक्टर)  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

प्रस्ताव संख्या:-

विषय:- मण्डी परिषद को आवंटित भूमि 40697.59 वर्ग मीटर के स्थान पर बढ़े हुये क्षेत्रफल 5003 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद, अपना बाजार के निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 40697.59 वर्ग मीटर भूमि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.06.1991 को आवंटित कर लीज डीड निष्पादित की गई। निष्पादित की गयी लीज डीड के अनुसार मण्डी परिषद द्वारा लीज डीड के क्षेत्रफल 40697.59 वर्ग मीटर के सापेक्ष 6943 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि पर मण्डी परिषद द्वारा कब्जा कर लिये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा अवशेष भूमि 5003 वर्ग मीटर की लागत रू०-7396.49 लाख विभागीय पत्र संख्या-1813/प्र०अधि०सम्पत्ति/बल्क सेल/2024, दिनांक 19.11.2024 के द्वारा मांग की गयी। सचिव मण्डी परिषद लखनऊ द्वारा रू०-7396.49 लाख की पुनः संशोधित गणना कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। अवगत कराना है कि मण्डी परिषद द्वारा आवंटित भूमि 40697.59 वर्ग मीटर के सापेक्ष कुल 6943 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा किया गया जिसमें से अनार्जित भूमि 0.194 हे० (1940 वर्ग मीटर) पर कब्जा कर लिया गया। अनार्जित एवं कब्जा की गई भूमि के विरुद्ध गाँव के किसान श्री राम किशोर द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-सी 8231/2022 श्री राम किशोर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत है :-

"In these circumstances, we hereby direct the State to undertake the requisite exercise of demarcation and the land transferred to the Mandi Parishad on being found in excess is also directed to be settled either by payment of compensation or by returning the same to the lawful owner as per revenue record. The Principal Secretary, Housing and Urban Development shall monitor the exercise of demarcation and settlement in the light of revenue record with the aid of district revenue authorities. The petitioner shall also be associated in the process of demarcation.

This exercise shall be completed not later than a period of two months from today.

This order has been passed in presence of the learned counsel for the parties."

उक्त पारिज आदेश के क्रम में वादी श्री राम किशोर द्वारा दिनांक 03.02.2023 को प्रार्थना-पत्र के साथ अनुरोध किया गया कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.11.2022 के अनुपालन में प्राधिकरण को भूमि क्षेत्रफल 1940 वर्ग मीटर का का मुआवजा अथवा भूमि को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराकर प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। उक्त अनुरोध पत्र के क्रम में सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सीतापुर रोड द्वारा पत्र संख्या-क०उ०म०स०/किसान बाजार/2022-23, 46, दिनांक 11.04.2023 के द्वारा उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, लखनऊ को मा० न्यायालय के आदेश का संदर्भ उल्लेख करते हुए अनाधिकृत कब्जा की गयी गयी भूमि 1940 वर्ग मीटर भूमि का स्थलीय चिन्हांकन/सीमांकन किये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे कि मा० न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायो जा सके। मण्डी परिषद के अनुरोध के क्रम में प्राधिकरण, मण्डी परिषद के मध्य दिनांक 17.04.2023 को बैठक की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया मण्डी परिषद को आवंटित भूमि 40697.59 वर्ग मीटर से अतिरिक्त क्षेत्रफल 6943 वर्ग मीटर भूमि पर मण्डी परिषद का कब्जा है, जिसमें गाँव उजरियांव के खसरा संख्या-357/2 क्षेत्रफल 2-0-0-0 बीघा में से क्षेत्रफल 0.194 हेक्टेयर (1940 वर्ग मीटर) अनार्जित भूमि सम्मिलित है। राजस्व अभिलेखों में खतौनी संख्या-1427 से 1432 फसली खाता संख्या-365 खसरा संख्या-357/2 रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि श्री राम किशोर/स्व० कुंज बिहारी के नाम अंकित है। उक्त भूमि के प्रतिफल के निर्धारण हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 17.11.2021 के क्रम में उक्त भूमि के मूल्यांकित धनराशि रू०-447.66 लाख आकलित की गयी है। किसान को उक्त धनराशि भुगतान न होने के कारण मा० उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 का अनुपालन न होने के कारण याची श्री राम किशोर द्वारा अवमानना वाद संख्या-769/2023 श्री राम किशोर बनाम श्री नितिन रामेश गोकर्न अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य दिनांक 03.05.2023 की सुनवाई निहित की गयी। अपर मुख्य सचिव महोदय की सुनवाई निहित होने के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 24.04.2023 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अवमानना याचिका होने के कारण द्वारा 447.66 लाख याची श्री राम किशोर पुत्र स्व० कुंज बिहारी के पक्ष में किये जाने हेतु दिनांक 17.07.2023 को वित्तीय एवं प्रशासनिक

मनोज कुमार सागर  
प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (बल्क सेल)  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

स्वीकृति प्राप्त करते हुए चेक संख्या-000057 दिनांक 17.07.2023 को पैनल अधिवक्ता श्री रतनेश चन्द्रा के माध्यम से जिसे मा0 न्यायालय के समक्ष याची श्री राम किशोर को उपलब्ध कराया गया।

मण्डी परिषद को आवंटित भूमि 40697.51 वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र 6943.00 वर्ग मीटर में से उजरियांव के खसरा संख्या-351/2 क्षेत्रफल 0.506 हेक्टेयर में से अनार्जित क्षेत्रफल 0.194 हेक्टेयर अर्थात 1940 वर्ग मीटर को घटाते हुए प्राधिकरण कोष की अवशेष भूमि क्षेत्रफल 5003 वर्ग मीटर का लेखा/गणना अनुभाग द्वारा उक्त भूमि का 1.5 एफ0ए0आर0 के साथ व्यवसायिक भूखण्ड को मानते हुए गणना 73.96 करोड़ की गयी। उक्त धनराशि रू0-73.96 करोड़ सचिव राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति से विभागीय पत्र संख्या-1813/प्र0अ0सम्पत्ति/बल्क सेल/24, दिनांक 19.11.2024 के द्वारा मांग की गयी। उक्त मांग की गयी धनराशि के क्रम में प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2024 को बैठक आहुत की गयी, जिसमें उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, उपनिदेशक मण्डी परिषद, सचिव कृषि उत्पादन मण्डी, के साथ बैठक हुई। बैठक में विचार विमर्श कर सहमति व्यक्त की गयी कि 5003 वर्ग मीटर की अतिरिक्त भूमि की गणना रू0-7396.49 लाख पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 17.11.2021 में की गयी निर्धारित गणना के अनुसार किया जाये।

प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में की गयी गणना के पुनः परीक्षण हेतु 1. प्रभारी अधिकारी बल्क सेल 2. मुख्य अभियन्ता 3. मुख्य नगर नियोजक 4. संयुक्त सचिव अर्जन 5. वित्त नियंत्रक 6. अपर सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। समिति द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं मण्डी परिषद द्वारा किया गया पत्राचार एवं मांग पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के आधार यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि एक ही परिसर में स्थित है, एवं राज्य सरकार के विभाग मण्डी परिषद के कब्जे में है। उक्त भूमि एक परिसर/खसरा संख्या होने के कारण दो प्रकार से गणना किया जाने का औचित्य नहीं है। प्राधिकरण द्वारा जो गणना पूर्व में की गयी है वह प्राधिकरण के वित्तीय हितों में सामान्य विक्री किये जाने के दृष्टिगत की गयी थी। उक्त गणना/मांग पत्र पर मण्डी परिषद द्वारा प्रतिवाद किया गया जिस पर प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी कार्यालय की गठित समिति द्वारा की गयी गणना दिनांक 17.11.2021 (दायीं ओर पृष्ठ संख्या-154-155 पर संलग्न) के अनुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। अतः समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1940 वर्ग मीटर का मूल्य रू0-4,47,66,000.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार भूमि का मूल्य रू0-23,075.25 प्रति वर्ग मीटर होता है। मण्डी समिति द्वारा अनडेवलप्ड भूमि की दर पर भुगतान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि डेवलप की गयी है जिसके समस्त वाह्य विकास कार्य योजना स्रोतों से किये गये हैं। अतः मण्डी समिति के कब्जे में प्राधिकरण की अतिरिक्त भूमि 5003 वर्ग मीटर का भी दर रू0-23,075.25 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकसित करने की स्थिति में सेलेबल एरिया का 50 प्रतिशत प्राप्त होता है। चूंकि उक्त भूमि मण्डी परिषद को विकसित के रूप में उनके कब्जे में है, जिसे अर्जित भूमि का दो गुना सेलेबल एरिया के अनुसार (5003 X 2 = 10,006 वर्ग मीटर) की धनराशि रू0-23,08,91,028.68 मात्र एवं वाह्य विकास शुल्क रू0-2462.00 प्रति वर्ग मीटर (5003 x 2462 = 1,23,17,386.00) जोड़ते हुए कुल रू0-24,32,08,412.00 मात्र पर 12 प्रतिशत फी-होल्ड चार्ज रू0-2,91,85,010.00 सहित कुल रू0-27,23,93,422.00 का संशोधित मांग पत्र प्रेषित किये जाने संस्तुति की गयी है। उक्त संशोधित मांग पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

11-7-2025

11/7/25  
Laxman

(श्री० अली इमाम जे०डी)  
प्रभारी अनुपान अधिकारी  
17/07/25

11/7/25

11/7/25  
मनोज कुमार  
प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

1897/1/0/25  
28-04-25

229/VC/SP/RS 249  
24.04.25



नजूल अधिकारी कैम्प  
पत्र संख्या...157  
दिनांक...26/4/25

श्री लालेश मिश्र

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

'किसान मण्डी भवन' विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष : 0522-2720383 फ़ैक्स : 0522-2720056

पत्रांक-भू०अ०-433/2025- 3637

दिनांक-21/4) 2025

25/04/25

सेवा में,  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

महोदय,

श्री चोपा

कृपया अवगत कराना है कि किसान बाजार की अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-20.12.2024 को सचिवालय में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त दिनांक-20.12.2024 मूलरूप में संलग्न कर अग्रतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अमित मिश्र N/1  
ज्योतीष मिश्र

संलग्नक-यथोक्त।

श्री चोपा

भवदीय,

(चन्दन कुमार पटेल)  
उप निदेशक (प्रशा०/विप०)

2404/2025  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक-समांक।

प्रतिलिपि-अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विभागाध्यक्ष  
तह. (अर्थ)

- 1- उप निदेशक (प्रशा०/विप०), मण्डी परिषद, लखनऊ संभाग, लखनऊ।
- 2- उप निदेशक (निर्माण/अनुरक्षण खण्ड), मण्डी परिषद, लखनऊ।
- 3- सचिव/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सीतापुर रोड लखनऊ।

उप निदेशक (प्रशा०/विप०)

25/04/25  
नजूल अधिकारी कैम्प  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

श्री चोपा (अर्थ)

कृपया अवगत कराना है कि

संलग्नक-यथोक्त।

उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

किसान बाजार की अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में सचिवालय में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक दिनांक- 20 दिसम्बर 2024

समय- 10:00 बजे (पूर्वाह्न)

स्थान :- सचिवालय, लखनऊ

अध्यक्षता :- श्री रविन्द्र, प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार

1-उपस्थित अधिकारीगण :-

- 1- श्री प्रथमेश कुमार, एल0डी0ए0-उपाध्यक्ष।
- 2- श्री चन्दन कुमार पटेल, उपनिदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, लखनऊ।
- 3- श्री पंकज कुमार गुप्ता, उपनिदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, लखनऊ।
- 4- सुश्री रेनू वर्मा, सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लखनऊ।

2- बैठक के समय उपनिदेशक, मण्डी परिषद तथा सचिव, मण्डी समिति, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक-1813/प्र0अधि0सं0/बल्क सेल/24 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा गोमतीनगर योजना के विभूतिखण्ड में मण्डी परिषद लखनऊ को आवंटित/निबंधित (अपना बाजार/किसान बाजार) के अनुलग्न भूमि 5003 वर्गमीटर की धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित करते हुए उक्त भूमि का मूल्य रू0 66,03,96,000/- 12 प्रतिशत फीहोल्ड शुल्क रू0 7,92,47,520/- वाटर सीवर व अन्य व्यय रू0 6,000/- कुल रू0 73,96,49,520/- (रूपया-तिहत्तर करोड़ छियान्नेवे लाख उन्चास हजार पाँच सौ बीस मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3- उक्त के संबंध में मण्डी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-8231/2022 राम किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा कन्टैम्प्ट अप्लीकेशन (सिविल) संख्या-769/2023 राम किशोर बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्न, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-405/ए0सी0/तह0/2023 दिनांक 17.07.2023 के क्रम में ग्राम उजरियांव, लखनऊ विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में आवंटित 40697.59 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अतिरिक्त क्षेत्रफल 6943 वर्गमीटर की भूमि पर मण्डी परिषद का भौतिक कब्जा है। तत्क्रम में पूर्व में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2023 को निर्गत कार्यवृत्त में अपरजिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा पत्र संख्या-1356/अ0जि0अ0 (भू0अ0)न0म0पा0-1/लखनऊ दिनांक 10.12.2021 के माध्यम से ग्राम उजरियांव की खसरा संख्या-357/2 क्षेत्रफल 0.506 हेक्टेयर में से अनार्जित क्षेत्रफल 0.194 हेक्टेयर भूमि के प्रतिफल का निर्धारण जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 12.11.2021 के निर्गत कार्यवृत्त में उक्त भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया।

ग्राम उजरियांव खसरा संख्या-357/2 क्षेत्रफल 0.194 हेक्टेयर या 1940 वर्गमीटर

मूल्यांकित धनराशि		
क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	दर (प्रति वर्गमीटर)	मूल्यांकन
1000	13,500.00	1,35,00,000.00
940	9450.00	88,83,000.00
	कुल देय धनराशि	2,23,83,000.00
	देय धनराशि का दोगुना	4,47,66,000.00

उक्त आगणन के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्रांक-443/ए0सी0/तह0/23 दिनांक 23.07.2023 द्वारा ग्राम उजरियांव खसरा संख्या-357/2 क्षेत्रफल 0.506 हेक्टेयर में से अनार्जित क्षेत्रफल 0.194 हेक्टेयर भूमि के प्रतिफल की धनराशि रू0 4,47,66,000/- का मांग पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में मण्डी समिति, लखनऊ द्वारा प्रतिफल धनराशि स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क सहित कुल धनराशि रू0 4,83,47,660/- द्वारा प्राधिकरण को क्रमशः दिनांक 26.07.2023 तथा दिनांक 05.08.2023 को कर दिया गया। तत्क्रम में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में निर्धारित दरो पर 1940 वर्गमीटर की रजिस्ट्री दिनांक 03.09.2024 को की गयी।

4- वर्तमान में कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त भूमि 6943 वर्गमीटर में से अवशेष भूमि 5003 वर्गमीटर के भुगतान हेतु धनराशि रू0 73,96,49,520/- की मांग की गयी है। अतिरिक्त भूमि 5003 वर्गमीटर का आगणन जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित गणना के अनुसार न करते हुए अत्यधिक दरो पर किया गया है, जिससे मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में पूर्ण आगणित धनराशि के भुगतान होने के संबंध में वाद दायर होने तथा विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है। इसके संबंध में मण्डी समिति द्वारा प्राधिकरण से निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है।

5- इस संबंध में वी0सी0 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त भूमि का पुनर्परीक्षण कराते हुए नया मांग पत्र भेजने पर सहमति व्यक्त की गयी। मण्डी परिषद द्वारा भी जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित दरो पर भुगतान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

6- उपनिदेशक (प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद द्वारा नवीन मण्डी स्थल, दुबग्गा के निर्माण हेतु वर्ष 1987 में लखनऊ विकास प्राधिकरण से क्रय 15 एकड़ भूमि की अवशेष 02 एकड़ भूमि तथा वर्ष 2000 में दुबग्गा विस्तार हेतु लीज पर ली गयी भूमि 55.35 एकड़ में से अवशेष 13 एकड़ कुल 15 एकड़ भूमि पर समिति को कब्जा दिलाए जाने हेतु विचार-विमर्श किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक पृथक बैठक आयोजित करके प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही किये जाने हेतु दोनो विभागो द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।  
अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

श्री रविन्द्र  
प्रमुख सचिव

## उत्तर प्रदेश शासन

### कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

पत्र संख्या- 20/12/24

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2-उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।

3-अपर निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

4-उपनिदेशक (प्रशा0/विप0), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ संभाग लखनऊ।

श्री रविन्द्र  
प्रमुख सचिव

20/12/24



## कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति सीतापुर रोड, लखनऊ



ई-मेल- apniclko120101@gmail.com

पत्रांक-कृ0उ0म0स0/2024-25- 1873

दिनांक- 05-12-2024

सेवा में,

अपर सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ।

9729/171

06/12/24

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या-1813/प्र0धि0सं0/बल्क सेल/24 दिनांक 19.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोमतीनगर योजना के विभूतिखण्ड में मण्डी परिषद, लखनऊ को आवंटित/निबन्धित (अपना बाजार/किसान बाजार) से अनुलग्न भूमि 5003 वर्ग मीटर की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करते हुए उक्त भूमि का मूल्य रू0 66,03,96,000/-, 12 प्रतिशत फीहोल्ड शुल्क रू0 7,92,47,520/- वाटर सीवर व अन्य व्यय रू0 6,000/- कुल धनराशि रू0 73,96,49,520/- (रूपया-तिहत्तर करोड़ छियान्बे लाख उन्चास हजार पाँच सौ बीस मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किसान बाजार में उल्लिखित भूमि ग्रा0/मोहल्ला-उजरियांव, परगना तहसील व जिला-लखनऊ का भूमि खसरा संख्या-357/2 क्षेत्रफल 1940 वर्ग मीटर की गणना अपर जिलाधिकारी, (भू0अ0-11) लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या-135E/अ0जि0अ0(भू0अ0)न0म0पा0-1/लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर 2021 एवं मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिरिक्त भूमि 5003 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री दिनांक 03.09.2024 को की गयी है। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त भूमि 5003 वर्ग मीटर का आगणन पूर्व निर्धारित गणना के अनुसार न करते हुए अत्यधिक दरों पर किया गया है, जिससे भविष्य में विसंगति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में पूर्व आगणित धनराशि के भुगतान होने के सम्बन्ध में वाद दायर होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में अतिरिक्त भूमि का गाटावार विवरण तथा खसरा सुपर इम्पोज उपलब्ध कराने तथा आगणन का पुर्नपरीक्षण कराते हुए मांग पत्र प्रेषित कराने का कष्ट करें।

प्रभारी-बल्क सेल

भवतीया  
रिनु वर्मा  
सचिव

कृषि उत्पादन मण्डी समिति  
लखनऊ

अपर सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

06/12/24

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निजी सचिव, निदेशक महोदय को निदेशक महोदय, मण्डी परिषद के सगभ अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
- 2-उपनिदेशक (प्रशा0/विप0), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ संभाग लखनऊ।
- 3-उपनिदेशक (निर्माण), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
- 4-श्री इंद्रपाल, मण्डी पर्यवेक्षक को इस आशय से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अग्रतर कार्यवाही पूर्ण करायें।

रिनु वर्मा  
सचिव

7/12/24

प्रस्ताव संख्या:-

विषय:-आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये रतन खण्ड योजना रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मैसर्स यूनीटेक लि० के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 20.07.1988 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा मैसर्स यूनीटेक को रतन खण्ड योजना रायबरेली रोड वर्तमान नाम साउथ सिटी योजना को विकसित करने हेतु लाईसेंस अनुबन्ध दिनांक 20.07.1988 में किया गया। उक्त अनुबन्ध के क्रम में विकासकर्ता द्वारा योजना का तलपट मानचित्र स्वीकृत कराते हुये भूखण्डों का विक्रय किया गया। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवंटियों को विक्रय किये गये भूखण्डों का विक्रय विलेख प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किये गये।

साउथ सिटी योजना के आवंटी श्री मोहन लाल द्वारा भूखण्ड सं०-डी-14 का आवंटन दिनांक 11.12.1993 में कराते हुये विक्रय विलेख दिनांक 31.10.1996 में सम्पादित कराया गया था। आवंटी श्री मोहन लाल द्वारा प्राधिकरण की जनता अदालत दिनांक 23.06.2025 के द्वारा अनुरोध किया गया कि उनकी बेटी की पढ़ाई के लिये बैंक से एजुकेशन लोन लिया जाना है। बैंक द्वारा सर्वे किया गया जिसमें उनके भूखण्ड में दर्शित चौहदिदियों में अन्तर पाया गया, भूखण्ड के उत्तर साईड का मकान डी-42 है जबकि उनके विक्रय विलेख साईट प्लान में 43 लिखा है। उक्त भूखण्ड का सर्वे पुनः अभियन्त्रण खण्ड से दिनांक 30.06.2025 को कराया गया जो निम्नवत हैं :-

विक्रय विलेख में संलग्न साईट प्लान की चौहद्दी

उत्तर-भूखण्ड संख्या-43

दक्षिण-18.00 चौड़ी सड़क

पूरब-भूखण्ड संख्या-13

पश्चिम-भूखण्ड संख्या-15

अभियन्त्रण खण्ड से स्थलीय निरीक्षण दिनांक 12.06.2025 के अनुसार चौहद्दी :-

उत्तर-भूखण्ड संख्या-42

दक्षिण-18.00 चौड़ी सड़क

पूरब-भूखण्ड संख्या-13

पश्चिम-भूखण्ड संख्या-15

उपरोक्त चौहदिदियों में अन्तर होने के कारण बैंक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर लोन किया जा रहा है। लोन न होने के कारण उनकी बेटी की पढ़ाई रूकी हुई है, बेटी के पढ़ाई के लोन हेतु साईट प्लान एवं रजिस्ट्री आदि में तितम्मा करने आदि में अनुरोध किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के ज्ञात होता है कि मैसर्स यूनीटेक द्वारा श्री मोहन लाल को भूखण्ड सं०-डी-14 क्षेत्रफल 187.95 वर्ग मीटर का आवंटन दिनांक 11.12.1993 में किया गया तथा विक्रय विलेख दिनांक 31.10.1996 को प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया गया। भूखण्ड के आवंटन के समय उक्त पॉकेट के भूखण्ड क्रम सं०-1 से 28 एक लाईन में अंकित हैं, जिसमें भूखण्ड सं०-14 के पीछे का भूखण्ड 43 अंकित है। जिसके अतिरिक्त अन्य ले-आउट में क्रम सं०-1 से 27 अंकित है, जिसमें भूखण्ड सं०-14 के पीछे भूखण्ड 42 अंकित है। जो वर्तमान एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुसार सही है। उक्त




मनीज कुमार सागर

प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (बल्क सेल)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

ले-आउट के अनुसार ही स्थल पर दिनांक 13.06.2025 को निरीक्षण में सही पाया गया।  
चूंकि पूर्व में उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित किया गया।

आवंटी की समस्या के निराकरण हेतु मैसर्स यूनीटेक को विभागीय पत्र सं०-504/प्र०अधि०सं०/बल्क सेल/25 दिनांक 19.05.2025 को प्रेषित किया गया जिसमें मैसर्स यूनीटेक द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है। मैसर्स यूनीटेक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें यह संज्ञान में आया कि मैसर्स यूनीटेक दीवालिया के रूप में घोषित हो चुका है एवं फर्म/विकासकर्ता के विरुद्ध एन०सी०एल०टी० न्यायालय में विवाद होने के कारण मा० न्यायालय द्वारा समस्त सम्पत्तियों की देखरेख करने हेतु अभिलेखों का अधिग्रहण कर लिया गया है। जिसके कारण फर्म/विकासकर्ता द्वारा आवंटियों की समस्याओं आदि का निराकरण नहीं किया जा पा रहा है। आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये फर्म एवं प्राधिकरण के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों संख्या-17 में यह उल्लेख है कि-

**17. Cancellation of allotment/revocation of Agreement.**

17.1. If it is noticed that the Builder has violated any condition of these 'Terms and Conditions' or of the Agreement etc., or that the work is not being carried out according to plan and specifications as approved by LDA/and/or the work is not progressing as per time schedule mentioned in the work order, the Secretary, LDA, shall issue a notice to the builder for rectifications of any lapses within 10 days time.

17.2. If the builder fails to comply with the conditions given in the notice issued, the vice-chairman, LDA, shall issue a further notice to afford an opportunity to the builder to show cause within 30 days as to why the allotment should not be cancelled and Agreement revoked.

17.3. After receipt of the reply to the notice and hearing the builder, the Vice-chairman, LDA, may take necessary decision.

17.4. In the event of cancellation of allotment, except, in the case of cancellation under para 2.1. (a), or revocation of Agreement, the remaining work of any kind will be done by LDA, the cost of which will be recovered from the Bank Guarantee, or any other amount recoverable from the allottees or the proceeds from any other unallotted land. In case these amounts are found insufficient, the balance will be recovered from the builder as arrears of land revenue.




मनोज कुमार सागर  
प्रणाली अधिकारी-सम्पत्ति (बल्क सेल)  
समाजिक विकास प्राधिकरण  
राजपुरा

17.5. In addition to the above recoveries, as mentioned in para 17.4. a penalty equal to 10% of the value of remaining works to be carried out by the LDA shall be enforced on the builder. After adjusting the above amount, the balance, if any from the amount recovered/recoverable from the allottees or from the unallotted land shall belong to the Builder. The Builder shall not dispose of any unallotted land by themselves. The actual cost of the same, i.e. existing on LDA at the time of allotment, shall be paid by the LDA to the Builder and its disposal shall be done by Lucknow Development Authority.

इस प्रकार उक्त शर्तों से स्पष्ट है कि बिल्डर को नोटिस देकर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन बिल्डर दीवालिया हो गया है। इसलिए नोटिस दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उक्त योजना के आवंटियों की आ रही समस्याओं एवं मैसर्स यूनिटेक फर्म डिफल्टर होने के कारण फर्म के विरुद्ध एन.सी.एल.टी. न्यायालय में विवाद को दृष्टिगत प्राधिकरण एवं मैसर्स यूनिटेक के मध्य किये गये अनुबन्ध दिनांक 20.07.1988 को निरस्त करते हुए विकासकर्ता को लाईसेन्स पर दी गई रिक्त भूमि/सम्पत्तियों के निस्तारण अधिकार का लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त होगा तथा ले-आउट में परिवर्तन उनके द्वारा आवंटन के पश्चात् निष्पादित विक्रय विलेखों में परिवर्तन करने का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित होगा। उक्त प्राप्त अधिकारों से प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सकेगा। उक्त के क्रम में प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य किये गये अनुबन्ध दिनांक 20.07.1988 को निरस्त करने एवं सम्पत्तियों के निस्तारण प्राधिकरण स्तर से किये जाने की अनुमति के साथ-साथ उक्त प्रस्ताव मा0 बोर्ड से समक्ष अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।




मनोज कुमार सागर  
प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (बल्क सेल)  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

विषय संख्या : 49

पृष्ठ संख्या : 256


प्राधिकरण के एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 भवनों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।


### प्रस्ताव


प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों (ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भवन) जिसमें आवंटियों द्वारा अपने पक्ष में निबन्धन कराने से पूर्व सम्पत्ति का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दिया गया है तथा वर्तमान में मूल आवंटि के अभाव में सम्पत्ति का अन्तरण विलेख सम्पादित नहीं हो पा रहा है। उन्हें निरस्त करते हुए उनके आवंटन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण विषयक प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक में दिनांक 04.10.2023 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा मूल काबिजदार/हकदार के पक्ष में निस्तारण हेतु नीति निर्धारित करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। उक्त प्रस्ताव ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों हेतु है।


श्री श्याम कुमार सिंह एम0आई0जी0 श्रेणी के भवन संख्या-एम-3/650, सेक्टर-एच, कानपुर रोड योजना क्षेत्रफल 115.50 वर्गमीटर में अवैध रूप से अध्यासित हैं तथा कब्जे के आधार पर अपने पक्ष में निस्तारण की मांग की गयी है। उक्त भवन के अतिरिक्त अन्य एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 भवनों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों द्वारा कब्जे के आधार पर अपने पक्ष में निस्तारण की मांग की जा रही है, जबकि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

अतः एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 भवनों में अध्यासित व्यक्तियों के पक्ष में ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों की नीति की भाँति एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 भवनों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों के पक्ष में निस्तारण/नियमितीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।





  
रवि नन्दन सिंह  
विशेष काबिजदार  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

  
(श्री. कानन शीताराम)  
संयोजक अधिकारी  
29/10/23

विषय संख्या : 50

पृष्ठ संख्या : 257

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आश्रयहीन/ई0डब्लू0एस0 भवनों के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओं में भवन समायोजित किये जाने पर समायोजन तिथि से ब्याज लिये जाने के सम्बंध में।

प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण की आश्रयहीन/ई0डब्लू0एस0 भवन विभिन्न योजनाओं में आवंटित किये गये हैं परन्तु भवनो का निर्माण/विवाद/अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवन के स्थान पर 7-8 वर्षों के बाद अन्य योजना में भवन समायोजित किये गये हैं। आवंटियों द्वारा बार-बार उच्च स्तर पर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तथा मा0 जिला फोरम न्यायालय में भी इस बात की याचिका प्रस्तुत की है कि भवन आवंटन के बाद विवाद/अपरिहार्य कारण जैसे-भवन का निर्माण न होना, भूमि पर कब्जा न होने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं में समान प्रकार के भवन समायोजन किया गया है परन्तु पूर्व आवंटन तिथि से ब्याज की गणना किया जाना उचित नहीं है तथा माफ किये जाने का अनुरोध किया जाता है। प्रकरण पर सम्यक विचार करने पर यह मत स्थिर हुआ है कि आवंटियों को आश्रयहीन/ई0डब्लू0एस0 भवनो के आवंटन/विवाद की स्थिति में अन्य योजनाओं में समायोजित किये जाने पर चूंकि भवन का परिवर्तन कई वर्षों बाद किया गया तथा कब्जा भी नहीं दिया गया। अतः पूर्व आवंटन के अनुसार आरोपित ब्याज लिया जाना न्याय संगत नहीं है। आवंटित भवन के स्थान पर अन्य योजना में समायोजित भवनो में समायोजन सम्बंधित पत्र में निर्धारित भवन के मूल्य के आधार पर 18 वर्ष मे मासिक किस्त निर्धारित करते हुए जमा धनराशि का समायोजन/गणना करते हुए अवशेष धनराशि का मॉगपत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा।

अतः प्रस्ताव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आश्रयहीन/ई0डब्लू0एस0 भवन योजनाओं के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवन के स्थान पर अन्य योजना में समायोजित भवनो में समायोजन सम्बंधित पत्र में निर्धारित भवन के मूल्य के आधार पर 18 वर्ष मे मासिक किस्त निर्धारित करते हुए जमा धनराशि का समायोजन/गणना करते हुए निस्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

19/07/25  
सुन्दर निगम  
अध्यक्ष

15/7/25  
इंसपेक्टर जनरल  
50

15/07/25  
प.स.  
के.पी.ए. (आ.उ.)  
प.स.

15/07/25  
अधिकारी सम्पत्ति  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

प्राधिकरण बोर्ड बैठक हेतु प्रस्ताव

विषय:- ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित/निबन्धित भूखण्ड का फायर स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि पर किये गये सामायोजन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।


श्री प्रदीप कुमार बत्रा को ट्रांसपोर्ट नगर योजना के फेज-2 में भूखण्ड सं0-C-515 गोडाउन/एजेंसी हेतु दिनांक 16.04.1993 को आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड का दोहरा आवंटन होने के कारण श्री प्रदीप कुमार बत्रा द्वारा इसी योजना में कोई अन्य भूखण्ड (पेट्रोल पम्प हेतु) देने का अनुरोध किये जाने पर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय स्वीकृति के क्रम में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पेट्रोल पम्प हेतु रिक्त भूखण्ड का आवंटी श्री प्रदीप कुमार बत्रा के पक्ष में किया गया था। आवंटी से गणना अनुसार समस्त धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.03.2015 को पेट्रोल पम्प भूखण्ड का लीजडीड आवंटी श्री प्रदीप कुमार बत्रा के पक्ष में निष्पादित किया गया था।

आवंटी द्वारा भूखण्ड का कब्जा दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिये जाने हेतु अधि0अभि0 जोन-2 को पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र के जवाब में अधि0अभियन्ता जोन-2 द्वारा दिनांक 21.07.2016 को पत्र में माध्यम से यह अवगत कराया गया कि सम्बन्धित भूखण्ड पर मिलिट्री का कब्जा है तथा मिलिट्री द्वारा अपनी जमीन बताते हुए इस स्थल पर कोई भी कार्य कराये जाने से मना किया जाता रहा है। भूमि मिलिट्री के कब्जे में होने के कारण कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है। तदोपरान्त पत्रावली अभियन्त्रण खण्ड जोन-2 को इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि सम्बन्धित योजना में यदि कोई अनियोजित भूमि उपलब्ध हो तो अवगत कराये ताकि भूमि नियोजित कर उक्त निबन्धित भूखण्ड के स्थान पर आवंटी को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किया जा सके।

उक्त के उत्तर में अभियन्त्रण खण्ड द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना में अनियोजित भूमि उपलब्ध नहीं है। योजना के फेज-1 में बैंक के बगल में एक भूखण्ड फायर स्टेशन हेतु आरक्षित है। इस क्षेत्र स्थल के परिधि के अन्तर्गत नादरगंज में इस स्थल से लगभग 1.5 किमी दूरी पर फायर स्टेशन निर्मित हो चुका है। अतएव इस भूखण्ड का उपयोग परिवर्तित करने से पूर्व अग्निशमन विभाग से उनकी आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त इस भूखण्ड का भू-उपयोग पेट्रोल पम्प के प्रयोजन हेतु बदलने पर विचार किया जा सकता है। उक्त के क्रम में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा श्री प्रदीप कुमार बत्रा को आवंटित/निबन्धित पेट्रोल पम्प के भूखण्ड के स्थान पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना में रिक्त पड़े फायर स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि को समायोजित करने की स्वीकृति दिनांक 01.07.2017 को प्रदान की गयी थी।

समायोजन के उपरान्त भूखण्ड का उपयोग परिवर्तित करने से पूर्व अग्निशमन विभाग से उनकी आवश्यकता की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र सं0-855/जे.एस.-डी/2020 दिनांक 04.09.2020 को मुख्य शमन अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र के सम्बन्ध में मुख्य शमन अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्र सं0-558/एफ.एस.-13 दिनांक 16.09.2020 यह अवगत कराया गया था कि फायर स्टेशन की स्थापना हेतु शासनादेश सं0-1285/छ:-पु-8-2016-801,69द्ध/2015 दिनांक 08.07.2016 के अनुसार न्यूनतम दो यूनिट के फायर स्टेशन हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 4048.00 वर्गमी0 होना



  
 श्री प्रदीप कुमार  
 उप सचिव  
 विकास प्राधिकरण

आवश्यक है। जबकि ट्रांसपोर्ट नगरयोजना में आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल 1225.00 वर्गमी० है जो शासनादेश के सापेक्ष नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर में प्रस्तावित फायर स्टेशन हेतु 4148.00 वर्गमी० क्षेत्रफल भूमि की आवश्यकता है। तदोपरान्त नियोजन अनुभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ले-आउट में आरक्षित फायरस्टेशन की भूमि को पेट्रोल पम्प में परिवर्तित करने से पूर्व जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु दो लोक महत्व के समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रकाशन कराया गया था। नियोजन अनुभाग द्वारा कराये गये प्रकाशन के कम में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित लखनऊ गुड्स परिवहन एशोशिएशन, लखनऊ जनकल्याण महासमिति, लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट असोशिएशन द्वारा कमशः यह आपत्ति प्रस्तुत किया गया था कि "1. ट्रांसपोर्ट नगर में पूर्व से ही दो पेट्रोलपम्प सुचारू रूप से चल रहे हैं तथा तीसरा रिलायंस पेट्रोल पम्प ट्रांसपोर्ट नगर में उसी रोड पर निर्माणाधीन है जिस पर प्रस्तावित पेट्रोलपम्प बताया गया है अतः चौथे पेट्रोल पम्प की आवश्यकता नहीं है। 2. ट्रांसपोर्ट नगर में फायर स्टेशन के लिए जो जगह आरक्षित है वह उस समय सोसायटी विकास को देखकर किया गया था, वर्तमान में जिसे एलडीए पेट्रोलपम्प बनाने की योजना बना रहा है वहां पेट्रोल पम्प की आवश्यकता नहीं है।

उक्त समायोजित भूखण्ड का कब्जा दिये जाने हेतु श्री प्रदीप बत्रा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के कम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा यह संस्तुती दी गयी है कि भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तित किये बगैर तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 07.01.2017 को किया गया समायोजन विधिक रूप से सही नहीं है। श्री प्रदीप कुमार बत्रा को आवंटित एवं निबन्धित पेट्रोल पम्प के भूखण्ड के स्थान पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना में रिक्त पड़ी फायर स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड पर दिनांक 07.01.2017 को किया गया समायोजन निरस्त करने योग्य है। चूंकि भूखण्ड का समायोजन उपाध्यक्ष द्वारा किया गया है जिस कारण उक्त समायोजन को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर समायोजन निरस्तीकरण की कार्यवाही निष्पादित किया जाना उचित होगा।

अतः श्री प्रदीप कुमार बत्रा को आवंटित एवं निबन्धित पेट्रोल पम्प के भूखण्ड के स्थान पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना में रिक्त पड़ी फायर स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि पर दिनांक 07.01.2017 को किये गये समायोजन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



  
(अनंद कुमार)  
उप सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समायोजन नीति के अन्तर्गत समायोजित भूखण्डों/फ्लैटों के विनिमय विलेख हेतु स्टैम्प शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु: प्राधिकरण के ऐसे आवंटी जिन्हें प्राधिकरण रजिस्ट्री/कब्जा नहीं दे पा रहा है, के स्थान पर प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 31.05.2023 के मद सं०-177/26 में लिये गये निर्णय के अनुसार समायोजन नीति के तहत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों में समायोजन हेतु आवेदन किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऐसे आवंटी जिनके पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन/भूखण्ड के मद देय समस्त धनराशि जमा करने के उपरान्त निबन्धन की कार्यवाही पूर्ण कराली गयी है, परन्तु आवंटित/निबन्धित भवन/भूखण्ड का भौतिक कब्जा किन्हीं कारणोंवश प्राधिकरण नहीं दे पा रहा है। ऐसे आवंटियों द्वारा प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों में समायोजन नीति के तहत फ्लैट समायोजित कराया जा रहा है। समायोजन नीति के अन्तर्गत अंतिम गणना के अनुसार देय धनराशि जमा कर निबन्धन हेतु देय स्टैम्प शुल्क एवं अन्य प्रभार शुल्क प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने हेतु आवेदन किया जा रहा है, चूंकि आवंटी द्वारा पूर्व में भवन/भूखण्ड के निबन्धन हेतु स्टैम्प एवं अन्य प्रभार शुल्क का वहन किया जा चुका है, इस कारण निबन्धित भवन/भूखण्ड के समायोजन उपरान्त विनिमय विलेख पर देय स्टैम्प शुल्क एवं प्रभार शुल्क में से समायोजन के पश्चात आवंटी द्वारा जो धनराशि जमा की गयी है उस पर स्टैम्प पेपर व अन्य शुल्क का वहन आवंटी को करने तथा समायोजन धनराशि पर पर स्टैम्प पेपर व अन्य शुल्क प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे आवंटी जिन्हें भवन/भूखण्ड आवंटित किये गये थे। आवंटी द्वारा अपने व्यय पर निबन्धन भी कराया जा चुका है एवं उसके पश्चात् भूखण्ड मिसिंग होने, विवादित होने एवं अन्य कारणों से प्राधिकरण द्वारा कब्जा न दी जाने के कारण दूसरे भूखण्ड में समायोजित किये गये हैं। उन आवंटियों द्वारा भी पूर्व वहन किये गये स्टैम्प ड्यूटी की धनराशि को समायोजित किये जाने अथवा नये भूखण्ड के विनिमय विलेख पर आने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने का अनुरोध किया जाता है। इस प्रकार के प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार समायोजन के पश्चात आवंटी द्वारा जो धनराशि जमा की गयी है उस पर स्टैम्प पेपर व अन्य शुल्क का वहन आवंटी को करने तथा समायोजन धनराशि पर पर स्टैम्प पेपर व अन्य शुल्क प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार निबन्धित भवन/भूखण्ड के समायोजन उपरान्त विनिमय विलेख (Exchange Deed) हेतु आवंटी द्वारा जो धनराशि जमा की गयी है उस पर स्टैम्प पेपर व अन्य शुल्क का वहन आवंटी को करने तथा समायोजन धनराशि पर पर स्टैम्प पेपर व अन्य शुल्क प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*Mahit Singh*

(रोहित सिंह)  
विशेष कार्यधिकारी/  
संपत्ति अधिकारी  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

—: बोर्ड प्रस्ताव :—

विषय सं० :- 53

पृ० सं०-261


लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु गठित पी०एम०सी० सेल के सम्बन्ध में :-


प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 में विषय सं०-184/57 पर पी०एम०सी० गठन हेतु नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं०-A-12036/2/2023-Adm.IB दिनांक 07 जुलाई, 2023 के माध्यम से जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही करते हुए, 02 वर्ष के अनुबन्ध पर निम्नानुसार Remuneration पर पी०एम०सी० सेल में सदस्यों को रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:-


“बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।”

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए पूर्व से तैनात आउटसोर्सिंग पर कन्सलटेन्ट से सहमति हेतु पत्र जारी किये गये जिनमें से इस्टीमेटर द्वारा सहमति नहीं दी गयी। तदोपरान्त टीम लीडर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, एम०ई०पी० इंजीनियर, जूनियर जी०आई०एस० एक्सपर्ट एवं इस्टीमेटर/क्वान्टीटी इंजीनियर पर कन्सलटेन्ट रखने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एम०ई०पी० इंजीनियर एवं जूनियर जी०आई०एस० एक्सपर्ट पर चयनित अभ्यर्थियों को पी०एम०सी० में योगदान आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस मध्य पूर्व से आउटसोर्सिंग पर तैनात कन्सलटेन्ट आर्किटेक्ट द्वारा त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व तैनात कन्सलटेन्टो से वार्ता की गयी तथा पाया गया कि जूनियर कन्सलटेन्ट के Position पर Pay Band ₹0 50,000.00-60,000.00 है, जिसके कारण Multiple Person द्वारा त्याग पत्र किया जा सकता है तथा किया जा रहा है। कार्यहित में जूनियर कन्सलटेन्ट का Pay Band ₹0 55,000.00-65,000.00 किया जाना उचित पाया गया।

अतः बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में लिये गये निर्णय के क्रम में जूनियर कन्सलटेन्ट का Pay Band ₹0 50,000.00-60,000.00 से ₹0 55,000.00-65,000.00 किये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं औपचारिक सहमति हेतु प्रस्तुत है।

  
(रामभूल खलौरिया)  
अवर अभियन्ता

  
(राजेंद्र सिंह)  
अवर अभियन्ता

  
(मनोज सिंह)  
अवर अभियन्ता

  
(अतुल मिश्रा)  
सहायक अभियन्ता  
ल०वि०प्रा०

185वीं

:- बोर्ड प्रस्ताव :-


विषय संख्या - 54

पृ० सं०-262

पी0आई0यू0/पीएम0सी0 अन्तर्गत तैनात सेवानिवृत्त अधिकारियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021 में गोमती नदी के दोनों किनारों पर ग्रीन कॉरिडोर मार्ग, जो भी आई0आई0एम0 रोड से किसान पथ को जोड़ने हेतु 4-लेन मार्ग की प्रस्तावना मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा परियोजना पर सहमति देते हुए ग्रीन कॉरिडोर मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। मार्ग निर्माण में तकनीकी विशिष्टियाँ एवं भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा एक विशिष्ट यूनिट "प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट" (पी0आई0यू0) तैयार की गयी, जिसमें एक तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य, यातायात विशेषज्ञ सदस्य एवं राजस्व विशेषज्ञ सदस्य को रखा गया। कालान्तर में यातायात विशेषज्ञ सदस्य की आवश्यकता न रहने पर उक्त पद को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उ0प्र0 सिंचाई विभाग से सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता एवं राजस्व विशेषज्ञ सदस्य के रूप में राजस्व विभाग से अपर जिलाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त अनुबन्ध पर कार्यरत हैं। वर्ष 2021 में इन सदस्यों को रू० 75,000.00 प्रतिमाह देने का प्रशासनिक निर्णय हुआ। उक्त के पश्चात अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। पी0आई0यू0 के सदस्य द्वारा पत्र दिनांक 08.07.2025 प्रस्तुत करते हुए वर्तमान में महंगाई के दृष्टिगत उनका मानदेय रू० 75,000.00 से बढ़ाकर रू० 1,15,000.00 करने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में लेखानुभाग से अभिमत मांगा गया उनके द्वारा अभिमत दिया गया कि कार्मिक की मांग अथवा सेवा निवृत्त अधिकारियों को अन्तिम प्राप्त हुआ वेतन में से पेंशन घटाने के पश्चात जो धनराशि आती है उनमें से जो धनराशि कम हो उसको दिया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार पी0आई0यू0 में तैनात सदस्यों की मांग अथवा उनके द्वारा अन्तिम प्राप्त हुआ वेतन में से पेंशन की धनराशि घटाने के पश्चात जो धनराशि आती है उसमें जो धनराशि कम हो उक्त मानदेय को दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

  
2  
(9/7/25)  
(संजीव कुमार)  
अधिशर्मा अभियन्ता  
ल० वि० प्रा०

बोर्ड प्रस्ताव

विषय:- कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन फ्लैटों को Affordable 1BHK, 2BHK Housing करते हुए विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रधिकरण बोर्ड की 147वीं बैठक दिनांक 16.12.2011 में विषय संख्या-7 पर निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-


प्रस्ताव- देवपुर पारा योजना में वर्ष 2001 में निर्मित आश्रयहीन भवनों को ध्वस्त कर उसी स्थल पर समेकित परियोजना के विकास के सम्बन्ध में।

उक्त के क्रम में मा0 बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :-

निर्णय- "प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों का यह मत तथा कि प्रश्नगत योजना की परिकल्पना वर्ष-1999 में समाज के दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से की गयी थी तथा शासन द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थल का भू-उपयोग तत्समय कृषि से आवासीय में परिवर्तित किया गया था। अतः इस योजना में निर्मित दुर्बल आय वर्गों के भवनों के ध्वस्तीकरण के पश्चात् जो भी समेकित योजना विकसित की जाय उसमें दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग श्रेणी के समतुल्य भवन अवश्य निर्मित किया जाय। अतः उक्त प्रतिबन्ध के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।"

उपरोक्त के अनुपालन में वर्तमान में कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत 11 ई0डब्लू0एस0 टावर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त 11 टावरों में कुल 1832 भवन/फ्लैट नवीन विशिष्टियों यथा-Lift Provision, External Development, DG Set (Power Backup), Fire Fighting, Multistory Building के साथ प्रस्तावित है, जिसके कारण प्रति भवन/फ्लैट की विक्रय दर रू0 9,47,207.00 आ रही है।

अतः कबीर नगर देवपुर पारा योजना (नवीन प्रस्तावित नाम- प्रसून नगर योजना) में निर्माणाधीन भवनों का विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए रू0 9,47,207.00 के आधार पर ई0डब्लू0एस0 के स्थान पर Affordable 1BHK, 2BHK Housing करते हुए विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
 संजय भाटी राहुल वर्मा राजिव कुमार  
 अवर अभियन्ता सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता  
 लेखनक. . . . .स प्राधिकरण


विषय संख्या : 56

पृष्ठ संख्या : 264

विषय :-लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसन्त कुंज योजना मे प्रधानमंत्री आवास योजना के पास 1000 वर्ग मीटर भूमि को ई-आटो की चार्जिंग हेतु लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग, लखनऊ को पाँच वर्ष हेतु टोकन मनी रू0-1/- प्रति वर्ष पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग, लखनऊ के पत्रांक-1197/25-एलसीटी/ई-ऑटो/25 दिनांक-25.03.2025 के माध्यम से ई-ऑटो के संचालन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि की उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त बसन्तकुंज योजना के सेक्टर आई में प्रधानमंत्री आवास योजना के सामने 18 मीटर चौड़ी सड़क पर मूसाबाग फोर्ट की ओर से रिक्त/अनावंटित नर्सिंग होम, कामर्शियल भूखण्ड एवं ग्रीन हेतु आरक्षित भूमि का अस्थाई आवंटन 5 वर्ष हेतु रू0-10,000/-(18 प्रतिमाह जीएसटी अतिरिक्त) मासिक किराये पर कार्यालय पत्र संख्या-457/रेण्ट दिनांक-26.04.2025 के माध्यम से आफर दिया गया था। जिसमें नियमशर्तें उल्लिखित की गई थी।

1. प्रत्येक वर्ष रू0-1/- किराया प्रत्येक दशा में दिनांक 01 से 05 तारीख के मध्य जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक का किराया जमा न होने की दशा में 16 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। लगातार 03 माह तक किराया न जमा करने पर, ब्याज सहित किराया देय होगा, देयता अवशेष रहने पर किया गया अस्थाई आवंटन निरस्त माना जायेगा।
2. उक्त अस्थाई आवंटन 05 वर्ष तक के लिए होगा।
3. प्रश्नगत ई-आटो की चार्जिंग हेतु भूमि पर आवेदक को स्वयं के स्तर पर विद्युत बिल का कनेक्शन प्राप्त किया जायेगा जिसका भुगतान आवेदक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
4. अनुबन्ध हेतु होने वाले स्टाम्प शुल्क व अन्य प्रभार का वहन आवेदक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
5. प्रश्नगत ई-आटो की चार्जिंग स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव का कार्य आवेदक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
6. प्राधिकरण की बिना अनुमति के उक्त ई-आटो की चार्जिंग पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
7. प्रश्नगत स्थल पर पानी की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं करनी होगी।
8. आवेदक द्वारा जल कर का भुगतान स्वयं किया जायेगा।
9. आवेदक द्वारा स्थल पर चार्ज होने वाले वाहनों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।

  
अनंद कुमार  
कर एवं राजस्व निरीक्षक  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

10. किसी भी ई-आटो की चार्जिंग की क्षति अथवा चोरी होने की दशा में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. किसी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने की दशा में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र, जनपद लखनऊ होगा।
12. अनुबन्ध की शर्तों के अधीन समयावधि समाप्त होने पर प्रश्नगत स्थल का कब्जा ल0वि0प्रा0 को वापस करना बाध्यकारी होगा।

उक्त पत्र के क्रम में कार्यालय प्रबन्ध निदेशक लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग, लखनऊ के पत्रांक-2577/एलसीटीएसएल/ प्र0नि0/ईऑटो/25 के माध्यम से दिनांक-10.07.2025 के साथ यह अवगत कराया गया है कि नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन ने अपने कार्यालय पत्र संख्या-219डी0/पी0एस0/24 दिनांक 14.10.2024 द्वारा शासन द्वारा अनुमोदित व्यवस्था के अंतर्गत सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा-मथुरा को 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसी प्रकार की व्यवस्था का अनुमोदन नगर आयुक्त नगर निगम, वाराणसी ने अपने कार्यालय पत्र संख्या-1072/न.आ0एस0/2024-25 दिनांक-08.11.2024 द्वारा किया गया है तथा यह अनुरोध किया गया है कि अस्थाई आवंटन हेतु रू0-10,000/- (18 प्रतिमाह जीएसटी अतिरिक्त) मासिक किराये को संशोधित कर शासन द्वारा अनुमोदित व्यवस्थानुसार @ Rs. 1.00 Per year करते हुए रू0-01/- प्रतिवर्ष टोकन मनी के आधार पर 05 वर्षों हेतु आवंटित किया जाये।

अतः सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग, लखनऊ के अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा अनुमोदित व्यवस्था के अनुसार प्रतिवर्ष रू0-01/- टोकन मनी के आधार पर पूर्व प्रस्तावित शर्तों के अधीन प्रश्नगत प्रस्तावित 1000 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
 मिथलेश कुमारी  
 कर एवं राजस्व निरीक्षक  
 लखनऊ विकास प्रधिकरण

सं. २०११

**विषय :** लखनऊ शहर में ऐशबाग, बसंत कुंज योजना, गोमती नगर विराज खण्ड एवं गोमती नगर विस्तार सेक्टर-4 में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों जैसे ऐशबाग इंडस्ट्रियल एरिया योजना मिल रोड पर, बसंत कुंज योजना सेक्टर-जे व गोमती नगर विराज खण्ड में एवं गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-4 में जी-20 रोड के समीप ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रुप हाउसिंग परिसर में आवश्यक सुविधाएं जैसे-क्लब, जिम, किड्स एरिया व स्वीमिंग पूल आदि का निर्माण भी किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग में प्रस्तावित विभिन्न श्रेणी के भवन 3 BHK + Study, 3 BHK, 2 BHK + Study का आनलाइन डिमाण्ड सर्वे कराया गया है। प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग स्थल शहर की अत्यन्त प्राइम लोकेशन में होने के कारण जनता द्वारा डिमाण्ड सर्वे में अप्रत्याशित रूचि दर्शायी गयी है। ऑनलाइन डिमाण्ड सर्वे में प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम	योजना	प्रस्तावित भवन	डिमाण्ड सर्वे में प्राप्त आवेदन
1	ऐशबाग इंडस्ट्रियल एरिया योजना, मिल रोड	320	436
2	बसंत कुंज योजना सेक्टर-जे,	250	508
3	गोमती नगर विराज खण्ड,	285	935
4	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-4 जी-20 रोड के समीप	250	674

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित चारों ग्रुप हाउसिंग योजनाओं हेतु इम्पैनल्ड वास्तुविदों से भवनों के डिजाइन, ड्राइंग तैयार कराकर यू0पी0 रेरा में नियमानुसार पंजीकरण कराया जायेगा। रेरा में पंजीकरण उपरान्त योजना में भवनों का पंजीकरण 02 माह हेतु खोला जायेगा, जिसमें 30 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण होने पर ही ग्रुप हाउसिंग के फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

**प्रस्ताव :**

अतः लखनऊ शहर में डिमाण्ड सर्वे के अनुसार ग्रुप हाउसिंग फ्लैटों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों जैसे ऐशबाग इंडस्ट्रियल एरिया योजना मिल रोड, बसंत कुंज योजना सेक्टर-जे, गोमती नगर विराज खण्ड एवं गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-4 जी-20 रोड के समीप ग्रुप हाउसिंग के निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
AEC

  
3117125  
5.04

  
मुख्य अभियन्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

-: बोर्ड प्रस्ताव :-

विषय संख्या - 58

पृ.सं.-267

जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना हेतु गठित जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाइटी को भंग करते हुए उसको पूर्ण कराने, संचालन एवं रख-रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना का निर्माण कराया जा रहा था, जो कि कतिपय कारणों से पूर्ण नहीं हो सका एवं जिसका संचालन न होने के कारण केन्द्र की उपयोगिता नहीं हो सकी। वर्तमान में शासनादेश सं0-60/2025/821/आठ-1-25/289एल0डी0ए0/2004 टी0सी0 4 दिनांक 04 जुलाई, 2025 के क्रम में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के परिचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में शासन द्वारा गठित त्रिस्तरीय जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाइटी को भंग करते हुए यथास्थिति केन्द्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (i) जे0पी0एन0आई0सी0 परियोजना को "as is where is" basis पर निजी सहभागिता के माध्यम से दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं संचालन हेतु Request of Proposal (RFP) आमंत्रित करने तथा निजी संचालक के चयन की अनुमति लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आर0एफ0पी0 डाक्यूमेंट एवं निजी संचालक के चयन पर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्ट्रक्चर पर किये गये समस्त व्यय को एक निश्चित अवधि में निजी संचालक से वसूल लिया जाये।
- (ii) जे0पी0एन0आई0सी0 परियोजना हेतु शासन द्वारा अब तक कुल अवमुक्त धनराशि रू0 821.74 करोड, जिसके माध्यम से इस केन्द्र का निर्माण किया गया है, को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में स्थानान्तरित ऋण माना जायेगा, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा।
- (iii) परियोजना को पूर्ण कराने, निजी सहभागिता से अनुरक्षण एवं संचालन के लिए प्रक्रिया/शर्त निर्धारित करने, सोसाइटी को भंग करने, सदस्यता समाप्त करने व


(संजीव कुमार)  
अधिशासक अभियन्ता  
20/07/2025


268  
अन्य अनुषांगिक कार्यवाही हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है।

शासनादेश दिनांक 04.07.2025 के अनुपालन हेतु यथोचित कार्यवाही किये जाने के लिए उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। समिति द्वारा जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र को हैण्डओवर लेने तथा जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र में स्थित म्यूजियम को अन्य परिसर से अलग करते हुए गेट नं०-1 से नई सड़क का निर्माण तथा म्यूजियम ब्लॉक को बाउण्ड्रीवाल से सुरक्षित करने एवं केन्द्र में स्थित स्पोर्ट फैसिलिटीज हेतु प्राधिकरण परिसर से एक कनेक्टिविटी दिये जाने की कार्यवाही एवं परियोजना में हुए समस्त खर्चों के साथ-साथ इसमें व्यय होने वाली धनराशि भी परियोजना लोड करते हुए आर०एफ०पी० आमंत्रित करना उचित पाया गया है।

शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में जे०पी०एन०आई०सी० सोसाइटी को भंग करने की कार्यवाही प्रचलित है तथा जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना को “as is where is” basis पर निजी सहभागिता के माध्यम से अनुरक्षण एवं संचालन हेतु आर०एफ०पी० डाक्यूमेन्ट का प्रारूप तैयार किया गया है, (जिसकी प्रति संलग्न है) आर०एफ०पी० डाक्यूमेन्ट एवं निजी संचालक के चयन पर शासन से अनुमोदन प्राप्त कर जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना पर किए गये व्यय को निश्चित अवधि में निजी संचालक से वसूल की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार शासनादेश सं०-60/2025/821/आठ-1-25/289 एल०डी०ए०/2004 टी०सी० 4 दिनांक 04 जुलाई, 2025 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा प्रचलित कार्यवाहियों के क्रम में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु निजी सहभागिता के चयन हेतु तैयार किये गये आर०एफ०पी० डाक्यूमेन्ट की स्वीकृति एवं उक्त को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

  
(अनुल मिश्रा)  
सहायक अभियन्ता  
ल०वि०प्रा०

  
(अनुल मिश्रा)  
सहायक अभियन्ता  
ल०वि०प्रा०

संख्या: 60/2025/821 /आठ-1-25/289एल.डी.ए./2004 टी0सी0 4

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 04 जुलाई, 2025

विषय:-जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना हेतु गठित जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाइटी को भंग करते हुए उसको पूर्ण कराने, संचालन एवं रख-रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10/एए0 जे0पी0एन0आई0सी0/वी0सी0/24, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 के क्रम में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र संबंधी परियोजना के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के परिचालन एवं रख-रखाव के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-250/2016/3189/आठ-1-16-26एल0डी0ए0/15, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 द्वारा गठित विस्तरीय जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाइटी को भंग करते हुए यथास्थिति केन्द्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित करते हुए इसके संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(i) जे0पी0एन0आई0सी0 परियोजना को "as is where is" basis पर निजी सहभागिता के माध्यम से दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं संचालन हेतु Request for Proposal (RFP)

आमंत्रित करने तथा निजी संचालक के चयन की अनुमति लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आर०एफ०पी० डोक्यूमेंट एवं निजी संचालक के चयन पर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्ट्रक्चर पर किये गये समस्त व्यय को एक निश्चित अवधि में निजी संचालक से वसूल लिया जाये।

(ii) जे०पी०एन०आई०सी० परियोजना हेतु शासन द्वारा अब तक कुल अद्विमुक्त धनराशि रू० 821.74 करोड़, जिसके माध्यम से इस केन्द्र का निर्माण किया गया है, को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में स्थानान्तरित ऋण माना जायेगा, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा।

(iii) परियोजना को पूर्ण कराने, निजी सहभागिता से अनुरक्षण एवं संचालन के लिए प्रक्रिया/शर्तें निर्धारित करने, सोसाइटी की भंग करने, सदस्यता समाप्त करने व अन्य अनुषांगिक कार्यवाही हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by  
GURU PRASAD PORALA  
(जी० प्रसाद पोराला)  
Date: 04-07-2025  
1 प्रमुख सचिव।

संख्या: 60/2025/821 (1)/आठ-1-25, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/9/2025-सी0एक्स0(1), दिनांक 03.07.2025 के संदर्भ में।
5. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,  
(राजेश कुमार राय)  
विशेष सचिव।

<http://shaharadesh.up.nic.in>

**विषय:** लखनऊ विकास प्राधिकरण में सृजित एवं संरक्षित पत्रावलियों को शासनादेश के क्रम में वीडिंग किए जाने के सम्बन्ध में।

**प्रस्ताव:** लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों यथा अधिष्ठान, सम्पत्ति, अभियन्त्रण, नियोजन, लेखा, प्रवर्तन, अर्जन, मानचित्र आदि में दैनिक कार्यों का संचालन पत्रावलियों के माध्यम से होता है। पत्रावलियों का रख-रखाव संबंधित अनुभाग द्वारा किया जाता है। पत्रावलियों पर कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त उन्हें अभिलेखागार (Record) में संरक्षित कर दिया जाता है। प्राधिकरण का अभिलेखागार लालबाग स्थित कार्यालय में एवं गोमती नगर कार्यालय स्थित पुरानी बिल्डिंग में अवस्थित है।

वर्तमान में प्राधिकरण में अभिलेखागार की पत्रावलियों को स्कैन किए जाने एवं उनका डिजिटल डेटाबेस तैयार किए जाने की प्रक्रिया संचालित है, इसके साथ ही पुरानी एवं जीर्णशीर्ण पत्रावलियों, मानचित्रों एवं ले-आउटों के संरक्षण की कार्यवाही भी की जा रही है। चूंकि प्राधिकरण के अधिकांश अनुभाग गोमती नगर कार्यालय में अवस्थित हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए लालबाग अभिलेखागार को गोमती नगर कार्यालय में स्थानान्तरित एवं व्यवस्थित करने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। उ०प्र० शासन के प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2023/463/43-1-2023 दिनांक 28 अप्रैल, 2023 द्वारा समस्त विभागों/कार्यालयों के अभिलेखों की वीडिंग/रिकार्डिंग कराये जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है, जिसके द्वारा कार्यालयी प्रपत्रों एवं पत्रावलियों के रख-रखाव व रिकार्डिंग तथा वीडिंग हेतु समयावधि निर्धारित की गई है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में भूमि के अर्जन, आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटन व निबंधन, मानचित्र अनुभाग द्वारा स्वीकृत किए जा रहे मानचित्रों तथा अभियन्त्रण द्वारा किए जाने वाले कार्यों इत्यादि के फलरूपरूप लगातार नई पत्रावलियों का सृजन हो रहा है, जिनके रख-रखाव कार्य में न केवल कार्मिकों का अनावश्यक समय नष्ट होता है बल्कि अभिलेखागार में भी स्थान का अपव्यय होता है। उक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण कार्यालय हित में शासनादेश को अंगीकृत करते हुए प्राधिकरण की पत्रावलियों एवं रजिस्टर का निम्न सारिणी के अनुसार वीडिंग किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र० सं०	विभाग/पत्रावली का विवरण	समय/अवधि जब तक कि नष्ट कर दिया जाए
1.	रिफण्ड संबंधी पत्रावलियां	01 वर्ष से अधिक पुरानी
2.	मानचित्र हेतु प्राप्त एवं अस्वीकृत आवंटन	01 वर्ष से अधिक पुरानी
3.	शमन हेतु प्राप्त एवं अस्वीकृत प्रार्थना पत्र	01 अप्रैल 2017 से पूर्व
4.	स्वीकृत मानचित्रों की पत्रावलियां	01 अप्रैल 1990 से पूर्व
5.	प्रवर्तन संबंधी पत्रावलियां-जहां वाद समाप्त हो चुका है	01 अप्रैल 2010 से पूर्व
6.	अभियन्त्रण एवं उद्यान अनुभाग की पत्रावलियां	01 अप्रैल 2010 से पूर्व
7.	जनसूचना अनुभाग की पत्रावलियां	03 वर्ष से अधिक पुरानी

(सुनील कुमार) लखनऊ विकास प्राधिकरण  
अवर बग सहायक अनुभाग अधिकारी  
ल०वि०प्रा०  
लखनऊ

(साधनेश कुमार) लखनऊ विकास प्राधिकरण  
अधीनस्थ सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

8.	विधि अनुभाग	ऐसी पत्रावलियां जहां न्यायालय से अंतिम आदेश हुए 01 वर्ष व्यतीत हो चुका है
9.	अधिष्ठान अनुभाग	01 अप्रैल 2010 से पूर्व की समस्त पत्रावलियां
10.	अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी पत्रावलियां	ऐसी पत्रावलियां जहां कार्यवाही समाप्त हो चुकी है।
11.	विभिन्न अनुभागों यथा अर्जन, सम्पत्ति आदि में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के आवेदन संबंधी पत्रावलियां	01 अप्रैल 2017 से पूर्व
12.	नियोजन अनुभाग की पत्रावलियां	01 अप्रैल 1990 से पूर्व
13.	यू0पी0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 (RWA) से संबंधित पत्रावलियां	कार्यवाही में समाप्त सभी पत्रावलियां
14.	लेखा अनुभाग की बजट संबंधी पत्रावलियां	03 वर्ष से अधिक पुरानी
15.	लेखा में भुगतान संबंधी पत्रावलियां	03 वर्ष से अधिक पुरानी
16.	पंजीकरण चालान के रजिस्टर	03 वर्ष से अधिक पुराने
17.	स्टोर/जनसंपर्क/वाहन	03 वर्ष से अधिक पुरानी पत्रावलियां जिनमें कार्यवाही समाप्त हो चुकी है।
18.	अधिकारियों के कैम्प कार्यालय की पत्रावलियां/रजिस्टर	संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं परिवेक्षण कर निर्धारित किया जाएगा
19.	खाली रजिस्टर/बही खाता इत्यादि जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है	सभी


उपरोक्त सूची के अनुसार पत्रावलियों की वीडिंग किए जाने से पूर्व उनकी स्कैनिंग की जाएगी एवं उनका डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। वीडिंग की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समिति का गठन प्रस्तावित है:-


1. अपर सचिव-जी - अध्यक्ष
2. संबंधित विभागीय/प्रभारी अधिकारी - सदस्य
3. प्रभारी अभिलेखागार - सदस्य संयोजक

समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर ही वीडिंग किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस कार्य हेतु अनुभागावार एक वीडिंग रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें पत्रावलियों का विवरण, स्कैनिंग का विवरण एवं वीडिंग का विवरण अंकित रहेगा तथा गठित समिति द्वारा उसमें हस्ताक्षर किए जाएंगे।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

  
(सुनील कुमार)  
अवर वर्ग सहायक  
ल०वि०प्रा०  
लखनऊ

  
30/07/2015  
(S.O.)

  
30.07.25  
(माधवश कुमार)  
उप सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

**लखनऊ विकास प्राधिकरण की 185वीं बोर्ड बैठक दिनांक  
05.08.2025 के अनुपूरक प्रस्तावों की सूची**

क्र. सं.	विषय
01.	लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार एवं सुगम बनाने के दृष्टिकोण से तथा हरदोई व सीतापुर रोड को लखनऊ शहर के समतामूलक चौराहा शहीद पथ एवं किसान पथ को सीधी कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में गोमती नदी के दोनों तटबन्धों पर आईआईएम रोड से किसान पथ तक ग्रीन कॉरीडोर के निर्माण के सम्बन्ध में।
02.	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु नैमिष नगर आवासीय योजना के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम-पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर की भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
03.	अनन्त नगर आवासीय योजना (मोहान रोड) के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

## लखनऊ ग्रीन कोरिडोर प्रोजेक्ट बोर्ड मीटिंग प्रस्ताव

प्रस्ताव – लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार एवं सुगम बनाने की दृष्टिकोण से तथा हरदोई व सीतापुर रोड को लखनऊ शहर के समतामूलक चौराहा शहीद पथ एवं किसान पथ को सीधी कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2021 को गोमती नदी के दोनों तटबन्धों पर आई0आई0एम0 रोड से किसान पथ तक 4लेन रोड निर्माण की परिकल्पना के निर्देश दिये गये थे, जिसे ग्रीन कोरिडोर परियोजना कहा गया है। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.02.2021 को आहूत बैठक में इस प्रोजेक्ट हेतु नोडल विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं नोडल एजेंसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण को नामित किया गया है।

ग्रीन कोरिडोर परियोजना की परिकल्पना एवं डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए टाटा कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का चयन किया गया। टाटा कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान उपरान्त आई0आई0एम0 रोड से किसान पथ के मध्य गोमती नदी के दोनों बैंक जिसकी लम्बाई लगभग 28 + 28 = 56 किमी0 पर 4लेन रोड निर्माण हेतु आवश्यक कार्य बन्धा चौड़ीकरण, नया बन्धा एवं फलाईओवर कम आर0ओ0बी0 एवं ब्रिज कार्यों की डी0पी0आर0 तैयार कर प्रेषित कर दी गयी है। डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-


SI No.	Type of Work	Quantity (Approx)	Cost (in Cr.) i/c GST (Approx)
1	Bund Widening & Road	11.0 km	443
2	New Bund & Road	21.0 km	987
3	Flyover and Bridges & Road	12.0 km	3651
4	Exiting 4 Lane	12.0 km	-
5	Land Acquisition	150 ha	520
6	R & R	LS	50
7	Utilities Shifting	LS	20
<b>Total</b>		-	<b>5671 Cr.</b>


टाटा कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) द्वारा परियोजना गठन के दौरान समय-समय पर सिंचाई, लो0नि0वि0, यातायात पुलिस, नगर निगम, विद्युत विभाग आदि के समक्ष परियोजना में प्रस्तावित कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाता रहा है तथा विभागों की तरफ से प्राप्त उचित सुझावों को परियोजना में सम्मिलित भी किया गया है।


परियोजना में प्रस्तावित कार्यों को शासकीय वजट एवं प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से प्राप्त होने वाली धनराशि से सम्पादित कराये जायेंगे।

ग्रीन कोरिडोर परियोजना लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था को सरल तथा सुगम बनायेगा एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली एवं अयोध्या रोड को सीधे हरदोई व सीतापुर रोड से जोड़ेगा।

अतः परियोजना की सार्वजनिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इसका अनुमोदन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

  
 (अनिल मिश्रा)  
 स. विकास अभियन्ता

  
 (अनिल सिंह)  
 स. विकास अभियन्ता

  
 (अनिल कुमार)  
 स. विकास अभियन्ता

विषय:- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरो के समग्र एवं समुचित विकास हेतु नैमिष नगर आवासीय योजना के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम-पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर की भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 184वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.03.2025 में विषय संख्या-184/46 पर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ के ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोडरीभौली, कमलाबाद, कमलापुर, पल्हरी गाँव बारूमऊ, धतिगरा व सैदापुर तथा तहसील-सदर, लखनऊ में स्थित ग्राम-गोपरामऊ में कुल क्षेत्र-1084.40 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना विकसित करने के लिए भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नवत निर्णय लिया गया :-

*"सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।"*

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को विभागीय पत्र संख्या-759बी/एसी./प्र./2025 दिनांक 05.07.2025 के माध्यम से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब एवं तहसील-सदर की उपरोक्त भूमि क्षेत्रफल 1084.40 हेक्टेयर भूमि संग्रहण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।


नैमिष नगर आवासीय योजना से आच्छादित मास्टर प्लान रोड का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि मास्टर प्लान रोड में ग्राम-पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर की आंशिक भूमि भी सम्मिलित है, जिसे नैमिष नगर आवासीय योजना के विस्तारित क्षेत्र के लिए ग्राम-पश्चिम गांव क्षेत्र-1.1840हे०, धोबैला क्षेत्र-17.4090हे०, उमरभारी क्षेत्र-14.3069हे० व दुग्गौर क्षेत्र-2.0110हे० भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाना है।

प्रस्ताव :-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरो के समग्र एवं समुचित विकास हेतु नैमिष नगर आवासीय योजना के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम-पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर की भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के संमक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अमोल (अजय बहादुर) अमीन, ल०वि०प्रा० ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला नायब तहसीलदार/स०च०अ० ल०वि०प्रा० 21/8/25 28/8/25 21/8/25 अमित कुमार-अर्जन अधिकारी-अ०अ० ल०वि०प्रा०

# Naimish Nagar Proposed Phasing





विषय:- अनंत नगर आवासीय योजना (मोहान रोड) के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अनंत नगर आवासीय योजना (मोहान रोड) हेतु ग्राम-कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर की भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। योजना को विकसित किये जाने हेतु योजना का तलपट मानचित्र तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2025 में बिन्दु संख्या-183/3 (अनु0वि0) में स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में योजना का विकास कार्य प्रगति पर है। पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में स्थल की आवश्यकतानुसार एवं उच्चाधिकारियों से हुई चर्चा के क्रम में सेक्टर-1 में पूर्व प्रस्ताव के अनुसार 102 एकड़ भूमि जो कि शैक्षिक संस्थाओं (Institutional) हेतु आरक्षित की गयी थी, उक्त को कम करते हुए लगभग 72 एकड़ तक सीमित कर अवशेष भाग को आवासीय भूखण्ड के रूप में परिवर्तित करने के साथ-साथ लखनऊ महायोजना-2031 में प्रदर्शित रिंग रोड, जो कि अन्य स्थल पर निर्मित हो चुकी है, उक्त को परियोजना से पृथक करते हुए योजना का संशोधित तलपट मानचित्र तैयार किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अनंत नगर आवासीय योजना (मोहान रोड) का संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
संजय भाटी  
अवर अभियन्ता

  
राहुल वर्मा  
अध्यक्ष अभियन्ता

  
संजीव कुमार  
अधिशारी अभियन्ता जोन-  
लखनऊ विकास प्राधिकरण